(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] नवीं विधान सभा के पंचम् सत्र का तृतीय दिवस [संख्या 3

गुरुवार

12 सितम्बर, 1991

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : किशनगोपाल कोगटा।

अजमेर जिले के शिक्षकों का स्थानान्तरण

40. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले के शिक्षा अधिकारियों द्वारा कुल कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये ?

(2) राज्यादेश द्वारा कितने तथा प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारियों द्वारा कितने स्थानान्तरण किये गये ?

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किस-किस अधिकारी ने कितने-कितने स्थानान्तरण किये ? उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) अजमेर के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कुल 728 शिक्षकों के स्थानान्तरण वर्ष 1991-92 में किये हैं।

(2) राज्यादेश से सत्र 1991-92 में स्थानान्तरण नहीं किये गये। उक्त स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों या शिक्षकों की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये हैं।

(3) स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किये गये स्थानान्तरणों के बारे में 150 अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिनका निपटारा किया जा चुका है।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह जानकारी दी कि जिले में 728 स्थानान्तरण किये गये हैं कि जबकि वास्तविकता में 1050 स्थानान्तरण हुए हैं जिनकी सूची मेरे पास में है, मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरा, आपने कहा कि यह जो स्थानान्तरण हुए हैं वह प्रशासनिक कारणों से हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह 1050 का ब्रेक-अप है क्या आपके पास ? वरना 728 और आप कह रहे हैं 1050, इसका नतीजा तो क्या निकलेगा ? (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : जानकारी में है। दूसरा यह जो आपने जानकारी दी प्रश्न नम्बर 2 के उत्तर में, स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये हैं, इस सम्बन्ध में मुझे यह जानकारी करनी है कि पोस्टों का रेशनेलाइजेशन हुआ है उसमें जो अध्यापक हटाने थे, इस सम्बन्ध में जो आपने

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

नीति तय की है, जो सब्जेक्ट टीचर हैं वह तो रहने ही चाहिए लेकिन हुआ यह है कि जैसे कामर्स में बुक-कीपिंग, बैंकिंग और कामर्शियल प्रैक्टिस यह तीन सब्जेक्ट हैं लेकिन किसी स्कूल में तो 2 बैंकिंग के टीचर्स हटा दिये, अकाउण्टेन्सी के टीचर्स हैं और किसी में एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर्स हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स के टीचर्स ही नहीं हैं। ऐसा उदाहरण मैं आपको विजय नगर का देता हूं। वहां पर 6 टीचर्स थे, दो पोस्टें अबोलिश हुई, 4 पोस्टें रहीं पर सब्जेक्ट टीचर्स तो रहने चाहिए थे। लेकिन हुआ यह है कि सब्जेक्ट टीचर्स को हटा कर एक सब्जेक्ट के तो 3 टीचर्स रख दिये, कामर्शियल प्रैक्टिस, अकाण्टेन्सी और बैंकिंग का एक भी टीचर ही नहीं है। तो यह प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुए हैं वह किस आधार पर हुए हैं? इसकी जानकारी मुझे दें।

दूसरा, इसी प्रकार से जो स्थानान्तरण किये गये लांग स्टे के मामले में, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा गया कि जिस सब्जेक्ट का टीचर हटा रहे हैं, जैसे कहीं से इंगलिश का टीचर हटाया गया और आ रहा है हिन्दी का। टीचर का लांग स्टे है यह बात सही है लेकिन सब्जेक्ट टीचर तो होना चाहिए। इसी प्रकार से विजय नगर में दो टीचर लांग स्टे के आधार पर हटाये गये इंगलिश और संस्कृत के लेकिन आये सामान्य ज्ञान के दो टीचर्स। नीति सम्बन्धी बात समझ में आती है लेकिन अध्यापक अनीति वाला मामला हुआ। विद्यार्थियों के लिए अन्याय हुआ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया ना ? बैठिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो इन्होंने कहा कि 728 नहीं होकर के 1050 के किये हैं। मेरा जहां तक ख्याल है इनकी जानकारी गलत है। बाद में निस्तारण हो गये वह भी इन्होने इसमें जोड़ लिए हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि टीचर्स का नेशनलाइजेशन किया है। न तो स्कूलों का नेशनलाइजेशन किया है हमने, न टीचर्स का नेशनलाइजेशन किया है। सरकार की तरफ से....

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : रेशनेलाइजेशन का कह रहे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जहां तक रेशनेलाइजेशन का सवाल है यह बात सही है कि लांग स्टे के टीचर्स को हटाया गया है, उनमें कई इस प्रकार के टीचर्स आ गये थे जो एक ही सब्जेक्ट के होने के बाद में दूसरे इसमें आते थे लेकिन जो विभाग को जानकारी मिली है उसके आधार पर इनको करेक्ट कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि 150 इस प्रकार की अपीलें आयी उनमें से 90 का निस्तारण इसी दृष्टि से किया है। इसमें किसी प्रकार से सब्जेक्ट के टीचर को जानकर के हटाया गया हो और लांग स्टे में हटा दिया गया हो और फिर भी आवश्यकता है तो उसको उसमें लिया है। विद्यार्थियों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) :

(श्री केदारनाथ)

अध्यक्ष जी, वैसे तो बड़ा सीमित दायरा है इस क्वश्चन का लेकिन क्या आपने स्टेट लेवल पर रेशनेलाइजेशन की पालिसी लागू कर दी है ट्रांसफर्स में ? नम्बर 1 और एक जो शहरों में 10-10, 15-15 साल से जिनका ठहराव है, स्टे लांगेस्ट है, उनको आपने स्टेट लेवल पर लागू कर दिया है कि उनको देहात में भेजा जाय और देहात के टीचर्स को यहां भेजा जाय आन दी बेसिस आफ रेशनेलाइजेशन।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह हमने रेशनेलाइजेशन की नीति गये बार शुरू की थी और इस बार उसको लागू किया है और उसके लागू करने के पीछे भावना यही है कि आप तो 10-15 साल की बात कर रहे हैं लेकिन 30-30 34-34 साल से टिके हुए थे उनको हमने गांवों में भेजा है और इसी का कारण है कि इस बार इतने प्रार्थना-पत्र आये और हमने उनको स्वेच्छा से इस प्रकार के अध्यापकों का ट्रांसफर किया है।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम-का-थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि आज भी काफी शालाएं हैं जो खाली पड़ी हैं जहां पर शिक्षक नहीं हैं और संस्था प्रधान भी नहीं है तो आप उनकी कब तक पूर्ति करेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह सम्बन्धित प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थानान्तरण किये गये हैं क्या उनमें यह ध्यान रखा गया है कि जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्त स्थान हैं, उनको भरने की दृष्टि से किये गये हैं या अन्य कोई बात है ? क्योंकि सिरोही के अन्दर कई ऐसे स्थान हैं जहां पर 18 शिक्षकों की जगह है, 4-4 शिक्षक कार्य कर रहे हैं, कहीं 9 शिक्षक की जगह है वहां सिर्फ एक शिक्षक कार्य कर रहा है।

दूसरा, प्रश्न मेरा यह है कि स्थानान्तरण नीति का इसके अन्दर किसी न किसी रूप में पूछा गया है, तो स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध माने सिरोही में भी इसी प्रकार के स्थानान्तरण हुये हैं तो क्या उन पर भी कोई कार्यवाही माननीय मंत्री महोदय करवा रहे हैं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर सिरोही का अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा, लेकिन कहीं पर किसी भी स्तर पर, मैं नीति की ही बात कर रहा हूं कि अगर कहीं से भी शिकायत हमारे पास बिना प्रश्न के भी आती है तो हम उसे दूर करते हैं और जितने ट्रांसफर्स किये गये हैं उनमें प्राथमिकता इस बात को दी गई है कि हम रिक्त स्थानों पर ही उन्हें लगायें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी से, मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपीलें की हैं वह उनके सक्षम अधिकारियों तक अपीलें की हैं, लेकिन अभी तक उन अपीलों का निस्तारण नहीं हो सकता है तो क्या अब भी उन अपीलों का निस्तारण होगा, जिन अध्यापकों ने अपीलें कर रखी हैं ?

Page No. 4

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि जो आपने शिक्षा नीति बनाई है उसमें जो रिमोट प्लेसेज हैं राजस्थान में, लेकिन वह तहसील हैडक्वार्टर्स हैं, जैसा हमारे यहां कोटड़ा है, जो बिलकुल काले पानी के नाम से बहुत लम्बे समय से जाना जाता रहा है ऐसे स्थानों को भी आपने शहरों की परिभाषा में ले लिया है और ऐसे स्थानों पर जो शिक्षक रहे हैं वह तो कभी भी अपनी सारी जिन्दगी में शहर का दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो क्या इस नीति में परिवर्तन करेंगे कि जहां पर शहर की परिभाषा, जहां पर हाउस रेंट नहीं मिलता है, केवल फिक्स हाउस रेंट मिलता है, उन्हें गांव मानें और जो शहर हैं, जहां पर पूरा हाउस रेंट स्लेब के अनुसार मिलता है। क्या ऐसा परिवर्तन करने की राजस्थान सरकार इच्छा रखती है?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्नों की जानकारी चाही है—पहला तो यह है कि जितनी अपीलें आयी हैं उनका निस्तारण कर दिया गया है या और अभी करेंगे? जितनी अपीलें प्राप्त हुई थीं, उन सबका नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है और अब विभाग में किसी प्रकार का अपीलों पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

दूसरी बात, आपने कही है शिक्षा नीति के बारे में, कि जो रिमोट प्लेसेज पर लोग रहे हैं और शिक्षा नीति में जैसे तहसील हैडक्वार्टर है या इससे भी कम जगह के स्थान हैं उनको सिटी मान लिया गया है। इस प्रकार का सुझाव माननीय सदस्य ने मुझे अलग से लिखकर दिया है और हमने आपस में विचार भी किया है सम्भवतः उसकी जानकारी के लिए इस प्रश्न को यहां पर रखा होगा, लेकिन शिक्षा नीति में इस प्रकार के सवालों पर विचार कर रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय यह बता रहे हैं कि नीतिगत आधार पर ट्रांसफर्स किये गये हैं, परन्तु एक ट्रांसफर के मामले में आपसे मिला था...

कृषि मंत्री (श्री सम्पत सिंह): व्यक्तिगत बात नहीं करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : व्यक्तिगत बात नहीं है। आपने आदेश कर दिये, मैंने कहा कि यह नीतिगत नहीं हुआ, ट्रांसफर गलत हुआ है। आपने आदेश कर दिये, लेकिन वह आपके दो-दो आदेश शहद चाट रहे हैं। एक बात।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने जोइन्ट डायरेक्टर से बात की. उन्होंने कहा कि मुझे उदाहरण दीजिए। मैंने एक नहीं उनको 5 उदाहरण देकर भेजा कि इस तरह से यह नीतिगत नहीं है, गलत ट्रांसफर किया है, सैंकड़ों ट्रांसफर्स ऐसे किये गये हैं। अलवर की इन्स्पेक्टर आफ स्कूल (छात्रा) के खिलाफ आर. एस. बी. आई में मुकदमा दर्ज हुआ है। इनका रिकार्ड आज की तारीख तक भी कलक्ट्रेट में जमा है। कलक्टर जाकर सारा रिकार्ड अपने साथ ले गये थे। क्या आप आश्वस्त करेंगे कि जो गलत ट्रांसफर्स हुए हैं उनको निरस्त करेंगे।

दूसरा यह है कि जब आर. एस. डी. आई. में केस रजिस्टर हो गया, डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की? क्योंकि इसका रिकार्ड भी आज की

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

तारीख तक कलक्ट्रेट में जब्त है। अलवर में जितने भी स्थानान्तरण किये गये हैं सारे जो आपने नीति बनाई उसके विरोध में किये गये हैं। कृपया आप इस सदन को आश्वस्त कराएंगे कि जो गलत ट्रांसफर हुए हैं उनको वापस आप निरस्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जालौर जिले में यह जो नीति आपने बना रखी है ट्रांसफर्स की उसकी अवहेलना कहां-कहां पर हुई है। उसमें जालौर जिले के अन्दर आपने एक ही समाज के अध्यापकों के ट्रांसफर्स किए है विश्नोई समाज के। वह अध्यापक मेरे भीनमाल नगर के अन्दर थे। उन चारों को हटाया गया जिसमें एक सात महीने पहले लगा रखा था। इसी तरह से सांचौर के अन्दर विश्नोई समाज के जितने भी अध्यापक थे उनको अधिक से अधिक को वहां से हटाया गया। यह एक ही समाज के पीछे पड़ गये और इस तरह की यह व्यवस्था आपने जो कर रखी है यह राजनैतिक दुर्भावना के कारण की है। आप इसके ऊपर ध्यान देंगे ?

दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि जो स्थानान्तरण आप करते हैं जैसे हमारे भीनमाल हायर सैकण्डरी (सीनियर) स्कूल के अन्दर आपने सात-आठ अध्यापकों का एक साथ स्थानान्तरण कर दिया। आपने वापस एक भी अध्यापक नहीं लगाया वहां, आप क्या चाहते हैं कि वहां पर बच्चे पढ़ें नहीं। जालौर के अन्दर भी मेथेमेटिक्स और साइन्स का कोई अध्यापक नहीं है और न भीनमाल के अन्दर है, तो यह बच्चे कहां पढ़ने जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने यह बात कही, वास्तव में सही बात है। जालौर जिले में जो स्थानान्तरण किये गये हैं वह सभी स्थानान्तरण राजनीति से प्रेरित हैं और नीतिगत एक भी नहीं किया गया है। इसलिये कृपा कर किये गये स्थानान्तरणों पर पुनर्विचार करके उनको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में अधिकांश मास्टर भरतपुर, जयपुर, झुन्झुनू, सीकर के रहते हैं और आज हालत वहां की यह है कि जिले की कोई भी सैकण्डरी, कोई भी हायर सैकण्डरी, कोई भी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल में 70 प्रतिशत से अधिक अध्यापकों के पद रिक्त हैं और यह लगातार हैं और अभी तक ट्रांसफर वहां के अध्यापकों के होकर जा रहे हैं। इन रिक्त पदों को सरकार गम्भीरता से ले रही है या नहीं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षक दिवस पर बहुत जोरदार शब्दों में घोषणा की थी और पहले से यह प्रयासरत भी हैं। यह प्रदेश के गांवों का ही दुर्भाग्य है। चाहे डाक्टरों का सवाल हो, चाहे शिक्षकों का सवाल हो, जिनको नये अपाइन्टमेंट मिलते हैं उन्हें गांवों में भेजा जाता है। शहरों में दस-दस, बीस-बीस साल से एक ही जगह पर अध्यापक लगे

(डा. चन्द्रभान)

हुए रहते हैं और ट्यूशन भी करते हैं। मंत्री जी ने कहा था कि मैं इन्हें गांव दिखाऊंगा, कितने प्रतिशत लोगों को इन्होंने गांव दिखाया ? मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि अब नये सैकण्डरी स्कूल आपने खोले हैं, नये स्कूल आप और खोलने जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल, अब इन स्कूलों में जो भी शहरों में लम्बे समय से लोग रह रहे हैं उनको कृपया आप गांवों में भिजवायेंगे और जो लोग गांवों में लम्बे समय से हैं उनको भी शहर दिखायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री झामनानी।

श्री हरीश झामनानी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री जी से एक जानकारी लेना चाहता हूं। राज्य सरकार ने अजमेर जिले को सम्पूर्ण साक्षरता करने की नीति अपनाई हुई है अभी कुछ दिनों पूर्व वहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्थानान्तरण की गलत नीति के कारण वहां के शिक्षक संगठन सनाढ्य ग्रुप ने यह जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम ले रखा था साक्षरता का उससे अपने आप को अलग कर लिया और यह कह दिया कि जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जो स्थानान्तरण हुए हैं वह जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक इस साक्षरता के कार्यक्रम में हम भाग नहीं लेंगे। क्या यह बात सही है ? उसके बाद में उनको किस प्रकार से सन्तुष्ट किया गया ? इस प्रकार की सारी जानकारी मुझे चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसके प्रधानाध्यापक का और व्याख्याता का समान केडर है इसलिए वो वहां पर जाकर जो इन नहीं करते हैं आपके आदेश करने के बावजूद। क्या राज्य सरकार प्रधानाध्यापक के केडर को व्याख्याता के केडर में कुछ आप बदलाव लायेंगे या उसमें कुछ ज्यादा उनको तरजीह देंगे ?

दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक हैं वह डेली अप डाउन करते हैं। पचास-पचास किलोमीटर तक वो जाते हैं और तीन-चार दिन में जाते हैं तो इसके लिए आप उनको गांवों में रहने के लिए बाध्य करेंगे या कोई अट्रेक्शन पैदा करेंगे ताकि अध्यापक वहां एन. सी. सी., स्काउटिंग, स्पोर्टस आदि की एक्टिविटीज में भाग ले सकें और गांव के लोग भी शहरों के बच्चों के बराबर आ सकें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी द्वारा या कुछ अधिकारियों द्वारा जो स्थानान्तरण किये गये हैं, कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो सामान्य अध्यापकों से अलग हटकर तृतीय भाषा उर्दू के हैं उनकी तरफ मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिला रहा हूं। जयपुर शहर में तीन ऐसे विद्यालय हैं जो उर्दू माध्यम के हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दवाबखाना, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मोती कटला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज, इन तृतीय भाषा उर्दू के जो अध्यापक थे उनको हटा कर ऐसी जगह पर लगाया गया है जहां उर्दू विषय ही नहीं है। दवाबखाना स्कूल के उर्दू अध्यापक जो केवल उर्दू भाषा जानते हैं दूसरी भाषा पढ़ाना ही नहीं जानते उनको वहां से हटा कर पुरानी बस्ती में पुरोहितों

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

की ढाणी के विद्यालय में लगाया जहां उनका कोई उपयोग नहीं। इसी तरह से मोहम्मद युनूस माणक चौक स्कूल में उर्दू के अध्यापक थे उनको वहां से हटाकर बगरू में लगाया गया। ऐसे अध्यापक जिनकी उर्दू भाषा के अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी, माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षा मंत्री जी ने सक्षम अधिकारियों के नाम निर्देश भी जारी किये। मैंने दोनों-तीनों विद्यालयों के प्राध्यापकों से यह लिखवाकर भी दिया कि इनकी नियुक्ति उर्दू अध्यापक के पद पर हुई है इनका स्थानान्तरण करने के बाद हमारे विद्यालय में उर्दू भाषा पढ़ाने वाला कोई अध्यापक ही नहीं है। वहां 200-300 छात्र हैं जिनको पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और जहां इनको लगाया गया वहां के प्रधानाध्यापकों से लिखवाकर भी दिया कि यहां पर उर्दू भाषा ही नहीं है, यहां इनका कोई उपयोग नहीं है। उन अध्यापकों को नीति विरूद्ध, जिनका उर्दू टीचर की हैसियत से अपाइन्टमेंट हुआ है दूसरे विद्यालयों में जहां उर्दू भाषा ही नहीं है...

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में मिडल स्कूलों को खोले हुए पांच-पांच साल हो गये हैं। इन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। स्कूल के छात्रों से सफाई कराई जाती है तो मिडल स्कूलों में चपरासी कब तक लगा देंगे, नियुक्ति पर प्रतिबन्ध कब तक हटा देंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री मोहनलाल चौहान : एक और है। नागौर जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय रानी गांव में....

श्री अध्यक्ष : हो गया, मैं आपको दुबारा मौका दूंगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, किसी को टोकिये मत, टीच वन टीच वन का है वैसे एक घण्टे में कराइये।

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले डेढ़ साल से जो मिडल सेक्शन्स खुले हुए हैं, उसमें जो स्कूल हैं, बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैं समय-समय पर शिक्षा मन्त्री जी से मिला हूं, लिखकर भी दिया है, आदेश भी इन्होंने दिये हैं लेकिन अभी तक कोई पालना नहीं हुई है। इस विषय में मैंने जिलाधीश को भी लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उनको भरें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आगे और आ रहा है एक सवाल।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण की क्या नीति अपनाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनको अधिकारियों के ऊपर कोई कमाण्ड नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया। यह कोई सवाल है ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : इतना और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 16-7-91 को श्री कल्याण मल व्याख्याता अंग्रेजी का मण्डावर से स्थानान्तरण फुलेरा कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये। आप मंत्रीजी को सुन लीजिये। मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आज ही इसी सम्बन्ध में प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मेरा नीतिगत प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्नकाल में नीतिगत प्रश्न नहीं होते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि सरकार अध्यापकों का नियोजन करती है या पुनर्स्थापित करती है, इनका मानदण्ड अथवा मापदण्ड क्या है ? दूसरा प्रश्न यह है कि कई शालाओं में अभी भी स्थान रिक्त हैं, उनको भरने की दिशा में सरकार क्या सोचती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में 55 नम्बर का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं किया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : 55 नम्बर पहले पूछ लूं, और छोड़ दूं, यह कौनसी बात कह रहे हैं ? मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज सिट डाउन। मंत्रीजी जवाब दीजिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न साफ-साफ अजमेर जिले से सम्बन्धित था। माननीय सदस्यों ने कई जानकारी चाही है। एक सवाल पूछा है अलवर के बारे में, जो महिला डी. ई. ओ है उसने नीति के खिलाफ स्थानान्तरण किये हैं और रिकार्ड सीज किया है। रिकार्ड सीज करने की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इस प्रकार की शिकायत हमारे पास आयी है, मैंने आज से दो दिन पहले ही ज्वाइंट डायरेक्टर को वहां के ट्रान्सफर्स की जांच करने के लिए भेज रखा है।

दूसरा सवाल जालौर से आया है कि वहां पर ट्रांसफर केवल मात्र विश्नोइयों के ही किये गये हैं। इस प्रकार का सवाल आया है। ट्रान्सफर की नीति में विश्नोई ही नहीं ब्राह्मण भी आता तो उसका भी ट्रांसफर होता है। वहां पर बहुतायत मान लो उस कम्युनिटी की रही हो और वहां ट्रांसफर हुए हों उसके पीछे दुर्भावना या राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। रामसिंह जी शायद इस बात को मान जायेंगे।

दूसरी बात आपने कही है कि भीनमाल में यहां पर कई स्थानों पर पद रिक्त हैं और कई अध्यापक एक बार तो बाड़मेर चले जाते हैं और फिर दूसरी जगह अलवर, भरतपुर, जयपुर ट्रांसफर करके आ जाते हैं।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरि कुमार औदिच्य)

हमने इस बार इस नीति को कर लिया है कि पांच प्रतिशत से ज्यादा एक जिले से दूसरे जिले में थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके लिए इन नियमों के पालन के अन्तर्गत जितनी मिनिमम हो सके, एक जिले से दूसरे जिले में किये जाने की बात कही, दूसरी बात कही है कि बाड़मेर में टीचर्स की 70 प्रतिशत के करीब पोस्टें खाली हैं। इस बारे में मैं दिखाऊंगा। यह बात सही है कि कई स्थानों पर पोस्टें खाली हैं इसमें एक दिक्कत आयी अध्यक्ष महोदय, जो मिडिल स्कूल पंचायतों के उधर आये हैं शिक्षा विभाग में तो प्राइमरी एजूकेशन में ले गये। मिडल स्कूल अभी कई खाली हैं उसकी पूर्ति हम करा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस महीने या 15 अक्टूबर तक सारी पोस्टें जो रिक्त हैं वह भर देंगे।

एक चन्द्रभानजी का सवाल आया। आपने कहा कि साहब गांव के लोग जा चुके हैं, आयेंगे नहीं। उनका सुझाव अच्छा है। हम नीति के अन्दर उसके ऊपर पूर्व से ही विचार कर रहे हैं। दूसरा रामसिंह जी विश्नोई ने बताया कि व्याख्याता और हैड मास्टर की एक ही ग्रेड होने के कारण, यह बात सही है कि कई व्याख्याता हैड मास्टर बन कर वहां नहीं जाना चाहते हैं जब तक उनको इन्सेन्टिव नहीं मिले। आज से चार साल पहले इस प्रकार का सरकार ने संगठनों से समझौता कर लिया। उस समझौते के अन्तर्गत इसमें इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। लेकिन हम इसमें किस प्रकार से बदल करें, इस बारे में उन शिक्षक संगठन के लोगों को साथ लेकर चर्चा कर रहे हैं। शीघ्र इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि हैड मास्टर वहां पहुंच पाये।

तीसरी बात आपने उर्दू भाषा की कही है। ऐसे स्थानों पर ट्रांसफर कर दिये जहां पर सब्जेक्ट नहीं थे। आज से तीन दिन पहले माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और मैंने उनको लिखकर दिया था। कल ही रात को जोइंट डाइरेक्टर को टेलीफोन किया और बताया कि इस प्रकार की अनियमितता हुई है तो जिस सब्जेक्ट के अध्यापक की आवश्यकता है उनको वहां लगा दिया जाय, इसमें आप किसी प्रकार के आदेश का इन्तजार मत करिये। मैंने कल ही आपसे बात होने के बाद कहा है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इनका कन्ट्रोल नहीं है, या कई गलत ट्रांसफर हो गये।

श्री सम्पत सिंह : इनका मतलब तो बर्थ कण्ट्रोल से है।

श्री हरि कुमार औदिच्य : इस विषय में अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से इस प्रकार की परम्परा चलती रही कि ट्रांसफर के मामले में सारा कुछ सचिवालय का है। हमने उससे बाहर निकल कर सक्षम अधिकारी को अधिकार दिये। उसके अन्तर्गत किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत आयी है, किसी विधायक ने की है, किसी अध्यापक ने की तो उस अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से जांच की है, दण्डित भी किया है। कार्यवाही चल रही है। इस प्रकार की गलतफहमी माननीय सदस्य को नहीं होनी चाहिये कि किसी प्रकार का कण्ट्रोल अधिकारियों के ऊपर हमारा या

Page No. 10

(10)

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

सरकार का नहीं है। निश्चित् रूप से कंट्रोल है लेकिन एक दिक्कत और आती है कि यह बात कहने से पहले हमको यह भी सोचना चाहिये कि 20-20, 40-40 अध्यापकों के ट्रांसफर की लिस्ट लेकर चक्कर लगाते हैं। यह भी उस बीच में आड़े आते हैं। यह कहने के साथ-साथ माननीय सदस्यों को इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया ही नहीं कि....

श्री अध्यक्ष : दर्ज मत कीजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : × × ×

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री सालिगराम, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालयों में लम्बित मामले

41. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में किन-किन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालयों में चालान पेश करने हेतु अनुमति के प्रस्ताव कार्मिक विभाग/मुख्य मंत्री सचिवालय में लम्बित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ये अनुमति के प्रस्ताव कब से लम्बित हैं? प्रत्येक में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अब कब तक यह अनुमति प्रत्येक मामले में दे दी जावेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड 1 व 2 के उत्तर की सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

यह प्रश्न आई. ए. एस., आर. ए. एस., आई. पी. एस., आर. पी. एस. अधिकारियों के कितने मामले लम्बित हैं जिनमें उनका प्रोसीक्यूशन होना है। इसमें राजस्थान में केवल तीन अधिकारियों के खिलाफ मामले लम्बित हैं। एक श्री जी. एल. वर्मा, आर. ए. एस. अधिकारी हैं। दूसरे हैं श्री रणगम्भीर सिंह यादव आर. पी. एस. और तीसरे श्री अमिताभ मुखर्जी यह पुलिस सेवा के व्यक्ति हैं। श्री वर्मा के खिलाफ पांच एफ. आई. आर. प्रस्तुत हुई थी उनमें जब कार्यवाही चल रही थी उसके बाद श्री वर्मा उच्च न्यायालय गये और उस पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। वह स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद अभी 18-7-91 को यह इन्फार्मेशन आयी है कि वह स्टे नहीं है और कार्यवाही आगे की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ हो रही है और शीघ्र ही उस पर

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निर्णय कर लिया जायेगा। इसी प्रकार दूसरे दो अधिकारी हैं, श्री रणगम्भीर सिंह यादव, इनकी एफ. आई. आर. 90 की है और विभाग से अभियोजन सैंक्शन के लिये प्रस्ताव आये हैं 29-7-91 को। इसी प्रकार अमिताभ मुखर्जी इनकी सैंक्शन के लिये 6-8-91 को आयी हैं उस पर कार्यवाही हो रही है और जल्दी ही इस पर निर्णय कर लिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि ये प्रस्ताव अनुमति के लिए आपके विभाग में कब प्राप्त हुए और दूसरा इसके साथ हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर कौनसी तारीख को जारी किया? इसमें कितना अन्तर है और उस अन्तर में अनुमति न देने के कारण इनको हाईकोर्ट में जाने का जो मौका मिला उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि यह स्टे आर्डर कब वेकेट हो गया और उस वेकेट होने के बाद से आज तक इसमें अनुमति क्यों नहीं दी गयी? इसका भी आप स्पष्टीकरण दें। तीसरा सवाल मेरा यह है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर पास किया है, मैं समझता हूं मंत्री महोदय ने उनका अवलोकन कर लिया होगा, क्या इस पत्रावली को प्रोसेस करने के लिये भी कोई स्टे आर्डर दिया है? आज आप यह कह रहे हैं कि इसको हम कर देंगे, अनुमति दे देंगे ....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं कहा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : 86 से यह केस चल रहा है। 86 के इस केस को अब तक अनुमति नहीं दी गयी और जब स्टे वेकेट हो गया तब तक सारा मामला आपको तय करके करना चाहिये। जिस दिन स्टे वेकेट हुआ उस दिन अनुमति जारी हो जाती। चौथा, मेरा सवाल यह है कि जब मेरा यह प्रश्न आया 30 तारीख को, उसके बाद से आपने यह प्रश्न तैयार किया उसके बीच में कितने लोगों को प्रोसीक्यूट करने की अनुमति दी गयी? जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 17 लोगों को इस दरम्यान में मेरे प्रश्न के आने के बाद प्रोसीक्यूशन करने की अनुमति दी है उनमें भी बहुत विलम्ब हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विलम्ब की बात जो आप कह रहे हैं वो जी.एल. वर्मा के बारे में ही है, बाकी दो अधिकारी हैं....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उनके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो ठीक है, उनको अभी दो महीने हुए हैं आप कर लीजियेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनके खिलाफ 5 मुकदमे हैं जिनकी प्राप्ति की तिथि 20-1-88 है और एफ. आई. आर. नं. 137 है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आपके विभाग में कब आये, अनुमति के लिए प्रस्ताव कब आये, स्टे कब जारी हुआ, वेकेट कब हुआ, इसके दरम्यान जो विलम्ब हुआ उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री भंवर लाल शर्मा : वो बता रहा हूं, जो प्राप्ति की तिथि है वो ही बता रहा हूं। केस नं. 137 में 20-1-88 को प्राप्त हुआ और स्टे दिया 6-4-89 को। दूसरा हमारे यहां प्राप्त हुआ है 20-6-86 को और स्टे दिया है 3-1-88 को। तीसरा है, यह हुआ 18-4-88 को और स्टे दिया 30-11-88 को। चौथा, 5-4-88 को, स्टे दिया है 3-11-88 को, पांचवां 5-4-88 को, स्टे दिया है 28-10-88 को और स्टे की वापसी की सूचना हमको मिली है 18-7-91 को।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इस दौरान जो विलम्ब हुआ मेरा तो इतना सा कहना है....

श्री भवरलाल शर्मा : यह विलम्ब कहां हुआ, कब हुआ है, इसको काहे को चर्चा में ला रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हेतराम बेनीवाल।

रोहिड़ा वाली (श्री गंगानगर) में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्था में गबन का मामला

42. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव रोहिड़ा वाली जिला श्री गंगानगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्था की एक भूत-पूर्व मंत्री के भाइयों व रिश्तेदारों द्वारा काफी बड़ी रकम गबन किये जाने पर भी विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

(2) क्या सरकार विभाग द्वारा प्रदान की गयी रकम को वसूल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार ने कोई मुकदमा पुलिस में भी उनके खिलाफ दर्ज करवाया है ? यदि हां, तो वह कब से जांचाधीन है और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह सही है कि इस केस में स्वयं भूतपूर्व मंत्री, उनकी पत्नी, भाई व अन्य रिश्तेदार शामिल हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व मंत्री जयपुर में अपने निजी मकान में रहते हुए भी पुलिस उन्हें अभी तक नहीं पकड़ पायी ?

(6) यदि हां, तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) जी नहीं।

(2) यह जांच व उसके परिणाम पर निर्भर करता है।

(3) जी हां, तफ्तीश दिनांक 18-6-90 से जारी है, जो अब अन्तिम चरण में है।

(4) श्री कृष्ण चन्द्र एवं अन्य कार्य-कारिणी के पदाधिकारियों की सूची संलग्न है।

(5) सी. आई. डी. (अपराध शाखा) द्वारा तफ्तीश अभी तक जारी है।

(6) बिन्दु 5 के अनुसार।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल था कि काफी बड़ी रकम गबन हुई है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह सही नहीं है, इसकी जांच नहीं हुई तो जांच किसने की, किस अधिकारी ने जांच की और उस जांच का नतीजा क्या था, उस जांच के नतीजे के आधार पर कितनी रकम गबन हुई और उनके जिम्मे कितनी रकम है? दूसरा मेरा सवाल था कि क्या सरकार रकम को वसूल करने का विचार कर रही है? इसमे इन्होंने जवाब दिया है कि जांच के परिणाम पर करेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिना उस विभाग की जांच के इन्होंने एफ. आई. आर. कैसे लगा दी? क्योंकि एफ. आई. आर. इन्होंने दे दी 18-6-80 को। अदालत में किसी के खिलाफ एफ. आई. आर. देने से पहले अगर विभाग ने जांच नहीं की तो एफ. आई. आर. किस चीज की थी? मैं यह चाहूंगा कि वो एफ. आई. आर. क्या है? उस एफ. आई. आर. में जिनके खिलाफ लिखा है वो भूतपूर्व मंत्री है और उनकी सूची इन्होंने दी है। यह सी. आई. डी. में जांच चली गयी जो गंगानगर जिले के पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने क्या कार्यवाही की और उनके पास जो 6 महीने तक पड़ी रही उसमें किस-किस अधिकारी ने क्या-क्या किया? यह भी बतायें। साथ में यह भी कि जब यह जांच सी. आई. डी. में चली गयी तो मेरा आखिरी सवाल था उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? तो इन्होंने जवाब दिया बिन्दु 5 के अनुसार और बिन्दु 5 में तो सी. आई. डी. वालों से पूछकर करेंगे या जो सी. आई. डी. वाले कह देंगे, करेंगे क्योंकि बिन्दु 5 में लिखा है कि सी. आई. डी. की तफ्तीश अभी जारी है। सी. आई. डी. की तफ्तीश जारी है तो इससे दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस का क्या सम्बन्ध है? दोषी अधिकारियों ने जो दोष किया, किसी ने वसूली नहीं की, गलत दे दिया, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सी. आई. डी. की तफ्तीश का कोई सम्बन्ध नहीं है। सी. आई. डी. की तफ्तीश उन भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ है, उनके सदस्यों के खिलाफ है और वो जांच होगी तो उनके खिलाफ चालान होगा, यह सब कुछ है। इसलिए मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इन्होंने जो उत्तर दिया है वह अस्पष्ट है, उसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष जी, जब मानव सेवा मंदिर समिति रोहिड़ा वाली जो जिला गंगानगर में है की शिकायत मिली, इस शिकायत की जांच के लिए विभाग का उप निदेशक (प्रशासन), अतिरिक्त जिलाधीश (विकास), गंगानगर सहायक जिलाधीश, गंगानगर इन तीन की समिति बना करके उनको जांच सौंपी गयी, उनकी जांच अभी बीच में है और उसके साथ ही पुलिस द्वारा इसकी जांच क्योंकि एफ. आई आर. उसमें दर्ज करा दी गयी थी, उसके लिए भी अध्यक्ष, सादुलशहर क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा हिन्दूमल कोट थाने में यह एफ. आई. आर. दर्ज करवायी गयी। उस एफ. आई. आर. के अनुसार ही वहां पर जांच चल रही थी। इतने में सम्बन्धित व्यक्ति जो इसके अध्यक्ष थे या कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उन्होंने एप्लीकेशन दे करके को केस सी. आई. डी. में बदलवा लिया। तो इधर आने के बाद क्योंकि सी. आई. डी. की जांच अपने समय

(श्री कुन्दन लाल मिगलानी)

में होती है तो वो प्रकरण यहां चल रहा है इसलिए वहां पर किसी चीज का पता नहीं चल सका। यहां आने के बाद सारी कार्यवाही इनके सामने रख दी।

श्री अध्यक्ष : ये सवाल इतना ही पूछते हैं कि उनकी जो सी. आई. डी. की रिपोर्ट आयेगी उसके मुताबिक हो जायेगा लेकिन उसमें जो अधिकारी इनवाल्व हैं आपके विभाग के जिन्होंने उस रकम को दी है और गबन करने में सहायक रहे हैं उनके खिलाफ आपके विभाग में कोई कार्यवाही हो रही है क्या? यह पूछना है।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : अधिकारी जो इन समितियों में पहले थे, जिन्होंने बिना किसी स्वीकृति के पैसा उठवा दिया था, दो अधिकारियों को पहले सस्पैण्ड कर दिया गया है और बाकी भी जो हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उनमें किसी को नहीं छोड़ा जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह कौन-कौन अधिकारी हैं? आप नाम बताइये, जिन अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कर दिया गया है।

श्री हेमराज मीणा : मंत्री कौन से हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री कृष्णचन्द्र जी हैं। जिन अधिकारियों को इस सिलसिले में सम्मिलित किया वह नाम बतायें, कौन-कौन से अधिकारी हैं क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ है, गबन की जांच चल रही है और गबन की जांच का रिजल्ट नहीं आया उससे पहले एफ. आई. आर. किस बात की दर्ज हुई?

श्री अध्यक्ष : वह तो गबन की एफ. आई. आर. चल रही है, वह तो उनके खिलाफ है।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं गबन की एफ. आई. आर. नहीं करवायी। एफ. आई. आर. बतायें कि कौन सी करवायी? क्या करवायी? मैंने यह पूछा है कि जो इन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज करवायी है, यह सवाल मेरा, एफ. आई. आर. बतायें कि वह क्या है, एफ. आई. आर. में लिखाया क्या है?

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : एफ. आई. आर. की नकल संलग्न है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कहां है?

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : बिल्कुल है, दी गयी है, सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. की नकल नहीं, संस्था के सदस्यों की सूची है यह।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सूची है, एफ. आई. आर. नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हुई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इनके खिलाफ क्या एफ. आई. आर. लिखायी है?

श्री अध्यक्ष : गबन की लिखायी है, आप पूछ रहे हैं न, गबन-घोटाले की....

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं-नहीं, गबन-घोटाला थोड़े ही है, इन्होंने एफ. आई. आर. जो लिखवायी है, गुमनाम एफ. आई. आर. लिखवायी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एफ. आई. आर. सुननी है?

श्री हेतराम बेनीवाल : हां, एफ. आई. आर. सुननी है, एफ. आई. आर. अगर गबन की है तो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुना दें एफ. आई. आर. ।

श्री हेमराज मीणा : यह तो बतायें कि भूतपूर्व मंत्री कौन से हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : के. सी. बिश्नोई ।

श्री अध्यक्ष : वह एफ. आई. आर. सुन लीजिये आप । हां, सुनाइये ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : पहले तो मैं माननीय सदस्य को उन अधिकारियों के नाम बता देता हूं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है । समरेश चटर्जी, भूतपूर्व जिला परिवीक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को निलम्बित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. सुना दें ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : वह भी देता हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : दूसरा कौन सा है ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अब एक बता दिया, सारे का सवाल थोड़े ही है । अब एफ. आई. आर. की नकल सुन लीजिये । यह है—तथ्यात्मक रिपोर्ट, जो एफ. आई. आर. दर्ज करवायी गयी है—अपराध संख्या 88 दिनांक 18-6-90 अपराध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, पुलिस थाना हिन्दूमल कोट जिला श्रीगंगानगर, संक्षिप्त हालात मुकदमा इस तरह का है कि दिनांक 18-6-90 को लिखित पत्र मिला....

श्री अध्यक्ष : इनकी कापी आप दे दें । इसकी कापी आप ले लीजिये ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें तथ्य ही नहीं है ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : सारे हैं, लम्बी है काफी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज करूं, एक भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : पढ़ कर सुना रहे हैं ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : थाना हिन्दूमलकोट में प्राप्त हुआ जिसके संलग्न अन्य पत्रावली जो निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर के निर्देश व जोरासिंह प्रस्तुत तथा परिवार व बलदेवसिंह राज तहसीलदार गंगानगर व पटवारी, गिरदावर द्वारा छात्रों की सकूनत के बाबत जांच रिपोर्ट की फोटो स्टेट की प्रतियों के साथ साथ प्राप्त हुआ कि मानव सेवा समिति रोहिड़ा वाली (श्रीगंगानगर) को जनवरी, 84 से नवम्बर, 86 तक 3,34,960 रुपये का अनुदान दिया गया था, इस संस्था को तुरंत अपने रिकार्ड का आडिट करवाने बाबत लिखे जाने पर इस संस्था ने अपने रिकार्ड का आडिट नहीं करवाया....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ी हुई मान ली जाये पूरी एफ. आई. आर. (व्यवधान)

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : है ना, सारे हैं, इसमें और है क्या, फोटो स्टेट ही तो है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यही है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । हेतरामजी क्या कह रहे हैं, माननीय मंत्रीजी, आप बिराजिये । आप क्या कह रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : इनकी एफ. आई. आर से लगता है कि एफ. आई. आर. में लिखा है कि उनकी जांच के पश्चात एफ. आई. आर. दर्ज करवायी । यह जांच कर ली गयी कि 3,34,000 रुपये, मंत्रीजी जिसके इन्चार्ज थे, उस सस्थान ने अनुदान ले लिया और वह कहीं खर्च नहीं दिखाया गया, यह जांच हो गयी....

श्री जगमाल सिंह यादव : कौन है मंत्री ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री हैं के. सी. विश्नोई, भूतपूर्व मंत्री । असल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंत्री ने 3,34,000 रुपये ले लिये और जांच कर ली कि गबन हो गया, गबन होने के बाद एफ. आई. आर. देते हैं कि यह जांच के पश्चात् पाया गया कि गबन हो गया, एफ. आई. आर. में लिखा है कि यह जांच के बाद पाया गया कि 3,34,000 रुपये का गबन हो गया तो क्या विभाग ने इस सिलसिले में कोई कार्यवाही की कि वह वसूल किया जाये क्योंकि गबन का मामला अलग है और पैसा वसूल करना अलग चीज है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठिये आप, आ गया आपका सवाल । मंत्रीजी, इतना बता दीजिये कि वसूली की कार्यवाही चलायी या नहीं आपने ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : वसूली की कार्यवाही चालू है और उसमें अगर नाम यह पूछ रहे हैं तो मैं नाम भी बता देता हूं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह इसलिए, इन्होंने लिखा कि जांच के परिणाम के बाद होगा....

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : नाम भी ले लीजिये । आप नाम लेना चाहते हैं, वह भी बता देता हूं । श्रीमती कमला पत्नी श्री लालचन्द ग्राम व पोस्ट रोहिड़ा वाली (सुधारान) श्रीगंगानगर, श्री कृष्णचन्द्र पुत्र श्री लादूराम ग्राम पोस्ट रोहिड़ा वाली (सुथारान) श्रीगंगानगर, श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री रघुनाथ, सांचौर जिला जालौर, श्री मनीराम पुत्र श्री रामचन्द्र सुथार, ग्राम व पोस्ट रोहिड़ा वाली (सुथारान) श्रीगंगानगर ।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम एक ही सवाल पूछते हैं कि रिकवरी हुई क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप वसूली की पूछ रहे हैं, आपने वसूली की कार्यवाही शुरू की या नहीं ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : वसूली के लिए मैंने निवेदन किया, माननीय सदस्य को पहले भी बताया कि वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है और जितनी भी निकलेगी उसके मुताबिक उन सदस्यों से वसूली की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : बस, ठीक है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जवाब कि जांच के परिणाम के बाद, यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष : हां, वसूली की कार्यवाही चल रही है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन्होंने दुरूस्त कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हो जायेगी। नेक्स्ट, श्री नन्दकिशोर।

पंचायत समिति, छबड़ा में पशु चिकित्सालय

43. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छबड़ा पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो लाखों पशुओं की चिकित्सा हेतु यह सुविधा सरकार कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री देवीसिंह भाटी) : वर्तमान में छबड़ा पंचायत समिति में एक पशु चिकित्सालय छबड़ा मुख्यालय पर कार्यरत है। चालू वित्तीय वर्ष में कोई नई पशु चिकित्सा संस्था खोलने का प्रावधान नहीं है।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति छबड़ा क्षेत्र में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है....

श्री अध्यक्ष : एक बता रहे हैं।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : यह छबड़ा नगर में है। पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी नहीं है, 32 पंचायत समितियों में से....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरा निवेदन है, कि प्रावधान न होते हुए भी वहां पशु चिकित्सालय खोल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : विचार करिये इस पर, पंचायत समिति में नहीं है।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : विचार नहीं, जितनी भी सुविधा पहले नहीं मिली तो उसको अब दिलाई जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उससे साफ जाहिर होता है कि पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है और अगले वित्तीय प्रावधानों में प्राथमिकता से छबड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पशु औषधालय खोला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बालचन्द आर्यवीर।

झालावाड़ जिले के आयुर्वेद औषधालय

44. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक औषधालय हैं, उनमें कितना-कितना स्टाफ कार्यरत है ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1977 से अगस्त, 1991 तक प्रत्येक औषधालय में कितने-कितने बजट की कौन-कौन सी औषधियां स्वीकृत की गई ? औषधालय वार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में औषधालय खोल दिये जाते हैं लेकिन औषधालयों

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

में औषधियों का अभाव होने मे जनता को लाभ नहीं हो पाता और मरीजों का उपचार ठीक प्रकार से नहीं हो पाता ? क्या राज्य सरकार औषधियों के लिए अधिक बजट देने का विचार रखती है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जोगेश्वर गर्ग) : (1) झालावाड़ जिले में 74 आयुर्वेद चिकित्सालय व औषधालय स्वीकृत हैं। इनमें पदस्थापित स्टाफ का पदवार विवरण, परिशिष्ट–1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) झालावाड़ जिले के आयुर्वेद औषधालयों को वर्षवार सप्लाई की गई औषधियों की राशि का औषधालयवार विवरण परिशिष्ट–2 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) औषधालयों को अधिक मात्रा में औषधियां वितरित करने हेतु वर्ष 1990–91 में मापदण्ड में वृद्धि की गई है। औषधि बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रति वर्ष की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो मैंने पहला प्रश्न पूछा है कि झालावाड़ जिले में किन-किन औषधालयों में वैध कार्यरत हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डग कस्बे में जो औषधालय हैं उसमें एक वर्ष से कोई भी वैद्य नियुक्त करने के बाद अभी तक नहीं आया है। दूसरा, चौमेला का जो औषधालय है, इस प्रकार की स्थिति है कि वैद्य वहां रहते हुये अपने घर का कामकाज करता है, औषधालय में पहुंचता नहीं, कई बार मैंने भी उसको चैक किया, उसमें नोट लगाया है, अधिकारी ने उसके ऊपर कोई चैक नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आपके पास जो लिस्ट है कि कहां-कहां पर वैद्य काम नहीं करते, इस तरह लिस्ट बता दीजिए, वह वह जांच कर लेंगे।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : वही बता दीजिए न लिस्ट, कि क्या है ? जैसे चौमेला में वैद्य लगा हुआ है मगर वह काम नहीं कर रहा है, ऐसी लिस्ट बता दीजिए।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि चौमेला का जो वैद्य है वह काम नहीं करता है, कार्यरत है, वह गलत हाजिरी भर कर जाता है तो क्या उसके खिलाफ जांच करवाकर उसको सस्पैण्ड कराने का आप प्रयास करेंगे ? यह मैं पूछना चाहता हूं और जो बजट का अभाव है, वह जिले में ही नहीं, पूरे राज्य में है, क्या आप उसको अधिक बढाने का प्रयास करेंगे ? यह मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बढ़ा तो रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डग के लिए कहा है उसमें

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

श्री मदनलाल शर्मा वैद्य वर्तमान में कार्यरत हैं और चौमेला में जो उमाशंकर वैद्य कार्यरत है उसके बारे में माननीय सदस्य ने कल भी जुबानी बात हुई थी और इन्होंने स्वीकार किया था कि वह समय पर ड्यूटी नहीं करता है तो मैं उसकी शीघ्र ही जांच करवाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करवाऊंगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो लिस्ट दी है बजट की और उसमें सप्लाई औषधी की तो क्या सही है कि कहीं पर बजट के अनुसार 5 प्रतिशत, कहीं पर 10 प्रतिशत और कहीं पर 15 प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा औषधि वितरण की है तो प्रशासनिक व्यय वैद्यों और कम्पाउन्डरों पर बहुत ही खर्च किया जाता है और औषधियों में किसी प्रकार का बजट होने के बाद और औषधि वहां पर उपलब्ध हो यह व्यवस्था सारे राजस्थान में कहीं नहीं की । यह झालावाड़ जिले की 74 औषधालयों की लिस्ट है, उसके अनुसार तो 5, 10, 15 प्रतिशत से ज्यादा दवाईयां आपने उपलब्ध नहीं करवाई है । इसका क्या कारण है ? कौन दोषी रहा है और आपने अब तक इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया ? लगातार ऐसी स्थिति पिछले तीन चार सालों से चल रही है ।

दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या यह सही है कि स्थानान्तरण के कारण आपको फुरसत नहीं मिली या उन वैद्यों से आप घिरे हुए रहे इस वजह से वहां पर औषधि उपलब्ध हो ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आपका ध्यान नहीं गया ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान के अन्दर यूनानी और आयुर्वेद दोनों औषधालयों का यही है कि बजट जितना भी पास होता है उसके दस प्रतिशत से ज्यादा कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं कराई जाती है । तो उस बजट को क्यों नहीं काम में लिया जाता है ? सारा बजट हमेशा लैप्स होता है ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान में जो वैद्य हैं वह 90 प्रतिशत के करीब जयपुर जिले के ही हैं, इसलिए वह दूरदराज के गांवों में जैसलमेर, बाड़मेर या झालावाड़ जहां भी हैं, वहां जाते नहीं हैं और यह सब कम्पाउन्डरों के जिम्मे छोड़ दिया जाता है और दवाइयां वहां पर हैं नहीं इसलिए वहां जाने का भी कोई औचित्य नहीं है । बैठे-बैठे तनख्वाह मिल जाती है इसलिए पूरे राजस्थान के जिला वाइज आइन्दा कैसे, वैद्य आप ले सकें ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनके ध्यान में यह भी है कि सम्पूर्ण बजट के ऊपर जब हम व्यक्तिशः मरीजों के अन्दर विभाजित करते हैं तो एक फिलोई लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर आयुर्वेद के ऊपर 105 रुपया प्रति पेशेन्ट खर्च होता है । मैं ऐसी भी एग्जाम्पल दे सकता हूं कि अपने इलाके के क्षेत्र के आयुर्वेद हास्पिटल जहां पर केवल मात्र 5 व्यक्ति भी प्रतिदिन नहीं आते और एक औषधालय के ऊपर दस हजार भी यदि प्रतिमास खर्च होता हो

(श्री अर्जुनदास मदान)

तो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर एक मरीज के ऊपर सरकार 100 रुपया से लेकर 105 रुपया खर्च करती है। यदि फिलोई भी लगाने ले जाऊं टिंचर आयोडीन की तो उसके ऊपर भी सरकार 105 रुपया खर्च करती है। ऐसे सब औषधालय जो कि आज सरकार को निष्प्रभावित प्रतीत होते हैं या सरकार उतने बजट के अनुरूप सेवा कार्यरत नहीं कर सकती उनको चलाने या बन्द करने का मंत्री महोदय क्या विचार रखते हैं? क्या इसके ऊपर भी अपने विचार रखेंगे?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री महावीरप्रसाद जी जैन ने जो बजट की सप्लाई के बारे में प्रश्न किया था गत वर्ष 1990-91 के वर्ष में हम पूरे प्रयासों के बावजूद निर्धारित इस बजट का 10 से 12 प्रतिशत से अधिक सप्लाई नहीं कर पाये हैं। यह बात सही है। पिछले वर्षों का सारा रिकार्ड जो देखा है क्योंकि एक माननीय सदस्य ने 1977-78 से लेकर 1991-92 तक का मांगा था इसका मैंने जब अध्ययन किया तो निर्धारित बजट की तुलना में सप्लाई का प्रतिशत सबसे अच्छा रहा है 1977-78, 78-79 और 79-80। इन तीन सालों में लगभग 90 प्रतिशत तक सप्लाई हुई है और उसके बाद लगातार गिरा है और बीच में एक दो वर्ष ऐसे भी हैं जहां बिलकुल 5-7 प्रतिशत तक गिरावट आई है। गत वर्ष 10-12 प्रतिशत तक हम कर सके हैं और गत वर्ष के पहले हमारे प्रयास हुए हैं इस दिशा में सुधार के। उनके प्रभाव स्वरूप, उसके फलस्वरूप इस साल हमारा अनुमान है कि 25 से 30 प्रतिशत तक तो हम पहुंच ही जायेंगे और निरन्तर सुधार के प्रयास जारी हैं।

जहां तक बजट के लैप्स होने का सवाल है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे कौन से उपाय करेंगे यह तो बताइये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बजट के यूटिलाइजेशन का जहां तक सवाल है पिछले पांच साल का रेकार्ड मैं बता देता हूं कि शतप्रतिशत बजट यूटिलाइज हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आप जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब दीजिए ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कई बार इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि प्रेस्क्राइब्ड दवाई मैन्यूफैक्चरर के यहां से नहीं मिलती। पिछले वर्षों में भी इसी प्रकार का संकट रहा था, कई बार जहां दवाइयां बनती हैं वहां सामान खराब खरीद लिया जाता है....

श्री यदुनाथ सिंह : कौनसी दवाई नहीं मिलती है? ऐसे ही मार दिया धूल में लट्ठ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अध्यक्ष महोदय, यह बात बताऊं उसको भी ठीक नहीं है। सही बात बताता हूं उसको भी माननीय सदस्य नहीं मानते हैं तो इसका इलाज क्या है। आपके लिए कोई न कोई मैं ऐसी दवा आयुर्वेद विभाग से मालूम करके भेजूंगा कि आप सही बात को भी एप्रीशियेट करने लग जायें।

श्री अध्यक्ष : वह दवाई तो भांग पिला दीजिये हां भरते रहेंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है कि हम जितने बजट का प्रावधान रखें उसको खर्च नहीं किया जाये । माननीय मंत्रीजी ने कहा कि इसमें कुछ समस्यायें हैं । मैं इस सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर कीमत के ऊपर जो दवाइयों का बजट रखा हुआ है वह शतप्रतिशत दवाइयों के ऊपर खर्च हो और औषधालयों में दवाइयां जायें, इसकी पूरी व्यवस्था कराऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री परसादीलाल मीणा ।

पंचायत समिति, लालसोट के विद्यालय

45. **श्री परसादीलाल मीणा**(लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, लालसोट में माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के कुल कितने विद्यालय हैं ? विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समिति, लालसोट के माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में अध्यापकों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं ? रिक्त पद कब से किस-किस विद्यालय में चले आ रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) पंचायत समिति, लालसोट के विभिन्न विद्यालय में अध्यापकों के पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) पंचायत समिति, लालसोट के 45 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 15 माध्यमिक विद्यालय हैं । विद्यालय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) पंचायत समिति, लालसोट में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय में कुल 597 पद स्वीकृत हैं । विद्यालयवार स्वीकृत पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) विद्यालयों में वर्तमान में रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) पंचायत समिति, लालसोट के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्रीजी से एक सूचना मांगी थी कि विद्यालयों में पद कब-कब से रिक्त चल रहे हैं । इन्होंने सूचना दी है कि एक सत्र से लेकर दो सत्र तक पद रिक्त चले आ रहे हैं और मैं एक जानकारी और भी देना चाहता हूं मंत्रीजी आपको भी बताया था कि छात्रा स्कूल बगड़ी और रामगढ़ पचवारा में जो पद स्वीकृत हैं आपके वह सारे के सारे पद खाली हैं । तो स्कूल कौन चला रहा है ? यह स्कूल बन्द है या चालू है ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूं कि सैकिण्ड ग्रेड की जो 96 पोस्ट वहां पर स्वीकृत हैं उनमें से 30-32 वैकेन्ट चल रही हैं और यह सैकिण्ड ग्रेड की पोस्ट हैं और सैकण्डरी स्कूलों में अधिकतर 30 पोस्ट वैकेण्ट हैं तो आप यह बतायें कि वहां पर रिजल्ट का प्रतिशत या रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? पिछले वर्ष वहां की स्कूलों पर रिजल्ट का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है ? अगर पड़ा है तो वहां के विद्यालयों का रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल । मंत्रीजी ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बजड़ी और रामगढ़ पचवार की बात कही है। इन्होंने पहले भी मुझे बताया था । वहां 3 तो रामगढ़ पचवार में पद रिक्त हैं और 5 बगड़ी में हैं । यह गत सत्र के थे । इस बार भरने के लिए इसकी कार्यवाही कर दी गई है ।

श्री परसादीलाल मीणा : बगड़ी में स्वीकृत कितने हैं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : 3 खाली हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : बगड़ी में जो आपने सूचना दी है उसमें स्वीकृत पद हैं 6 और रिक्त पद भी 6 हैं । तो यह स्कूल बन्द हैं या चालू है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तीन-चार पद रिक्त हैं। बगड़ी में स्वीकृत पद 6 हैं जिनमें से 4 खाली हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं 6 ही पद खाली हैं । आप सूची देखें, बगड़ी में पदों की सूची ।

श्री अध्यक्ष : अब यह आप बाद में तय करते रहना । प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर सुधार न्यास, जोधपुर के लेखों का आडिट

75. **प्रो. केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लोकल फण्ड ऑडिट विभाग ने नगर सुधार न्यास, जोधपुर के वर्ष 1981 से अब तक के हिसाबों का ऑडिट करते समय उस ब्याज, पेनल्टी पेनल इन्ट्रेस्ट इत्यादि के घाटे का कभी भी उल्लेख एवं मूल्यांकन नहीं किया कि दिनांक 10-6-1981 से आज तक पूर्व अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर जिस न्यास के बंगले में अवैधानिक निवास कर रहे हैं, उसका स्थाई आदेश एक्स 3 के अनुसार राज्यादेश क्रमांक एफ 1 (169) नविआ/79 दिनांक 26-3-1980 के द्वारा निर्धारित किराया रु. 1960/– प्रतिमाह कभी भी जमा नहीं कराने एवं दिनांक 6-6-1987 को अध्यक्षता से हटाये जाने के पश्चात् आज तक खाली नहीं करने के फलस्वरूप हुआ ?

Page No. 23

(श्री केदारनाथ शर्मा)

(2) उपरोक्त किराये की बकाया धन-राशि के वसूल करने के सम्बन्ध में प्रति वर्ष जितने ऑडिट आक्षेप किये गये हैं, की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) आज तक श्री देवड़ा में उक्त बंगले का किराया, मय पैनल इन्ट्रेस्ट कितनी धन-राशि वित्तीय नियमों के अनुसार बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त बंगले का किराया प्रतिमाह कितना होता है?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि लोकल फण्ड ऑडिट विभाग द्वारा नगर सुधार न्यास, जोधपुर के वर्ष 1981 से 89-90 तक के लेखों की, की गयी जांच में श्री देवड़ा पूर्व अध्यक्ष द्वारा न्यास के बंगले में निवास करने का किराया वसूल करने के सम्बन्ध में तो आक्षेप सम्मिलित किये गये हैं लेकिन नगर विकास एवं आवासन, विभाग के आदेश दिनांक 26-3-80 में पैनल रेण्ट, पैनल्टी अथवा ब्याज वसूली करने के निर्देश नहीं होने से आक्षेपों में पैनल्टी, पैनलरेण्ट व ब्याज को वसूली करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

लोकल फण्ड ऑडिट विभाग ने नगर सुधार न्यास, जोधपुर का अंकेक्षण करते समय अध्यक्ष के निवास स्थान के सम्बन्ध में बकाया रहे किराये बाबत आक्षेप लिये हैं। पूर्व अध्यक्ष को आवास 11-6-81 से उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 81 के अंकेक्षण में मांग-पत्र, संख्या 276 दिनांक 20-8-81 से उक्त आवास की पत्रावली मांगी गयी थी वह उपलब्ध नहीं करवायी गयी अतः आक्षेप सं. 126 में इसका उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया गया है कि भवन किराया नियमानुसार वसूल किया जाये। वर्ष 82-83, 83-84 व 88-89 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इसके सम्बन्धित कोई पृथक् आक्षेप गया नहीं है। वर्ष 1984-85 से प्रति वर्ष यह आक्षेप लिया जा रहा है इनमें दिनांक 11-6-81 से प्रति माह 1960/- की दर वसूली बतायी जा रही है। वर्ष 1984-85, 85-86, 86-87, 87-88 व 89-90 के सम्बन्धित आक्षेपों की प्रतियां—संलग्न है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप–2) के आदेश दिनांक 26-3-80 प्रति संलग्न है। यह निर्देशित किया गया था कि किराया उस समय तक के लिये तब तक उनके पास सरकारी भवन रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर से वसूल किया जाना है। न्यास अध्यक्ष के पास रहे आवास का निर्धारित किराया 1960/– रु. प्रतिमाह है। अतः इस दर से किराया वसूल किया जाना है।

(2) वर्ष 1985-86 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आक्षेप सं. 183 के सम्बन्ध में जोधपुर सभागीय प्रशासनिक परीक्षण समिति की दिनांक 26 व 27 जुलाई, 1986 को हुई बैठक में भी विचार किया गया था तथा इस पर लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है। चूंकि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 26-3-80 में पैनल रेण्ट, पैनल्टी अथवा ब्याज वसूली का कोई निर्देश नहीं है, इसलिये आदेश में इनका उल्लेख नहीं है।

(मुख्य मंत्री)

उपरोक्त एक में दिये गये विवरण अनुसार वर्ष 1981-82, 84-85, 85-86, 86-87 व 87-88 व 89-90 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की प्रतियां संलग्न है।

(3) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 26-3-80 के अनुसार श्री मानसिंह देवड़ा से दिनांक 11-6-81 से 10-8-91 तक का कुल 2,39,120/– रु. (1960 × 122) किराये के बकाया हैं। चूंकि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 26-3-80 में पैनल रेण्ट, पैनल्टी अथवा ब्याज की वसूली का कोई निर्देश नहीं है। इसलिये आक्षेप के पैनल रेण्ट, पैनल्टी, ब्याज की राशि की वसूली बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) उपलब्ध सूचना के अनुसार किराया रुपये 1960 प्रतिमाह है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में इन्जीनियरिंग महाविद्यालय

76. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में कहां-कहां इन्जीनियरिंग महाविद्यालय खोलने प्रस्तावित हैं ?

(2) राज्य में एक लाख व्यक्तियों के पीछे कितने विद्यार्थियों को इन्जीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध होते हैं ? यह अन्य प्रदेशों की तुलना में कितना कम है ? तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बीकानेर एवं अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर इन्जीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बीकानेर एवं अजमेर के पोलीटेक्निक महाविद्यालयों को क्रमोन्नत कर इन्जीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयी है तथा अभी कोई नया इन्जीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(2) राज्य में एक लाख व्यक्तियों के पीछे करीब 3 छात्रों को इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश मिलता है। अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अत: तुलना करना सम्भव नहीं है।

(3) वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी कोई नया इन्जीनियरिंग कालेज खोलना सम्भव नहीं है।

(4) नहीं, वित्तीय ससाधनों के अभाव में कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 77

(स्थगित)

Page No. 25

श्री गंगानगर स्पिनिंग मिल्स के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा रुपयों की हेराफेरी

78. श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हनुमानगढ़ में स्थित श्रीगंगानगर स्पिनिंग मिल्स के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह बराड़ को कितनी रकम की हेराफेरी करने का दोषी पाया गया ?

(2) उसके खिलाफ जांच के पश्चात् मुकदमा दर्ज करने का फैसला कब किया गया और अब तक मुकदमे की क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या यह मामला राज्य अन्वेषण ब्यूरो को भी सौंपा गया था ? उस विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या राज्य का सहकारी विभाग गबन व हेराफेरी की गई रकम को वसूल करने का भी इरादा रखती है ? यदि हां, तो वर्ष 1983 के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) इस मामले को इतने दिनों तक दबाये रखने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष के साथ मिलकर जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की और जांच में उनके खिलाफ दोष भी साबित हो गया है वे ही विभाग में आज असरदार व उच्च पदों पर हैं इसलिये कार्यवाही नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) श्री महेन्द्र सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ के विरूद्ध 6,34,398.52 रु. की राशि की हेराफेरी करने का प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है ।

(2) आडिट रिपोर्ट के आधार पर 3 मामले 28-7-79 को 1,34,398.52 रु. के सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज किये गये जिनमें नियमित प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कार्यवाही जारी हैं ।

अधिनियम की धारा 70 की जांच के आधार पर धारा 70 (6) के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट के परिणाम दिनांक 7-4-88 को जारी किये गये जिसमें 5.00 लाख रु. के लिए तत्कालीन अध्यक्ष श्री महेन्द्रसिंह बरार एवं प्रबन्ध निदेशक श्री ओ. पी. भार्गव के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

(3) जी नहीं ।

(4) अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत 1,34,398.52 रु. की राशि के मामले में अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही चल रही है जिसमें गबन एवं दुरुपयोग का दोष सिद्ध होने पर हेराफेरी की राशि उनमें दिये गये निर्णय के अनुसार वसूल की जावेगी ।

(5) मामले पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर दबाने का प्रयास नहीं किया गया है । नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है जो प्रगति

(सहकारिता मंत्री)

पर है अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(6) भूतपूर्व अध्यक्ष एवं स्पिनिंग मिल में समय-समय पर रहे अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार उनके नाम के सामने अंकित मामलों एवं राशि के प्रकरण अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज किये जा चुके हैं जिन पर अधिनियम अन्तर्गत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही चालू है :—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	मामलों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	श्री महेन्द्र सिंह, अध्यक्ष	3	134398.52
2.	श्री ओ. पी. भार्गव	11	981790.83
3.	श्री ओ. पी. भार्गव व श्री एस. के. चड्ढा व श्री एम. एल. बबेजा संयुक्त रूप से।	1	12185.31
4.	श्री ओ. पी. भार्गव व श्री एम. एल. बबेजा संयुक्त रूप से।	1	106414.25
5.	श्री पी. जी. पुजारी	1	26554.84

स्पिनिंग मिल्स के पत्र दिनांक 27-5-88 के द्वारा श्री ओ. पी. भार्गव के विरूद्ध सचिव, प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग को आगे कार्यवाही करने हेतु निवेदन कर दिया गया है।

श्री आत्मासिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के विरूद्ध सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार, सहकारिता विभाग को पत्र प. सविरा/परिवाद/156/88 दिनांक 24-1-91 को भिजवाये गये। जिनको उप शासन सचिव, सहकारिता के अ. शा. टीप प. 18 (4) कृषि-4/सह./91 दिनांक 13-3-91 के द्वारा सी.सी.ए. नियम 17 के बजाय नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्मिक (क-3) विभाग को भिजवाये जा चुके हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 79

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 80

(स्थगित)

बांदीकुई में सहकारी समितियों द्वारा राशन का वितरण

81. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दौसा जिले की तहसील बसवा में निर्धारित मूल्य पर चीनी, कपड़ा, गेहूं व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये कितनी अधिकृत दुकानें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामकिशोर सैनी)

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने लाइसेन्स धारी डीलर चीनी कैरोसिन, कपड़ा व अन्य आवश्यक सामग्री के हैं और किन-किन स्थानों पर इनकी दुकानें हैं ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ऐसे कितने लाइसेन्सधारी है जो अपने नियत स्थान पर वितरण नहीं करते ? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितनी सहकारी समितियों द्वारा राशन का वितरण होता है ? उनका क्षेत्र व वितरण के स्थान की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या ऐसी भी सहकारी समितियां हैं जो चीनी, कपड़ा गेहूं आदि क्रय-विक्रय केन्द्र से नहीं उठा पातीं ? यदि हां, तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दौसा जिले की बसवा तहसील में चीनी, गेहूं व अन्य आवश्यक सामग्री निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिये उचित मूल्य की 58 दुकानें हैं । इन दुकानों की सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चीनी, गेहूं व अन्य आवश्यक सामग्री के 58 प्राधिकार धारक उचित मूल्य दुकानदार एवं कैरोसिन तेल के 15 अनुज्ञप्तिधारी हैं । 58 प्राधिकार धारकों की सूची प्रश्न के भाग (1) में सदन की मेज पर रख दी गयी है । कैरोसीन के 15 अनुज्ञप्तिधारियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) नियत स्थान पर वितरण नहीं करने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है । मामला प्रकाश में आने पर प्राधिकार अनुज्ञापत्र की शर्तों की अवहेलना मानकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

(4) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 22 सहकारी समितियों द्वारा राशन के वितरण का कार्य किया जा रहा है । इनकी सूची प्रश्न के भाग (1) के परिशिष्ट "अ" में सम्मिलित है ।

(5) जी हां । केवल एक सहकारी समिति धनावा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा चीनी, गेहूं आदि क्रय-विक्रय से नहीं उठाया जाता है, जिसका कारण उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होना है । इस समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये सहकारी विभाग के माध्यम से प्रयास कराये जा रहे हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

केन्द्र से राज्य सरकार को आवंटित खाद्यान्न

82. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991 में राज्य सरकार केन्द्र से खाद्यान्न का कोटा कौनसा आधार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वर्ष मानकर उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र सरकार से वर्ष 1991 की जनसंख्या को आधार वर्ष मनवाने में राज्य सरकार को क्या कठिनाई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि वर्ष 1991 को आधार मानकर कोटा उठाया जाय तो प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध करायी जा सकेंगी ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार को भारत सरकार खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का कोटा आवंटित करती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों का कोटा वर्ष को आधार मानकर आवंटित नहीं करती है।

(2) केन्द्र सरकार को वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं) आवंटित करने हेतु निवेदन किया है। वर्ष 1991 में राज्य की जनसंख्या 4.39 करोड़ है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य को 70,000 मै. टन गेहूं प्रति माह आवंटित किया जाता है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर यदि गेहूं का आवंटन 10 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से आंका जावे तो राज्य में कुल 4.39 लाख मै. टन गेहूं की आवश्यकता बनती है।

(3) यदि वर्ष 1991 की जनसंख्या को आधार वर्ष माना जावे तो 10 किलो ग्राम प्रति यूनिट की दर से राज्य में 4.39 लाख मै. टन गेहूं की आवश्यकता होगी।

कैथून जिला कोटा में मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण

83. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कैथून, जिला कोटा में सदियों पुराना श्री विभीषण जी का मंदिर स्थित है ? यदि हां, तो क्या इसके अवशेष खुर्द-बुर्द होने से बचाने के प्रयत्न किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या किन्हीं असामाजिक तत्वों या प्रभावशाली लोगों ने मन्दिर की भूमि जिस पर अभी भी मन्दिर के अवशेष हैं, कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस ने कितनी-कितनी भूमि पर ?

(3) क्या सरकार ने कब्जा हटाने का प्रयत्न किया ? यदि हां, तो अभी तक उस भूमि पर से कब्जा क्यों नहीं हटाया गया ? यदि नहीं किया तो क्यों ?

उत्तर

(1, 2 व 3) यह सही है कि इस जिले की तहसील लाडपुरा के अन्तर्गत कस्बा कैथून में बहुत पुराना श्री विभीषण जी का मन्दिर स्थित है। यह मन्दिर ख.नं. 1451 रकबा 0.05 हैक्टर में स्थित है। मन्दिर की इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा नहीं है और न ही इस मन्दिर को खुर्द-बुर्द किया गया है। मन्दिर एवं मन्दिर की उपरोक्त भूमि पर किसी का अतिक्रमण नहीं है परन्तु इस मन्दिर की

(देवस्थान मंत्री)

भूमि के पास एक काफी पुराना कुण्ड ख. नं. 1456 रकबा 0.05 हेक्टर में स्थित है। इसका साबिक ख. नं. 1017 रकबा 6 बिस्वा साबिक किस्म गैर मुमकिन कुण्ड सिवाय चक है। जिसे तहसीलदार, लाडपुरा के निर्णय दिनांक 30-7-70 से भूरे लाल पुत्र रामकिशोर निवासी कैथून को नियमन कर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। उक्त आदेश के अन्तर्गत उक्त कुण्ड की भूमि नामान्तरकरण सं. 202 दिनांक 8-12-70 से उक्त श्री भूरेलाल की खातेदारी में दर्ज हुयी। उक्त कुण्ड की भूमि को पुनः सिवाय चक दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

(स्थगित)

उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने को मानदण्ड

85. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड तय किये हैं।

(2) क्या यह सही है कि बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र में केवल एक ही सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है जहां छात्रों की संख्या बहुत अधिक है तथा एक-एक कक्षा में 180 तक छात्र अध्ययनरत हैं?

(3) क्या सरकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बांदीकुई के छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भवन की व्यवस्था कर इसे क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु क्षेत्र की जनसंख्या, छात्रों की संख्या, भवन की स्थिति, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, फीडर विद्यालयों की स्थिति, क्षेत्र की मांग आदि पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(2) जी नहीं। बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र में तीन सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में एक कक्षा में छात्रों की संख्या सामान्य से अधिक पायी जाती है।

(3) बांदीकुई शहर में 'माध्यमिक कक्षाओं की अपेक्षाकृत पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं अतः उक्त विद्यालय को वर्तमान में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

डग (झालावाड़) के स्कूल भवनों की जीर्ण-शीर्ण हालत

86. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के डग कस्बे में गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल तथा सुनेल गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और कभी भी उक्त भवन क्षति-

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

ग्रस्त हो सकता है ? यदि हां, तो छात्राओं की जानमाल की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उक्त भवन को दुरुस्त कराने का राज्य सरकार क्या विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी, हां । राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सुनेल एवं डग के भवन क्षतिग्रस्त हैं । सुनेल के भवन मरम्मत हेतु अब तक 3,43,000/– रुपये की राशि प्राप्त होकर मरम्मत कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, डग में एक कक्षा कक्ष एवं 4 (चार) बरामदे क्षतिग्रस्त हैं । क्षतिग्रस्त कक्षों एव बरामदों में छात्राओं को नहीं बिठाया जाता और इनके बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झालावाड़ से इस वर्ष रु. 25,000/– की राशि मरम्मत हेतु स्वीकृति हुई है और मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 87

(स्थगित)

जिला सवाईमाधोपुर में अध्यापकों के अभाव में चल रहे स्कूल

88. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल तथा हायर सैकण्डरी स्कूल कुल कितने हैं ? उनमें कितने अध्यापक नियुक्त हैं एवं कितनी जगह रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अध्यापकों के अभाव में चल रही स्कूलों में कब तक अध्यापक नियुक्त कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में मिडिल, सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूलों की संख्या निम्नानुसार है :—

हायर सैकण्डरी		सैकण्डरी		मिडल
छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
26	5	130	13	330

इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है ।

(2) सवाईमाधोपुर जिले में अध्यापकों के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये हैं और पद शीघ्र भर दिये जावेंगे ।

गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल टोडाभीम (सवाई माधोपुर) का क्रमोन्नयन

89. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का जिला सवाई माधोपुर के टोडाभीम कस्बे की गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No. 31

(31)

(श्री रामस्वरूप)

(2) क्या टोडाभीम हायर सैकण्डरी स्कूल में विषय बढ़ाने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

उत्तर

(1) साधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये अन्य प्रस्तावों के साथ सवाई माधोपुर के टोडाभीम कस्बे की गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावों पर मापदण्ड एवं गुणावगुण के आधार पर भी विचार किया जायेगा।

(2) टोडाभीम सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में स्वीकृत विषय/संकाय की पढ़ाई हो रही है अन्य विषय/संकाय और खोलने के यदि प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो उन पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 90

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 91

(स्थगित)

रूरल टेक्नालाजी डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट का एडवान्स्ड कोर्स उत्तीर्ण छात्रों हेतु रोजगार की नीति

92. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गवर्नमेंट पोलीटेक्निक, जयपुर में रूरल टेक्नालाजी, डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट का एडवान्स्ड कोर्स कब से चल रहा है व कितने छात्र अब तक उस कोर्स को पूरा कर चुके हैं ?

(2) इस कोर्स को चलाने के लिए बजट कहां से आता है व राज्य सरकार का उसमें क्या योगदान है ?

(3) क्या राजस्थान सरकार इस कोर्स को मान्यता प्रदान कर चुकी है ? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

(4) उस कोर्स में उत्तीर्ण हुए छात्रों को रोजगार दिलाने हेतु सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) खेतान पोलीटेक्निक, जयपुर में एडवान्स्ड टेक्नीशियन इन कोर्स रूरल टेक्नालाजी एण्ड मैनेजमेंट वर्ष 1987-88 से प्रारम्भ किया गया था तथा अब तक 9 छात्रों ने यह कोर्स पास किया है।

(2) इस कोर्स को चलाने हेतु शत प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार का इसमें कोई आर्थिक योगदान नहीं है।

(3) पाठ्यक्रम बन्द किया जा चुका है, अतः मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इस कोर्स के उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार दिलाने हेतु सम्बन्धित विभागों को लिख दिया गया है।

राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन

93. **श्री शान्तिलाल** (राजसमंद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शान्तिलाल)

क्या यह सही है कि राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय बामनिया कला, चराणा मैन्दूरिया, तासौल, भाणा एवम् पूनावली गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। विद्यालय क्रमोन्नति के समय अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त प्रस्तावों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया।

स्कूल छात्रों की दुर्घटना में मृत्यु

94. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अगस्त, 1990 में रेलवे क्रासिंग मुरलीपुरा, जयपुर पर बीकानेर मेल से एक प्राइवेट स्कूल बस की आपस में टक्कर लगने से काफी स्कूल छात्रों की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी ? इस दुखान्तिका में कितने छात्रों की मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस दुखान्तिका में मृतक छात्रों के परिजनों को कितनी-कितनी राशि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यह दुखान्तिका एक ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई जो आदतन शराबी था एवं मौके पर एक खाली बोतल भी पायी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस ड्राइवर की शिकायत अभिभावकों द्वारा बार-बार शाला प्रबन्धकों को करने पर भी ड्राइवर को नहीं हटाया गया ?

(5) इस शाला का पंजीकरण एवं मान्यता अभी तक निरस्त नहीं करने का क्या कारण है एवं प्रबन्धकों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। इस दुखान्तिका में 9 छात्रों की मृत्यु हुई थी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस दुखान्तिका में मृतक छात्र/छात्राओं के परिवारजनों को प्रत्येक को 10,000/– (दस हजार रुपये) दिये गये थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही से हुई जिसमें ड्राईवर की मृत्यु भी हो गई। शेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) अभिभावकों तथा विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय प्रबन्धकों को की गई शिकायतों के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(5) इस दुर्घटना के लिए शाला का दोष नहीं पाया गया अतः मान्यता निरस्त करने एवं प्रबन्धकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री रामनारायण वर्मा, श्री बिरदाराम चौधरी और श्री ईश्वर लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय शिक्षण संस्थाओं को क्रमोन्नत किये जाने में कथित भेदभाव बरतने से छात्रों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।

(2) श्री मोहम्मद माहिर आजाद और 16 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के सरकारी अस्पतालों में व्याप्त घोर अव्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में ।

(3) श्री ईश्वरलाल सैनी और 12 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से एक पूर्व विधायक श्री रामधन मीणा का जनरल अस्पताल, अलवर में दिल का दौरा पड़ने पर, समुचित उपचार नहीं करने तथा जयपुर रैफर करने पर रास्ते में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में ।

(4) श्री रामस्वरूप मीणा, श्री प्रभुलाल पटेल, श्री घासीलाल और श्री श्रीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्तियां देने में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में ।

(5) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना लालसोट के ग्राम खानपुर में मई 1991 में बृजलाल पुत्र कालू मीणा की चोरों द्वारा हत्या किये जाने तथा हत्यारों के अभी तक पुलिस द्वारा नहीं पकड़े जाने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री बुलाकीदास कल्ला और 5 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और जालौर में व्याप्त अकाल एवं अभाव की स्थिति के सम्बन्ध में ।

(7) श्रीमती मदन कौर और 3 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में ।

(8) श्री जनार्दनसिंह गहलोत और 5 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की महुआ व टोडाभीम तहसीलों को दौसा जिले में मिलाये जाने के वहां की जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।

(9) डाक्टर हरिसिंह और 4 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के ग्राम खाचरियावास में दिनांक 14 अगस्त की रात हुई चोरी के मामले में ग्राम के सम्भ्रांत व जिम्मेदार लोगों की पुलिस द्वारा अनावश्यक की गई पिटाई के सम्बन्ध में ।

(10) श्री जुबेर खान, श्री हरिसिंह (महुवा), श्री ईश्वरलाल सैनी और श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा नगर जिला भरतपुर में एक निर्दोष व्यक्ति श्री फौरनसिंह खाती की कुछ गुंडों द्वारा निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में ।

(11) श्री रामकरणसिंह व 8 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से 31 मार्च को विजय पथ, मोती डूंगरी स्थित

(श्री अध्यक्ष)

गुर्जर छात्रावास के एक छात्र श्री विक्रमसिंह की गोली मार कर की गयी हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) डाक्टर चन्द्रभान एवं 4 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के बीकानेर एवं जोधपुर संभाग में वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न अकाल की भयंकर स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेडीकल स्टाफ के अभाव में प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था के प्रायः ठप्प हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मेरे से सम्बन्धित रखा गया है जिसका उत्तर मैं आज ही देना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : नाम नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नाम नहीं है, लेकिन मैं आपसे या इस सदन से यह आशा नहीं करता कि किसी सदस्य के परिवार का किसी से कोई सम्बन्ध हो, तो उस प्रकार के मामले को इस सदन में उठाया जाये, आप इस पर स्वयं विचार कर लें, और यदि मुझे दोषी समझते हैं तो जो आप सजा देंगे मैं उसके लिये तैयार हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अभी तो मैं व्यवस्था ही दे रहा हूं। आपका नम्बर आयेगा तब होगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको तुरन्त लिया जाये, और डाक्टर साहब को बोलने की अनुमति दी जाये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर (शहर) परकोटे में स्थित गुलाब सागर, फतेह सागर, बाईजी का तालाब, रानासर, पदमसर की नहरों में गंदा पानी आने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में।

2. श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से रबी की फसल नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय नहीं खोले जाने से छात्रों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

4. श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर क्षेत्र में भयंकर अकाल के कारण पशुधन व मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

Page No. 35

(39)

5. श्री जगजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के जले हुये विद्युत ट्रांसफार्मर्स को बदलने व अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में।

6. श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में बीहड़ सुधार कार्यक्रम (भू-संरक्षण) में हो रही कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

7. श्री लक्ष्मी नारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद्, पाली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शंकरलाल वर्मा के कार्यकाल में हुई कथित गड़बड़ियों के सम्बन्ध में।

8. श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नांवा तहसील क्षेत्र में लवण उद्योग के लिए भूमि रूपान्तरण में हो रहे विलम्ब से औद्योगिक विकास में रुकावट आने के सम्बन्ध में।

9. श्री जूबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा नौगावां, जिला अलवर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

10. श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में सड़कों के अभाव के सम्बन्ध में।

11. श्री प्रेम सिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में नई तहसील बागोड़ा के पुनर्गठन से किसानों और नागरिकों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

12. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष, संगरिया द्वारा मंहगी सरकारी भूमि का कथित फर्जी आवंटन व बेचान से राजकोष को हानि के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

एक मेरा निवेदन है। आप अपनी बात कहिये लेकिन आपने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उस विषय पर आप बोल गयीं तो फिर दुबारा जब मैं व्यवस्था दूंगा तो बोलने का मौका आपको नहीं दूंगा। यह आपको बता देता हूं। आपको अपनी बात पूछनी है वह पूछिये मगर उस विषय पर आप भी बोल गये तो फिर जब भी मैं व्यवस्था दूंगा तब बोलने का मौका मिलेगा नहीं। बोलना नहीं चाहिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : ऐसा हुआ नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिना व्यवस्था बोलना नहीं चाहिये। इण्ट्रोड्यूस करने दीजिये, उसकी महत्ता बताने दीजिये, यह मेरे समझ में आता है लेकिन उस विषय पर आप कृपया नहीं बोलें तो अच्छा है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : पहले केदारजी बोल लें।

श्री केदार नाथ शर्मा : ओन ए पाइण्ट आफ प्रोपराइटी।

(श्री केदार नाथ शर्मा)

कल, अध्यक्ष जी, आपने बड़ी अच्छी बहस करवायी, काफी समय दिया। श्री प्रकाश बैरवा माननीय सदस्य हैं इस हाउस के और हमारी बिरादरी के। मगर उसमें कुछ इश्यूज ऐसे आगये जिन्होंने डाइवर्ट कर दिया डिबेट को। एम. एल. ए. के ऊपर असाल्ट हो ब्रोड-डेलाइट में और खुले बाजार में हो, उस वक्त हाउस के दोनों पक्षों का यह मन्तव्य होना चाहिये था, एक्रास पार्टी–लाइन उसको लेना चाहिये था। कुछ इश्यूज ऐसे उसमें आ गये जो नहीं आने चाहिये थे। शिक्षा मंत्री के नाम से गया, 10 लाख रुपये का आ गया और वह डाइवर्ट हो गया। मगर माननीय मुख्य मंत्रीजी डेढ़ घण्टे बैठकर बहस सुनते रहे। इंग्लिश में discreet silence, detached slience जो रही उनके पार्ट में....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : Indiscreet silence.

श्री केदार नाथ शर्मा : नहीं, discreet. discreet कहते हैं detached slience, दूसरा उसका अंग्रेजी का मतलब है stoic. stoic का मतलब यह है indifferent to pleasure and pain. हाउस में कुछ भी होता रहे, माननीय मुख्य मंत्रीजी अपार्चुनिटी अवेल करने में कभी भी मौका चूकते नहीं। कभी मौका चूका नहीं बतौर मुख्य मंत्री। एक-एक एम. एल. ए. जो इन्स्टीट्यूशन है और माननीय सदस्य इस हाउस के मैम्बर हैं, उसको नहीं बोलना चाहिये था। मैं इस बात को, आपकी बात को मानता हूं। एक तो जो माननीय रामकरणजी ने जो लाज कहें आपके बारे में, वह डिसग्रेसफुल हैं। इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके चैम्बर में बैठकर, वह उस डिबेट को मैं ओपन नहीं करना चाहता, वह क्लोज हो गया सारा चैप्टर। इसके बारे में आपके चैम्बर में बैठकर जो माननीय सदस्य हैं, उसको और जो ग्रुप लीडर्स हैं, उनसे बैठकर बात कर लीजिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन एट्रोसिटिज रिमूवल एक्ट का सैक्शन 3 है, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता, माननीय सदस्य के बारे में, जो इसकी सीविरिटी है, जिस ढंग से पुलिस इसका इस्तेमाल करने जा रही है आज, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी आपको बैठकर कोई रास्ता निकालना चाहिये। कोई इसका रास्ता निकालें। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसी माननीय सदस्य के साथ किसी स्तर पर या किसी भी समय इस प्रकार की घटना होती है तो इस सदन की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से गिरती है और सदस्य का मान भी इससे कम होता है। आप कह रहे थे कि मैं चुप रहा लेकिन उस बीच में इस प्रकार के प्रसंग आ गये कि जिसके कारण मैं बोल नहीं सका, पर बोलना चाहता था। मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ। उसके बाद रात को मैंने स्वयं ने इस सारे केस की फाइल मंगाकर देखी है। मैं यहां नहीं कहना चाहता लेकिन आप सदस्य बैठकर चर्चा करना चाहेंगे और आप यह उचित समझेंगे तो जिस प्रकार आप चाहते हैं कि इस प्रकार की

Page No. 37

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार्यवाही की जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

यहां पर हर व्यापारी के लिए कहा जाय कि बी. जे. पी. का है, दलाल है... 10-10 लाख रुपए ले लिये गये। मैं समझता हूं कि बोलने से पहले थोड़ी जिम्मेदारी सभी तरफ से निभायी जाय तो उचित होगा।

जहां तक आपने एट्रोसिटी एक्ट के सैक्शन 3 के बारे में कहा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बैठकर चर्चा करें तो मुझे खुशी होगी। हम बैठकर इस प्रकार का स्टैण्डर्ड बना लें कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाय। अगर आप इसमें खुली छूट देंगे तो निश्चित रूप से कई लोग जो इसी नाम पर कोई न कोई व्यक्तिगत लाभ उठाना चाहते हैं, अधिकारी भी उसमें हो सकते हैं, उनको लाभ उठाने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। इस कानून को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको लागू किस प्रकार किया जाय। कानून की मंशा ठीक है लेकिन लागू करने में कोई न कोई व्यवस्था सरकार को करनी होगी। आपने अच्छा सुझाव दिया कि सब बैठकर यदि इसको लागू करने की प्रक्रिया पर विचार करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर एवं जोधपुर संभाग में अकाल के बारे में।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपसे केवल इतना आग्रह करना है कि पिछले डेढ़ साल से मैं इस सदन का सदस्य हूं। हम विपक्ष के लोग हैं उनको यह राइट है कि एडजोर्नमेण्ट मोशन आपके पास पेश करें। लेकिन डेढ़ साल से और अब भी देख रखा हूं, इस सत्र में भी जो एडजोर्नमेण्ट मोशन देते हैं। यह नियम या परम्परा बना दी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है पर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं देते हैं। अकाल राजस्थान प्रदेश की मानवीय समस्या है और अकाल पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप किसी एडजोर्नमेण्ट मोशन को स्वीकार करने की स्वीकृति दे देंगे तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं और यदि आपका यह फैसला है, नियम, परम्परा बना दी है तो हमें कोई स्थगन प्रस्ताव देने की आवश्यकता नहीं है। दो मिनिट की चर्चा के लिए तो दूसरे बहुत विषय है। मैं फिर आग्रह करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित करके अकाल के विषय पर सबसे पहले चर्चा की जाय। सरकार यदि तैयार नहीं है तो सरकार को जवाब देने के लिए कल परसों का समय निश्चित किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्लाजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब भी स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है तो सुबह 9-9.30 बजे से पहले आपके पास पहुंच जाता है और सरकार के प्रतिनिधि उनको पढ़ लेते हैं। चाहते हैं तो अपना जवाब और वक्तव्य दे सकते हैं। ऐसा इस सदन में पहले भी हुआ है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप एक उदाहरण तो बतायें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपका ही उदाहरण बता दूं। पिछली बार ही कई स्थगन प्रस्तावों पर सरकार ने उसी दिन अपना जवाब दिया है। अकाल जैसा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर में अकाल पड़ा हुआ है। यदि सरकार की तैयारी नहीं है तो हमें सुन ले जवाब कल दे दें। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर 15-20 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है इसलिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करके विचार करना चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के कई स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष विचाराधीन है। आपकी व्यवस्था भी इस सम्बन्ध में हो गयी कि सरकार से जवाब आने के बाद जवाब दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह मालूम है कि सत्र बहुत छोटा है, समय का अभाव है। सरकार सात दिन तक जवाब नहीं देगी तो आपकी क्या व्यवस्था होगी ? क्योंकि माननीय सदस्यों के काफी महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव है जो सीधे जनता की समस्याओं से जुड़े हुये हैं। जैसे कल ही जयपुर शहर में बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ। यहां पर काफी लोग मौजूद थे। बुलडोजर चल रहे हैं, जब तक स्थगन प्रस्ताव पर जवाब आयेगा तब तक तो कालोनी बरबाद हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था कर दें कि दो तीन दिन का समय निर्धारित हो जाय।

श्री जुबेर खान : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। जिसमें राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और राज्य सरकार के एक राज्य मंत्री के बयान से सम्बन्धित था।

श्री अध्यक्ष : आप कल उस पर बोल चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : अकाल वाले मामले पर आप व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

मैं माननीय सदस्यों ने जो भी भावनायें व्यक्त की उससे पूर्णतया सहमत हूं। इसलिये मैंने यह व्यवस्था की है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन के जवाब के लिए गवर्नमेण्ट को 24 घण्टे का समय दिया है। यदि 24 घण्टे में जवाब आ जाता है तो भी और नहीं आता है तो भी मैं अपनी व्यवस्था देता हूं। आज चार कॉल अटेंशन लगे हैं। 6 तारीख को सरकार को नोटिस भेजा था, कल तक जवाब नहीं आया, बिना जवाब के भी मैंने चार काल अटेंशन लगा दिये हैं। जवाब नहीं आये परन्तु मैंने यह तय कर लिया था कि तीन दिन का टाइम दिया हुआ है। आता है तो ठीक है; नहीं आता है तो भी मैं व्यवस्था दूंगा। इस तरह से हर एक का टाइम है। सैशन के अनुपात में समय तय कर दिया है उसमें जवाब आयेगा तो भी व्यवस्था होगी, जवाब नहीं आयेगा तो भी व्यवस्था होगी। जहां तक मेरी व्यवस्था का सवाल है, जैसा आप चाहते हैं, शार्ट सैशन है तो शार्ट टाइम दिया है।

जहां तक एडजोर्नमेण्ट मोशन को स्वीकार करने का सवाल है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में सभी पार्टियों के नेता यदि

(श्री अध्यक्ष)

मेरे साथ बैठकर विचार करें तो ठीक होगा। आपने एडजोर्नमेण्ट मोशन का इतिहास सुना है। यह जिसके लिए शुरू हुआ था उस सम्बन्ध में तो इररिलेवेण्ट हो गया। यह शरू हुआ था जब सेण्ट्रल असेम्बली थी, अंग्रेजों का राज था, अकाउण्टबिलिटी गवर्नमेण्ट की असेम्बली के प्रति नहीं थी। इसलिये गवर्नमेण्ट को एश्योर करने के लिये एडजोर्नमेण्ट मोशन की शुरूआत हुई थी। अब अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। एकाउण्टबिलिटी गवर्नमेण्ट की हो गयी है इसलिए एडजोर्नमेण्ट मोशन का वह महत्व नहीं रहा जो शुरू में था। अब क्या महत्व देना चाहते हैं किस रूप में अब यह आये, यह विचारणीय है। अभी एडजोर्नमेण्ट मोशन बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको खारिज करके उस पर बोल दिया जाता है, सरकार तैयार होती है तो बहस भी होती है। लेकिन एडजोर्नमेण्ट मोशन अमूमन खारिज होता है। आप पार्लियामेण्ट का इतिहास उठाकर देख लें या यहां का इतिहास देख लें। एडजोर्नमेण्ट मोशन बहुत ही रेयर केसेज में एक–दो होंगे जिस पर पूरे हाउस ने तय किया हो तो स्वीकार करते हैं अदरवाइज नहीं करते हैं। इस व्यवस्था में कोई सुधार करना है या इस व्यवस्था को और तरीके मे लागू करना है तो सारे नेता मेरे साथ बैठ जायं कोई भी व्यवस्था तय कर लें। उसके बाद आपत्ति नहीं होगी। उसमें आप लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिले। मैं एडजोर्नमेण्ट मोशन को किसी तरीके से रोकना नहीं चाहता। पिछले सत्र में भी मेरे पास एक भी एडजोर्नमेण्ट मोशन नहीं बचा, जिस पर बोलना था, वह बुलाया गया या जिस पर गवर्नमेण्ट का जवाब आया वह भी बताया गया। बल्कि गवर्नमेन्ट के भी सारे जवाब उसी सैशन में आ गये थे। आखिरी दिन तक एक भी एडजोर्नमेण्ट मोशन मेरे पास बकाया नहीं था। इस सैशन में भी प्रयास कर रहा हूं। आज एडजोर्नमेण्ट मोशन आये हैं। 24 घण्टे का समय दिया है। अकाल की समस्या महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी। सरकार टाइम लेना चाहे ठीक है। नहीं तो एडजोर्नमेण्ट मोशन पर भी बोलने का मौका मिलेगा। जो स्थगन प्रस्ताव हैं, सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उनको बिना चर्चा के नहीं जाने दूंगा। यह आश्वासन आपको देना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सवाल चर्चा का है। इस विषय पर चर्चा अभी हो जाय। सरकार कल जवाब दे देगी। नेता इसके लिये क्या तय करेंगे ? यह मैम्बर का राइट है।

श्री अध्यक्ष : मैंने सारी व्यवस्था बता दी। अदरवाइज चाहते हैं तो बैठकर तय कर लें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : यह तो आप भी जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 24 घण्टे का समय दिया है व्यवस्था के लिये। आपको पता है आप सब जानते हैं कि अकाल की वस्तुस्थिति पूरी तौर पर तो अक्टूबर के महीने में पता चलती है। मतलब जिनकी ऐसी स्थिति है जहां बरसात भी हो जाय तो भी केवल घास ही पैदा होगा। तो भी अकाल में घास

(श्री अध्यक्ष)

पैदा हो जाता है, पीने का पानी आ जाता है तो अकाल में अन्तर पड़ जाता है। इसलिये आज वह स्थिति नहीं है कि तुरन्त हम मान लें कि पूरा सब जगह अकाल पड़ ही गया, लेकिन फिर भी जिन क्षेत्रों में बुवाई नहीं हुई है और वहां अभी तक बरसात नहीं हुई है और बरसात होने के बाद भी बुवाई होने की सम्भावना नहीं है, ऐसे जो क्षेत्र हैं कि जिनको हम मान सकते हैं कि अब बरसात हो भी जाय तो भी वहां अकाल रहेगा, तो उनके विषय में चर्चा हो सकती है। मैंने मना नहीं किया हैं। 24 घंटे का मैंने टाइम दिया है, 24 घंटे में जवाब मिल जायगा। मैं अपनी व्यवस्था दे दूंगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में कोई समय निश्चित कर दें, सरकार हमेशा तैयार है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज ही कर दें।

श्री अध्यक्ष : आज की लिस्ट बन चुकी है, आपका ही काम जायेगा। आपके काल अटेंशन रह जायेंगे। 24 घंटे कल हो रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में अकाल पड़ा हुआ है, गत वर्ष से अकाल है। एक बूंद पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब बोल रहे हैं फिर। आप मत बोलिये। श्रीमती सूर्यकान्ता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारे कल के जो एडजोर्नमेण्ट मोशन थे उनको आज 24 घंटे हो गये हैं। नोखा नगरपालिका की 20,000 वर्ग फीट जमीन को गलत तरीके से नियमन के बारे में मैंने एडजोर्नमेण्ट मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष : अब आप अलग से बात करिये मेरे से।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसको 24 घंटे हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : हां तो अलग से बात करिये। वह अलग से बात करिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : व्यवस्था के अनुसार बात है।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे से अलग से बात करिये।

आप बिराजिये। सूर्यकान्ताजी बोल रही हैं। (व्यवधान)

श्री सुनील बिश्नोई : अकाल की गंभीरता का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सूर्यकान्ताजी बोल रही हैं, आप बैठिये प्लीज। श्रीमती सूर्यकान्ता जी। बोलिये, बोलिये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जोधपुर शहर के भीतर आने वाले गंदे पानी से स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर परकोटे

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

क्षेत्र में स्थित गुलाबसागर, फतेहसागर, बाईजी का तालाब, रानीसर, पदमसर की नहरों में गंदा पानी आने से जनजीवन के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है तथा लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इन नहरों की लम्बे अरसे से कोई सफाई नहीं हुई है तथा शहर की पाइप लाइनें सीवरेज लाइनें रुकी पड़ी हैं। बारबार इस सम्बन्ध में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी न तो नई सीवरेज लाइन डाली गई है और न ही कोई सफाई की समुचित व्यवस्था की जा रही है। जनता में इसका भयंकर आक्रोश है। यदि समय रहते कारगर कदम नहीं उठाये गये तो जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही बीमारी फैलने की भी भयंकर आशंका है। शुद्ध पानी की व्यवस्था अविलम्ब किये जाने तथा टूटी व जीर्ण-शीर्ण सीवरेज लाइन्स को बदले जाने की नितान्त व्यवस्था की जाय।

यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है अतः मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहती हूं कि इन टूटी फूटी पाइप लाइनों को अविलम्ब ठीक कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

झालावाड़ में अतिवृष्टि से रबी की फसल को नुकसान।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम सख्या 295 के तहत सूचना, झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि से रबी की फसल सारी नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि झालावाड़ जिले में अतिवृष्टि होने से, वर्षा अधिक होने से ज्वार, मक्का, मूंगफली, उड़द एवं अन्य सारी फसलें चौपट हो चुकी हैं। इससे आगे घास की भी भारी परेशानी आ सकती है। जिले में किसान बहुत परेशान हैं। उनकी सारी ऋण वसूली स्थगित की जावे तथा जिलाधीश को आदेश देकर फसलों का सर्वेक्षण करवा कर किसानों को राहत दिलायी जावे। सारी फसलें चौपट होने से खाने के लिये भी गरीब जनता को, किसानों को भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अतः सस्ते अनाज की दुकानों की वितरण के लिये व्यवस्था की जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया बातचीत न करें आपस में।

श्री बालचन्द्र आर्य : सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर ध्यान देकर वहां पर राहत कार्य खोले जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल।

लालसोट में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, नवगठित दौसा जिले की लालसोट तहसील मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा काफी लम्बे समय

(श्री परसादीलाल मीणा)

से की जा रही है। लालसोट तहसील के आसपास की तहसीलों जैसे वामनवास, बौंली, चाकसू के छात्रों का भी जीवन आगे महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश नहीं मिलने के कारण अंधकारमय हो जाता है। लालसोट तहसील तथा आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य है। इस इलाके में दौसा महाविद्यालय के अलावा कहीं भी महाविद्यालय स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। दौसा महाविद्यालय में छात्रों की प्रवेश सीमा सीमित है। जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों का प्रवेश हो पाना मुश्किल है। प्रवेश नहीं हो पाने के कारण छात्र पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। सरकार ने पिछले 10–15 वर्षों से राज्य में महाविद्यालय नहीं खोला इस कारण इस इलाके को वंचित रहना पड़ा है। इस इलाके के लोगों की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है जो जयपुर या अन्य शहरों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

पिछले वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय खोले गये थे परन्तु लालसोट की उपेक्षा की गई। इस वर्ष भी नये महाविद्यालय सरकार द्वारा खोलने प्रस्तावित है परन्तु राजनैतिक आधार पर महाविद्यालय खोलने की सरकार की मंशा स्पष्ट होती है। लालसोट क्षेत्र के आम आदमी तथा छात्र भी राज्य सरकार को समुचित आर्थिक क्षमता के अनुसार देने को तैयार हैं परन्तु सरकार इस इलाके की तरफ राजनैतिक आधार पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसके कारण लालसोट क्षेत्र की जनता में भारी जन आक्रोश है। अतः सरकार को राजनैतिक आधार पर महाविद्यालय नहीं खोलकर क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लालसोट में इसी वर्ष महाविद्यालय खोलकर लालसोट की जनता के साथ न्याय करना चाहिये।

आशा है, सरकार महाविद्यालय खोलते समय लालसोट क्षेत्र की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखेगी। यदि राजनैतिक आधार पर ही राज्य में महाविद्यालय खोले गये तो क्षेत्र की जनता जनतांत्रिक ढंग से सरकार के उपेक्षापूर्ण तरीके का विरोध करेगी।

[12.26 म. प.]

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मनीराम सियाग।

बीकानेर शहर में भयंकर अकाल से नुकसान

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर क्षेत्र में भयंकर अकाल के कारण पशुधन व मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, बीकानेर जिले की लूणकरणसर, बीकानेर, कोलायत व नौखा तहसीलों में अकाल ने भयंकर खतरनाक रूप धारण कर लिया है। लगातार पांच छह वर्षों से पड़ रहे अकाल ने किसानों और इस क्षेत्र के पशुधन को बेहाल कर दिया है। विशेषकर लूणकरणसर, बीकानेर तहसीलों के क्षेत्रों का पशुधन चारे के अभाव में मरना शुरू हो गया है।

(श्री मनीराम सियाग)

बीकानेर जिले की लूणकरणसर व बीकानेर तहसील में लगातार पांच छह वर्षों से पड़ रहे अकाल की वजह से किसानों के पास चारे का स्टाक खतम हो गया है। पंजाब, हरियाणा से आने वाली तूड़ी भी खतम हो गई है। थोड़ी बहुत मात्रा में आती है, वह भी किसानों की क्रय शक्ति से बाहर हो गयी है। बीकानेर में तूड़ी आती है वह 175 रुपये प्रति क्विन्टल पड़ती है। उसको ग्रामीण किसान खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। इस वजह से बीकानेर जिले की राठी नस्ल की प्रसिद्ध गायें भूख से मरना शुरू हो गई हैं। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष भी भयंकर अकाल था पर राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। किसानों ने साहूकारों से कर्ज लेकर जैसे तैसे इन राठी नस्ल की गायों को बचाया परन्तु इस वर्ष किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। खुद किसान अनाज के अभाव में भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गया है।

पशु आहार विशेषकर बिनौला की खल दूध के भाव से ही महंगी हो गयी है। बिनौले की खल 460 रुपये प्रति क्विण्टल बिक रही है जबकि डेयरी दूध के भाव 3.50 रुपये प्रति किलो पड़ता है।

लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों के गांवों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। वर्षा के अभाव में यह स्थिति और भी विस्फोटक हो गयी है। पी.एच.ई.डी. में ग्रामीण आये दिन परेशान घूमते हैं। यदि यही स्थिति रही तो ग्रामीणों को अपने गांव छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ेगा।

लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों में रोजगार के अभाव में ग्रामीण भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं। क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये। इस वर्ष भी इस क्षेत्र में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है, यदि सरकार ने समय रहते बड़े पैमाने पर अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये तो स्थिति विस्फोटक हो जायेगी।

बीकानेर जिले में अकाल की भयंकर स्थिति होते हुए भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव बी. बी. एल. माथुर 28-8-91 को बीकानेर मय विभागीय सचिवों एवं अधिकारियों के साथ गये थे। परन्तु मुख्य सचिव एक गैर जिम्मेदारना बयान देकर आये जो हमें प्रेस के माध्यम से मालूम हुआ कि बीकानेर क्षेत्र मे अकाल की स्थिति नहीं है। मुख्य सचिव के इस बचकाना बयान से राज्य सरकार का बीकानेर जिले की जनता के प्रति सोच व जिम्मेदारियों के दिवालियापन की स्थिति का प्रतीक है। इस बयान के बाद में बीकानेर की जनता में यह भय व असन्तोष घर कर गया है कि राज्य सरकार हमारे लिये कुछ भी करने वाली नहीं है।

अतः रोजगार मुहैया कराने के लिये तुरन्त अकाल राहत कार्य चालू कराने एवं पशुधन बचाने के लिये सस्ता चारा व पशु आहार उपलब्ध कराने और पीने के लिये पानी, गांवों में स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था करने एवं पर्याप्त मात्रा में राशन की सस्ते दर की दुकानें खोलने की मैं राज्य सरकार से पुरजोर मांग करता हूं। आशा करता हूं कि राज्य सरकार

(श्री मनीराम सियाग)

समय रहते जनता को हर सहूलियत प्राप्त करवायेगी ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष । माननीय जगतीत सिंह

किशनगढ़ क्षेत्र में जले हुये ट्रान्सफारमरों को बदलने के सम्बन्ध में

श्री जगजीतसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । किशनगढ़ राजस्थान का एक औद्योगिक नगर है यहां पर हजारों की संख्या में पावरलूम, बड़ी संख्या में मार्बल कटिंग की विशाल डायमण्ड फैक्ट्रियां लगी हुई हैं । एक बड़ी धागा बनाने की आदित्य मिल्स है । यह एक उपखण्ड है दो पंचायत समितियां इसके अन्तर्गत आती है । सिलोरा और अरांई । सिलोरा पंचायत समिति का शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो रहा है इसमें घरेलू कनेक्शनस के साथ-साथ कृषि कनेक्शन भी काफी तादाद में है ।

किशनगढ़ उपखण्ड में अक्सर ट्रांसफार्मर बड़ी तादाद में जल जाते हैं और इन्हें बदलने में एक महीने का समय लगता है उससे बड़ी संख्या में उद्योग बन्द हो जाते हैं श्रमिकों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ता है साथ ही साथ किसानों की फसल नष्ट हो जाती है ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में अभी भी 25 ट्रांसफार्मर जले हुये हैं इन्हें समय पर शीघ्र बदलने की व्यवस्था की जाय ।

इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ स्थित मालियों की बाड़ी में 33 हजार के. वी. लाइन का एक सब स्टेशन विगत 6 माह से बन कर तैयार पड़ा है । यह सब स्टेशन भी केवल मात्र ट्रांफार्मर उपलब्ध नहीं होने की वजह से चालू नहीं हो सका । अगर इसके लिये ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो जाता है तो निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और राज्य सरकार का जो इतना पैसा लगा है उसका लाभ किसानों व उद्योगों को भी मिलेगा ।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री जी यहां बिराजे हुये हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कब तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा देंगे ? मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां सबसे ज्यादा उपभोक्ता बैठे हैं उनकी उपयोगिता को देखते हुये क्या रिजर्व में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवायेंगे यह आप कृपा करके मंत्री जी से कहें कि नोट करें और मेरे सवालों का जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल

बूंदी जिले में बीहड़ सुधार कार्यक्रम में अनियमिततायें ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के तहत लोक महत्व के प्रस्ताव पर मेरे बूंदी जिले में भू संरक्षण, बीहड़ सुधार के नाम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें अधिकारियों द्वारा अनियमितता और मनमानी की जा रही है इस विषय पर

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करूंगा।

राजस्थान प्रदेश में लाखों हेक्टर ऐसी भूमि पड़ी है जिसको भू संरक्षण के माध्यम से सुधारा जाकर कृषि योग्य बनाया जा रहा है एवं नदी नालों से होने वाले कटाव को भी रोका जाकर किसानों के हित में करोड़ों रुपया गत तीन चार वर्षों से व्यय किया जा रहा है।

इसी प्रसंग में हमारे बून्दी जिले में बून्दी, केशोरायपाटन एवं लाखेरी तीन सहायक अभियन्ता केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 87-88 से लगा कर अब तक प्रति वर्ष एक करोड़ से भी ज्यादा राशि व्यय की जा रही है जो अब तक पांच करोड़ रुपयों से अधिक अनुमानित व्यय हुआ है। गत जुलाई, 91 में जिला परिषद् की बैठक में भी इस विभाग द्वारा वर्ष 90-91 के बजट में एक करोड़ चार लाख रुपये से ज्यादा राशि व्यय की जाकर, अब तक पांच करोड़ रुपयों के अनुमानित व्यय हुआ है। मैंने उक्त बैठक में, अपनी ओर से इस कार्य में की जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं मनमानी पर असंतोष जाहिर किया है। इसी विषय पर मैं इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसी विभाग द्वारा गत वर्षों में जब से यह कार्यक्रम किया गया था, में बरती गई कमियों एवं मनमानी की जांच करवायी जावे। इस विभाग द्वारा खाली रोकने हेतु बनाए गए कंटूर बांधों में मात्र मिट्टी एवं पत्थर काम में लिये गये जो बरसात में ढ़ह गये। पर्याप्त पक्के बांध नहीं बनाये गये। फर्जी मस्ट्रोल भरे गये, काम हुआ नहीं। मात्र कागजों में मस्ट्रोल भर कर लाखों रुपया बहाया गया। यह सब मस्ट्रोल की जांच से स्पष्ट हो जायेगा। कहीं बाप का नाम बेटे की जगह और कहीं बेटे का नाम बाप की जगह दर्ज करके इस विभाग द्वारा 5 करोड़ रुपये का कार्य पिछले तीन वर्षों में किया गया वह कहीं भी अपनी प्रगति और पहचान जिले में नहीं बता रहा है जिससे आम जनता एवं जन प्रति निधियों में भारी रोष एवं शिकायतें हैं।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि वर्षवार, सहायक अभियन्ता क्षेत्रवार विस्तृत विवरण देकर कितना पैसा कहां कहां किस काम के लिए खर्च किया गया है इसका हिसाब पेश किया जाय एवं किसी निष्पक्ष अधिकारी या जिले के जन प्रतिनिधियों की कमेटी बना कर जांच कराई जावे ताकि हुए भ्रष्टाचार को नंगा किया जा सके एवं जनहित में सरकार की व्यय होने वाली राशि का सदुपयोग हो सके।

यह मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से, निवेदन करूंगा कि उसमें सुधार किया जाय और इस कार्यक्रम में अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरी मांग है कि लेवलिंग के काम को ज्यादा से ज्यादा लिया जाय वह खाल, दरड़े और नदी नालों का जो क्षेत्र है उसमें हजारों हैक्टर जमीन निकलने वाली है वह गरीब गांव के भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाकर के उन गांव के लोगों को रोजगार और गरीबी दूर करने का कार्यक्रम लिया जा सकता है इसलिए अधिकारियों को पाबन्द किया जाय कि सही काम करें और इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाय। इस छोटे से जिले में पांच

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

करोड़ रुपया इन कामों में खर्च हुआ है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण जी दवे।

जिला परिषद, पाली में अनियमिततायें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत जिला परिषद् पाली के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकरलाल वर्मा के कारनामों की जांच करने बाबत उल्लेख कर रहा हूं। जिला परिषद पाली में पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर जब से श्री शंकरलाल वर्मा आये थे तब से ही जिला परिषद में भ्रष्टाचार के चर्चे होने लगे। मुझे भी कुछ लक्ष्यों से अवगत कराते हुए शंकरलाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों का इन दिनों तांता लग गया। प्रश्न पत्रों की छपाई में घोटला–जब जिला परिषद के अधीन मिडिल स्कूल आई तो स्कूलों की वार्षिक परीक्षा के लिये कक्षा 5 से 7 तक के लिये कोई एक लाख एक हजार चार सौ चार प्रश्न पत्रों की छपाई का आदेश सिरोही जिले में शिवगंज की एक प्रेस को दिया जहां पाली जिला शिक्षा अधिकारी (शहरी क्षेत्र) के भी छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र छप रहे थे। एक ही प्रेस में छप कर सभी प्रश्न पत्र एक साथ पाली उतरे जिसमें शहरी क्षेत्र के लिये जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गये और ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला परिषद् को भेजे गये। शहरी क्षेत्र के प्रश्नों की छपाई की दर 1.50 पैसे प्रति प्रश्न पत्र की दी गयी लेकिन जिला परिषद के अधिकारी ने लेखाधिकारी की मिलीभगत से कम छपाई और घटिया कागज के बावजूद प्रति प्रश्न पत्र की दर 2.50 पैसे के भाव से भुगतान की जिसमें पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकरलाल ने जिला परिषद को एक लाख रुपये से अधिक का चूना लगाया और इन पर आरोप है कि जिला परिषद ने उसी प्रिंटिंग प्रेस को अधिक भुगतान किया है।

मान्यवर, बच्चों की पौशाकों की खरीद में घोटाला :–पाली जिले में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के ग्रामीण छात्रों को निःशुल्क पोशाक देने के जिला परिषद द्वारा दो लाख पचास हजार रुपये की पोशाक खरीदी गयी। पंचायती राज विभाग के आदेश सं. 2908 दि. 30-11-90 के अनुसार यह पौशाकें जनवरी के पहले खरीद ली जानी चाहिये किन्तु मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इन्हें बाद में खरीद की, जितना नाप दिया गया उससे छोटे नाप की पौशाकें लेकर इसमें भारी घोटाला होने की सम्भावना है। इसकी जांच करवायी जानी चाहिये। यह पौशाकें छोटी होने के कारण अभी तक कई पंचायत समितियों में वैसे ही पड़ी है इस काण्ड की भी जांच हो। इस मामले में छपे समाचारों की कतरन भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकरलाल वर्मा ने माह जनवरी, 91 में फर्जी भुगतान उठाया। बिल सं. 329 दि. 30 3-91 में इन्होंने दि. 9-1-91 को जीप नं. आर. जे. 22–151 से पाली से झूठा जाना और दि. 10-1-91 को वापिस पाली आना बता कर दो दिन का डी. ए. उठाया है और साथ

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

ही उसी बिल में दि. 9-1-91 को झूठा से बस द्वारा जयपुर जाकर 12-1-91 तक वहां ठहरना बताया है तथा तीन डी. ए. जार्च किये हैं, इसकी भी जांच की जाय।

इस प्रकार, शंकरलाल वर्मा के कार्यकाल में भारी घोटाले हुये हैं इसलिये जिला परिषद, पाली में विशेष जांच दल भेज कर विस्तृत जांच करवाने पर अनेक घोटाले उजागर होने की सम्भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच का आश्वासन विधान सभा में दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरीश कुमावत।

नावां तहसील में लवण उद्योग में भूमि रूपान्तारण में विलम्ब

श्री हरीश कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये नावां तहसील क्षेत्र में लवण उद्योग के लिये भूमि रूपान्तरण में हो रहे विलम्ब से औद्योगिक विकास में आ रही रुकावट के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, नावां तहसील क्षेत्र के ग्राम जाल्दी नगर, राजास, खाखड़की व नावां शहर, गुठासाल्ट आदि क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि में नमक उत्पन्न हो सकता है। किन्तु उसकी किस्म कृषि भूमि की है परन्तु वास्तव में वहां किसी भी प्रकार की कृषि हो नहीं सकती। भूमिगत खारा पानी है, जहां नमक का उत्पादन हो सकता है इस कारण काफी उद्योग लगे हुये हैं। इस उद्योग को और बढ़ाने के लिये काफी लोगों ने जो निजी क्षेत्र में नमक उद्योग लगाना चाहते हैं भूमि रूपान्तरण के लिये पत्रावली जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत कर चुके हैं परन्तु लम्बे अर्से से उनका रूपान्तरण नहीं किया जा रहा है। एक तरफ नई उद्योग नीति बनाई जाकर हर व्यक्ति को उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है, सुविधाएं उपलब्ध कराने की चेष्टा की जा रही है। दूसरी ओर जहां व्यक्ति खुद पैसा लगा रहा है, जहां औद्योगिक विकास होगा, बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, सरकार के खजाने से कुछ नहीं खर्च होगा, परन्तु लम्बे अर्से से रुकी इन फाइलों में स्वीकृति जारी नहीं होने से इस उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से भी वार्ता की गई है। उनका कहना है कि हमारे यहां तीन प्रकार की पत्रावलियां हैं।

(1) जिनको रूपान्तरण करने में कोई दिक्कत नहीं।

(2) रूपान्तरण में दिक्कत नहीं परन्तु सरकारी रिकार्ड में पीवाई की भूमि उल्लेख होने से ऐसे रूपान्तरण की स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी पड़ती है।

(3) ऐसी भूमि जिसमें रूपान्तरण से पूर्व ही काम चालू किया जा चुका है। इनके रूपान्तरण के लिये मार्केट रेट की पांच गुना पेनल्टी लगानी पड़ती है, जो काफी बड़ी रकम हो जाती है, उद्योग लगाने वाले व्यक्ति के लिये सहन करने योग्य नहीं है।

परन्तु तीनों ही प्रकार की पत्रावलियों की कार्यवाही में बहुत विलम्ब हो रहा है

(श्री हरीश कुमावत)

क्योंकि (1) में वर्णित कैटेगरी में आने वाली भूमि का रूपान्तरण तो तुरन्त हो जाना चाहिये। नम्बर (2) में वर्णित भूमि के प्रकरण सभी राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे जाने चाहिये। कुछ मामले राज्य सरकार को प्रेषित भी किये गये हैं, परन्तु यहां भी अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है। नावां में ही श्री नरेन्द्र बुडानिया की ऐसी पत्रावली के रूपान्तरण की स्वीकृति जब दी जा चुकी है व अन्य लोगों को भी ऐसी स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं तो फिर ऐसे प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब क्यों किया जा रहा है। नावां के ही एक शिक्षित बेरोजगार युवक जिसकी फाइल लक्ष्मी साल्ट के नाम से फाइल संख्या 2 (87) राजस्व ग्रुप 3 में उपलब्ध है, रूपान्तरण कराना चाहते हैं विभाग के दफ्तर वाले तो ऐसी फाइलों में जान बूझकर ऐसी रुकावट पैदा कर रहे हैं, नोटिंग करते हैं, जिसके कारण विलम्ब हो रहा है। यह भूमि बुडानिया के पास की ही भूमि है, जब इन्हें स्वीकृति दी गई तो इसमें नई कौनसी बात आ गई है, जिसको स्वीकृति नहीं दी जा रही है। नम्बर तीन में वर्णित कैटेगरी के लोगों ने जब लम्बे अर्से से रूपान्तरण के लिये एप्लाई कर दिया उस समय के अधिकारियों ने उन पर कार्यवाही नहीं की, लोगों ने अपने परिवार पालन पोषण के लिये काम चालू कर दिया, ऐसे लोगों को भी पेनल्टी से मुक्त कराया जावे। यह पेनल्टी तो उन अधिकारियों पर लगानी चाहिये जिन्होंने विलम्ब कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इन लोगों ने अपने यहां पर बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं और सरकार के अधिकारियों के ध्यान में हैं कि वहां नमक पैदा हो रहा है तो स्वीकृति देने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है। जब औद्योगिक विकास करना है, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाना है तो आज तक विचाराधीन सभी पत्रावलियों पर तुरन्त रूपान्तरण की स्वीकृति जारी करायी जानी चाहिये। इसके अभाव में नावां तहसील के औद्योगिक विकास में आ रही रुकावट का ध्यान में इस प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार को दिलाकर अनुरोध करता हूं कि शीघ्र रूपान्तरण स्वीकृति दिलायी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खां।

नौगावां जिला अलवर में विद्यालय क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जिला अलवर में नौगावां कस्बे में उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जिला अलवर में नौगावां एक ऐसा कस्बा है जहां अभी तक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया है। जबकि 1971 से यहां पर माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है और यहां इस कस्बे की जनसंख्या भी लगभग 15 हजार से ऊपर है और यहां से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर छात्रों को 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षा पास करने जाना होता है। जबकि शाला में पर्याप्त भवन है, पर्याप्त क्रीडा स्थल है और जो भी सुविधाएं एक उच्च माध्यमिक के लिये होनी चाहिये, सारी

(श्री जुबेर खान)

सुविधाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार से पहले मैंने जब सवाल किया था तो शिक्षा मंत्रीजी ने उत्तर दिया था कि जो मापदण्ड राज्य सरकार का है उसके आधार पर नौगावां में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जा सकता है तो इस वर्ष अवश्य खोल दिया जायेगा। लेकिन दुःख की बात है कि अभी तक इस पर कार्यवाही नहीं की गई है। यह नौगावां कस्बा वैसे भी अलवर जिले का और राजस्थान का भी आखरी कस्बा है। उसके बाद में हरियाणा शुरू हो जाता है। इसलिये भी वहां जो हरियाणा बोर्डर के करीब गांव हैं, उनको भी बहुत दूर जाकर 25 से 30 किलोमीटर दूर जाकर रामगढ़ में आकर बच्चों को 10वीं, 11वीं, 12वीं की शिक्षा के लिये आना पड़ता है। कस्बे की जनता पिछले चार सालों से निरन्तर यह प्रयास कर रही है नौगावां उच्च माध्यमिक विद्यालय को उस स्तर पर क्रमोन्नत किया जाये लेकिन आज तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरा इस सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि स्थानीय छात्र छात्राओं और जनता की परेशानियों को देखते हुए इस न्यायोचित मांग को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र इसी सत्र में इस राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर क्रमोन्नत करने की कृपा करें। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम चौधरी।

मकराना में सड़कों के अभाव के सम्बन्ध में

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मकराना विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के अभाव के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मकराना विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है एवं मार्बल उद्योग में विश्व में विख्यात है। इस कस्बे में मकराना क्षेत्र के मजदूर व व्यापारी कार्य करने के लिए रोजाना आना जाना करते हैं लेकिन मकराना क्षेत्र में सड़कें नहीं होने से मजदूरों एव व्यापारियों को बड़ी भारी कठिनाई हो रही है जिससे मकराना के मार्बल उद्योग के विकास में बाधा होती है। दूसरा, मकराना विधान सभा क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र भी सड़कों के अभाव में पिछड़ा हुआ है। जिनका नीचे वर्णन है। कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो अभी तक सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है, जहां ग्रेवल रोड नहीं है। जैसे–रामसियां, धानणावा, ससावडा, खारडिया, गेहकडाकला, चाण्डी, भरनाई, नान्दोली मेड़ता, रसाल, आनन्दपुरा, पदमपुरा (सरगोठ), इन्दोरवा, भीचांवा, उपरोक्त पंचायत मुख्यालय अभी तक सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। निम्न सड़कें विकास के लिये बननी आवश्यक हैं।

1. कल्याणपुरा से बेसरोली वाया रामसिया, गहड़ाकलां।
2. कल्याणपुरा से इन्दोरवा।
3. मकराना से जाखली भीचांवा।
4. बोरावड से सबलपुर मामड़ोली।
5. आनन्दपुरा से जिलिया।
6. गच्छीपुरा से सखावड़ा, खाड़िया।

(श्री बिरदाराम चौधरी)

उपर्युक्त सड़कों के बनने से ही मकराना विधान सभा क्षेत्र का विकास हो सकेगा। उपरोक्त लोक महत्व के कार्य होने से ही विकास होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

संगरिया में भूमि का फर्जी आवंटन

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्षजी, मैं नियम 295 के तहत संगरिया नगरपालिका के अध्यक्ष की ओर से जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, उसको हडपा गया है और उस सिलसिले में इन्होंने जो अलोटमेण्ट किया, उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिला गंगानगर की नगरपालिका के जितने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, यह नगरपालिका अध्यक्ष उनके अध्यक्ष हैं और इसी कारण इनके खिलाफ जो शिकायतें राज्य सरकार से की गई, वह सभी दब जाती हैं। स्थानीय अधिकारियों को सत्ता पक्ष का दवाब देकर यह चुप करवा लेते हैं। इसका सबूत मेरे पास हैं और वह इस रूप में है और मैं यह चाहता हूं कि 12-7-90 को जब यह अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष से पूर्व इन्होंने एक जमीन का सौदा किया। मौके की वह भूमि थी नगरपालिका की और अपने साथियों के खुद के नाम से, हनुमान नाम के एक व्यक्ति से रजिस्ट्री करवायी। जो रजिस्ट्री है, हनुमान के पास है एक हजार बीघा की, एक हजार वर्ग गज का पट्टा था। 942 वर्ग गज सरकारी भूमि की रजिस्ट्री करवाने के अन्दर फर्जी रेकार्ड बनाकर अपने नाम कर दी। इसकी कीमत पहले उन्होंने तय की एक लाख रुपया, इससे पहले सौदा किया चार लाख रुपये में और उसमें हनुमान को वह साइड दिखाकर 1942 दर गज दिला दी। इसके बाद कुछ समय पश्चात् यह नगरपालिका अध्यक्ष बन गये और अधिकारी से मिल कर उन्होंने स्टे ले लिया और नगरपालिका के वकील ने उस स्टे लेने में मदद की। अध्यक्ष बनने के बाद इस जगह का झूठा बेचान दिखा कर अपने भतीजे के नाम से दिनांक 24-10-1990 को किया, उस जमीन का जो इनके पास थी उसका झूठा रजिस्ट्रेशन बना लिया। इसके पश्चात उस भूमि के आगे पड़ी बेश-कीमती जमीन को 8-11-1990 को म्यूनिसिपैलिटी द्वारा खांचा भूमि के नाम से जमीन उनके भतीजे को अलाट कर दी गयी। इस तरह 2500 दर गज भूमि जो कम से कम 30-35 लाख रुपये की है वह भूमि एक आदमी से डाक्यूमेण्ट बना कर फर्जी इन्होंने हड़पी। उस भूमि की जांच हुई म्यूनिसिपैलिटी द्वारा। म्यूनिसिपैलिटी चैयरमैन के खिलाफ म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जांच हुई और 21-3-1991 को अधिशाषी अधिकारी से जो उनका खुद का अधिशाषी अधिकारी था उससे अदालत के अन्दर राजीनामा लिखवा लिया। उसमें राजीनामा लिखा है कि भूमि पर वादीगण यानी अध्यक्ष नगरपालिका और प्रतिवादी–अधिशाषी अधिकारी इन दोनों ने मिल कर यह राजीनामा कर लिया कि इस केस को हम वापस लेते हैं। महोदय, इस अधिशाषी अधिकारी जयपाल ने अपने हस्ताक्षर किये, खुद अध्यक्ष ने उस भूमि के लिए जिसको फर्जी बेचना पहले दिखाया था आनन्द कुमार खुद ने अदालत में जाकर हस्ताक्षर किये। एक और अध्यक्ष और दूसरी और म्यूनिसिपैलिटी का अधिशाषी अधिकारी। इसके बाद अपने पद का

(श्री हेतराम बेनीवाल)

दुरुपयोग करके इन्होंने अपने सगे भाई को प्लाट सड़क के ऊपर सिर्फ 4 हजार 195 रुपये में दे दिये। यह दिनांक 19-6-1991 को अलाट की है, जिनकी कीमत लाखों रुपये हैं। उसका अलाटमेण्ट आर्डर मेरे पास है। उसमें यह लिखा है कि यह इसलिये अलाट कर दिया कि उनका कोई प्लाट पहले था और अध्यक्ष ने उसके बदले में यह चार प्लाट उनको दे दिये, जिसकी कीमत 4 हजार 900 रुपये उससे वसूल किये।

इसी तरह से उपाध्यक्ष जो उस म्युनिसिपैलिटी के हैं उनके नाम से बस स्टैण्ड पर एक दुकान अलाट कर दी। दुकान अलाट उपाध्यक्ष के खुद के नाम से जो उनकी एक दुकान के बिल्कुल पीछे है और उसमें दिखाया यह गया कि यह स्ट्रिप आफ लैण्ड खांचा है। टाउन प्लानर ने उस पीछे की दुकान की नीलामी के नक्शे बनाये और पहले के ई. ए. ओ. से सारी दुकानें नीलामी में बेची। वह जो अध्यक्ष को दी है वह भी दुकान उनमें से एक थी। अलाटमेण्ट की इस प्रकार खांचा भूमि के सम्बन्ध में मण्डल में कोई प्रस्ताव नहीं आया, बोर्ड के अन्दर इस खांचा भूमि को दुकान करने का कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं। अध्यक्ष ने इस प्रकार एक बहुत बड़ी जगह को खांचे के नाम से 6-7 दुकानें अलाट की जब कि दुकान के आगे के स्ट्रिप आफ लैण्ड खांचा भूमि में अलाट हो सकती है। बिना बोर्ड की स्वीकृति, बिना बोर्ड की मीटिंग के यह अलाट हुई है। शहर की भूमि कब्जा करके इस प्रकार रूपान्तरण व फर्जी डाक्युमेण्ट बनाने में माहिर इस अध्यक्ष ने भूमि पर कब्जा करने वाला गिरोह संगरिया में बनाया। पिछले लोक सभा के चुनाव के समय 4 मई, 1991 को पी. डब्ल्यू. डी. की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनायी और अदालत में अपने साथ वाले लोगों के नाम से स्टे लेकर एक जमीन पर कब्जा करने का तय किया। इसी तरह रेल्वे अस्पताल की जमीन है उसमें उन्होंने कब्जा करने के लिये अतिक्रमण किया, जिसके खिलाफ एफ आई. आर. दर्ज हुई। पुलिस में यह मामला गया, अभी उसका दर्ज नहीं हुआ, पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। इसी प्रकार की पी. डब्ल्यू. डी अस्पताल और सरकारी भूमि पर कब्जा करने के खिलाफ समाज सुधार मंच जो एक गैर राजनीतिक संगठन है उसने वहां एफ. आई. आर. दर्ज करायी। ताज्जुब की बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि कब्जा तुड़वाने में न तो पुलिस ने मदद की, न रेल्वे, पी. डब्ल्यू. डी और अस्पताल के अधिकारियों ने पार्टी बनना स्वीकार किया। यानी इतनी कीमती भूमि जो कब्जा कर रहे हैं उसमें तीनों के तीनों, राज्य सरकार के और बाकी केन्द्र सरकार के हैं उन्होंने भी इसमें पार्टी बनना स्वीकार नहीं किया। उसके विपरीत समाज सुधार संगठन ने अदालत में इस मुकदमे को पार्टी बना कर आवेदन किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। संगरिया शहर के अस्पताल, रेल्वे व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वाले यह अध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बेनीवाल साहब, व्यवस्था के अनुसार पढ़िये, अपना कथन पूरा कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो इसके बाहर जा रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने ही स्वीकृति दी है वो ही पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने पढ़ने के लिये स्वीकृति दे दी, मैं पढ़ रहा हूं, जुबानी नहीं बोल रहा हूं। माननीय, जब पालियामेण्ट के चुनाव में हमारे मंत्रीजी वहां पधारे तो यह आपके जिले के अध्यक्ष हैं, बी. जे. पी. के, यह कांग्रेस के नेता थे और जाखड़ के स्वागत पर जाखड़ के साथ रहे। यह पूरे दो महिने तक जब तक केन्द्र में राज बना कांग्रेस के नेता रहे अब उनको पता लगा तो वापस बी. जे. पी. में आ गये। इस तरह से संरक्षण उनको मिलता है। मैं चाहूंगा कि वाकई अगर सार्वजनिक स्थानों के हड़पने के सिलसिले में जो मदद इस नगरपालिका के अध्यक्ष को राज्य सरकार ने की है अगर गम्भीरता से उस पर विचार करके मंत्रीजी जांच करवाये तो जांच से सबसे पहले राज्य सरकार को चाहिये कि इस अध्यक्ष को निलम्बित करें और उसके बाद जांच कराइये। मैं समझता हूं यहां मंत्रीजी उपस्थित नहीं है माननीय चतुर्वेदीजी उपस्थित हैं उन्होंने खुद जाकर देखा है कि यह अध्यक्ष किस तरह के चरित्र के हैं, कैसे हैं और क्या संगरिया के लोगों ने उसके बारे में महसूस किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि राज्य सरकार उसका संरक्षण नहीं करें और ऐसे लोगों की जांच करायेगी और अतिक्रमण करने से रोकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजे।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं थे उस समय।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मैं आ गया था।

श्री उपाध्यक्ष : उस समय रहना चाहिये। Member should be very particular.

बागोडा तहसील का पुर्नगठन

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत राजस्व मंत्रीजी के मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भीनमाल तहसील में एक उप तहसील बागोडा को बनाया गया, जहां वर्तमान में एक तहसीलदार का पद सृजित कर उप तहसील कार्यालय स्थापित किया गया है।

लेकिन बागोडा उप तहसील का जिस तरह से गठन किया गया है। वह अव्यवहारिक व प्रशासनिक अदूरदर्शिता का प्रतीक है। बागोडा उप तहसील भीनमाल से 50 किलोमीटर बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील की दिशा में स्थित है। जबकि जसवंतपुरा पंचायत समिति सिरोही जिले से लगती हुयी है। परन्तु भौगोलिक स्थिति प्रशासनिक सुविधा व आवागमन के रास्तों आदि पर ध्यान न रख कर बागोडा में जसवंतपुरा पटवार सर्किल के मोदरा, सेंरणा व चाणसा पंचायतों को जोड़ा गया है। जो कि भीनमाल से 30–40 किलोमीटर दूर है और उन्हें बागोडा उप तहसील जाने हेतु भीनमाल आकर बसों से जाना पड़ता है।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

इसी प्रकार भीनमाल पंचायत समिति के लूणावास, जैरण, कावतरा, कोरा, दासपानरता, भागल, सेफटा, कोटकास्ता, बोरटा भी भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से बागोडा उप तहसील में जोड़ना अव्यवहारिक व अनुचित है। राज्य सरकार को बार-बार स्मरण कराने पर जिलाधीश, जालौर से सरकार ने उक्त तहसील के पुनर्गठन हेतु रिपोर्ट मांगी थी। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार, भीनमाल के मार्फत जिला प्रशासन को भेजी गयी। वहां से उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार के रेवेन्यू विभाग को भेज दी गयी जिसमें भीनमाल व जसवन्तपुरा पंचायत समिति के उपरोक्त वर्णित गांव को बागोडा उप तहसील से हटाने व सावला पंचायत समिति की पंचायतें कोमता, दादाल व तिलोड़ा को जोड़ने को प्रशासनिक दृष्टि व भौगोलिक स्थिति को देखते हुये उचित बताया है।

परन्तु काफी अर्से से उक्त निर्णय विचाराधीन रहने से किसानों को अपने राजस्व सम्बन्धी कार्यों, पेशियों व रजिस्ट्री आकर कराने में घोर असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा राज्य सरकार से पुरजोर आग्रह है कि उक्त महत्वपूर्ण विचाराधीन निर्णय को अविलम्ब जिलाधीश द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तय करे।

(1.00 म. प.)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

थाना महुवा के पुलिसकर्मी द्वारा भ्रष्टाचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हेमराज मीणा, सदस्य विधान सभा पुलिस थाना महुवा के पुलिसकर्मी द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महुवा थाने के अन्दर खुला भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद एण्टीकरप्शन के डी. वाई. एस. पी. ने वहां के थानाधिकारी, ए. एस. आई. को ट्रेप किया। उसके बाद भी कालिया साहब, जो उप महा निरीक्षक हैं, के आदेश देने के बाद भी उसको निलम्बित नहीं किया गया। उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महुवा के रामलखन उर्फ लखनलाल, जो हिण्डोन में बीमा एजेण्ट हैं, उनको थाना अधिकारी, महुवा पकड़कर के बेवजह ही थाने के अन्दर ले गये। जबकि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। 19-3-91 को अदालत में पेश करते से पूर्व थानाधिकारी ने लखनलाल के पिता रामकरण को बुलाया और अठारह सौ रुपये की रिश्वत मांगी जिसमें सात सौ रुपये बाद में लाने के लिये कहा। 25-3-91 को लखन की जमानत हुयी। 1-4-91 को अदालत द्वारा लखन का जब्तशुदा सामान छोड़ने का आदेश, रामकरण थाने ले गया लेकिन थानेदार ने बाकी रुपये मांगे। 21-4-94 को रामकरण ने ए. सी. डी. के एस. पी. को शिकायत की। डी. वाई. एस. पी. भरतसिंह को तफ्तीश के लिये लगाया गया। ट्रेप पार्टी जब महुवा पहुंची तो थानाधिकारी और ए. एस. आई. दोनों उस समय नहीं मिले। ट्रेप पार्टी ने वहां

(श्री हेमराज मीणा)

एक दिन का स्टे किया। दूसरे दिन थानाधिकारी बाहर गये हुए थे। ए. एस. आई. को पांच सौ रुपये की रिश्वत में रंगे हाथों पकड़ा गया और उस ए.एस. आई. के द्वारा बरामद कर लिये गये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सोचता हूं, माननीय सदस्य, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है। अब माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिये। आपको बाद में बहुत चांस रहेगा। इनको स्पष्ट करने दीजिये।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है। थानाधिकारी जल सिंह, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, बन्दूक लेकर, जो एण्टी करेप्शन का डी-वाई. एस. पी. था, उसको मारने के लिए चला गया पुलिस के लोगों को लेकर। बहुत मुश्किल से डी-वाई. एस. पी. वहां से पुलिस की मदद से निकले। उसके बाद रफीकुद्दीन के खिलाफ पी. सी. एक्ट की धारा 7 व 13 (ए), (बी), सपठित 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा नम्बर 65/91, 24-4-91 को दर्ज हुआ। श्री एम. एम. कालिया साहब, एस. सी. डी. ने अपने पत्र क्रमांक ए. 715/91 दिनांक 22-4-91 से डी. आई. जी., भरतपुर और एस. पी., सवाई माधोपुर को पत्र लिखा जिसमें राज्य सरकार के परिपत्र का हवाला देते हुए जलसिंह और रफीकुद्दीन को अविलंब निलम्बित कर मौजूदा मुख्यालय से हटाने का आदेश दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के लिए खेद प्रकट करना पड़ेगा कि कालिया साहब ने आदेश दिया उसके बाद माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी इनको निलम्बित करने के आदेश दिये। इसके बाद भी थानाधिकारी और ए. एस. आई. अभी तक भी उसी थाने पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, वहां पर जो एक कांस्टेबल है, उसने भी अभद्र व्यवहार किया और पुलिस जाब्ता देने के लिए ए. सी. डी. के डी-वाई एस. पी. को मना किया। ए. सी. डी. के डी-वाई. एस. पी. के द्वारा ट्रैप करने के बाद भी....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये अब। आपका चांस और बहुत है इसमें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नियम 131 के अन्तर्गत थाना महुआ के पुलिसकर्मी द्वारा भ्रष्टाचार किया जाने पर ध्यान आकर्षित किया। इसका उत्तर मैं निम्न प्रकार दे रहा हूं।

यह सही नहीं है कि रामलखन मीणा को मय मोटरसाइकिल नम्बर एच. एफ डी. 2069, पुलिस थाना महुआ के एस. एच. ओ. द्वारा बिना साक्ष्य के गिरफ्तार किया हो अपितु सत्यता यह है कि रामलखन पुत्र रामकरण मीणा, निवासी महुआ, थाना महावीरजी को अपराध संख्या 27/91 दिनांक 4-2-91 धारा 147/148/436/307/353/332/427/379/341/342 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/40 पब्लिक डिमाण्ड इन्क्वायरी पुलिस थाना महुआ में अभियुक्त था और अनुसन्धान पत्रावली पर गिरफ्तारी के योग्य साक्ष्य उपलब्ध होने पर ही उसे दिनांक 18-3-91 को अन्य अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त

(श्री दिग्विजय सिंह)

रामलखन को पहचान करने के लिये गिरफ्तारी के पश्चात् सापहदा रखा गया और 19-3-91 को हिण्डोन में सक्षम न्यायालय में पेश किया गया और रिमाण्ड प्राप्त किया गया। दिनांक 21-3-91 को उक्त रामलखन को न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल हिण्डोन भेजा जहां उसकी कार्यवाही शिनाख्त करायी गयी। 6 व्यक्तियों ने कार्यवाही शिनाख्ती के समय पर रामलखन की पहचान की। यह सही नहीं है कि रामलखन मीणा को बाल मुंडवा कर बाजार में घुमाया गया था। यह सही है कि अभियुक्त रामलखन को एस. एच. ओ. थाना महुआ द्वारा दिनांक 18-3-91 को महुआ में बन्दी बनाया गया था। इस सम्बन्ध में रामकरण पुत्र श्री मांगी लाल मीणा, जो रामलखन का पिता है, उसने राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 2-4-91 को मुकदमा नम्बर 65/91 धारा 7 और टी. डी. 12 पी. सी. एक्ट, 1988 सपठित धारा 120 (बी) भारतीय दण्ड संहिता राज्य अन्वेषण ब्यूरो जयपुर में पंजीकृत कराया। आरोप यह लगाया गया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उसकी जब्तशुदा मोटर साइकिल थी वह नहीं दी वह आदेश की प्रति फेंक दी। रिश्वत के रुपयों की मांग की।

रामलखन न्यायिक अभिरक्षा में था, जो कार्यवाही शिनाख्त होने के पश्चात् 25-3-91 को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया। दिनांक 1-4-91 को थाना अधिकारी, महुआ श्री जलसिंह मय कांस्टेबल तेजसिंह नम्बर 193 आर. पी. एफ. के वास्ते तलाश बढ़त, राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र प्रभाती जाट निवासी पढ़ेना, थाना भुसावर, जिला भरतपुर की तलाश हेतु मुकदमा नम्बर 38/78 धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता थाना महुआ में वादित होने से रपट नं. 7 समय एक पी. एम. के द्वारा पढ़ेना के लिए रवाना हो गया था और रात्रि 11 पी. एम. बाद तलाश मुलजिम वापस थाने पर आ गया। यह सही है कि दिनांक 1-4-91 को रामकरण, रामलखन का पिता राज्य अन्वेषण ब्यूरो में उपस्थित हुआ और उसके पुत्र की गिरफ्तारी व उसके जमानत पर छोड़ने की एवज में थानाधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने, मोटर साइकिल छोड़ने के लिए न्यायालय के आदेश के बावजूद शेष राशि 700 रु. की मांग करने इत्यादि की रिपोर्ट की। इस सम्बन्ध में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ट्रेप की कार्यवाही का आयोजन किया गया। रफीकुद्दीन, सहायक उप निरीक्षक को पांच सौ रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, किन्तु रफीकुद्दीन ने रिश्वत में प्राप्त राशि को भीड़ में फेंक दिया। इस पर श्री रफीकुद्दीन, सहायक उप निरीक्षक को साथ लेकर ट्रैप पार्टी निकट के सर्किट हाउस, डाक बंगले में ट्रैप की कार्यवाही करने हेतु चली गयी। दौराने कार्यवाही सहायक उप निरीक्षक के हाथ धुलाये व आरोपित की बुशर्ट की जेब में रंग पाजिटिव आना पाया गया। ट्रैप की कार्यवाही के दौरान ही डाक बंगले में वृत्त अधिकारी, हिण्डौन व थानाधिकारी महुआ श्री जल सिंह मय सशस्त्र पुलिस कर्मियों के डाक बंगले पहुंचे। परन्तु यह सही नहीं है कि कि जल सिंह, थानेदार ने ए. सी. डी. के उप अधीक्षक की छाती पर रिवाल्वर लगा दी। यह भी सही नहीं है कि जल सिंह, थानेदार ने ए. सी. डी. पार्टी का मेंहदीपुर बालाजी तक पीछा किया,

(श्री दिग्विजय सिंह)

बल्कि ए. सी. डी पार्टी की रक्षार्थ ही मेंहदीपुर बालाजी तक पुलिस एस्कार्ट ले गये। यह सही है कि मुकदमा नम्बर 65/91 राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ट्रैप की कार्यवाही के पश्चात् दर्ज किया गया और मुकदमे का अन्वेषण श्री भरत किशोर, पुलिस उप अधीक्षक के सुपुर्द किया गया जो अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। दिनांक 1-4-91 को थानाधिकारी जल सिंह व सहायक उप निरीक्षक रफीकुद्दीन रात्रि 9 00 बजे तक थाने पर उपलब्ध नहीं होने से ट्रैप की कार्यवाही दिनांक 1-4-91 को सम्पन्न हुयी व सहायक उप निरीक्षक रफीकुद्दीन 500 रु. रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। यह सही है कि महानिदेशक, ए. सी. डी. ने उप महानिरीक्षक भरतपुर व पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर को इन अधिकारियों एस. एच. ओ. व. ए. एस. आई. को निलम्बित कर उनका मुख्यालय बदलने को लिखा था। इस प्रकरण में अब श्री जलसिंह व उप निरीक्षक पुलिस को थाना महुआ से स्थानान्तरित कर अन्यत्र लगा दिया गया है व रफीकुद्दीन, सहायक उप निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री महोदय ने कहा कि जल सिंह ने रिवाल्वर नहीं लगायी, गाली गलौच नहीं की ए डी. सी. के डी. एस. पी. के साथ मैं एक प्रकरण पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपके सामने। 3-4-91 को 8-20 पी. एम. की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा साहब, आप केवल सवाल पूछेंगे, पढ़ेंगे।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसका बयान पढ़ रहा हूं जो डी. एस.पी. ने इन्वेस्टीगेशन के समय लिया है। उसमें सवाल नहीं पूछा जा सकता इसलिए बयान पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री हेमराज मीणा : जल सिंह भी उस एण्टी करप्शन के मामले में शामिल था, यह बात मैं साबित करना चाहता हूं।

इस समय श्री सुगनाराम, पुलिस उप अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, सहायक जिलाधीश, हिण्डौन व थानाधिकारी श्री जल सिंह उप पुलिस निरीक्षक सशस्त्र जाब्ता डाक बंगले पहुंचे। जिनके पीछे सादा वर्दी में 8-10 पुलिसकर्मी भी पहुंचे। उप पुलिस अधीक्षक, हिण्डौन ने बताया कि उन्हें वायरलैस सन्देश प्राप्त हुआ है कि ए. एस. आई., महुआ को कुछ लोग उठा ले गये हैं। जिस पर वृत्त अधिकारी, हिण्डौन एवं थानाधिकारी को पुलिस उप अधीक्षक द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया तथा अनुरोध किया गया कि चूंकि आरोपित से रिश्वत की राशि बरामद नहीं हो सकी ऐसी सूरत में वास्ते बरामदगी राशि आरोपित का पुलिस रिमाण्ड लेना होगा व जमानत पर छोड़ना सम्भव नहीं होगा। आप अपने प्रभाव का प्रयोग करें, आरोपित को समझाकर रिश्वत राशि पेश करवा दें तथा न्यायालय के समक्ष केस फाइल आदि भी उपलब्ध करा दें। इसी दौरान थानाधिकारी अचानक गुस्से में होकर खड़े हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस बिन्दु पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसी दौरान थानाधिकारी

(श्री हेमराज मीणा)

अचानक गुस्से में खड़े हो गये तथा यह कहते हुए डाक बंगले के कमरे के बाहर चले गये कि मैं देखता हूं, आप लोग ए. एस. आई. को कैसे गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं। मैं भी आपके खिलाफ 365 भारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज करूंगा। बाहर थाने के और कर्मचारी सादा वर्दी में खड़े थे, परन्तु लाइट के अभाव में पहचान नहीं सका। घबराने की बात नहीं है, मैं इनके खिलाफ 365 में मुकदमा दर्ज करूंगा। ये मेरे क्षेत्र से बाहर कैसे जाते हैं। थानाधिकारी ने सादा वर्दी में सिपाहियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जाओ छोरों, रायफल ले आओ। मैं देखता हूं कि ये कैसे जाते हैं, कैसे बरामदगी करते हैं। बाद में कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सवाल पूछिये।

श्री हेमराज मीणा : मुझे मालूम है कि ये किसी से 17 हजार रुपए रिश्वत लेकर ट्रैप करने आये हैं। इसी बीच उपस्थित सादा वर्दी के सिपाही उत्तेजित हो गये तथा भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनमें से सवाल पूछिये।

श्री हेमराज मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उस एण्टी करप्शन वाले प्रकरण में जल सिंह, थानेदार भी सम्मिलित है। डी. एस. पी., ए. सी. डी. ने जो बयान रिकार्ड किये हैं उनके अनुसार जल सिंह को भी निलम्बित किया जाना चाहिये। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कालिया साहब ने आदेश दे दिये उसके बाद भी डी. आई. जी., भरतपुर व एस. पी., सवाईमाधोपुर ने उन आदेशों की पालना क्यों नहीं की? माननीय मंत्री महोदय ने भी आदेश दिया, उन आदेशों की भी पालना नहीं की। थानाधिकारी और ए. एस. आई. दोनों अभी तक उसी थाने में तैनात हैं। जब मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा उसके बाद माननीय गृह मंत्री महोदय ने केवल ए. एस. आई. को सस्पैण्ड किया है, जब कि हैड कांस्टेबल भी पुलिस जाब्ता ए. सी. डी. के डी. एस. पी. के मांगने पर न भेजने पर दोषी पाया जाता है। मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से कि थानाधिकारी जल सिंह भी दोषी है और जो हैड कांस्टेबल मिस्टर यादव हैं वे भी इस प्रकरण में दोषी पाये जाते हैं। एफ. आई. आर. में उनके भी नाम हैं। मैं उसको भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

रफीक अहमद पुत्र श्री ताजुद्दीन निवासी करौली जिला सवाईमाधोपुर, ए. एस. आई., पुलिस थाना महुआ जिला सवाईमाधोपुर, व श्री जल सिंह, उप निरीक्षक पुलिस प्रभारी थाना महुआ जिला सवाईमाधोपुर। आरोपी अधिकारी ने परिवादी से उसकी मोटर साइकल व उसके लड़के का सामान सुपुर्द करने के एवज में पांच सौ रुपये रिश्वत मांगी व प्राप्त की, जो धारान्तर्गत 72/131/बी 2/टी. सी./बी. एक्ट, 1988 सपठित धारा 120 बी. के अन्दर मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अनुसार थानाधिकारी जल सिंह भी मुल्जिम है, उसको भी निलम्बित किया जाना चाहिए। जिन-जिन

Page No. 58

(श्री हेमराज मीणा)

अधिकारियों ने इन आदेशों की पालना करने में नैग्लिजेंस की है, माननीय गृह मंत्री महोदय उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, मैं यह भी जानना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न उठाये हैं। जिस प्रकार ए. सी. डी. के एस. पी. ने अपनी रिपोर्ट में कहा, उसका उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए यह बतलाया कि जल सिंह ने किस प्रकार का वहां व्यवहार किया था और उस व्यवहार से निश्चित रूप से वह दोषी साबित होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद ही इसकी सारी जांच सी. आई. डी., इन्टेलिजेंस (क्राइम) से करायी गयी थी और वहां पर ए. सी. एम., जो इस घटना के समय वहां मौजूद थे उनके बयान लिये गये। उनके बयानों में इस बात का कहीं नहीं था कि जल सिंह ने कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, कि ए. सी. डी. के डी. एस. पी. की छाती पर रिवाल्वर रख दिया हो या पुलिस फोर्स बुलाने के लिए कोई बात कही हो। कुछ तथ्य इस प्रकार के आये थे, इस वजह से जल सिंह को इस वक्त सस्पैण्ड किया जाना उचित नहीं समझा और कोई नये तथ्य आप देंगे या बतायेंगे, तो उसके ऊपर, मैं यह कह सकता हूं कि आगे कार्यवाही कर लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आपने इनको सुपुर्दगी की बात कही व सुपुर्दगी के लिये वह मोटर साइकल देने की बात की। सुपुर्दगी के जो आदेश थे वे आदेश उसके पिता के नाम से थे। उसको नहीं दे सकते थे, इस कारण वे इस बात को मानकर चलते हैं कि मुझे तो आदेश हुए हैं और दिये जायं, जबकि न्यायालय ने आदेश उसके पिता के नाम से किये थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि जल सिंह और रफीकुद्दीन अभी भी वहीं मौजूद हैं। वे वहां नहीं हैं, एक को सस्पेण्ड कर दिया गया है और एक का ट्रांसफर कर दिया गया है।

ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का जो कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और जिन पर दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए था, उन सबको दण्डित किया है। जहां तक इस बात का सवाल है कि कालिया साहब, डी. जी. ने चिट्ठी लिखी डी. आई. जी., भरतपुर और एस. पी. सवाईमाधोपुर को, उसके दरम्यान उन्होंने वापिस पत्र भी उनको लिखा कि हमें यह ट्रैप साबित हुआ पाया नहीं मिलता है, इसलिए इसके ऊपर आप विचार करें, इस वक्त निलम्बित किया जाना ठीक नहीं होगा। इस बीच जब कोई एक न्यूज आइटम आया तो डी. जी. स्वयं ने उसकी इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के लिए कहा। सी. आई. डी. से उसकी इन्क्वायरी हुई और उन तथ्यों के आधार पर तुरन्त कार्यवाही की गयी। इनको वहां से हटाया गया तथा एक को निलम्बित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरि सिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत तो मांगी है

(श्री उपाध्यक्ष)

लेकिन जनरल तो नहीं डिबेट, यह तो टू दी पाइण्ट था।

श्री हरिसिंह : मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित मामला है। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा है, उसमें दिक्कत क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या है कि काल अटेंशन मोशन माननीय सदस्य ने दिया। उसका रिप्लाई आ चुका। अब क्या कहना चाहते हैं, फर्माइये आप। जनरल डिबेड तो बनायेंगे नहीं।

श्री हरिसिंह : वैसे तो यह सदन की प्रापर्टी हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : जनरल डिबेट में आप पूज लीजिये सवाल।

श्री हरिसिंह : जनरल डिबेट की बात नहीं, मैं तो सिर्फ पाइण्टेड प्रश्न पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मैंने अलाउ कर दिया, पूछिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि इस आरोपित मुकदमे की जांच ए. एस. आई. कर रहे थे या एस. आई. जलसिंह कर रहे थे ? और अगर एस. आई. जलसिंह इसकी जांच कर रहे थे तो ए. एस. आई. का रिश्वत लेना किस प्रकार से इससे सम्बन्धित है ? नम्बर एक। जो अधिकारी मुकदमे की जांच कर रहा है, अगर कोई रिश्वत का आरोप हो, रिश्वत लेने की बात हो, लेन-देन का कोई सौदा हो तो हमेशा उसकी जांच कुनिन्दा से होती है। उस अधिकारी से नहीं जिसके पास जांच ही न हो।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट मैं बीच में कहना चाहूंगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर यह है कि जांच थानाधिकारी ही कर रहे थे। पर यहां जो रिपोर्ट की, कम्प्लेंट की, वह उन्होंने दोनों के लिये कम्प्लेंट की थी कि ए. एस. आई. और एस. आई. मिलकर हमसे रिश्वत मांग रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जैसा आपने अपने बयान में यह कहा है कि....

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी बात सुन लें। जो ट्रेप पार्टी गई तो जलसिंह नहीं मिला, वह बाहर गया हुआ था और यह मौजूद था, ए. एस. आई. जिनका नाम लिया गया है रफीकुद्दीन, इनको वहां पार्टी ने ट्रेप किया। इसलिए जांच और इस ट्रेप का, यह दोनों साथ नहीं है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : गृह मंत्रीजी, हकीकत तो यह है कि ट्रेप का नाटक किया गया, ए. एस. आई. की जेब में जबर्दस्ती पैसे रखे गये। मामला यह था कि थानेदार ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ में सख्ती से निपटा।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, जलसिंह तो उपस्थित ही नहीं था और यह जो पैसा दिया गया है यह रफीकुद्दीन को दिया गया है, जिसने भीड़ में फेंक दिये थे, उसकी जब बुशर्ट वगैरह दिखाई और हाथ धुलवाये तब यह पौजिटिव प्रूफ मिला था....

Page No. 60

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, ए. एस. ग्राई. को पैसे क्यों, उसके पास तफ्तीश तो की नहीं। मुलजिम का रिमाण्ड मिल चुका था।

श्री हीरालाल आर्य : आप वकालत क्यों कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : वकालत करने का प्रश्न नहीं है। यह सारी पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित मामला है। मैं गृह मंत्रीजी, आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जिस ए. एस. आई को सस्पैण्ड किया है अगर आप उसकी पब्लिकली जांच करवायें महुआ में तो ए. एस. आई. के खिलाफ आपको शहादत नहीं मिलेगी ! यह ट्रेप का नाटक किया गया था और जबर्दस्ती फंसाने का नाटक किया गया था। इसके पीछे कारण यह है कि वहां पर पेट्रोल पम्प पर झगड़ा हुआ था, थानेदार के पैर तोड़ दिये गये उसके बाद में जलसिंह की वहां पर पोस्टिंग की गई थी और जिस दिन से जलसिंह की पोस्टिंग रही, असामाजिक तत्वों को एक एक को उठा-उठा कर उन्होंने बन्द किया और असामाजिक तत्वों के जो सरगना लोग थे इससे उनके पेट में दर्द हुआ। उन्होंने आपको कहा, डी. जी. से कहा, उन्होंने डी. आई. जी. से कहा, उन्होंने एस. पी. सवाई माधोपुर से कहा, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि जलसिंह का कार्य बहुत संतोषजनक और प्रभावी था। पिछले साल 6 चोरी की वारदातें हुई थीं, जिनमें 3-3, 4-4 लाख की चोरियां थीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं निवेदन कर रहा हूं साहब....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ईमानदार अधिकारी, जिसने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उसके खिलाफ षड्यन्त्र रचा गया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि एम. एम. कालिया साहब ने जो थानाधिकारी और ए. एस. आई. के खिलाफ आदेश दिये उन आदेशों की पालना नहीं की गई है। यह बात गलत है कि रेफरेंस में पत्र लिखा गया। यह केवल मात्र उस घटना को टालने की कोशिश की गई है। केस को हल्का करना था जिससे कि कोई राजनीतिक लाभ उस अधिकारी को मिल जाय। इस कारण से टाला गया है। एस. पी. और. डी. आई. जी. साहब ने जो इस मामले में दखलन्दाजी की है या जो भी इससे सम्बन्धित पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। यह मैं माननीय गृह मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा आपने उठाया है, डी. जी. कालिया साहब ने जो पत्र लिखा कि उनको सस्पैण्ड कर देना चाहिये था। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि डी. जी. साहब ने लिखा कि ऐसी कार्यवाही हुई है इसलिये उनको निलम्बित किया जाय, परन्तु जो अपाइन्टिग आथोरिटी होती है वही उसको निलम्बित करती है। डी. जी.

श्री दिग्विजय सिंह)

ने इसके ऊपर इन्क्वायरी करने के बाद में फिर इनको सस्पैण्ड किया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं सिर्फ एक प्रश्न की जानकारी करना चाहता हूं कि जलसिंह की पोस्टिंग पीरियड में महुआ में एक भी चोरी की वारदात हुई है? यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह हरिसिंहजी, ध्यानाकर्षण में नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि आपके पास सारी सूचनायें हैं कि उनके टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास तो इतनी कोई जानकारी नहीं है, आप सारी जानकारी दे देंगे तो मैं और जांच करवा लूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : गृह मंत्रीजी, आप असामाजिक तत्वों के सरगनाओं के चक्कर में फंस गये हैं और एक ईमानदार अधिकारी को आपने वहां से हटा दिया है। अब वहां पर अराजकता फैलेगी, चोरी की वारदातें बढ़ेंगी और होम मिनिस्टरजी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : बेईमानों को प्रोत्साहन देने वाले हैं, गुण्डों को प्रोत्साहन देने वाले हैं, जो बेईमानी और भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनको ट्रेप किया है आप उनका पक्ष ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदन दिलावर जी।

श्री हेमराज मीणा : मेरा एक सवाल और है। माननीय गृह मंत्रीजी ने एक बात कही कि कालिया साहब ने आदेश दिया था वह सक्षम अधिकारी नहीं थे। तो कालिया साहब ने जो आदेश दिया वह गलत था या उनको यह आदेश नहीं देना चाहिये था?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आदेश दिया। गलत था, सही था, वह नहीं है। उन्होंने डी. आई. जी. को लिखा कि वह लिप्त पाये गये हैं इसलिये उनको निलम्बित करके अन्यत्र लगा दें। उसके बीच में डी. आई. जी. ने वापस उनको लिखा कि अभी निलम्बित करना ठीक नहीं है क्योंकि ट्रेप साबित नहीं होता है। इसलिये निलम्बित करना अभी उपयुक्त नहीं होगा। इस दरमियान के अन्दर डी. जी. ने इन्क्वायरी शुरू कर दी और उसके ऊपर कार्यवाही हुई है। इसलिये यह कहना कि आदेश की पालना नहीं की, यह कोई आवश्यक नहीं था, गलत नहीं था।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव के रूप में जो मुझे जानकारी वह मैं देना चाहता हूं। मैं इस विवाद में नहीं हूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। परन्तु मैं स्वयं, महुआ में 3 तारीख को आपकी थी मैन कमेटी गई थी उस दिन वहां पर मौजूद था। वहां पर सैंकड़ों कार्यकर्ता, वहां के व्यापारी, वहां की जनता इस

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बात का ज्ञापन देने के लिये घूम रहे थे कि जलसिंह बहुत अच्छा अधिकारी है। बाजार के अन्दर कोई चोरियां नहीं होती है, गुण्डागर्दी नहीं होती थी, सारे गुण्डे भाग गये थे। अब जब से वह हट गये हैं उन्हें खतरा है, अन्देशा है। उसको आप देख लीजिये कि कम से कम वहां के नागरिकों का कोई नुकसान नहीं हो। उस अधिकारी के बारे में यह हालत है कि एस. पी. और डी. आई. जी. जैसे अधिकारी पहुंचे थे तो उनका भी घेराव कर लिया था। उनको बचाने के अन्दर भी, उन अधिकारियों को बचाने के अन्दर जो भूमिका निभाई थी उसकी आपके अधिकारियों से जानकारी कर लें। अगर संतोष हो तो जनता के इन्ट्रेस्ट को आप वाच कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्तजी।

निजी शिक्षण संस्थाओं में अप्रशिक्षित अध्यापकों से शिक्षा का ह्रास

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह चल रही है आजादी के बाद से ही कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनके अन्दर जो अध्यापक लगाये जाते हैं वह प्रशिक्षित होते हैं, एस. टी. सी. पास होते हैं, बी. एड. पास होते हैं। परन्तु निजी संस्थाओं के अन्दर जो अध्यापक लगे हुये हैं वह न एस. टी. सी. पास होते हैं, न बी. एड. पास होते हैं, न उनके पास कोई किसी प्रकार का प्रशिक्षण होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही गम्भीरता से विचार करना होगा।

यदि कोई सड़क गलत बन जाय तो उसकी बजाय दूसरी बन सकती है, यदि कोई बन्ध गलत बन जाय तो दूसरी जगह बन सकता है। इसी प्रकार से कोई उद्योग गलत लग जाय या गलत प्रकार का उद्योग लग जाय तो उसका करेक्शन किया जा सकता है। परन्तु पीढ़ी, वह किसी प्रकार की शिक्षा के माध्यम से गलत व्यक्तित्व प्रारम्भ में प्राप्त कर ले तो एक पूरी पीढ़ी ही नहीं, कई पीढ़ियां देश की बर्बाद हो जायेंगी और उसका कारण यह बनेगा कि इस प्रकार के अप्रशिक्षित व्यक्ति जिन बच्चों को पढ़ायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चे जिन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनके व्यक्तित्व के अन्दर 90 पर्सेन्ट उस समय का शिक्षण होता है, वह उसको विकसित करते हैं और उस समय यदि इस प्रकार के अध्यापक पढ़ायें जो न तो क्वालिफाइड हों और क्वालिफाइड होने के साथ-साथ उनका प्रशिक्षण किसी प्रकार का न हो, न वह एस. टी. सी. हो और न बी. एड. पास हों, वह बच्चों के अन्दर किस प्रकार का व्यक्तित्व पैदा करेंगे। जो आगे जाकर यदि व्यावसायिक बनेंगे, आगे जाकर प्रशासक बनेंगे, आगे किसी प्रकार का समाज के अन्दर काम करेंगे, वह किस प्रकार का परिणाम देंगे। वह पीढ़ी बर्बाद हो जायेगी।

मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से, खास तौर से शिक्षा मंत्रीजी से कि निजी संस्थायें इतनी भारी रूप से बढ़ रही है कि मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूलों के अन्दर बच्चे पढ़ते हैं उनसे कहीं ज्यादा निजी संस्थाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं। आज छोटे-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

छोटे गांवों के अन्दर, छोटी-छोटी ढाणियों के अन्दर इस प्रकार से निजी संस्थाओं का व्यावसायिक रूप से विकास हो रहा है उनके अन्दर सारे के सारे अध्यापक हैं वह सब अप्रशिक्षित हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार भी इस चंगुल में फंस गई है। राज्य सरकार ने सीडा से अनुदान प्राप्त कर शिक्षा कर्मी योजना चलाई है और शिक्षा कर्मी योजना के तहत सैकड़ों स्कूल खोले हैं और उन स्कूलों के अन्दर 5वीं क्लास, 8 क्लास पास अध्यापक लगाये हैं, बिना प्रशिक्षित। और बिना प्रशिक्षित जो अध्यापक लगाये हैं उनको केवल मात्र 500-400 रुपये दिये जाते हैं। वह अध्यापक किस प्रकार की पढ़ाई करायेंगे उन गांवों के अन्दर, किस प्रकार के बच्चे बनेंगे वहां पर और वो बच्चे आगे जाकर किस प्रकार का व्यक्तित्व लेकर चलेंगे, यह बहुत ही सोचनीय विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए हमको विदेशी जो राज्य हैं, विदेशी जो देश हैं उन लोगों से पैसा मिलता है। हमारे देश की शिक्षा के अन्दर जो विदेशी हैं वह ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वह तो इस बात पर जोर देंगे कि हमारी शिक्षा गलत हो और हमारी जो संस्कृति है उसमें गलती पैदा हो जाय जिससे कि सुदृढ़ और सुसंस्कृत देश न पैदा हो सके। इसलिए राज्य सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिये विदेशियों से सहायता मिले वो हमारी शिक्षा के अन्दर गड़बड़ी न फैला सके इसलिये राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। सीडा योजना कांग्रेस सरकार ने चालू की थी। मैं राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह तो उन्होंने समाप्त कर दी उसमें भी इसी प्रकार की गड़बड़ियां थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक कानून बनाकर शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार का किया जाए जिससे प्रशिक्षित अध्यापक ही बच्चों को पढ़ा सकें।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस बात के प्रति चिन्ता की है कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर अनट्रेण्ड टीचर्स होने के कारण और जो नई जनरेशन है, आने वाली जो नई पौध है उसका विकास नहीं होगा और जिस प्रकार की हम आने वाली जनरेशन को चाहते हैं उस प्रकार की जनरेशन तैयार नहीं होगी। माननीय सदस्य ने जहां तक इस चिन्ता को बताया है, मैं इनकी चिन्ता से सहमत हूं। लेकिन इनके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं वह संस्थाएं दो प्रकार की है। एक तो वे संस्थाएं हैं जो केवल मात्र मान्यता प्राप्त है और दूसरी वो संस्थाएं हैं जो मान्यता प्राप्त होने के साथ ही साथ राज्य सरकार से आर्थिक अनुदान भी लेती है। जो संस्थाएं आर्थिक अनुदान प्राप्त हैं उन संस्थाओं के अन्दर शत-प्रतिशत जो अध्यापक लिये जाते हैं वह हमारी कंडीशन है कि वह ट्रेण्ड अध्यापक लिये जाएंगे अगर उनको स्थायी करते हैं तो। वैसे तो राज्य सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी स्वीकृति, उनकी परमिशन के बिना कोई कर्मचारी, कोई अध्यापक को नहीं लगा सकते दूसरी प्रकार की संस्थाएं हैं वह

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

संस्थाएं मान्यता प्राप्त तो हैं लेकिन वो अनुदान नहीं लेती है। इस प्रकार की संस्थाओं के नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रतिबन्ध है कि जितनी उनकी स्ट्रेन्थ है उसका ज्यादा से ज्यादा पचास प्रतिशत अनट्रेण्ड रख सकते हैं। पचास प्रतिशत उनके लिए भी ट्रेण्ड रखना लाजिमी है। आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं यहां पर इस प्रसंग से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नियम हैं अनुदान के, यह काफी पुराने हैं, सन् 1963 में नियम बने थे। इसलिये विभाग इस दृष्टि से विचार कर रहा है कि इन नियमों में परिवर्तन लाकर के किस प्रकार अधिक से अधिक ट्रेण्ड लोगों को लगाया जा सके। इसके बारे में सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हम अनुदान के और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जो मान्यता के नियम हैं उनके अन्दर हम परिवर्तन लाएंगे।

माननीय सदस्य ने एक चिन्ता जाहिर की सीडा की सहायता के बारे में। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सीडा योजना के अन्तर्गत जो पूर्व में स्कूल खोले गये, गत सरकार ने, वह पांच सौ और हजार रुपये देकर के रखे थे। लेकिन हम इस दृष्टि से इस बार पूर्ण जागरूक हैं। चाहे निजी क्षेत्र में संस्था चले या सरकारी चले उसमें अनट्रेण्ड अध्यापकों को प्रोत्साहन नहीं मिले। मैं समझता हूं मेरे इस कथन से माननीय सदस्य पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि ट्रेण्ड अध्यापक होने चाहिये। जो संस्थाएं अनुदान प्राप्त नहीं करतीं और सिर्फ मान्यता विभाग से लेती हैं उसमें आपने बताया कि पचास प्रतिशत अप्रशिक्षित अध्यापक रख सकते हैं, मैं समझता हूं इसमें बदलाव नहीं आना चाहिये। बहुत से लोग खास तौर से लड़कियां जिनके बूढ़े मां-बाप हैं और घर में कोई लड़का या पुरुष कमाने वाला नहीं है, वहां अध्यापन कार्य करती है, यह कमाई का उनके पास स्रोत है। तो केवल ट्रेण्ड के नाम पर हम उनको इससे वंचित कर दें, मैं समझता हूं यह न्यायसंगत नहीं होगा। आप भी अपने अड़ोस-पड़ोस में या आपके मोहल्ले मे, आपके नगर में, आपके कस्बे में देखेंगे कि बहुत सी लड़कियां हैं केवल वही अपने घर में कमाऊ हैं और यह अगर आप लोग देते हैं अड़चन, इससे मैं समझता हूं कि बहुत से लोगो को तकलीफ हो जाएगी।

श्री रमाकान्त शर्मा : मान्यवर, बहुत ही दुख का विषय है कि रोजगार के नाम पर हम आगे आने वाली पीढ़ी को बरबाद करने के लिये तैयार हैं। रोजगार प्राप्त करना है तो बहुत काम हैं। कहीं पर भी कुछ भी काम किया जा सकता है। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि दूसरे कामों के अन्दर गलती हो जाय तो दुरुस्त हो सकती है परन्तु इसमें केवल एक पीढ़ी ही बरबाद नहीं होती, एक-एक पीढ़ी से दसों पीढ़ियां बरबाद हो जाती हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मान्यता प्राप्त तो सभी संस्थाएं हैं, बिना मान्यता प्राप्त तो कोई संस्था चल ही नहीं सकती क्योंकि उन स्कूलों के बच्चों को आगे दूसरी सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिल नहीं सकता। इसलिए मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त दोनों के अन्दर अलग-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अलग जो स्टैण्डर्ड किये हैं वह उचित नहीं हैं, उसमें पुनः विचार करें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई न कोई इस प्रकार का कानून बनना चाहिये कि अध्यापक जो अप्रशिक्षित और अशिक्षित हैं वह यदि इस प्रकार का अध्ययन कार्य करते हैं तो उनको कोई बहुत ही बड़ा दण्ड मिलना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अनुदानित और मान्यता प्राप्त जो भी स्कूलें चल रही हैं, वैसे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को फ्री शिक्षा दे और हमारे संविधान में भी इस प्रकार का प्रावधान रखा गया था कि सभी लोगों को शिक्षा देना एक बहुत बड़ा नैतिक उत्तरदायित्व है। लेकिन जिस मात्रा में छात्र हैं उस मात्रा में स्कूल जब हम नहीं खोल पा रहे हैं और उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो क्या सरकार यह विचार कर रही है कि जो प्राइवेट सैक्टर में स्कूलें चला रहे हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, जिनको अनुदान नहीं दे रहे हैं उनको कोई न कोई इस प्रकार की सुविधा और ट्रेनिंग की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ठीक प्रकार से शिक्षित भी हो सकें और वह ठीक प्रकार से चल सकें। वह बहुत उपकार कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जहां वह अपना धंधा कर रहे हैं वहां मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। इस प्रकार की मान्यताएं हो गई जन साधारण की, आपकी और हमारी भी कि आप और हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसन्द करते हैं। ऐसी हालत में जब प्राइवेट स्कूलों ने अपनी इस प्रकार की जगह बनाई है तो प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है? यह बताइये।

श्री मदनलाल सैनी : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, यह आवश्यक नहीं है कि डिग्री लेने से उसका अनुभव बढ़ जाता हो। कई ऐसे डिग्री होल्डर हो सकते हैं जिनको शुद्ध लिखना भी नहीं आता और वर्षों से अध्यापन का काम कर रहे हैं। कई व्यक्ति डिग्री होल्डर्स से ज्यादा योग्य हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहिये। कई लोग बहुत होशियार हैं लेकिन परीक्षा में उनके नम्बर कम आ गये, बी. एड. में उनका एडमिशन नहीं होता तो उस दौरान किसी विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और बाई चान्स नम्बर मेरा बी. एड. में आ गया तो मैं कोई एक्सपर्ट हो गया, यह इसका प्रमाण-पत्र नहीं हो सकता। इसलिये ऐसे लोगों के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं कि इतने वर्ष विद्यालय में अध्यापन करने के बाद या एक छोटी ट्रेनिंग लेने के बाद वह व्यक्ति ट्रेण्ड माना जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था है भी कि बी. एड. आप पत्राचार से कर सकते हैं तो इस प्रकार से उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। गर्मियों की छुट्टियों में विशेष तौर से क्लासेज लगनी चाहिये दो-दो, तीन-तीन महीने के लिये ताकि ऐसे लोगों को वह डिग्री मिल सके। यह स्थायी आवश्यक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रशिक्षण जो बी एड., एस. टी. सी. का है यदि उसमें डिफेक्ट है तो इसको ठीक करें।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

परन्तु इस प्रशिक्षण की व्यवस्था यह नहीं है कि वह क्या शिक्षा देंगे. शाहजहां का बाप जहांगीर था या जहांगीर का बाप शाहजहां था, गलत पढ़ ले तो कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है परन्तु उस प्रशिक्षण के द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होगा और शिक्षा के अन्दर बच्चे की रुचि किस प्रकार से पैदा की जाये यह बी. एड. और एस. टी. सी. के अन्दर पढ़ाया जाता है। तो प्रश्न यह है कि निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिये, यदि राज्य सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि इतनी शिक्षण संस्थाएं खोल सके परन्तु उसके अन्दर प्रशिक्षित अध्यापक ही अध्यापन करें यह प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री गुलाब सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से तो सहमत हूं कि निजी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। जैसा अभी बताया कि एक तो मान्यता प्राप्त होती है और अनुदानित होती है। लेकिन निजी शिक्षण संस्थाओं में दो तरह की होती है। एक तो सच्ची सेवा की भावना से काम करती है और दूसरी संस्थाएं ऐसी हैं जो लाभ के लिए काम करती हैं और मान्यता प्राप्त तो कर लेती हैं लेकिन उनमें जो टीचर्स लगाये जाते हैं वह मात्र तीन सौ, चार सौ, पांच सौ रुपये में लगते हैं तो यह आशा नहीं की जा सकती कि वे ट्रेण्ड होंगे या शिक्षित होंगे या बच्चों में संस्कार डाल सकेंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब सरकार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों को मान्यता देती है तो जिला शिक्षा अधिकारी लेबल पर ही उनकी नियुक्ति के लिये व्यवस्था वही करें। उनका साक्षात्कार ले या लिखित परीक्षा ले या महीने-दो महीने के ट्रेनिंग कैम्प लगाये तो इस तरह की व्यवस्था से छात्रों को उनके भविष्य में निश्चित रूप से लाभ मिल सकेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी। अब जवाब देने दीजिये।

श्री मदनलाल सैनी : मेरा कहना है उपाध्यक्ष जी, कि जो निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है और जनता में जो सरकारी स्कूलों में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने की अनास्था उत्पन्न हो रही है उस आस्था को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रीजी क्या योजना बना रहे हैं?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सीधा-सीधा प्रश्न यह है कि जो शिक्षण संस्थाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए ट्रेण्ड अध्यापक लगाये जायें। लेकिन यह डिबेट का विषय बना लिया और कई तरह के सुझाव आये हैं। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि इन सारे सुझावों का समावेश करके जो हम नियमों में परिवर्तन लायेंगे उसके ऊपर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर सांगोद तहसील के ग्राम लबानिया, बरा एवं

(श्री उपाध्यक्ष)

कोटड़ा के बीच एनीकट एवं पुलिया निर्माण नहीं होने से ग्रामवासियों को होने वाली परेशानियों से उत्पन्न स्थिति और भू-संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सांगोद तहसील के ग्राम लबानियां-कोटड़ा के बीच एनीकट का निर्माण

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सांगोद पंचायत समिति के ग्राम लबानियां, बरा एवं कोटड़ा गांव के बीच में जो बहुत बड़ा नाला है उस पर एनीकट बनाने के बारे में कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चरेल, लबानियां, बरा, कोटड़ा यह चार गांव ऐसे हैं जिसके एक तरफ बहुत बड़ी नदी है और एक तरफ नाला है। गांव के बीच में यह आने से वहां आवागमन का साधन समाप्त हो जाता है और कई महीनों तक वहां इधर-उधर आ-जा नहीं सकते हैं। छोटे भू-भाग में, टापू में, समुद्र में लोग रहते हैं, इस प्रकार से रहना पड़ता है। जो नाला बहता है उसमें अथाह पानी है। उस पानी का उपयोग एनीकट बनाकर किया जा सकता है। एनीकट बनाने से जहां काफी भूमि सिंचित होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, वहीं वहां के मनुष्यों के आवागमन के साधन खुल जायेंगे। इसलिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस अथाह जल का उपयोग करे जिससे ग्रामवासियों के आवागमन का रास्ता भी खुल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा के माध्यम से फेरी नाले पर लबानियां ग्राम के पास एनीकट पुलिया निर्माण करवाने हेतु जिला भू-संरक्षण अधिकारी से प्रस्ताव चाहे थे। विभाग द्वारा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम लबानिया के पास यदि नाले का निर्माण किया जावे तो नाले की चौड़ाई और पानी के वेग को देखते हुए लागत रुपये 10 लाख से अधिक होगी। इतनी अधिक लागत के एनीकट तकनीकी कारणों से भू-संरक्षण विभाग द्वारा निर्मित नहीं किये जाते, इस कारण प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अधिकरण को नहीं भेजे गये। भू-संरक्षण विभाग के स्वयं के बजट मद में पुलिया निर्माण व एनीकट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। छोटे एनीकट निर्माण का कार्य भू-संरक्षण विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के कार्यक्रम अथवा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के पत्र में यह अंकित किया था कि इस वर्ष दो एनीकट हेतु रुपये पांच लाख ही उपलब्ध है। इस कारण यह कार्य भू-संरक्षण विभाग के मार्फत कराया जाना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां इन्होंने सर्वे किया है और देखा है। वहां निश्चित रूप से उस नाले की चौड़ाई ज्यादा है परन्तु थोड़ी दूर जायें और वहां सर्वे किया जाय और देखा जाय तो मैं समझता हूं इन्होंने जो राशि बताई है उससे भी आधी से कम राशि में वहां एनीकट का निर्माण हो सकता है। परन्तु शायद अधि-

Page No. 68

(श्री मदन दिलावर)

कारियों ने पूरे नाले को देखने की कोशिश नहीं की और बिना देखे ही वहां देख करके जो तथ्य है वह इनको सौंपे गये हैं और माननीय मंत्रीजी को सौंप दिये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ठीक तरह से सर्वे करवा कर वहां एनीकट का निर्माण कराया जाय।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है उस भावना की कद्र करते हुए निश्चित् रूप से इस बात से सहमत हूं कि जहां पर पानी के कटाव का, भूमि के कटाव का काम होना चाहिये वहां हो। उन्होंने अपनी तरफ से यह पेशकश की है, पहल की है। हम उनकी भावना की कद्र करते हैं लेकिन बजट के प्रावधानों को अगर आप देखने की कृपा करें तो 1990-91 में डी. पी. ए. और डी. डी. पी. योजना के अन्तर्गत कुल 149 लाख 30 हजार रुपये के कुल तिरासी एनीकटों का निर्माण किया जाना था जिसमें 58 नये एनीकट निर्माण किये जाने थे, उसके लिये रुपया 131 लाख 11 हजार का प्रावधान था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक एनीकट के लिये कुल 2 लाख 26 हजार रुपये की राशि आती है। इतने में अगर वहां मौके पर कोई एनीकट बन सकता है या वाटर सेट के प्रोग्राम के तहत वह भूमि कटाव रुक सकता है तो न सिर्फ अधिकारीगण बल्कि मैं स्वयं माननीय सदस्य को साथ लेते हुए उस मौके को देखते हुए जो राशि हमारे पास इस वक्त उपलब्ध है, निश्चित रूप से उसको करवाने के लिये हम पहल करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को धन्यवाद।

समिति का प्रतिवेदन

श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मैं, सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92, समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:—

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1988-89 के ग्यारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् तेरहवां प्रतिवेदन,
2. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1990-91 के तीसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक चौदहवां प्रतिवेदन,
3. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1973-74 के अठारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक पन्द्रहवां प्रतिवेदन, एवं
4. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1970-71 के बाइसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा

Page No. 69

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

की गई कार्यवाही विषयक् सोलहवां प्रतिवेदन।

विधायी कार्य

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991.

परिनियत सकल्प

श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (अनुपस्थित)

श्री नत्थी सिंह जी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : जब पहली बार अध्यादेश जारी हुआ और कानून बना और यह व्यवस्था की गयी कि एक वर्ष तक प्रशासक रखे जायेंगे और एक वर्ष के बाद निश्चित रूप से राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा दिये जायेंगे। मेरे मन में तब भी वहम था और मैंने तब भी कहा था कि कोई न कोई बहाना टटोला जायेगा और चुनाव बढ़ा दिये जायेंगे। लेकिन इस सदन में यह एश्योरेंस दिया गया कि अबकी बार चुनाव साल भर में ही हो जायेंगे क्योंकि मियाद खत्म हो गई है इसलिये हम प्रशासक बना रहे हैं। आज फिर जब उस एक साल को बढ़ाकर दूसरी साल के लिए कहा जा रहा है तो मेरे साफ-साफ तौर पर रिजर्वेशन्स हैं कि यह दूसरी साल, तीसरी साल और फिर चौथी साल भी होगी और इरादा नहीं लगता कि इन संस्थाओं के चुनाव करा दिये जाये और क्यों यह स्थिति है? जिस वक्त पहली दफे एक साल का यह प्रावधान किया गया प्रशासक लगाने का, उसके पहले सहकारी नियमों में यह प्रावधान था कि चुनाव के लिए जो चुने हुए बोर्ड हैं वो तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक नये चुनाव न हो करके संचालक मण्डल न आ जाय। वो बिलकुल सही व्यवस्था थी। सरकार का और रजिस्ट्रार का दायित्व है कि कानूनन चुनाव करायें। चुनाव कराने के लिये जब उनकी मियाद रहती थी उससे पहले ही शुरूआत कर देनी चाहिये और मियाद खत्म होने से पहले चुनाव करा देने चाहिये। इस व्यवस्था को बदला गया। पहले अध्यादेश और बिल के द्वारा कानून बनाया गया और यह कहा गया कि निश्चित रूप से हम मियाद के अन्दर चुनाव करा देंगे। आज वो आश्वासन असफल होकर यह जो कानून आया है यह निश्चित रूप से इस बात पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले चर्चा हुई, हमारे यहां प्रबोधन कार्यक्रम हुआ, वहां भी कहा गया कि नौकरशाही को कैसे नियंत्रित किया जाय। सारी ताकत नौकरशाही के हाथ में न चली जाय, सारे लोग चिन्तित थे और यह जो प्रावधानों पर प्रावधान किये चले जाते हैं वो हमारी मूल लोकतान्त्रिक संस्थाओं को, जो हमारे लोकतन्त्र की शासन प्रणाली है, जीवन प्रणाली जिसे कहते हैं, उसको कायम रखने के लिये जरूरी है, उनके मूल पर ही आघात करना। जब सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बना दें और उनकी एक वर्ष की मियाद दो वर्ष और उससे आगे रखें तो यह उन संस्थाओं के मूल पर आघात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में, हमारी कुछ

(श्री नत्थी सिंह)

संस्थाओं में चुनाव शुरू भी हो गये और एकदम चुनाव रोके, उससे पता चलता है, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में आपने निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया, निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन कर दिया आपत्तियां सुनने के बाद और जिस दिन नोमिनेशन पेपर तैयार होने थे उस दिन वायरलैस से, टेलीफोन से आदेश जा रहे हैं कि चुनाव स्थगित कर दिये जाय। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी इमरजेंसी आ गयी थी कि जो चुनाव होने जा रहे थे उनको भी आपने इस बहाने से हटाया ? इस सम्बन्ध में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है। भरतपुर के सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक ने रिट याचिका की थी और उस रिट याचिका में पिछली सरकार में जब इस ओर के माननीय सदस्य गवर्नमेंट में थे सब जगह चुनाव करा रहे थे लेकिन भरतपुर में चुनाव नहीं करा रहे थे। रिट याचिका करने वाला भी मैं ही था और उस रिट याचिका में हाईकोर्ट ने यह होल्ड किया कि एक बार रजिस्ट्रार निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दे तो उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को रोकने का अधिकार न तो सरकार को है और न ही रजिस्ट्रार को है। यह हाईकोर्ट की मान्यता है, रूलिंग है और उस रूलिंग के होते हुए वर्तमान सरकार ने चुनावों को रोककर हाईकोर्ट के उस फैसले की अवमानना की है। यदि कोई बात थी तो आप पहले ही रोक लेते, लेकिन कारण क्या है ? यह और तरह की चीज ला रहे हैं उससे पता चलता है कि मंशा कुछ और है। मंशा क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, रूल आॅफ लॉ, जहां तक सहकारिता का मामला है वो इस देश में, प्रदेश में कायम नहीं रहा। 1976 में माननीय हरिदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे। 6 दिसम्बर, 1976 को इन्होंने 169 सहकारी समितियों में प्रशासक बैठा दिए। जनता पार्टी का राज आया उन्होंने केवल एक अमेण्डमेंट किया था, हरिदेवजी जोशी ने जो कमेटी बनाई जनता पार्टी ने कमेटियों को हटा करके....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): आप 76 की बात कह रहे हैं। 76 में इमरजेंसी थी, उसका तो उल्लेख करो, दादागिरी से रखा था यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : 1977 में जब जनता पार्टी का राज आया तो वहां केवल एक संशोधन हुआ और संशोधन यह हुआ कि कमेटी जो नोमिनेटेड थी, उन्होंने जो कमेटियां थी पुरानी अपेक्स सोसायटियों में, जो बोर्ड थे उन्हीं को कमेटी बना दिया था, उनको हटाकर उन्होंने सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बना दिया। फिर कांग्रेस का शासन आ गया। आज हमारे साथी इस बात पर एकमत थे कि सहकारी समितियों में लोकतन्त्र रहना चाहिये लेकिन आप अपेक्स सहकारी संस्थाओं में इनके उद्देश्यों का जो आर्डिनेंस निकाला है, उनके उद्देश्यों के जो कारण दिये हैं कहते हैं हम स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं इसलिये इसको बढ़ा रहे हैं। सहकारी संस्थाओं में आज पूरे 15 वर्ष हो गये, कई पार्टियों के राज बदल गये लेकिन उन सहकारी संस्थाओं में जो अपेक्स सोसाइटीज हैं जिनको हम आधारभूत बनाना चाहते हैं उनके आज तक चुनाव नहीं हुए। केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव हो गये

(श्री नत्थी सिंह)

लेकिन उनके चुनाव नहीं हुए, कौनसे कानून के तहत चुनाव रोके हैं। मुझे माननीय मंत्री महोदय बताएं, कौन सा कानून राजस्थान में सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत है कि 15 वर्षों से आपने उन सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये। कोई कानून नहीं है गैर मनमाने ढग से उनके चुनाव रोके गये। इसमें भी आप पावर दे रहे हैं प्रशासक एक वर्ष की बजाय 2 वर्ष रह जायेंगे लेकिन 15 वर्षों से प्रशासक बैठे हैं वहां पर और चुनाव का नाम नहीं लेते। नतीजा क्या हुआ? आज जो बड़ी संस्थाएं हैं, दिल्ली में हमारी जो नेशनल स्तर की संस्थाएं हैं मुझे मालूम है, मैं वहां के लोगों से मिला हूं, यहां के प्रतिनिधि कोई भी नहीं है। नेशनल यूनियन में कोई नहीं है, इफ्को में कोई नहीं जाता, एन. एस. एल. में कोई नहीं है मीटिंगों में जाने की और राजस्थान इस मामले में अनरिप्रजेन्टेड रहता है और बहुत बड़ा नुकसान हमको सहन करना पड़ रहा है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिये, चुनाव निर्धारित समय पर हो, इस बात का निश्चित रूप से हमको इन्तजाम करना चाहिये और ऐसा मुझे नहीं लगता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो अध्यादेश को अस्वीकार करने की बात कह रहा हूं, यह जो विधेयक आप लाये हैं, उसके जो अमेण्डमेंट दिए हैं वो इसलिये रिजेक्ट कर दिये कि सारा बिल ही बेकार हो जाता है, बिल ही खत्म हो जाता है उसमें आप क्या ला रहे हैं? हम कहते हैं सरकारीकरण नहीं हो और आप संशोधन कर रहे हैं। जिन संस्थाओं में हमारी 2 लाख की हिस्सा पूंजी है उनमें चीफ एक्जीक्यूटेड सरकार नियुक्त करेगी, सरकार का मनोनीत होगा। पं. जवाहर लाल नेहरू ने जब इस देश में को-आपरेटिव का चलन हुआ तो कहा था कि जब सरकारीकरण होगा, आफिसरडम होगी, ऑफिसरडम का बासिज्म होगा तो वहां और कुछ तो हो सकता है लेकिन सहकारिता नहीं हो सकती और यहां हम उसका उल्टा ही कर रहे हैं, हम सरकारीकरण करते चले जा रहे है। मुझे दुःख है कि इसमें जो प्रोवीजन है कि एक्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्य-पालक अधिकारी होगा, वह सरकार का मनोनीत होगा। आप एक हिस्सेदार हैं, ठीक है, आपका हिस्सा ज्यादा हो सकता है लेकिन यह अधिकार जो आप दे रहे हैं यह अधिकार वहां के चुने हुए लोगों का, हिस्सेदारों का, बोर्डों का है। आज भी आपने सब जगह कर रखा है, यह मैं जानता हूं। सब जगह आपने अपने एम. डीज. बना रखे हैं, सब जगह सैक्रेटरीज बना रखे हैं, 2-4 जगह को छोड़ करके और विशेष तौर से केवल मार्केटिंग सोसाइटीज में कुछ जगह पर उन लोगों के हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, अब तो उनसे सलाह करके चलते हैं, उनसे कन्सलट करते हैं, पूछते हैं, नहीं पूछते हैं तो वो आपको टोक भी सकते हैं। आप यह अधिकार लेना चाहते हैं। और सरकारी अधिकारी को आप वहां चीफ एक्जीक्यूटिव बना दें, इस तरह से आप सरकारीकरण की तरफ जा रहे हैं और एक तरह से जो लोकतान्त्रिक संस्थाए जीवित रहें, उसके विपरीत यह आचरण है। एक दूसरी बात आपने क्या की है। आपने जो संशोधन किये हैं कि एक संस्था दूसरी संस्था की सदस्य हो, वहां पर प्रतिनिधि कौन जाय? आपने कहा कि चेयरमैन या वाइस

(श्री नत्थी सिंह)

चेयरमैन के अलावा कोई नहीं जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्रीजी को, सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो चुनाव हुए थे, पिछली बार तो माननीय सदस्य रामदेव सिंह जी मंत्री थे सहकारिता के और सैंट्रल सोसाइटी तक के चुनाव हुए, वहां भी इसी तरह का प्रावधान कराया था सारे बाइलॉज में और सारे बाइलॉज में यह प्रावधान कि यहां तो जायेगा अध्यक्ष और यहां 2-2 उपाध्यक्ष बनाये थे एक अध्यक्ष और हर सोसाइटी एवं क्रय-विक्रय संघ के 2 उपाध्यक्ष होंगे। एक उपाध्यक्ष क्रय-विक्रय में जायेगा और दूसरा उपाध्यक्ष जायेगा उपभोक्ता भण्डारों में। उसके बाद जब चुनाव कराये गये तो उनको वो प्रावधान वापस लेना पड़ा, पुनः अमेण्डमेंट करना पड़ा और यह जो प्रावधान लाना चाहते हैं, मल्टी स्टेट सोसाइटी जो थी उनमें एक प्रावधान यह रखा था अब तो उनमें ही बदल दिया। अब तो जो जिले की, स्टेट की संस्थायें आती हैं उनमें अध्यक्ष ही आयेगा, यह प्रावधान हटा लिया। उन्होंने केवल मल्टी स्टेट्स में रखा है। वहां के और राजस्थान के कानूनों में फर्क है और फर्क यह है कि वहां पर इस तरह के कोई नियम नहीं है लेकिन यहां पर कानून है। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम एक कानून है कि एक सेंट्रल सोसाइटी का अध्यक्ष दूसरी सेंट्रल सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं हो सकता, दो में नहीं हो सकता। और इसी राजस्थान में अलवर सी. सी. बैंक के संबंध में, और बैंकों के सम्बन्ध में यह प्रश्न सामने आया था कि जो अध्यक्ष थे क्रय विक्रय सहकारी समितियों के, वह ही प्रतिनिधि और अध्यक्ष चुने गये बैंकों के, और कहा कि यह तो दोनों सेंट्रल सोसाइटी के संघ हैं, हो नहीं सकते, हटाया जाये, फिर अमेण्डमेंट करना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप अमेण्ड उसको भी कर देते कि नहीं, यह प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। एक सेंट्रल सोसाइटी के अध्यक्ष के, दूसरे सेंट्रल या स्टेट सोसाइटी के अध्यक्ष होने में कोई पाबन्दी नहीं है, अगर है तो यह प्रावधान लाने के बाद आपका दोनों में विरोधाभास है। आपका कानून एक बात कहता है, आप दूसरी बात लाना चाहते हैं और यह तो सोसाइटी का अधिकार है, वह ए को प्रतिनिधि भेजती है, बी को प्रतिनिधि भेजती है, सी को प्रतिनिधि भेजती है, यह अधिकार आप कानून के जरिये छीन रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सहकारिता स्वेच्छा पर आधारित आन्दोलन है, लोकतान्त्रिक आन्दोलन है और दूसरी तरफ आप कानून के जरिये बन्दिशें लगा रहे हैं, यह आपकी बिल्कुल गलत सोच है। एक तीसरी बात जो इसके जरिये आप करना चाहते हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इस राजस्थान में पिछले कई दिनों से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल चल रही है। सदन के सामने भी धरने पर बैठे, बहुत दिनों से उनकी मांग रही है कि हमको सहकारी बैंकों का कर्मचारी बनाओ या सरकारी कर्मचारी मानो, हमको वेतन दो और हमारे प्रमोशन के एवेन्यूज खोलो। कई कमेटियां आपने बैठाई लेकिन अब यह दूसरा फैसला हो गया। हाईकोर्ट ने फैसला यह कर दिया कि जो सेवा नियम बने हुए थे, वह ओर केडर अथारिटी, जिसको इनका कर्मचारी बनाया गया था, वह सारे के सारे गैर कानूनी हैं। गैर कानूनी करने के साथ-साथ बैंकों ने

(श्री नत्थी सिंह)

कह दिया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जाग्रो । वहां क्या ऐसी स्थिति है कि उनको कोई वेतन दे सके ? वेतन नहीं दें तो काम कैसे चलेगा सहकारी समितियों में? मैं कहता हूं, एक तरफ तो आप इस तरह का कानून लाते हैं चीफ एक्जीक्यूटिव बनाने का तो क्यों नहीं आप यह दायित्व लेते कि हम, को-आपरेटिव सर्विस बनायेंगे और उसका एक लेडर होगा, प्रथम लेडर जो होगा वह ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक होगा और सरकार उसका दायित्व ले । अब तक पालन नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया ? पहले कहा कि कोष बनेगा, सरकार ही उसमें अनुदान देगी, अपेक्स बैंक भी देगा, सी. सी. बी. भी देगी और ग्राम सेवा सहकारी समिति भी देगी, लेकिन सरकार ने कभी उस पर अनुदान दिया नहीं, सारा भार केवल सी.सी.बी. पर पड़ा और एक-एक सी. सी. बी. को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये तक दबना पड़ा, 16 प्रतिशत ब्याज उन पर ओवर ड्राफ्ट का अपेक्स बैंक ने लिया । इसलिये आज यह समस्या हो गई है । कल यहां बात उठी थी कि खाद और बीज मिल नहीं रहा है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सारे के सारे व्यवस्थापक हडताल पर हैं, उनका क्या हो ? इसलिये इस सम्बन्ध में भी सोच होना चाहिये था, जो सोच आज नहीं है । एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सोचिये, जब सारे स्ट्रक्चर चेन्जेज की बात कही गई है, इसमें स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टिव्ज हैं, उसमें कहा गया है कि हम दो वर्ष का समय इसलिये ले रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहते हैं, क्या स्ट्रक्चरल चेन्जेज करना चाहते हैं आप ? इसमें स्पेशल आउट नहीं किया, मुझे मालूम है । दो बातें आप कहते हैं । पहले तो यह कहा कि हम पी. एल. डी. बीज को, प्राथमिक भूमि विकास बैंक और सी. सी. बी. को मिलाकर एक बैंक बना देंगे । मैंने तब भी कहा था कि आन्ध्र प्रदेश में जहां परीक्षण हुआ है वहां जाकर देखिये, यह सारा अभ्यास फेल हुआ है, वहां की हालतें बिगड़ी हैं । अब आप दूसरी बात कहते हैं कि हम तो यह करेंगे कि सारे सी. सी. बैंक को तोड़ कर अपेक्स बैंक की ब्रान्च बना देंगे, शीर्ष सहकारी बैंक की और सारी पी. एल. डी. बीज को तोड़ कर हम एस. एल. डी. बी. की ब्रान्च बना देंगे । क्या मतलब है इसका ? क्या आप यूनिटेरी सिस्टम लाना चाहते हैं ? एक तरफ आप कहते हैं, केन्द्र से मांग करते हैं कि राज्य के अधिकारों में किसी तरह का हस्तक्षेप, भेदभाव नहीं होना चाहिये, आप कहते हैं कि स्वायत्तशासी सस्थाओं को ताकत मिलनी चाहिये और दूसरी तरफ आप ग्रामीण संस्थाओं को खत्म ही करना चाहते हैं । जिला स्तर पर किसी तरह का नेतृत्व नहीं रहे, किसी तरह की आवाज नहीं रहे, यहां बैठे-बैठे उन सबको ब्रान्च बना दो और यहां आपके सारे सरकारी अधिकारी बैठे रहें, 15 वर्षों से चुनाव नहीं हुए, यह व्यवस्था बिल्कुल गलत है । इसके पीछे केवल एक ही बात है कि किस बहाने से, किस तरकीब से हम इन चुनावों को हटाते जायें और यह सबसे बुरी बात है, जो आज हमारे सामने है ।

मैं एक बात हमारे माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि चाहे पहले कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद जनता पार्टी

(श्री नत्थी सिंह)

आई, फिर अब मिली-जुली सरकार आई, इन सबका लक्ष्य एक रहा कि चुनाव कराओ मत और स्टेट लेवल की संस्थाओं में सरकारी अधिकारियों को बैठा रहने दो। आप स्ट्रक्चरल चेन्जेज के जरिये कानून ही बना देना चाहते हैं कि सी. सी. बैंक भी नहीं रहे, पी. एल. डी. बीज भी नहीं रहे, सिर्फ ब्रान्चेज हो जायें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कौनसा राज्य है जहां सी.सी. बैंक नहीं है? मैं जानता हूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पी. एल. डी. बीज नहीं हैं, वहां पर एस. एल. डी. बीज की ब्रान्चेज है, लेकिन वहां भी उन्होंने व्यवस्था की है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रजेन्टेटिव मैनेजमैंट में भागीदार होंगे, यू. पी. और दूसरी जगह, तब भी उनको किसी न किसी तरह चुनकर आना पड़ता है। आज आप सारे के सारे चुने हुए लोगों की ताकत खत्म करना चाहते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रबोधन कार्यक्रम रखा था और सबकी एक मांग थी कि सत्ता नौकरशाहों के हाथों में सिमट कर न चली जाये। अब दोष किसको दे रहे हैं, कानून तो हम बना रहे हैं, ताकत तो उनको हम दे जा रहे हैं सारे प्रावधानों में और दोष किसको देते हैं। इसलिये आज मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के बैरियर्स को क्रास करके इस अध्यादेश को अस्वीकार कीजिये और इस सरकार को सबक दीजिये कि आज जो इन लोकतान्त्रिक संस्थाओं का हनन करती हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों पर जो बन्दिशें लगाती हैं और नौकरशाहों को सिर पर बैठाना चाहती हैं, यह नीति, चाहे कोई पार्टी पावर में हो, नहीं चलने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि इस अध्यादेश को, जो काले कानून के रूप में आ रहा है, इसको अस्वीकार किया जाना चाहिये।

(2.00 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खान (अनुपस्थित)

माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अगस्त, 1991 के प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश सं. 4) को अस्वीकार करने के लिये प्रस्ताव रखता हूं। राजस्थान के अन्दर जब से सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत इन सहकारी समितियों के चुनाव होने लगे हैं, मैं सोचता हूं कि एक प्रजातांत्रिक प्रणाली से यह चुनाव होते रहे हैं और उसके माध्यम से जनता के प्रतिनिधि चुन कर इन सहकारी संस्थाओं में आते रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार इस विधेयक को लाकर क्या राजस्थान के प्रजातन्त्र को खत्म करना चाहती है, क्या इसके पीछे यह मंशा नहीं लगती कि यह आज अध्यादेश लाया जा रहा है, इस अध्यादेश के माध्यम से समय बढ़ाने की जो प्रक्रिया हाथ में ली, अगर अच्छा होता, जब इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव का समय समाप्त हो गया था और उससे पहले ही यह चुनाव का कार्यक्रम अगर जारी कर दिया जाता तो यह जन प्रतिनिधि के रूप में इन संस्थाओं में, जीतने वाले लोग काबिज हो जाते लेकिन सरकार की मंशा, पहले से

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

ही नीयत थी कि इस अध्यादेश को लाना है और इस चुनाव को आगे टालना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज सारे सरकारी तंत्र का इन सहकारी समितियों के अन्दर कब्जा कर दिया। यहां की सहकारी संस्थाओं में बैठे हुए लोग जब हाई कोर्ट में गये और राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने भी इस बात के अन्दर साफ तौर से कहा, इस सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को ठीक नहीं माना। जब राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ इस बात को कहती है कि राजस्थान सरकार ने जो निर्णय किया, वह ठीक नहीं है, यह बात सही मायने में इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान सरकार की नीयत खराब है, यह राजस्थान हाई कोर्ट भी मानती है। उसके बाद भी राजस्थान सरकार बाज नहीं आई और राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इसकी अपील की।

नतीजा यह हुआ कि आज जो मामला विचाराधीन है, लेकिन उन्हें स्टे नहीं मिल पाया और राजस्थान की सरकार की नजर में जो सहकारी संस्थाओं में बैठे हुए जनतांत्रिक लोग थे, जो उनकी आंखों में खटक रहे थे आखिर उन्होंने प्रशासक बैठाकर ही दम लिया। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार के लोग जो बैठे हैं और जिनकी सत्ता है उन लोगों को इस बात का विश्वास मनों में नहीं है कि अगर चुनाव हो जाते हैं तो उनकी पार्टी के लोग आ पायेंगे या नहीं आ पायेंगे। यह एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यह प्रश्न चिन्ह उनके दिमागों में बना हुआ है इसलिये खास तौर से इस अध्यादेश को लाया गया है। पिछले दिनों बीच के अन्दर कुछ सहकारी समितियों और ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव भी प्रारम्भ कर दिये लेकिन उनको भी ऐन टाइम पर रोक दिया गया। यह साफ जाहिर होता है कि सरकार के मनसूबे निश्चत तौर से प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास नहीं रखती है और जन प्रतिनिधियों को इसमें पहले तो हटा दिया और अब हटाना नहीं चाहती है। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहूंगा कि आज इसी प्रकार भूमि विकास बैंक, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व अन्य सहकारी संस्थाओं में संचालक मण्डलों में और अप्रजातांत्रिक तरीके से जो कार्य किया गया है उन्हें इस बिल के माध्यम से रिलीफ मिलने वाली नहीं है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान में 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव हुए। उनका संचालक मण्डल का चुनाव भी हो चुका लेकिन आज तक राजस्थान सरकार डेयरी फैडरेशन के चुनाव संचालक मंडल के नहीं करा रही है जब कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बार-बार राजस्थान सरकार को पत्र लिखे, बार-बार निर्देश दिये हैं उसके बाद भी वह चुनाव कराने की मंशा नहीं रखती है और उनको टालने की कोशिश कर रही है। इसलिये ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार इन सारे मामलों के अन्दर एक मानस बना चुकी है। यह अध्यादेश आया है समय बढ़ाने का। क्या भरोसा इस सरकार का कि फिर कोई नया अध्यादेश ले आये क्योंकि मालूम था अच्छीतरह से कि 6 महीने में विधान सभा को बुलाना पड़ेगा और उससे पहले राज्यपाल महोदय से इस अध्यादेश को लाने की

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत) :

क्या आवश्यकता थी ? अगर यही मंशा थी तो विधान सभा के सामने लाते। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी उनकी मंशा है कि आज ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से राजस्थान के अन्दर कन्जूमर्स सोसाइटीज काम करती थी, वितरण व्यवस्था के अन्दर भी उनको काम मिला हुआ था लेकिन उसके अन्दर सरकार की नीयत लगती है कि उसमें भी प्राइवेट व्यापारियों के माध्यम से काम को करवाना चाहती है ताकि उसमें भी जमाखोरी करने वाले और मुनाफाखोरी करने वाले लोगों को शक्ति मिल सके। तो इसलिये खास तौर से आज व्यापारियों को इस काम को देने के प्रति उनकी मंशा नजर आती है। इसलिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम भी वह इन कन्जूमर्स सोसाइटीज के मार्फत नहीं कराना चाहती है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता और राजस्थान की जनता ही नहीं प्रजातन्त्र का गला घोटने वाला अगर काम कहा जा सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय सहकारिता मंत्री यहां बैठे हैं। हम सोचते थे कि सहकारिता मंत्री जी सहकारिता के कुछ आदमी इसके अन्दर कुछ अनुभवी थे लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी

(2.14 म. प)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

किसी के कारण से यहां कमजोरी महसूस कर रहे हैं और ऐसा बिल वह ला रहे हैं। इसलिये हमारा मानना है कि जो लोग पहली गलती जो कि चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको हटाने की और दूसरी गलती की कि चुनाव कराने की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के बाद भी इसको टाल दिया। तो ऐसी स्थिति के अन्दर हम यह कहना चाहेंगे कि आपके इस संशोधन विधेयक से निश्चित तौर से राजस्थान के प्रजातन्त्र को खतरा है। राजस्थान के अन्दर इन सहकारी संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को नहीं बैठा कर उन कर्मचारियों को आप भागीदार बना रहे हैं जो कि सही माने में इस राजस्थान का खून चूसते रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए अस्वीकार करने के लिये प्रार्थना करता हू।

श्री सभापति : श्री जुबेर खन(अनुपस्थित)
श्री सुनील विश्नोई ,,
श्री हीरालाल इन्दौरा ,,
श्री परसादीलाल मीणा

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं जो राज्यपाल महोदय द्वारा सहकारी अधिनियम में जो संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया है सरकार के द्वारा उसका विरोध करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करता हूं कि क्या कारण है कि प्राथमिक स्तर पर सोसायटियों के चुनाव कराने के बाद आपने आगे की मार्केटिंग की, भूमि विकास बैंक की और को-आपरेटिव बैंक के चुनाव स्थगित करने के क्या कारण हैं। इसके स्पष्ट कारण माननीय मंत्री जी को सदन में बताने चाहिये। आज प्राथमिक स्तर के चुनाव हो गए, एक प्रोसेस शुरू हुआ और उसको बीच में रोक दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि जो एक प्रक्रिया शुरू हो गयी उसको आखिर बीच में क्यों रोका गया ? क्यों नहीं इन्होंने मार्केटिंग के चुनाव के लिए अभी 7 अगस्त को इन्होंने फिर एक अध्यादेश लाकर उनके

(श्री परसादीलाल मीणा)

चुनावों को कैंसिल कर दिया। 8 तारीख को जहां फार्म नामीनेशन के भरने थे, लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली थीं उसके बाद इन्होंने फिर चुनाव स्थगित कर दिये। आखिर सरकार की मंशा इन सोसायटीज के पीछे क्या है? सोसायटियों का जो मूल उद्देश्य है वह गावों के लोगों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं खेती के लिए खाद है, बीज है और दूसरी दवाइयां हैं ऐसी उपभोक्ता की चीजें उनको सुलभ कराने की है वह उपभोक्ता संघ के, भूमि विकास बैंक के और को-आपरेटिव बैंक के और मार्केटिंग के चुनाव इन्होंने स्थगित किये। सहकारी समितियों को या तो बिलकुल ही बन्द कर दे सरकार। अगर सरकार की इतनी नाराजगी है तो चुनाव क्यों कराती है? एक प्रोसेस शुरू करने के बाद प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। क्या कारण है कि चुनाव इन्होंने कैंसिल किये। पहले तो मंत्री जी इस बात को अमेन्डमेन्ट लाने के पहले स्पष्ट करें और फिर इन्होंने चुनी हुई संस्थायें थीं एक अमेन्डमेन्ट लाकर इन्होंने किया कि एक व्यवस्थापक लगायेंगे। फिर उससे भी काम पूरा नहीं हुआ। फिर अमेन्डमेन्ट लाये हैं कि हम दो वर्ष तक प्रशासक रख सकते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि सरकार की चुनाव कराने की मंशा नहीं है। सभापति महोदय आप गांव से आते हैं। आज भूमि विकास बैंक में कोई ट्रेक्टर की फ़ाइल लगाता है, कोई एंजिन की फाइल लगाता है वह आज ए. डी. एम. के चक्कर लगाता फिरता है। ए. डी. एम. उसको कहीं नहीं मिलवाता है, कलक्टर उसको कहीं नहीं मिल पाता है। आज गांवों में लोन के वितरण नहीं हुए। आज मार्केटिंग सोसाइटियों में प्रशासक होने के कारण वहां न कोई खाद है, न बीज है, न दवाइयां हैं। आज किसान की हालत देखिये। किसानों की सोसाइटीज हैं, उनके शेयर हैं, सरकार की उसमें क्या हिस्सेदारी है? सरकार को क्या अधिकार है कि उनके चुनाव कैंसिल कर दे और एक प्रशासक लगाने के लिए दो साल की अवधि बढ़ा रहे हैं। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कठोर कुठाराघात है। मैं कहना चाहूंगा कि जो सोसायटीज के चुनाव एक बहुत ही अच्छी परम्परा है, महाराष्ट्र में सोसायटियों का कितना अच्छा काम है और राजस्थान की सरकार उनको नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है और अमेन्डमेन्ट ले आये। पहले एक साल का लाये। सरकार ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया कि यहां पर प्रशासक लगाये। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, वापिस बहाल कर दिया। सरकार को क्या जरूरत थी सुप्रिम कोर्ट जाकर उनको वापिस चुनी हुई संस्थाओं को हटाने की सरकार को चाहिए था, यदि सरकार में दम है तो सरकार को यह चाहिए था कि चुनाव तुरन्त करवाये जाते। प्राथमिक स्तर की सोसायटियों के चुनाव के बाद इनके आगे के चुनाव नहीं करने का सरकार के लोगों में विश्वास है कि हमारे कोई भी नुमाइन्दे इन बैंकों में या इन मार्केटिंग सोसायटीज में नहीं आयेंगे। इसलिए बार-बार अवधि बढ़ाये जा रहे हैं। इस अवधि को मंत्री जी आप नहीं बढ़ायें और आपके बल की बात नहीं है और आपके बूते की बात नहीं है तो आप चुनाव आयोग को दे दीजिए कि वह उसके चुनाव कराये। अब इतनी महत्वपूर्ण सोसायटीज, जो गांवों के लिए है उसके चुनाव आप बराबर टाल रहे हैं।

Page No. 78

(श्री परसादीलाल मीणा)

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यहां पर जो प्रशासक इन्होंने लगा दिये, प्रशासक गड़बड़ियां कर जायेंगे। दो साल तक तो आप प्रशासक रख ही रहे हैं दो साल में क्या क्या गड़बड़ियां करेंगे लेकिन बैंकों को, मार्केटिंग सोसायटीज को उनके मुनाफे में लाये हैं। यह प्रशासक उनको नेस्तनाबूद कर जायेंगे जिसका कोई आडिट नहीं है। आडिट होता है तो आडिटर कलक्टर के खिलाफ कौन रिपोर्ट देगा? ए. डी. एम. के खिलाफ कौन रिपोर्ट देगा? आखिर आडिट में कौन आक्षेप लगायेगा। जिम्मेदारी किस की है जनता के धन की? जिम्मेदारी को यह किस तरह से नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस अमेन्डमेन्ट को मत लाइये और आपको चाहिए हिम्मत के साथ चाहे बैंकों में मार्केटिंग सोसायटीज में आखिर कोई भी चुनकर आये, अगर आपमें हिम्मत है तो आपको चुनाव कराने चाहिए। आप प्रशासकों की अवधि को बढ़ाकर ब्यूरोक्रेसी को गांव के लोगों पर हावी कराना चाह रहे हैं सब संस्थाओं में आप प्रशासक नियुक्त करके आप करना क्या चाहते हैं? आज समझ नहीं आता कि 7-8 तारीख को फार्म भरे जा रहे थे मार्केटिंग के और आपने चुनाव ही कैंसिल कर दिये। यह कहां का तरीका है? यह कहां का कानून है? सरकार को पता नहीं कोई यंत्र इनके पास भी ऐसा लगा हुआ है कि हमारे कहीं आदमी ही नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे। आप दुबारा अपने आदमियों को जिताने की कोशिश कीजिए। सरकार को डर लगा हुआ है कि यहां पर हमारे आदमी बैंकों में और इन संस्थाओं में चुनकर नहीं आयेंगे इसलिए सरकार बार-बार इनकी अवधि बढ़ाने का अमेंडमेंट लाकर, अध्यादेश लाकर इस तरह की कार्यवाही कर रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाना चाहिये और अभी एक साल की अवधि पूरी भी नहीं हो पाई है। एक साल की अवधि के अन्दर-अन्दर चुनाव करने के लिये प्रोसेस शुरू करना चाहिये।

जो एक अमेंडमेंट यह लाये हैं, उसका तो मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बैंकों और प्राथमिक सोसाइटियों में जो मत देने का अधिकार दिया है, वह अच्छा है और उसका मैं स्वागत करता हूं। वह बहुत अच्छा तरीका है कि जो लोग (व्यवधान) मुझे तो होश है तभी तो बोल रहा हूं। मैं बात कहूंगा अपनी। वह शुरूआत अच्छी है। आज क्या होता है, हम भुक्तभोगी हैं। हमारा जो प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके हम भुक्तभोगी हैं। किसी का नाम सोसाइटी में आया। मंत्रीजी का या ऊपर के लोग या सरकार पक्ष के लोगों का टेलीफोन जाता है, इस आदमी की जगह इसको लाओ, इस आदमी की जगह इसको लाओ और वह टण्टों में ही उलझ गई बात। अध्यक्ष कोई भी होगा, किसी भी पक्ष का होगा, उपाध्यक्ष कोई भी होगा, किसी भी पक्ष का होगा, एक परमानेंट पदाधिकारी उसको रिप्रजेंट करेगा। यह सरकार के लोगों ने कई जगह इन्होंने किये हैं घपले। शिकायतें भी आई हैं मंत्रीजी को। इन्होंने कई जगह अपने आदमी भी चेंज करवाये हैं, प्रस्तावों को निरस्त करवाया है। इस तरह की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये और एक साल के अन्दर चुनाव करने के लिये सरकार

(श्री परसादीलाल मीणा)

को कोशिश करनी चाहिए और दो साल का जो प्रस्ताव है, वह आपको वापस लेना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय द्वारा 1 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय)(संशोधन) अध्यादेश, 1991 अध्यादेश संख्या 4 को अस्वीकार करने के बारे में प्रस्ताव दिया है।

सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 में बनाया गया था। इसकी मूल भावना यह थी कि इसके माध्यम से हम सरकार को प्रोत्साहन दें। एक सबके लिये और सब एक के लिये, मिलकर के लोग काम करें और सहकारिता के माध्यम से प्रदेश में बहबूदी लायें। लेकिन प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले लोग कतई इस बात में विश्वास नहीं रखेंगे कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक लगाये जायं। सहकारिता की मूल भावना पर यह ठेस है, कुठाराघात है। सरकार में बैठे हुए जो लोग कभी इस बात के बारे में कहा करते थे कि हमारा जनतन्त्र में, प्रजातन्त्र में विश्वास है, आज वे ही लोग स्वयं बेनकाब हो रहे हैं इस प्रकार के संशोधन लाकर कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है और प्रशासकों की अवधि एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक बढ़ाई जा रही है।

मैं इस सन्दर्भ में, सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं कि सरकार को क्या हो गया है। हर चीज के बारे में अध्यादेश। एक अगस्त को अध्यादेश लाया जा रहा है और यहां पर 10 सितम्बर को विधान सभा बुलाई जा रही है। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा ? मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि बिहार में पिछले वर्षों में बार-बार अध्यादेश जारी हुए थे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सरकार को निर्देश दिये थे कि यह अध्यादेश की सरकार नहीं चलने वाली है और यह कहा गया कि बार-बार आप अध्यादेश लाकर और जो संविधान के अनुच्छेद 213 (1) में आपको अधिकार दिया गया है, इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी आफत आ पड़ी थी कि इस अध्यादेश को विधान सभा के कुछ दिन पहले आपको लाना पड़ा ?

मैं इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्रीजी यह बतायें कि पिछले महीनों में आपके हाई कोर्ट से किन-किन उपभोक्ता भण्डार के लिये, को-आपरेटिव सोसाइटीज के लिये निर्देश मिले कि यहां चुनाव कराये जायं। मैं कोट करना चाहूंगा बीकानेर का उदाहरण। बीकानेर उपभोक्ता भण्डार का चुनाव प्रथम चरण का हो चुका था और सहकारिता मंत्रीजी ने राजनीतिक दबाव में आकर उस चुनाव को बीच में ही स्थगित कर दिया। हमारे देश के उच्च न्यायालयों ने और उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर ऐसे डायरेक्टिव्ज जारी की हैं कि एक बार चुनाव का प्रोसेस शुरू हो जाता है उसको बीच में

Page No. 80

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कभी भी रोका नहीं जाय, लेकिन राजस्थान के सहकारिता मंत्री जी ने पिछले सारे उदाहरणों को और पिछली सारी परम्पराओं को ताक पर रख कर उस चुनाव के बारे में, जिसका प्रथम चरण का चुनाव हो चुका था, बीच में ही निर्देश जारी कर उन चुनावों को रोक दिया। उसके बाद बीकानेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार से सम्बन्धित लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक याचिका दायर की और सरकार को यह निर्देश दिया माननीय उच्च न्यायालय ने कि इसका चुनाव अविलम्ब कराया जाय। मैं इस सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां चुनाव हुए और सर्वसम्मति से वहां करणपाल सिंह उपभोक्ता भण्डार के माननीय मंत्रीजी के बिना चाहते हुए भी प्रजातन्त्र की जीत हुई, प्रजातान्त्रिक ताकतों की जीत हुई। माननीय उच्च न्यायालय के इण्टरवेंशन से वहां पर चुनाव हुए। आज पूरे राज्य में क्या हो रहा है? जी. एस. एस के चुनाव हो गये और चुनाव होने के बाद इनको लगा कि इनकी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित लोग उनमें जीतकर आने वाले नहीं हैं तो चुनाव को रोक दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि प्रथम चरण के चुनाव होने के बाद आपने मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव रोक दिये और अब इनकी मंशा ऐसी है कि यह सारे चुनावों को रोककर, मुझे ऐसा अन्देशा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, प्राइमरी लैण्ड मोर्टगेज बैंक हैं, इन सबके ढांचे को समाप्त करना चाहते हैं और अपेक्स लेवल पर केवल मात्र यह प्रशासक बैठाकर और सहकारिता की इन शीर्षस्थ संस्थाओं को चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रजातान्त्रिक शक्तियों के साथ मखौल है। आज प्रजातन्त्र में चुना हुआ व्यक्ति यदि कोई गलती करता है तो उसकी अकाउण्टेबिलिटी होती है और उसको फिर तीन साल बाद 5 साल बाद चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है लेकिन प्रशासकों को लगाकर आप क्या करना चाहते हैं? जिनकी कोई अकाउण्टेबिलिटी नहीं है, जिनको किसी चुनाव में नहीं जाना है, जिनको आम लोगों के बारे में जानकारी नहीं है. जो संवेदनशील नहीं हैं? ऐसे लोगों के हाथ में आप को-आपरेटिव के ढांचे को देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह सहकारिता के मूल उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। इसलिये मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जन हित में सहकारिता मंत्रीजी इसके बारे में पुनर्विचार करें। अध्यादेश को अस्वीकृत करने के बारे में माननीय सदस्यों ने और मैंने जो यह प्रस्ताव प्रेषित किया है, उसके अन्तर्गत आप विचार कर इसको विथड्रा कीजिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी, सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों में सहकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार की धांधली सरकार में बैठे हुए मंत्री लोगों ने की है, उसका उदाहरण सुनकर आप ताज्जुब में पड़ जायेंगे। पहले तो इन्होंने कहा कि यह जो हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज हैं, इनमें जो घपला हुआ है उसको उजागर करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आपने कितनी हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज के बारे में क्या-क्या मामले पकड़े, किन-किन के प्लाट्स हैं, किन-किन लोगों के खिलाफ

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

आपने क्या कार्यवाही की? ऐसी लोगों में चर्चा है कि माननीय मंत्रीजी के पास सोसायटीज से सम्बन्धित लोगों ने जाकर इनको राजी कर दिया। अब कैसे राजी किया, यह तो यही जाने लेकिन जो इन्होंने कैम्पेन चलाया था, हजारों लोगों ने जो शिकायतें की थीं, उनका कोई निराकरण सहकारिता मंत्रीजी ने नहीं किया और मैं यह भी आरोप लगाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के ...

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : आपका जन्मसिद्ध अधिकार है आरोप लगाने का।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करता हूं। आपने बीकानेर उपभोक्ता भण्डार में इण्टरवेंशन किया या नहीं किया?

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैंने इण्टरवेंशन नहीं किया। जो गरीब आदमी थे, 25 रुपये के शेयर वाले थे, उनको वोट से वंचित किया और 100 रुपये के आदमियों की छोटी सी टोली बनाकर उनसे वोट डलवा दिये। 25 रुपये के सदस्यों को आपने अलग कर दिया, 10 हजार मैम्बर्स को आपने अलग किया। केवल 700 आदमियों से आपने वोट डलवा दिये। मैंने अन्याय किया या आपने अन्याय किया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इनके अन्यायों से किताबें भरी हुई हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : सभापति महोदय, उपभोक्ता भण्डार में 25 रुपये से 100 रुपये मैम्बरशिप फीस करने का प्रस्ताव उपभोक्ता भण्डार ने पास किया। रजिस्ट्रार ने उसकी परमीशन दी और उसमें कोई अनियमितता होती तो हाई कोर्ट ऐसा स्ट्रिक्चर पास करके आपको निर्देश नहीं देता। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। आपने चुनाव नहीं कराये हैं, हाई कोर्ट के डण्डे से आपने चुनाव कराये हैं और यह आपके लिये शर्म की बात है। इसी तरीके से, सभापति महोदय, जो हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी में आपने पिछले दिनों कैम्प लगाये थे उसके क्या परिणाम आये, आपने क्या लोगों को रिलीफ दी केवल मात्र प्रशासकों को एक वर्ष का समय बढ़ा कर? इससे ऐसा लगता है यह सरकार चुनाव के बिल्कुल खिलाफ है। दो-दो वर्ष तक आप सहकारी समितियों के चुनाव नहीं करायें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं बता रहा हूं। आप देर से आये हैं, मैं बोल चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब सुन रहा था। आपने दो बातें कही मोटे रूप से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके विचारों से भिन्न विचार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो पूछना चाहता हूं। हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज में जो गड़बड़ हुई है उस मामले में आपके क्या विचार हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला : उसको पकड़ना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पकड़ना चाहिये ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस, ठीक है। अब उधर क्या देख रहे हो। वह निकल गयी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मैं तो बहुत पहले बोला हूं। बहुत पहले बोला हूं कि हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी के बारे में ऐसा लगा था लोगों को कि यह सरकार कैम्प लगा रही है और जो लैण्ड ग्रैब करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे। लेकिन हम जानना चाहते हैं, सहकारिता मंत्रीजी, आपने उन शिविरों के माध्यम से क्या किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब बता देंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उसके क्या परिणाम रहे ? कितने लोगों को आपने पकड़ा और कितने लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की उसके बारे में आप बतायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह पकड़ने के लिये ही तीन बिल लाये हैं। अब आप पकड़ने के पक्ष में होंगे तो इन तीन बिलों का समर्थन करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला : वह तो उन बिलों के बारे में आयेंगे तो उसके बारे में भी बोलेंगे। मैं सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रीजी को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बिल्कुल उनकी लापरवाही रही है। इस बिल में एक वर्ष से दो वर्ष तक का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है वर्तमान सरकार की यह स्पष्ट मंशा है कि वह प्रजातान्त्रिक ताकतों के खिलाफ है। प्रजातन्त्र में चुनाव जल्दी से जल्दी हो, ऐसी व्यवस्था करना प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है लेकिन प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना, मैं समझता हूं, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिये मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और आगे यदि सरकार विधेयक के रूप में सरकार अपनी हठधर्मिता से लायेगी तो इस सम्बन्ध में बाकी धाराओं के बारे में मैं अपने विचार रखूंगा। मैं अभी भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और इसमें दो साल की अवधि जो आपने बढ़ायी है इसको पुनः घटा कर एक वर्ष किया जाय और जल्दी से जल्दी को-आपरेटिव से सम्बन्धित जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनके चुनाव करवाये जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले कितने वर्ष की अवधि थी ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : एक वर्ष।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : पहले एक वर्ष की अवधि थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पक्की बात है न ?

श्री सभापति : अनन्त काल थी पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले कोई अवधि नहीं थी, अनन्त काल तक मामला चल सकता था ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यादेश आप लाये हो उसके पहले यहां पर नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जरा सामने नत्थी सिहजी बैठे हैं उनसे पूछ लिया करो ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, पहले कोई अवधि नहीं थी । फिर आपने इलेक्टेड बाडी को रिप्लेस कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर से । तो हाई कोर्ट ने आपकी कार्यवाही को अनुचित ठहराया । जब उसने अनुचित ठहराया तो आप लाये आर्डिनेन्स । उस आर्डिनेन्स को लाये आप, एक साल में हम कम्पलीट कर लेंगे । फिर आया यहां पर बिल लास्ट सैशन में । वह अब स्टेच्युट बुक में चला गया सैक्शन 36 का पार्ट ए-वन । अब जो है उसी में आप एक ही जगह दो लाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह दहिया । (अनुपस्थित)

डा. चन्द्रभान ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो ताली बजा रहे हैं उनको पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं हुआ है ।

श्री नत्थी सिंह : लेकिन उसमें आपने अण्डरटेकिंग दी है कि चुनाव करायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करायेंगे ।

श्री नत्थी सिंह : अण्डरटेकिंग दी है उसके बाद वह लाये हैं आप ।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, मैं पढ़ूंगा उसको । सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे आर्डर है, अभी थोडी देर बाद मैं पढ़ने जा रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मेरे पास भी है, ले जाओ आप ।

डा. चन्द्रभान (झुन्झूनूं) : सभापति महोदय, राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 का अध्यादेश संख्या 4, को अस्वीकृत करने के लिये मैंने प्रस्ताव किया है ।

सभापतिजी, असल में इस अध्यादेश को करवाने और इसे विधेयक के रूप में यहां प्रस्तुत कर पारित कराने का कोई औचित्य नहीं है, न ही इसकी कोई आवश्यकता थी। मेरी राय में यह अध्यादेश इस सरकार का जनतन्त्र विरोधी कदम है । चूंकि सहकारिता और जनतन्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, सहकारिता आन्दोलन में जो कमियां हैं, जो गिरावट आयी है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसका असर यही मानकर चलना चाहिये कि हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया जो समूची है उसमें भी गिरावट आयी है । सरकार को इसके लिये कोई सकारात्मक कदम उठाना चाहिये था उस ओर तो सरकार का कदम नहीं उठा बल्कि फिर एक बार प्रशासकों की समयावधि को बढ़ाकर सरकार यह अनडेमोक्रेटिक आर्डिनेन्स यहां लेकर आयी है। असल मायने में सभापति महोदय, सरकार की इस सम्बन्ध में न कोई नीति है, न ही कोई दिशा है । पिछले डेढ़ साल से जब से

(डा. चन्द्रभान)

सरकार बनी है तब से सरकार इस मामले में कन्फ्यूज्ड है। मैं सरकार की नीयत पर कोई शंका नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार स्पष्ट नहीं है कि उसे क्या करना चाहिये। चुनाव के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बारे में कई बार फैसले हुए हैं। बार-बार सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हाई कोर्ट से इस सम्बन्ध में निर्देश हुए और उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने हाथों में ज्यादा ताकत लेने के लिये अध्यादेश लेकर आयी है और कम से कम दो साल तक सरकार आराम की नींद सोना चाहती है कि दो साल तक तो सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराने होंगे।

सहकारिता का पूरा आन्दोलन जिसको बदनाम भी किया गया है और कई मायने में बदनाम है भी, जो भ्रष्टाचार है उसकी भी मूल जड़ यह है कि इसके चुनाव सही तरीके से सही समय पर भी नहीं होते हैं। क्या सरकार यह मानती है, मंत्री महोदय, कि आप प्रशासकों के माध्यम से सहकारिता की व्यवस्था में कोई सुधार कर लेंगे? क्या चुनाव नहीं होंगे तो सहकारिता का जो उद्देश्य था उसकी आप पूर्ति कर लेंगे? एक तरफ केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना चाहती है, सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देना चाहती है। अभी बंगलौर में आप लोग भी होकर आये हो, आपके सचिव और रजिस्ट्रार महोदय भी आपके साथ थे, अखबारों में बड़ी-बड़ी खबरें छपती हैं लेकिन राजस्थान में तो यह पंगु हो गया है। राजस्थान में तो दो साल तक तो कोई चुनाव होना नहीं है। यह सब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के हाथ में है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को आप परमिट दोगे, चाहे वह प्राइवेट लोग हों, उनके हाथ में सब कुछ आ जायेगा और यह लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। राजस्थान की गरीब जनता है, साधारण जनता है उसका सहकारी सोसायटीज से सीधा रिश्ता है। जनता के पैसे भी इनके अन्दर हैं, जनता को जो चीजें सुलभ करायी जाती हैं उसका भी एक माध्यम है। आज यदि इन संस्थाओं के समय पर चुनाव नहीं होंगे, चुने हुए जन प्रतिनिधि इनमें नहीं रहेंगे तो मेरा यह मानना है कि इन सहकारी संस्थाओं को गठित करने का और जो सहकारी एक्ट है उसके उद्देश्य की कहीं भी, किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं हो सकती।

दूसरा सवाल, सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में बार-बार सरकार की ओर से कई अभियान चलाये गये हैं। गृह निर्माण सहकारी समितियों की चर्चा अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने की। मैं मंत्रीजी की नीयत पर कोई शंका व्यक्त नहीं करूंगा, उनकी नीयत साफ है और सरकार की भी नीयत साफ हो सकती है। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे एक प्रश्नवाचक चिह्न खड़ा होता है। मंत्रीजी, आपने कैम्प लगाये। गृह निर्माण सहकारी समितियों ने जो घपले किये हैं, जो गोलमाल किया है, गरीब जनता को, साधारण लोगों को जो लूटा है, जनता के सामने असलियत आनी चाहिये, पर्दा उठना चाहिये। कैम्प लगाये, अखबारों के माध्यम से बहुत प्रचार हुआ और जो लोगों के प्लाट थे या जो गरीब लोग थे जिनके साथ अन्याय हुआ था उनमें

(डा. चन्द्रभान)

एक आशा का संचार हुआ, लेकिन अन्त में फिर वही निराशा। कैम्पस लगाये गये, रपट आपके पास पहुंच गयी। लेकिन कार्यवाही के नाम पर जीरो। क्या कार्यवाही हुई, आप इस सदन में स्पष्ट रूप से कहें। चूंकि पिछले सत्र में भी यह मामला उठा था लेकिन आपका जवाब साफ नहीं था और आपको जानकारियां भी पूरी नहीं थी, आज आपको इस सम्बन्ध में सभी जानकारियां सदन को देनी चाहिये। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो-जो गृह निर्माण सहकारी समितियां ब्लैक लिस्टेड थीं उसके बाद भी उन्होंने अपने धन्धे को जारी रखा। आपके कैम्प लगने के बाद, भारत के पास रिपोर्ट आने के बाद जिन लोगों ने गड़बड़ियां की थी उन लोगों ने हजारों, लाखों वर्ग गज जमीन पिछले 8-10 महीने में जयपुरवासियों को बेची जिसमें जे. डी. ए. भी आता है, नगर आवासीय मंत्री जी भी इससे अलग नहीं हैं, मैं कहना चाहूंगा दोनों एक-दूसरे से मिले जुले हैं और कहना चाहूंगा कि गृह निर्माण सहकारी समिति के लोग जो घपले करते हैं, जनता उनमें इसलिए फंसती है कि आम लोगों को फिर भी वह सस्ते भावों में जमीन उपलब्ध करा देते हैं। आपका जे. डी. ए. जो बना है यह तो गांव के किसान से 25 रुपये में लेकर के यहां पर 500 रुपये में बेचना चाहता है। सहकारी समिति वाला भी ज्यादा लाभ कमाना चाहता है लेकिन फिर भी जमीन उपलब्ध करा देता है जिससे लोग उनके चंगुल में फंसते जाते हैं लेकिन आपकी ओर से एक शुरूआत तो की गयी लेकिन उसका अन्त बहुत बुरा हुआ और आम लोगों में इससे बहुत निराशा हुई, फिर भी सरकार जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए एक और आर्डिनेंस लेकर आयी है। यहां इस पर चर्चा होगी, सहकारी समिति के लोगों में फिर भी खलबली है। आजकल सहकारी समिति वाले अपने घरों में नहीं नहीं सोते हैं यह खबर आपके पास भी होगी लेकिन कार्यवाही क्या हुई है? केवल सात लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया और जिनको गिरफ्तार किया गया, एक उनमें श्रीमान् कूलवाल साहब हैं जो पहले भी गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हो गये फिर भी धन्धा करते हैं। अब फिर गिरफ्तार हुए हैं, फिर तीन दिन बाद रिहा हो जायेंगे और फिर धन्धा करेंगे। उनका काम तो फलफूल रहा है। और उसमें भी मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा, गृह निर्माण सहकारी समितियों के चुनाव भी समय पर नहीं होते बल्कि चुनाव होते ही नहीं है। असलियत तो यह है और सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासक नियुक्त करके सरकार मानती है कि सहकारिता का जो पावन उद्देश्य था उसकी पूर्ति कर लेगी, यह कतई संभव नहीं है और मैं कहना चाहूंगा इसके माध्यम से जो दो साल की समयावधि बढ़ाने की बात की गयी है यह पूर्ण रूप से जनतन्त्र विरोधी है और यह आर्डिनेंस जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बारे में भी कोई आप विधेयक लाते और इस सदन में चर्चा होती, पूरे सदन की राय होती तो भी हम उस पर सोचते। इसलिये इस अध्यादेश को वापिस लिया जाना चाहिये और सहकारिता में जो तमाम तरह की गड़बड़ियां, घोटाले हैं, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन इसका एक ही

(डा. चन्द्रभान)

रास्ता है। यदि सहकारी आन्दोलन को सफल, मजबूत बनाना है तो उनके समय पर और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिये।

श्री सभापति : माननीय यदुनाथसिंह (अनुपस्थित), माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन के सम्मुख राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 का आर्डिनेंस सं. 4 है जिसे इस सदन को अस्वीकार करना चाहिये। इसके पीछे जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि सहकारिता जिस भावना और उद्देश्य के साथ पं. जवाहर लाल नेहरू ने जिस कल्पना के के साथ प्रारम्भ की थी उसके पीछे मन्शा थी कि आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले, समाज के उन लोगों को जिनकी हैसियत नहीं है। सहकारिता को जीवन पद्धति के रूप में अर्थात् वे आफ लाइफ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये यह भी कल्पना साथ में है लेकिन सरकार की बार-बार दखलन्दाजी और सहकारिता के खुद के कानून और एक्ट में इतनी विसंगतियां हैं कि यह स्वैच्छिक, जनता का, जन आन्दोलन होना चाहिये था वह सिमट करके कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ में आ गया और फिर रही-सही कसर सरकार की दखलन्दाजी ने इसकी मूल भावना पर कुठाराघात करके नष्ट कर दी। आप जो आर्डिनेंस लाये हैं यह सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है एक ही एक्ट अर्थात् कानून में एक साल में बल्कि अभी 9 महीने बीते हैं और 9 महीने के भीतर-भीतर 4 बी. अध्यादेश यानी, 4 बार आर्डिनेंस लाकर सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा मैं समझती हूं आज तक पहले कभी नहीं हुआ। मुझे सबसे अधिक ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि जितने समझदार लोग यहां पर मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, यह जिस आर्डिनेंस के जरिये आप नया संशोधन करने जा रहे हैं और जिसमें दूसरी संस्था में अपना मत देने के लिये, प्रतिनिधित्व करने के लिए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बजाय किसी भी व्यक्ति के नोमिनेशन के जो नया संशोधन करने जा रहे हैं उससे पहले आपको ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव दुबारा कराने पड़ेंगे क्योंकि किसी भी आदमी को आप उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। मान लीजिये मैंने किसी आदमी को अध्यक्ष इस नीयत से बनाया है कि अध्यक्ष बेशक यह ही रहे लेकिन किसी भी बैंक के चुनाव जब होंगे तो उसमें मत देने के लिए मैं जाऊंगा, मान लीजिये इस नीयत से चुनाव सोसायटी के हुए और उसमें आपने केवल अध्यक्ष कर दिया और वह भी इतना एम्बिगुइश रख दिया कि उसकी अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष संयोज करिये दोनों जाते हैं और वह कहता है मैं भी वोट दूंगा क्योंकि आपने यह तो कहा ही नहीं कि अध्यक्ष देगा। न कोई लिखित समिति का प्रस्ताव होना जरूरी है। अध्यक्ष कहेगा कि मैं दूंगा। वह कहेगा कल तक तो आप अनुपस्थित थे इसलिये आज मैं आ गया और उपाध्यक्ष कहेगा मैं भी दूंगा उस हालत में क्या करेंगे? या दो उपाध्यक्षों में से कौनसा वोट देगा इतना एम्बिगुइश आपने कर दिया। दूसरी बात यह है कि पहले यह प्रावधान था कि कोई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

भी सोसायटी जिसका भी रिज्योलुशन अडाप्ट करेगी, प्रस्ताव पास करेगी, वह उस संस्था में अपना मत देने के लिये जायेगा तो आज आप यह नया संशोधन कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि इसमें केवल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा अधिकारी हैं । वही मत इसके पहले आपको सोसायटी के चुनाव दुबारा कराने पड़ेंगे नहीं तो कोई भी कोर्ट में जाकर आपके इस संशोधन को चैलेन्ज करेगा ।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं जैसा कि कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने दो साल का प्रावधान कर दिया । मैं कहती हूं आप बार-बार क्यों तकलीफ करते हैं । जब नौ महीने में एक ही कानून में चार बार आर्डिनेंस ला सकते हैं तो आप यही क्यों नहीं कर देते कि जब तक सरकार चाहेगी तब तक प्रशासन रखेगी । सदा के लिये पीछा छूट जाएगा । जब तक मर्जी आये मत कराना चुनाव । बार-बार कभी एक साल करो, फिर दो साल करो । फिर दूसरा जब अगस्त में समय खतम हो गया था तो आप असेम्बली बुला सकते थे, विधान सभा में बुला कर इस चीज को डिस्कस कर सकते थे, विधेयक ला सकते थे फिर ऐसी क्या ताबड़तोड़ थी कि आपने एक नया आर्डिनेंस लाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया नौ महीने में चार बार आर्डिनेंस लाकर। अध्यादेश लाने के लिये आश्वस्त किया था पहले ही जो प्रबोधन कार्यक्रम चलाया था उसमें लास्ट पोसिबल और आपने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया एक ही कानून में 9 महीने में चार बार आर्डिनेंस लाकर के। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि फिर ऐसा ही पुख्ता काम क्यों नहीं कर लेते, रोज-रोज आर्डिनेंस लावें, फिर क्रिटिसिज्म का आधार बने फिर आलोचना करें इसकी बजाय यही लिख दीजिये जब तक सरकार चाहेगी । क्योंकि सहकारिता की मूल भावना तो नष्ट हो गयी । मुझे सहकारिता मंत्रीजी, आप बता दीजिये क्या आपके पास ऐसा कोई प्रावधान है एक बार सोसायटी पर जिसने कब्जा कर लिया चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति हो चाहें भूमि विकास बैंक हो, सी. सी. बैंक हो या क्रय-विक्रय सहकारी समिति हो । कुछ भी हो, एक बार जिसने कब्जा कर लिया वह दूसरे लोगों को कभी नहीं जीतने देगा, आप 50 मैम्बर बनाओगे, रेकार्ड उनके पास रहेगा वह 55 बना देगा, 60 बना देगा । इसलिये एक बार जो सोसायटी पर काबिज हो गये हैं जिनको पता लग गया कि सहकारिता के इस कानून में यह प्रावधान है कि जिसके जरिये हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता । वह एक बार कब्जा करने के बाद सरकार लाख सर पटक कर मर जाय जब तक कोई आप नया प्रावधान नहीं करेंगे, आप लाख सर पटक कर मर जायं, आप कुछ नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात यह कि आपने तो इस सहकारी आन्दोलन को जो व्यवस्थापक हैं वह मई से हड़ताल पर चल रहे हैं आपने इसके परिणाम को कभी जानने की कोशिश की कि उनके बिना खाद, बीज, लोन नहीं बंट रहे हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां निष्प्राण और निष्क्रिय पड़ी हैं । आपने सोचा नहीं कि इसका परिणाम खेती के उत्पादन पर कितना विपरीत और भयंकर होगा । इस बात को आपने सोचा ही नहीं । आपको प्रशासक लगाने हैं तो लगाओ । लेकिन आप कम से कम यह व्यवस्था तो

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

करो कि वहां समय पर बीज, खाद और कर्जा बंटे, इसकी भी व्यवस्था आपने नहीं की। मुझे तो ताज्जुब इस बात पर होता है कि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, उन व्यवस्थापकों का क्या कसूर है जिनको कि न सरकार अपना नौकर मानती है, न कैडर आॅथोरिटी मानती है, आज बैठे हैं। वह कभी भूख हड़ताल और धरने पर बैठते हैं, कोई नहीं सुनता। बैंक के कर्मचारी हैं। बैंक भी उन्हें अपने कर्मचारी नहीं मानता। सरकार भी नहीं मानती। ऐसी दुविधाजनक स्थिति है और झुन्झनू की तो हालत और भी खराब है। झुन्झनू में तो व्यवस्थापकों की 12-12 महीने की तनख्वाहें पड़ी हैं, उनके एरियर पड़े हैं। आपको एक महीने तनख्वाह नहीं मिले सहकारिता मंत्रीजी तो मुश्किल पड़ जाती है दूसरे महीने क्या होगा, क्या नहीं होगा। उन गरीबों को जिनको आज 12-12 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, आपको चिन्ता नहीं है इस बात की। न रजिस्ट्रार को, न आपको, न बैंक के प्रशासकों को और न कलक्टर को चिन्ता है। क्योंकि आजकल प्रशासक लगे हुए हैं कलक्टर, न उन्हीं को चिन्ता है। क्या होगा उन लोगों का ? क्यों आप किसी को धरना और आन्दोलन के लिये मजबूर करते हो। चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार के काम के तौर तरीके भी ऐसे होने चाहिये कि जिससे जनता के अन्दर आपकी छवि न गिरे नहीं तो वोट कैसे मिलेंगे। काफी गिर गयी है। सब कुछ तो आज डिटोनेट हो गया है, आपका। आपकी कानून व्यवस्था, सरकारी मुलाजिम आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगी सहकारिता मंत्रीजी कि चुनी हुई संस्थाओं में तो आपने प्रशासक लगा दिया। यह अच्छा किया या बुरा, इसके बारे में तो मैं कह चुकी हूं। लेकिन मुझे सबसे अधिक ताज्जुब इस बात का होता है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियां मनोनीत हो चुकी हैं और उन मनोनीत क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में चिड़ावा की क्रय-विक्रय सहकारी समिति भी मनोनीत है। जहां जो चुनी हुई संस्था थी उनको तो आपने भंग करके प्रशासक नियुक्त कर दिया और जो मनोनीत हैं वह मनोनीत की मनोनीत ही चल रही हैं, यह और भी ताज्जुब की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है, सहकारिता मंत्रीजी जैसा कि कह रहे थे आपके जैसे ईमानदार और योग्य आदमी की, यह जो भूमि वितरण की जितनी समितियां थीं, उन समितियों की आपने जिस तरह की घोषणा की थी उसके बाद जिस तरह से आपने थोड़ी बहुत तत्परता भी दिखायी, फिर इसके जो परिणाम आये, उससे आपके जैसे ईमानदार आदमी की इन्टीग्रिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। इसमें परिणाम तो कुछ आये नहीं। तो मैं आपसे निवेदन यह कर रही थी कि यह मनोनीत आपकी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां क्यों चल रही हैं ? कैसे चल रही हैं ? आखिर आपकी कृपा के पात्र यह मनोनीत बोर्ड ही क्यों हैं ? चुने हुये क्यों नहीं हैं और सबसे अधिक ताज्जुब की बात यह है कि आपने जहां नई क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनायीं, वह तो बना दी। लेकिन एरिया आफ आपरेशन्स वहां जो था, उसमें आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो थीं, उनको उसका सदस्य नहीं बनाया और प्राइवेट मैम्बर्स जिनकी हिस्सा पूंजी जमा थी पहले

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वाली क्रय-विक्रय सहकारी समिति में उसे भी ट्रान्सफर नहीं किया। मतलब यह निकला कि चिड़ावा की क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अन्दर केवल छः सहकारी समिति ही उसकी मैम्बर हैं और उन छहों के ऊपर आपने क्रय-विक्रय सहकारी समिति बना दी। बाकी न तो किसी की हिस्सा पूंजी ट्रांसफर की, किसी सोसायटी को न वह एडमिट करते हैं। उनके पास पैसा लेकर जाग्रो वह कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम सदस्य नहीं बनायेंगे, आखिर यह क्या तमाशा है, यह मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ आप सरकारी दखलंदाजी चुनी हुई सहकारी समितियों में बढ़ा रहे हैं और अपनी मर्जी से मनोनीत बोर्डों को आप इतना निरंकुश बना रहे हैं, इसका कारण भी थोड़ा बता दीजिये आप जब उत्तर दें तब। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि इन परिस्थितियों में जब सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है, प्रशासकों के समय को एक साल से दो साल नियुक्त करने जा रही है, जब सहकारी समितियों के चुनाव कराये बिना तब्दीली करने जा रही है, दूसरी सहकारी समितियों में प्रतिनिधित्व करने लिये मत देने के बारे में, उस समय केवल जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात करना और उनको कोई रिजोल्यूशन के बिना किसी और आदमी के अधिकार विथड्रा करना, छीनना, यह बिल्कुल असंवैधानिक है और इसलिये पुर्नविचार करिये और इसलिये इस सब के कारण से सदन आपके इस अध्यादेश को अस्वीकार करे, यह मेरा आप सब लोगों से निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर केदार नाथ शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, मेरा परिनियत संकल्प इस प्रकार से है जिसे मैं प्रेषित कर रहा हूं।

यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा 1 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी द्वितीय संशोधन, 1991 अध्यादेश संख्या 4 को अस्वीकार करता है।

सभापति महोदय, मैंने अस्वीकार करने का संकल्प इसलिये रखा है कि पिछले सत्र में बजट सेक्शन के अन्दर राजस्थान कापरेटिव एक्ट के सैक्शन 36 में एक नई उपधारा 1 (बी) जोड़ी गई। सभापति महोदय, वह इस प्रकार है और सभापति महोदय, इस पूरे कापरेटिव एक्ट के सम्बन्ध में और जब आप रिटायर हुये थे तो आप शायद मुझे ऐसी जानकारी है कि आप इसी विभाग के प्रभारी सचिव भी थे। 1 (बी) इस प्रकार का नया संब-सैक्शन इनसर्ट किया गया।

"If before the expiry of the term of the Committee specified in the by-laws, a new committee is not consitituted, the Resistrar may appoint a Government servant as Administrator to manage the affairs to the Society for a period of one year or till a new Committee is consitituted whichever is earlier."

(श्री परसराम मदेरणा)

सभापति महोदय, इस आर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने के जो कारण प्रभारी मंत्रीजी ने दिये हैं, उन कारणों में मैं जाना चाहता हूं। क्योंकि रीजन्स इनके बहुत लचर हैं और रीजन और प्रूडेंस के किसी भी स्टेण्डर्ड के ऊपर वह टिकते भी नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस अमेण्डमैण्ट का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान कापरेटिव सोसायटी एक्ट, उसके प्रावधान, उसके रूल्स के अन्तर्गत एक दफा इलैक्शन की प्रोसेस प्रारम्भ हो जाती है, उस प्रोसेस को रोकने का आपको कतई अधिकार नहीं है। लेकिन आपने एक दूसरा रीजन दिया है और वह बड़ा खतरनाक कारण दिया है और दूसरा रीजन आपने यह दिया है कि ऐसी कुछ अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में कतिपय संरचनात्मक परिवर्तन अभी भी विचाराधीन थे क्योंकि प्रभारी मंत्रीजी और राजस्थान की इस सम्मिलित सरकार, जो आपकी माँ है गृहमंत्रीजी, इसने कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात सोची है और उस रीजन में यह लिख रहे हैं "Since, however, the election process being still not completed in some co-operative institutions...." इसको छोड़िये "... and some structural changes being still under cons deration........" मुझे यह बताइये। मिखाइल गोर्बाच्योव की पेरेस्त्रोइका का जो उद्देश्य है restructuring of the society again, ग्लास्नोस्त में तो आपका विश्वास नहीं है क्योंकि आप जिस संस्था से आते हैं, आप कुछ बातें चुपके-चुपके करना चाहते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहां आप गोर्बाच्योव की उस आइडियोलोजी का अनुसरण करने जा रहे हैं, आप रि-स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। कापरेटिव मूवमेंण्ट आजादी के बाद पूरे देश में तीन और चार स्तर पर है। चार स्ट्रक्चर भी हैं, कई संस्थाओं के तीन स्ट्रक्चर हैं, कईयों के दो स्ट्रक्चर हैं और पूरे देश में एक तरह का यूनिफोर्म स्ट्रक्चर है। अगर यूनिफोर्म स्ट्रक्चर, बी. जे. पी. और दिग्विजय सिंह ग्रुप की सरकार उसमें री-स्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं तो मुझे इसमे दलगत राजनीति की बू आती है, बदबू आती है और इसलिये कि आप जिस री-स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मुद्दा यह बनाया इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के लिये, इलेक्शन नहीं हुये यह कहीं पर भी आपके ऊपर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का भी यहां पर उल्लेख हुआ। when the election process had already commenced and completed.

(3.00 म. प.)

मैं प्रभारी मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि दो अगस्त को राजस्थान के मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव होने थे, आपने टाइम शेड्यूल दे दिया था और नोमीनेशन के आपने एक दिन पहले आर्डिनेंस निकालने की या दो को निकाला या एक आर्डिनेंस। जिस दिन नोमीनेशन होने जा रहा था उसी दिन आपने यह आर्डिनेंस निकाला। हालांकि उस आर्डिनेंस से इलेक्शन का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो एडमिनिस्ट्रेटर को आप बिठाना चाहते हैं अलग-अलग संस्थाओं के ऊपर यह कुण्डली मारे हुये बैठा रहे और जो जन आन्दोलन है लोकतांत्रिक संस्थाओं का इसको आप स्ट्रेंगुलेट करना चाहते हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

इसका गला घोटना चाहते हैं और जिस री-स्ट्रेक्चर की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा सुन रहा हूं rumours are afoot in public galleries आप कई संस्थाओं को तोड़ना चाहते हैं, कई नयी बनाना चाहते हैं, कई हटा कर आप उनकी ब्रान्चेज करना चाहते हैं। उसका फारमेट, उसका प्रारूप, उसका स्वरूप आपको इस सदन में लाना चाहिये था। आपका सिर्फ इतना लिखना कि हम स्ट्रेचरिंग कुछ संस्थाओं के साथ में करना चाहते हैं। इम्प्लाइडली है, री-स्ट्रेक्चर करना चाहते हैं उसका आपने कहीं भी उल्लेख नहीं किया। आज यहां पर को-आपरेटिव का जो स्ट्रेक्चर है, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का बहुत प्रेशस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपकी मेमोरी को भी रिफ्रेश करना चाहूंगा और आपके मार्फत मंत्रीजी की। यह जो प्राइमरी सोसायटीज हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कन्ज्यूमर सर्विस कॉआपरेटिव सोसायटी, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, श्रमिक ठेका सहकारी समिति, वन श्रमिक ठेका सहकारी समिति, व्यावसायिक एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज कॉआपरेटिव सोसायटी लैण्ड्स, ट्राइबल एरिया में दूध उत्पादक सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, भेड़ व ऊन उत्पादक समिति। इस प्रकार की 10 सोसायटीज हैं। यह प्राइमरी स्ट्रेक्चर है, बेस है। उसके बाद में सेन्ट्रल सोसायटीज है। सेन्ट्रल सोसायटीज प्राथमिक सहकारी भूमि बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, यह रिजनल है, यह डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं है और प्राथमिक नागरिक सहकारी बैंक, अरबन बैंक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ और एक नान आफिसियल बोडी है जिला सहकारी संघ, क्योंकि यह पूरा का पूरा कोआपरेटिव का मूवमेण्ट और आन्दोलन, यह जन आन्दोलन है उसका काम, सोसायटीज जिला सहकारी संघ का चुनाव करती है इसका नान आफिसियल बोडीज का फिर स्टेट के लेवल पर, राज्य सहकारी संघ है और फिर नेशनल के ऊपर नेशनल कोआपरेटिव कोन्सिल भी है। लेकिन वहां चुनाव हो रहे हैं। इसी तरह से अब अपैक्स अध्यक्ष सोसायटीज आती है, सभापति महोदय। कुछ सोसायटीज के सम्बन्ध में हम कुछ स्ट्रेचरिंग कर रहे हैं। अब इनके रिलेशन में कर रहे हैं या सेन्ट्रल सोसायटी के रिलेशन में कर रहे हैं, पर क्या रहे हैं? यह अभी तक गौण है इसको छिपाये हुए बैठे हैं मंत्रीजी अपने दिल में और किसी अधिकारी से कोई परामर्श किया तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन है दाल में कुछ काला। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जयपुर में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, राजस्थान क्रय-विक्रय संघ, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान भेड़ ऊन उत्पादक सहकारी संघ, राजस्थान सहकारी आवासन संघ, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति सहकारी निगम, एक कार्पोरेशन है, इसमें आई. आर. डी. फेमेलीज को मदद दी जाती है, राजस्थान राज्य अनुसूचित जन जाति सहकारी निगम, उदयपुर में है और आखिर में नान आफिसियल अपैक्स बोडी है राजस्थान सहकारी संघ। इन 11 अपैक्स कोआपरेटिव संस्थाओं पर आपने प्रशासक

(श्री परसराम मदेरणा)

बैठा रखे हैं गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर सरकारी तंत्र को बैठा देना और इनको फलने फूलने नहीं देना और आर्डिनेंस के अन्दर यह रीजन बताना कि हम उसका स्ट्रेक्चर चैन्ज करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि आप कोई स्ट्रेक्चर चैन्ज करना चाहते हैं। स्ट्रेक्चर तो बेस से लेकर और अपैक्स तक और नेशनल लेवल तक जब तक को आपरेटिव पोलिसी पूरे देश के अन्दर भारत सरकार अगर बदलती नहीं है, यह सब स्ट्रेक्चर जिसका मैंने अभी आपको उल्लेख किया प्राइमरी, सेन्ट्रल एण्ड अपैक्स एण्ड नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर बहुत सी अपैक्स संस्थायें हैं और जिन पर चुने हुये मैम्बर स्टेट पर जाते हैं। इस आर्डिनेंस को लाकर के एक साल की जगह दो साल तक आप एडमिनिस्ट्रेटर रखना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मन्त्रीजी आपने जी. एस. एस. ग्राम सेवा सहकारी समिति, उनके चुनाव जिनको अपैक्स भी कहते हैं। इनके चुनाव मेरी समझ से जून, 90 में हो गये और उनको इम्मीडियेटली अधिकार होता है, आगे मार्केटिंग के अन्दर उनको अधिकार है, मैम्बर को भी है और उनको भी है। सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में पूरी की पूरी सोसायटी मैम्बर है। आप सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चुनाव नहीं करवाते। यह आप अध्यादेश इसलिये लाये कि आपका कोई भी पहले प्रावधान नहीं था और जिस वक्त इस लेजिस्लेशन में उसका कोई प्रावधान नहीं रखा था, इसका मतलब बहुत स्पष्ट था एक संस्था का अगर टर्म समाप्त होता है जब तक दूसरी संस्था उसकी जगह नहीं लेती है, तब तक पहले वाली संस्था काम करेंगे ताकि समय पर इलेक्शन हो सकें। जैसे लोक सभा और विधान सभा में 5 साल की अवधि में होता है कई जगह 4 साल में भी हो गये हों वह बात अलग है, डेढ़ साल में भी हो गये हों। यह हमारे और हमारे लोकतंत्र के लिये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज आप जो रीजन एडवांस कर रहे हैं दो साल के पीछे आपकी मन्शा कतई स्ट्रेक्चर चैन्ज की है। एक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है it is pregnant with so many meanings और इसलिये मन्त्रीजी से मैं चाहूंगा कि जो भी आपने प्रारुप या आपने और कुछ फारमेट बनाया है स्ट्रेक्चर में आमूलचूल परिवर्तन करने का आप उससे इस सदन को कान्फिडेंस में लीजिये, सदन को वाई पास करके आप कोई भी स्ट्रक्चर चैन्ज करेंगे तो इस सदन में आयेंगे और आपने एक साल की जगह धारा 36 के अन्दर एक साल को सब्स्टिट्यूट दो साल से किया है। यह केवल इसलिये नहीं कि आपके चुनाव कम्प्लीट नहीं हुये थे, आपने पहला रीजन यह दिया है। अगर चुनाव आपके कम्प्लीट नहीं हुये थे तो आपने जून में जी. एस. एस. के चुनाव कराये जहां आपकी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है। आपने चुनाव फिर मार्केटिंग के नहीं कराये। एक साल बाद आपने मार्केटिंग के चुनाव का प्रोसिजर आरम्भ किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रोसेस आपने आरम्भ किया है उसे आप बंद नहीं कर सकते हैं। 1987 के बाद में हाई कोर्ट के कई जजमेण्ट हुये हैं 16 सितम्बर, 1987 को चेनारा बनाम स्टेट के केस में जो फैसला हुआ उसको 100 से ऊपर केसेज में दोहराया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

Neither the State Government nor the Registrar is competent, either under the provision of Section 75 or under the provision of Section 128 of the Co-operative Societies Act 1965, to stay or postpone when the election process has already been commenced.

इलेक्शन प्रोसेस नीचे के स्ट्रक्चर पर आपने आरम्भ कर दिया और केवल जी. एस. एस. के चुनाव कराये । कुछ सोसायटी ऐसी है जिनको स्वयं चुनाव कराना होता है। जैसे श्रमिक सेवा सहकारी समिति । उसमें आप रिटनिंग आफिसर एपाइंट नहीं करते हैं । 8 इस प्रकार की सोसायटी हैं जिसमें चुनाव आप कराते हैं तो चुनाव एक दफा कराकर ऐसी स्थिति सामने पैदा की है क्योंकि यह आपकी आदत पड़ गयी है, प्रभारी मंत्रीजी, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी, उस समय भी आपने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराये और बाकी दो संस्थायें पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये । आपने उसी तरह इन को-आपरेटिव सोसायटीज के साथ सलूक किया है । जी. एस. एस के चुनाव करवा दिये, उपभोक्ता संघों के चुनाव करा दिये लेकिन जिला स्तर की सेण्ट्रल को-आपरेटिव सोसायटी के और अपैक्स सोसायटीज के चुनाव नहीं कराये । मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको ऐसा भय और डर हो गया और एप्रिहेन्शन हो गया कि इन सोसायटी के अन्दर हमारी पार्टी का सफाया हो जायेगा और उससे बचने के लिये आप एक की जगह दो साल कर रहे हैं । क्या गारण्टी है कि जो सरकार एक की जगह दो साल कर सकती है वह दो की जगह चार साल नहीं कर सकती है । चार साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने के लिये वह परसों एक आर्डिनेंस और ले आयेगी । आर्डिनेंस एक्सट्रा आर्डिनरी लेजीस्लेशन की पावर है जो गवर्नर के ऊपर कनफर किया है और जैसा कल मैं कह रहा था आर्डिनेंस के सम्बन्ध में, गवर्नर कोई डिसक्रिशन एक्सरसाइज नहीं करता कौंसिल आफ मिनिस्टर्स उसे असिसट करती है और उनकी एडवाइस के ऊपर वह एक्ट करता है । आपने यह सोच कर के कि जी. एस. एस. के चुनाव जून में हो गये और मार्केटिंग के चुनाव को स्टे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि एक साल में यह प्रश्न हाईकोर्ट में चेलेंज कर दिया जाय ? लेकिन प्रोसेस के सम्बन्ध में न तो हाई कोर्ट ने कहा न सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस एक दफा आरम्भ होने के बाद आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, स्टे नहीं कर सकते हैं और आप उसको स्टॉल नहीं कर सकते हैं । जब आप पोस्टपोन, स्टॉल और स्टे नहीं कर सकते हैं तो आपने इलेक्शन के प्रोसेस को क्यों रोका है और अगर इलेक्शन के प्रोसेस को आपने इसलिये रोका है कि आप स्ट्रक्चर में चेन्जेज करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में कोई कल्पना है तो आप उस कल्पना को सदन से मत छुपाइये । ताकि उसकी मैरिट्स और डी-मैरिट्स पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके । क्योंकि आर्डिनेंस में यह अमिण्डमेण्ट जो एक साल की जगह दो साल ही दिखता है लेकिन यह आर्बिटरी और तानाशाही का द्योतक हैं । इसलिये मेरा सदन से अनुरोध है कि इस अध्यादेश को डिस एप्रूव किया जाय और आउट राइट रिजेक्ट किया जाय ।

श्री सभापति : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सामने यह जो आर्डिनेंस आया है, उसको अस्वीकार करने की बात इसलिये कर रहा हूं कि यह को-आपरेटिव मूवमेण्ट की नीति का सवाल है। हम को-आपरेटिव मूवमेण्ट से किन लोगों को अधिकार देना चाहते हैं और को-आपरेटिव मूवमेण्ट में कौन से फंक्शन हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ तंत्र में अगर हम आर्थिक विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और हम सोचते हैं कि जनता को अधिकार मिले और जनता अपना उत्पादन अपने सहयोग से, आपस के सहयोग से बेचे और जनता, जो उपभोक्ता वस्तुयें हैं उनको प्राप्त करने के लिये आपसी सहयोग से प्राप्त करे। जो राज्य सरकार, या जो राजनैतिक पार्टी इसमें जनता को सहयोग करती है उसका उद्देश्य यह होता है कि जनता को ज्यादा अधिकार दिये जायं। मुझे समझ में नहीं आया कि भाषणों में, जब बजट सत्र शुरू हुआ तब भी और इससे पहले भी जो राज्य सरकार की नीति उनके भाषण से झलकती थी, वह यह थी। परन्तु अमल में देखें तो को-आपरेटिव मूवमेण्ट जो निश्चित तौर पर गांवों में है जो गांवों में एक लीडरशिप पैदा करता है। गांवों के किसानों में से कुछ आदमियों को तैयार करता है कि वह अपनी उपज, दूसरी चीजें, सरकार के सहयोग से ले, जुटायें और बेचें। इस मामले में उसे को-आपरेशन से कुछ फायदा हो सके। और वह शोषण से बच सकें।

इस मामले में यह जो अध्यादेश जारी किया है, उसमें चाहिये तो यह था कि सरकार कांग्रेस की परम्पराओं को तोड़कर उसमें से यह प्रोविजन हटाती कि एक दिन के लिये भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। चुने हुये लोग चुने हुये लोगों को चार्ज देंगे। एक साल के बजाय चुने हुये लोगों को हटाकर दो साल तक एडमिनिस्ट्रेटर लगायेंगे। इसका मतलब साफ है कि सरकार की नीति यह है कि इस मूवमेण्ट को कमजोर किया जाय। जिन लोगों के हाथ में यह मूवमेण्ट जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबसे बड़ी समस्या आज के युग में है वह यह है कि जो महगाई बढ़ रही है और जो आवश्यक चीजें हैं वह आम जनता के लिए दुर्लभ हो रही हैं तो बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम इस मूवमेण्ट को मजबूत करें ताकि रोजमर्रा की चीजें उनके माध्यम से गरीब लोगों को मिल सके। पर मैं समझता हूं कि सरकार की नीति है वह निश्चित तौर पर उनके विपरीत है। वह बड़े-बड़े लोगों के साथ, व्यापार करने वाले लोगों के साथ, जो खुल्ला व्यापार करने वाले लोग है, उनके पक्ष में है ! इसलिये को-आपरेटिव मूवमेन्ट को कमजोर करने के लिये यह आर्डिनेस लाये हैं।

मैं समझता हूं कि यह दो साल की बात नहीं। मैं समझता हूं कि यह अगले साल तीन साल हो जायेगी क्योंकि गांव के अन्दर विशेष तौर पर जिस पार्टी का आधार नहीं है, जिस सत्ता पक्ष का आधार नहीं है, वह गांव के लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो इन्होंने इसमें प्रोविजन किया है वह दिखने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

में छोटी सी बात है। एक साल के बजाय दो साल कर दिया और कुछ नहीं होगा। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने को-आपरेटिव सोसायटीज के नीचे के स्तर के चुनाव करा दिये और चुनाव होने के बाद आपको स्थिति का पता लग गया कि गांवों में क्या स्थिति है ? जब ऊपर के चुनाव होने वाले थे तब आपने रोक दिये। निश्चित तौर पर हमें इसको इस दृष्टि से देखना होगा।

मुझे क्षमा करेंगे मंत्री जी, आप तो डेढ़ साल से ही हैं आपने घोषणायें तो बहुत ऊंची की थी, आपने घोषणाओं पर पुनः विचार भी किया होगा परन्तु इस विभाग में से भ्रष्टाचार मिटाने की बात ऐसी चीज है जिसकी कल्पना नहीं करनी चाहिये क्योंकि को-आपरेटिव मूवमेंट जो राजस्थान में पनपा है और जो आज सत्ता में नहीं हैं और जिन्होंने 20-30 साल में इस मूवमेंट को पनपाया है उनकी भी नीयत यह नहीं थी कि इसमें आम जनता शामिल हो। बेसिकली को-आपरेटिव मूवमेंट इस बात का द्योतक है कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं। को-आपरेशन से लोग सारा उत्पादन करें, उसको बेचें, उसमें किसी का शोषण नहीं होने दें और उसी तरह से उसका वितरण भी करवायें, यह बेसिक प्रिन्सिपल है को-आपरेटिव का। इस बेसिक प्रिन्सिपल को जो लोग नहीं मानते या इस बेसिक प्रिन्सि-पल पर जो लोग नहीं चलते। वे इस को-आपरेटिव मूवमेंट में इस तरह के प्रोविजन कर देते हैं जैसे हमारे एक्ट में पहले हैं। हमारे अभी आलरेडी एक्ट में चुनाव का जो प्रोविजन है, जिस तरह से सदस्य बनाने का प्रोविजन है; आम जनता को को-आपरेटिव सोसायटी का मैम्बर बनने का अधिकार है। लिखा है उसमें, पर उसकी परमिशन कौन देगा ? अध्यक्ष देगा। अध्यक्ष जब परमिशन देगा तभी मैम्बर बनेंगे। उसकी अपील किसको करेंगे ? सब रजिस्ट्रार को करेंगे। सब रजिस्ट्रार के बाद रजिस्ट्रार, पूरा मूवमेंट इस तरह का बना हुआ है कि नौकर शाही के बिना दखल के, बिना उनकी इच्छा के आप मैम्बर बन ही नहीं सकते। बहुत सी ऐसी सोसायटी हैं जिनको इस तरह का लाभ मिलता है जैसे हाउसिंग सोसायटी हैं, ट्रांसपोर्ट सोसायटी हैं, गैस एजेंसी हैं या इस तरह की हैं जिनको लाभ मिलता है। उनको लाभ मिलता है। उनके मैम्बर कोई आम जनता में से बन ही नहीं सकते, इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगे हैं। वे रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगे हैं कि इस मूवमेण्ट को वास्तव प्रोटेक्टर के कुछ लोगों के लिए, विशेषतौर से चुनींदा लोगों के लिए रखा जाय। यह नीयत हमेशा प्रशासन की रही है। यही वजह है कि ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया इसके अन्दर जो प्रोविजन नहीं थे वे प्रोविजन भी हो रहे हैं। जनता को अधिकार दिये जायं इस पक्ष में नहीं, उल्टे हो रहे हैं। आज से 10-12 साल पहले ऐसा नहीं था। चुनाव हों, उसके बाद फिर चुनाव हों, यह स्थिति थी। पर एक गवर्नमेंट ने महसूस किया कि बीच में किसी को एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाय। और अब जो गवर्नमेण्ट आयी है उसने महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेटर जब तक मर्जी आयेगी तब तक रखेंगे। दो साल तो कर लिया, इसको और बढ़ाया जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि को-आपरेटिव मूवमेंट में जो राजनीतिक इच्छा है सरकार

(श्री हेतराम बेनीवाल)

की, वह जाहिर होती है। दो दलों की सरकार है, उसमें से एक दल का अभी भी नाम जनता दल है।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : तीन दलों की।

श्री हेतराम बेनीवाल : तीसरा दल तो यूं ही है। अब भी जनता दल नाम है, जो किसानों से जुड़े हुए हैं। इस मामले में हाउस का साथ दें। यह मूवमेंट जिसने गांव में आम किसान को, गांव में आम जनता की नींव कमजोर होती है उसको अस्वीकार करें, क्योंकि इस मूवमैंट में जो प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेटर का, उसके बाद मैं समझता हूं कि को-आपरेटिव मूवमैंट का कोई मतलब नहीं रह जायेगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर रखेंगे, सरकारी कर्मचारी रखेंगे, पहले ही रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को अधिकार दिये हुए हैं उन अधिकारों की वजह से इस मूवमेंट में बहुत कुछ हुआ है। चुनाव की बात मैं कह रहा हूं। अगर कोई सुपरवाइजर चाहे, जिस सोसायटी की मर्जी आये वहीं वोट डलवा दे। अगर कोई रजिस्ट्रार चाहे तो जिसको मर्जी आये, बैंक का चेयरमैन बना देगा। यह स्थिति बनी हुई है चुनाव की वजह से। इसमें इस तरह का दखल होता है। मैं समझता हूं कि हमारे जो मंत्री जी है उनमें तो बड़ा उत्साह है इस डिपार्टमेंट के बारे में। अब भी थोड़ी बहुत उनकी इच्छा बाकी बची होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इस आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करें। इसमें अगर कोई अमैण्डमेंट लाने हैं तो नये अमैण्डमेंट लाएं जिससे जनता को और अधिकार मिल सकें।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नाई (फलौदी) : सभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव दिया है कि सहकारी अधिनियम में सरकार जो संशोधन लाना चाहती है अध्यादेश द्वारा उस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय। यह 36वां जो सैक्शन है इसमें आप संशोधन करना चाहते हैं। अगर 36वां सैक्शन आप पढ़ेंगे तो जो नतीजे या उद्देश्य सरकार प्राप्त करना चाहती है, उससे नहीं होगा। धारा 36 का कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि किसी एक सोसायटी या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करना हो तो वह सैक्शन काम में आता है। इन्होंने उस सैक्शन के अन्तर्गत जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनके चुनाव नहीं करवाने का निर्णय लिया पहले एक साल के लिये और उसके बाद उन एडमिनिस्ट्रेटरों की मियाद इसके द्वारा दो साल की कर दी और बीच में दो छुटपुट संशोधन भी, जो विधेयक थे, जो बिल पेश किया है उसमें रखे हैं। एक तो यह कि दो लाख से ज्यादा जहां तक सरकार की पूंजी लगी हो वहां एक एक्जीक्यूटिव अफसर सरकार लगा सकेगी और दूसरा यह कि प्रारम्भिक समितियां उनके सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को उस से ऊपर की संस्था में मत देने के लिये या प्रतिनिधित्व करने के लिये भेज सकती थीं। उसमें यह बात सही है कि काफी घोटाले होते थे। कई दफा एक का नाम भेज देते, उसके बाद जाकर कोई दबाव देते तो उसका नाम वापस ले लेते और किसी दूसरे को भेज देते। कभी-कभी दो-दो प्रतिनिधि भी पहुंच जाते थे। उससे एक फायदा तो होगा कि अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति उस सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कार्य करने वाला अच्छा को-आपरेटर हो, तो वह उसके ऊपर की संस्थाओं में कभी नहीं जा सकेगा, केवल पदाधिकारी — अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दो तरह के सदस्य ही उसमें जा सकेंगे। यह मैं एक दोष मानता हूं। केन्द्रीय स्तर या अपेक्स स्तर की जो को-आपरेटिव सोसायटीज हैं, उनके अन्दर कुछ अधिक योग्यता वाले चुनींदा लोग चाहिये।

अब जो मूल इन्होंने लिया है धारा 36 में एक (बी) जोड़ने का, धारा 36 मैं पढ़ कर थोड़ा आपको सुनाता हूं। Removal of a committee or a member thereof— तो, यह कोई सभी सहकारी समितियों पर लागू होता हो, ऐसा कानून नहीं है। यह कानून किसी सोसायटी या उसके किसी सदस्य ने अगर कोई डिफाल्ट कमिट किया है, उसमें लागू होगा। उसमें एक निश्चित प्रक्रिया दी हुई है : If in the opinion of the Registrar the committee of any cooperative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of duties imposed on it or on him by the Act or the Rules or by the bye laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members or wilfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of Co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the government, or, is otherwise not dischanging its or his functions proparly, the Registrar may, after giving the Committee or the member as the case may be, a reasonable opportunity to state its or his objection, if any, by order in writing remove the committee under dispute.

इसकी मंशा स्पष्ट है कि यह कोई एक सोसायटी या उसके सदस्य पर लागू होता है जो भी बाद में धारायें या बाद में खण्ड आते हैं धारा 36 के, वे इसकी मंशा को पूरा करने के लिये हैं, जो मैंने अभी पढ़ा है। इसलिये आप उसमें कोई 1 (ए) या 1 (बी) डालकर, जितनी भी संस्थायें हैं उनमें आप प्रशासक नियुक्त कर दें, यह इस कानून के साथ धोखाधड़ी है and this is, I shall say, a fraud on the Constitution. यह आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें और बहुत लम्बे खण्ड दिये हैं आगे कि 15 दिन के अन्दर सरकार को रिपोर्ट भेजी जायेगी, वह इसमें अपील भी कर सकता है। उसमें आपका यह सबको समाप्त करने का नियम आता ही नहीं है, मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि उसकी जो तज्वीज है वह तो अनुशासनात्मक कार्यवाही उस सोसायटी के लिये है। फिर तो जितनी हैं उन सबके जो पदाधिकारी हैं उनको आप सूचनायें देते, नोटिस देते, उनका जवाब और वे सब शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसलिये यह संशोधन बड़ा अटपटा लगता है और जो मूल मंशा है इस कानून की और इस धारा की इससे बाहर चला जाता है। यह एक बात है।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

आपने प्रशासक नियुक्त किये हैं। अधिक राजनीतिक सत्ता का केन्द्रीयकरण, ब्यूरोक्रोटाइजेशन इसके क्या परिणाम होते हैं, इतिहास ने अभी सबक लिया है और वह रूस का मामला है। रूस जैसा महान् देश और इतना शक्तिशाली उसकी अर्थ व्यवस्था धाराशाही हो गयी, वह टूटने की स्थिति के अन्दर हो गया और दूसरों से एक तरह से ऋण मांग कर उनके आश्रय पर जीना चाहता है। यह परिणाम होता है। इसलिये आपकी भी यह जो प्रवृत्ति है कि हर बात के अन्दर कोई बात हो तो सरकारी अधिकारियों के ऊपर तो आपको पूरा विश्वास हो और चुने हुए लोगों के ऊपर कतई विश्वास नहीं हो। ठीक है, ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि राजस्थान में सहकारी आन्दोलन है वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत देर से प्रारम्भ हुआ था इसलिये हमको दूसरे प्रदेशों और देश के साथ चलना था इसलिये हमने ब्यूरोक्रेसी को प्रारम्भ में इसको दूसरों के बराबर लाने के लिये, संगठन का ढांचा खड़ा करने के लिये उनको ज्यादा अधिकार वगैरह दे दिये लेकिन अगर हम अधिक ब्यूरोक्रोटाइजेशन करेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे यहां सहकारिता पनप नहीं सकेगी। सहकारिता और जनतन्त्रवाद यह दोनों बातें ऐसी हैं कि इसमें गलतियां होती हैं, गलतियां होने से ही यह परिपक्व होता है। इसलिये सहकारी आन्दोलन को परिपक्व होने दीजिये।

आपने लिखा है कि 2 लाख से ऊपर कई सहकारी समितियों में हिस्सा पूंजी हमारी दी हुई है इसलिये हमारा एक्जीक्यूटिव आफिसर होना चाहिये। क्यों आपका एक्जीक्यूटिव आफिसर होना चाहिये? उनका भी आडिट होता है, हिसाब देखा जाता है, आपके प्रतिनिधि होते हैं उसमें। फिर क्या वह बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं जो वह जायेंगे तो कल्याण कर देंगे और वह नहीं होंगे तो दूसरे कानून से बचकर निकल जायेंगे। हम किसी व्यक्ति को रुपया उधार देते हैं, दो लाख भी देते हैं, 10 लाख रुपये भी देते हैं तो क्या हम वापस नहीं लेते हैं? तो यह जो गलत धारणा आपकी बढ़ रही है उसे छोड़िये। सरकारी अधिकारी ठीक पालिटिशियन के बारे में कई बातें जा सकती हैं लेकिन पालिटिशियन्स का पैसे खाने का अवसर ही कौनसा है। और भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं, यह भले ही कहें कि पालिटिशियन्स भ्रष्ट हैं, कितने पालिटिशियन्स भ्रष्ट हो सकते हैं लेकिन पग-पग पर जो सरकारी दखल है। यह बात मान्य नहीं हो सकती है कि सारे अधिकारी बेईमान हैं। कई बहुत अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े कुशल प्रशासक हैं लेकिन केवल सरकारी अधिकारी के संस्था में होने से वह संस्था पनप जायेगी, या वह आगे बढ़ जायेगी, या हमारा कल्याण कर देंगे। यह धारणा आपको छोड़नी चाहिये। रूस ने और वहां की व्यवस्था ने बड़ा ऐतिहासिक सबक दिया है उससे हमको भी सबक लेना चाहिये।

यह जो इस अध्यादेश का सवाल है वह जो मूल अधिनियम हमारा है सहकारिता का, उसका खण्ड 36 है उसकी मन्शा के और संविधान को मैं तो कहूंगा उसके बिलकुल प्रतिकूल है। इसलिये इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्री जी । आपका इसके बाद आयेगा ।

श्री चतुर्भुज वर्मा (प्रभारी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने सुझावों से मुझे अवगत करवाया लेकिन अगर कहीं हमारे प्रचलन में गलती नजर आती है, उसको सुधारने का दायित्व हमारा है या नहीं है ? माननीय श्री नत्थी सिंह जी, श्री गहलोत साहब, श्री परसादी लाल जी, श्री कल्ला साहब, डा. चन्द्रभानजी, श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, श्री परसरामजी मदेरणा साहब और माननीय श्री विश्नोई साहब ने इस आर्डिनेन्स का विरोध किया है । मैं नहीं समझता हूं कि किस बात के ऊपर किया है? यह जो शंका और धारणाएं अपने मन के अन्दर पैदा कर ली हैं कि सहकारिता आन्दोलन मैन रास्ते से भटक रहा है । अगर पुराना इतिहास उठाकर देखें कि स्वयं ने को-आपरेटिव मूवमेंट को ठीक रास्ते पर लाने के लिये अब तक क्या-क्या उपाय किये हैं और अब क्या सुझाव देना चाहते हैं । मुझे किसी एक भी माननीय सदस्य ने यह सुझाव नहीं दिया कि सहकारिता के माध्यम से या को-आपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से यह स्टेप उठाये हम आपका साथ देंगे । यह किसी ने नहीं कहा । आर्डिनेन्स का विरोध कि हम अस्वीकार करते हैं, हम अस्वीकार करते हैं । यह तो आपका राजनीतिक हथियार है, कीजिये आप, अपने काम में लीजिये । लेकिन मुझे एक-एक माननीय सदस्य एक-एक भी सुझाव देते कि को आपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर हैं, कमजोर व्यापारी हैं जो कस्बों और गांवों के अन्दर भरे पड़े हैं लाखों की तादाद के अन्दर उनका भला इस प्रकार के कदम उठाने से भला हो सकता है । लेकिन किसी एक ने भी गरीब और मजदूर का नाम नहीं लिया इस माध्यम से । श्री कल्ला साहब ने तो कहा कि मेरे यहां सोसायटीज में अनियमितताएं हुई हैं, चुनाव हुए हैं । हाई कोर्ट का सहारा लिया । हाई कोर्ट का मैंने कब मना लिया । लेकिन उन गरीबों को आपने 25 रुपये की सदस्यता से वंचित कर दिया और केवल उसे मेम्बर बनाकर उनके माध्यम से चुनाव कराने की प्रक्रिया का यह आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं । एक बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद बन्द नहीं की जा सकती है और अगर हाई कोर्ट ने तो उसका निर्वाह किया है, मैंने हाई कोर्ट के आदेशों की अव-हेलना नहीं की है ।

मैं जानता हूं कि सहकारिता आन्दोलन, हमारे जीवन के सिद्धान्तों और जीवन के हर पहलू में छाया हुआ है, हमारी भारतीय संस्कृति, हिन्दू संयुक्त परिवार व्यवस्था है उसका ही एक क्षेत्र है । उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते हुए जायेंगे । सहकारिता लोकतान्त्रिक सिस्टम है, लोकतन्त्र जिन्दा रहे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करूं कि एक ही आदमी 10-10, 12-12 साल तक चुने जाते रहे और उसी के हाथ में सहका-रिता का केन्द्र बिन्दु देकर दूसरे सदस्यों का प्रवेश नहीं हो सके, इसके क्या उपाय हैं । वह सुझाव आपने नहीं दिये । 26-27 को-आपरेटिव सोसायटीज ऐसी थीं, को-आप-रेटिव बैंक्स थे जिनके चेयरमैन आपके अपने ही आदमी थे । मैं उन सारों को हटाना नहीं चाहता हूं । पुनः चुनाव जीत कर आ जायेंगे, मैं आपको आश्वासन देता

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

हूं कि 6 महीने के अन्दर को-आपरेटिव के चुनाव करवा दूंगा। मैं आपको यह भी आश्वासन देता हूं कि क्रय-विक्रय सोसायटीज का नाम लिया है, चुनाव प्रक्रिया बन्द नहीं की है लेकिन आप लोगों ने ही मुझ से कहा था कि एक का प्रस्ताव आया दूसरे को कर दिया। अन्तिम समय तक 8-8, बार प्रस्ताव कर प्रस्ताव बदल दिया गया। इसमें सुधार लाने के लिये हमारे श्री रामेश्वर प्रसादजी ने जरूर कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन किया है, यह नहीं होगा तो उपाध्यक्ष वोट देगा। आप बतायें कि इसमें कहां गलती है। लेकिन एक ही गांव में 400 आदमियों को सदस्य बना दिया जाय और एक गांव में एक भी सदस्य नहीं हो, 3-3 तहसीलों में क्रय-विक्रय समिति में दो गांवों में से एक हजार सदस्य हो गये और बाकी के गांव छोड़ दिये। जबकि उनका चैयरमैन बैठा है, बाकी के लोगों को सदस्य नहीं बनाते हैं यह लोकतंत्रीय परिपाटी है? इसके बारे में आप में से किन-किन ने सुझाव दिये हैं....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : प्रशासक भी यही कर रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सुन लीजिए आप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सहकारिता के माध्यम को ठीक ढंग से साल भर के अन्दर आपके सामने रख दूंगा तब आप कहेंगे कि को-आपरेटिव मूवमेंट पनप रहा है और जनता के माध्यम से पनप रहा है।

अभी हमारे डा. चन्द्रभान जी बोल रहे थे, वह भी सरकार में रहे हैं उस समय भी को-आपरेटिव मूवमेंट का आर्डिनेन्स लाये थे व्यवस्थापक अपने डाकुमेंट्स जांचकर्ता को नहीं देते हैं, दस्तावेज नहीं देते हैं, कागज नहीं देते हैं, रेकार्ड को कुए में डाल देते हैं उन लोगों के खिलाफ में हम क्या कर सकते हैं। रेकार्ड देने के लिए उस समय भी हम आर्डिनेन्स लाये थे कि उनसे रेकार्ड प्राप्त किया जाय, क्या हम परिपाटी बनायें। सजा का कोई प्रावधान नहीं था। हमने सजा का प्रावधान किया हमने सहकारिता समिति को मजबूत बनाने के लिये, उनको जीवित करने के लिये प्रावधान लाये हैं। थोड़े समय के अन्दर सरकार में आये थोड़े ही दिन हुये हैं, मान लीजिये मैं बच्चा हूं मैंने कोई 4-4 साल तक को-आपरेटिव मूवमेंट का आनन्द नहीं लिया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति कैसे मजबूत बनायी जाय, एक भी माननीय सदस्य ने कोई सुझाव दिया क्या? आपने यह कहा क्या–कि हमारी को-आपरेटिव सोसायटी जो सहकारी समितियां हैं कितना ब्याज देती हैं, हमारी नाबार्ड जो लोन देती है हमारी सी. सी. बैंक को बाध्य करती है कि वो जो अमानत आपके पास है उसमें से तीस-चालीस परसेंट आपको 13 परसेंट पर लोन लेने के बाद किसानों को देनी पड़ेगी तो हमारी सोसायटियां कैसे मजबूत होंगी। हमें बताओ तो सही आप को-आपरेटिव बैंक कैसे मजबूत होंगे। आपके सारे घाटे के अन्दर जा रहे हैं, आज एक बैंक नहीं 27 की 27 बैंक घाटे के अन्दर जा रही हैं। आज जितनी भी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं सारी घाटे के अन्दर जा रही है। जितने भी पी. एल. डी. बी हैं सारे घाटे में जा रही हैं। कारण तो तलाश करते हैं, या केवल भाषण देना बड़ा आसान होता है,

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

सुझाव देने चाहिये, रचनात्मक सुझाव देने चाहिये थे आपको।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी विधेयक को पारित करने में तीन वाचन होते हैं। प्रारम्भ में अभी जो स्तर है वह तो यही है कि इसको स्वीकार किया जाये या नहीं किया जाये इसलिये उसी पाइंट पर बहस की है। भलाई के काम आयेंगे उसमें हम और करेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : चेन्ज क्या लाना चाहते हैं इस बारे में आप थोड़ा व्याख्यान दें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : श्री कल्ला जी एक मिनिट में या एक रात में ही कोई सारा काम नहीं हो जाता है। मैंने राजस्थान में एक एडवाइजरी बोर्ड गठित किया है। राजस्थान लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड से मैं सजेशन लूंगा कि राजस्थान के अन्दर हमें क्या-क्या करना है। आप धैर्य तो रखें। आप बीकानेर में सिमट कर रह गये। राजस्थान में फैलना चाहिये आपको, यदि सुझाव देते तो मैं आपका ध्यान रखता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हो गये, मगर आपने नहीं बताये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यादेश की अरजेन्सी बता दीजिये इसमें तो यही बोलना है। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय श्री बैरवा साहब यह आपकी अक्ल के बाहर की चीज है इसके बारे में क्यों सोच रहे हो आप। मेरा एक निवेदन है 4,658 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के हमने चुनाव कराये हैं। नागरिक बैंकों के चुनाव कराये, उपभोक्ता संघ के कल तक की तारीख में चुनाव हुये हैं। हमने कौनसी प्रक्रियाओं को रोक दिया। आपको यह शंका कैसे हुई कि प्रक्रिया रोकी जा रही है। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव में नवम्बर और दिसम्बर तक पूरे करा दूंगा। लेकिन संशोधन थोड़ा सा करना चाहता हूं कि जब एक गांव के 500 सदस्य हैं क्या उन्हीं को पांच डाइरेक्टर का अधिकार दे दिया जाये, इस पर तो विचार करना चाहिये। एक सुझाव मैं आपसे ही मांगता हूं कि एक गांव से पांच सौ या सात सौ आदमी मैम्बर बना दिये गये और एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अन्दर पांच डाइरेक्टर चुनकर और वहीं माफिया गिरोह की तरह वहां कब्जा करके बैठ जाये, क्या यह प्रोसेस मुझे रखना चाहिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने क्या सोचा है?

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैंने, मान्यवर यह सोचा कि केवल एक डाइरेक्टर होगा पांच नहीं होंगे चाहे हजार सदस्य बनाये या 10 हजार सदस्य बनाये और 6 डाइरेक्टर की जगह 8 डाइरेक्टर उन जन-प्रतिनिधियों में से लूंगा जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों से होंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे और दीवार के ऊपर चुनाव लिस्ट चिपका दी जायेगी कि यह अध्यक्ष की सूची है, यह उपाध्यक्ष की सूची है। अध्यक्ष एबसेंट होगा तो उपाध्यक्ष वोट देगा और कोई वोट नहीं देगा, कहां बेइमानी है।

श्री रामनारायण वर्मा : आज की तारीख में को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटीज में दो

(श्री रामनारायण वर्मा)

मैम्बर तो व्यक्तिगत आते हैं और पांच जनरल आते हैं आज वही नियम है ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हम बदल देंगे । उनकी चिन्ता मत करो ।

श्री रामनारायण वर्मा : चिन्ता की बात नहीं है । मैं तो यह कहना चाह रहा हूं हर गांव का आदमी सदस्य बनेगा इसके बारे में कोई प्रोविजन ला रहे हैं क्या आप ? उसको भी देखिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह परिवर्तन आप लाना चाहते हो या आपके विभाग के सेक्रेट्री लाना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय श्री कल्ला साहब ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में ऐसा बाजा बजाया जैसे बहुत बड़ा शोर हो रहा हो । इसलिये मेरा निवेदन यही है कि माननीय सदस्यगण जो मैं आर्डिनेंस लाया हूं उसको स्वीकार किया जाये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा विशेष रूप से कानूनी एतराज था कि दफा 36 के अन्तर्गत यह प्रावधान आ ही नहीं सकते उसका तो कुछ फरमाओं ना ।

श्री सभापति : बाद में बता देंगे । माननीय श्री नत्थीसिंह जी क्या प्रत्युत्तर देना चाहते हैं ?

श्री नत्थी सिंह : मैंने जितने भी प्रश्न उठाये एक का भी मन्त्री महोदय ने जवाब नहीं दिया । मेरा सबसे पहले यह था कि आपको क्या जरूरत पड़ गई थी आर्डिनेंस लाने की । जब पिछली बार आपने आश्वासन दिया था और आर्डिनेंस को कानून बनवाया । तब आपने आश्वासन दिया था कि हम इसी अवधि में एक वर्ष में चुनाव करवा देंगे । कौनसी ऐजी अरजेन्सी आ गई जो उस आश्वासन को तो आप चबा गये और उसके बाद आप फिर एक साल का यह ले आये ? दूसरी बात मैंने आपको यह अर्ज की थी कि आपने जो इस चुनाव पर प्रक्रिया शुरू कर दी, आपने बड़ा कहा है कि मैं चुनाव पूरे करा दूंगा । हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको मैंने कोट किया, जो प्रक्रिया कानून के तहत शुरू हो चुकी है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जिसके अन्तर्गत चुनाव होना था उसको आप नहीं बदल सकते बीच में, उस प्रक्रिया को जारी रखना नहीं है, उस प्रक्रिया को समाप्त करना है । आपने मार्केटिंग सोसायटी के चुनाव शुरू करा दियें, उसमें जो नियम थे उसके जो बॉयलाज थे जिसके तहत मतदाता सूची अन्तिम हो गई वह प्रकाशित हो गई, उसके तहत नोमीनेशन पेपर दाखिल होने जा रहे थे । आप कहते हो मैं नया संशोधन लाऊंगा । आप किसलिये इस प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं ? मुझे मालूम है आपके रजिस्ट्रार के यहां से जो आदेश गये हैं उन आदेशों में लिखा है कि जिस स्टेज पर चुनाव चल रहे थे उस स्टेज पर चुनाव बंद किये जाते हैं । वह स्टेज थी मतदाता सूची अन्तिम, यह स्टेज थी नोमीनेशन पेपर दाखिल होंगे, लेकिन आज आप जो कह रहे हैं वह तो उल्टी बात कह रहे हैं आप कहते हो उसे मतदाता सूची को मैं कंडम कर दूंगा । वह मतदाता सूची नहीं रहेगी आप कह रहे हो कि मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही मौका दूंगा । आज तो उन्होंने प्रस्ताव किये हैं । कोई भी कार्यकारिणी का

(श्री नत्थी सिंह)

सदस्य नहीं, साधारण सभा का सदस्य भी चुनाव में मदतान करने के लिये अधिकृत है और उनका मतदाता सूची में नाम है। वह अन्तिम है आप आज उसको बदलना चाहते हो और आप कानून ला रहे हो उसका मतलब है आप चुनाव के प्रति, उसकी पवित्रता के प्रति कतई प्रतिबद्धता नहीं निभाते। अगर आपको यह कानून लाना था, इसमें सुधार करना था तो आप उसको पहले लाते और उसके बाद चुनाव कराते। आप कह रहे हो कि हम चुनाव के प्रति प्रतिबद्ध भी हैं, पवित्र हैं। केवल बात करने से कुछ नहीं होता है। इस डेढ़ साल में चार बार आर्डिनेंस आये हैं। इस पर भी आप विचार करिये और फिर इसमें आज जो चुनाव के सम्बन्ध में आर्डिनेंस है सबसे बड़ी आपत्ति हमारी यह है कि एक वर्ष के लिये आपने कर दिया, दो वर्ष का कर दिया और फिर आप चार वर्ष का ले आओगे। मैंने एक सवाल उठाया था और आप उस वक्त सचिव थे, ठीक है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पन्द्रह वर्ष से कौन से कानून के तहत अपैक्स सोसायटीज में वह एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका सहकारी संस्था अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कौनसा प्रावधान है जिसके अन्तर्गत 15 वर्ष से लगातार सहकारी संस्थाओं में प्रशासक चले आ रहे हैं? आपने एक वर्ष किया, दो वर्ष ला रहे हो। कोई कानून नहीं है ऐसा इसलिये आप मूलभूत बातों पर कोई जवाब नहीं देना चाहते उनको तो चबा गये।

कई और बातें उठायी थी उनको अभी आपने इस स्टेज पर नहीं दिया इसलिये अब तो मजबूर करोगे हमको कि हम दूसरे वाचनों पर भी उन बातों को कहें, जो इसके प्रावधान हैं, वह आप कहेंगे लेकिन जो एक वर्ष की बजाए दो वर्ष का ला रहे हो, चुनाव को जो आपने रोका है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया आपने, जो चुनाव प्रथा चालू हो रही है आज जारी रखेंगे, आप बंद कर रहे हो आप गलत कह रहे हो, हाउस को मुगालता दे रहे हो कि हमने चुनाव की प्रोसेस बंद नहीं की है। आप यह संशोधन ला रहे हो उसका मतलब है कि अब तक की मतदाता सूची सब कंडम है और आप कह रहे हो हम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से गलत बयानी करके आप जो इसको लाना चाहते हैं, मैं कहता हूं आपने अभी प्रबोधन के समय कहा था आर्डिनेंस से राज नहीं करेंगे और कोई नहीं मैंने माननीय अडवाणी जी से सवाल पूछा था कि यह जो आर्डिनेंस से राज चलता है उसके विषय में आपकी क्या राय है, जो आर्डिनेंस से राज चलता है वह बड़ा कंडम राज है और आप उनके प्रति भी उनके नोमिनी, उनकी पार्टी के माननीय सदस्य होते हुये उसके साथ राज करना चाहते हो। आप हिम्मत दिखाइये, मुख्य मंत्री जी, डरिये मत और इसको आप वापिस ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर्डिनेंस इश्यु करने का रिकार्ड हिन्दुस्तान में बिहार की सरकार ने बनाया है और बिहार की सरकार आपकी पार्टी की है।

श्री नत्थी सिंह : आपको नकल करनी भी गलतियों की ही आती है, अच्छाई की नकल करनी नहीं आती। (व्यवधान)

श्रीमति सुमित्रा सिंह : यह कोई जवाब नहीं है आपका, अपनी बात का जवाब नहीं देते हैं और नजीर देकर चुप कर देते हो। यह बहुत गलत तरीका है।

श्री रामकिशन : आप अपनी याददास्त को दुरूस्त करो वह जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी आर्डिनेस लाने वाली, यह सरकार नहीं है। आप रिकार्ड की बात कही है मैं तो आप की उम्र के हिसाब से याद दिला रहा रहा हूं, दुरूस्त करिये जरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो माल मिलता है खाने को दिमाग ताजा रहता है मेरे को माल नहीं मिलता है इसलिये है नहीं लेकिन आर्डिनेंस पर तो आज यह बोल रहे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार ने आर्डिनेंस जारी नहीं किये जिस वक्त वी. पी. सिंह जी प्रधानमंत्री थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा 1 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या-4) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैंने अध्यादेश को निरस्त करने के बारे में प्रस्ताव रखा और इस सम्बन्ध में काफी बोला हूं और 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है चुनाव कराने का, चुनाव के माध्यम से जनता के चुने हुये प्रतिनिधि आये और वह सहयोग से उस संस्था को चलाये और उसमें सबका हित हो इस बात को ध्यान में रखते यह सहकारिता का आन्दोलन शुरू किया था।

(3.52 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इसी सन्दर्भ में, सहकारिता मंत्री जी, आप गौर करें, दांते कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, दांते साहब जो सहकारिता के हमारे ऐसे बहुत बड़े एक्पर्ट हैं, उन्होंने किसानों के हित के सहकारी संस्थाओं के सुधार के लिये और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी जिनको ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से जानते हैं इसके बारे में अपने अमूल्य और उपयोगी सुझाव दिये थे। इन सुझावों को इनकारपोरेट करते हुये यदि आप इस विधेयक में कुछ बातें जोड़ते तो मैं समझता हूं कि कुछ इस विधेयक का लाना सार्थक होता लेकिन न तो किसी से सलाह ली और न किसी को कॉन्फीडेन्स में लिया और केवल मात्र जो सचिवालय से पत्रावली आपके पास आई उस पर दस्तखत करके यह विधेयक ले आये। मैं इस सम्बन्ध में आपको सुझाव देना चाहता हूं कि पहले जो व्यवस्था चल रही थी कि जो सोसायटीज में प्रतिनिधि चुन कर और एक व्यक्ति को वोट देने का राइट दे दिया करते थे वह क्या गैर प्रजातान्त्रिक तरीका था? प्रजातान्त्रिक तरीके से वोट देने का अधिकार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दिया जाता था। अब आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तक ही सीमित रहते हैं। इसमें संशोधन करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी व्यक्ति को संस्था के लोग मिल करके उसको अधिकृत कर देते हैं उसको वोट देने का राइट दे दिया जाना चाहिये। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं संस्थाओं में जो प्रशासक लगा रहे हैं यह बहुत गैर जिम्मेदाराना कदम है। इसमें चुने हुये प्रतिनिधियों को ही अधिकार देना चाहिये जिसके माध्यम से वे सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ा सके।

मैं दो तीन बातें और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। पिछले दिनों में सहकारिता के कर्जे माफ किये गये। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में पिछले वर्षों में कई जिलों में तीन साल, चार साल, पांच साल से अकाल पड़े हैं उनके तकावी ऋण आज भी पेण्डिंग पड़े है, इसके बारे में क्या किया? किसानों के ऋण माफी का जो वायदा किया था उसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी तक पूरे कर्जे किसानों के माफ नहीं हुये। कितने माफ किये, कितने कर्जे पेण्डिंग हैं और किन-किन कर्जो की माफी की कार्यवाही स्थगित रख रखी है इसके बारे में आप प्रकाश डालें अभी पिछले दिनों में तिलम संघ के कुछ विज्ञापन, सहकारिता मंत्रीजी, अखबारों में पढ़े और यह पहली बार ऐसा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी थी वह दो-दो, तीन-तीन बार आगे बढ़ी है और इसके साथ-साथ जो निर्धारित योग्यतायें है, किसी पद के लिए 10 वर्ष रखी गयी थी उसके बाद दूसरा विज्ञापन आता है उसमें 8 वर्ष रख दी गयी। यह क्या हो रहा है आपके विभाग में? मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए दोषी कौन है? उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई दोषी नहीं है।....(व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दोष तो सहकारिता मंत्रीजी का है उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्रेट्री का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, जनहित की बात आपको कह रहा हूं। आप ठीक करें तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपका संरक्षण भी मिलेगा तो सबसे बड़े अफसोस की बात है।

श्री यदुनाथ सिंह : कल्लाजी आयेंगे यह तो ठीक करेंगे ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्लाजी से आपरेशन ब्लेक बोर्ड ही ठीक नहीं हुआ जो यह क्या ठीक करेंगे मैंने तो ठीक कर दिया। कई सींखचों में पड़े हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कौन पड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपरेशन ब्लेक बोर्ड वाले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपरेशन ब्लेक बोर्ड में मंत्रालय का कोई मामला नहीं था, यह कई बार डिस्कस हुआ है। आपने मुझे कैसे दोषी बता दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने मंत्रीजी

Page No. 106

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

को कैसे दोषी बता दिया ? अगर इनकी रेसपान्सिबिलिटी है आपके हिसाब से तो आपरेशन ब्लेक बोर्ड में जो तीन चार करोड़ का घोटाला हुआ उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भारत सरकार की योजना थी । (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : खर्चा तो आपने किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार का पैसा लूटने के लिए नहीं है । आप इस बहम में है कि यह लूटने के लिये है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अगर मैं जिम्मेदार हूं, आपकी सरकार है तो आप प्रासीक्यूव करिये । मेरा दोष है तो मेरे को करिये । मैं चुनोती देता हूं । आप बार-बार मुझे इंगित कर के क्या कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनौति देने की बात नहीं है आपने कहा कि मंत्रीजी दोषी है इसलिए कह रहा हूं कि आप दोषी है ब्लेक बोर्ड आपरेशन में तीन-चार करोड़ का घोटाला हुआ ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपरेशन ब्लेक बोर्ड में कोई घोटाला हुआ है तो आप ह्वाइट पेपर पब्लिश करिये । भारत सरकार की योजना थी....

डॉ. चन्द्रभान : आपने कहा कि कोई अधिकारी दोषी नहीं है तब इन्होंने कहा कि मंत्रीजी सबसे पहले दोषी हैं । आप क्या यह मानते हैं कि कोई अधिकारी दोषी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर न होवे, माननीय कल्ला साहब ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विषयान्तर तो मुख्य मंत्रीजी स्वयं हो रहे हैं । आपरेशन ब्लेक बोर्ड भारत सरकार की योजना थी । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी थी और अध्यक्षता के नीचे उच्च अधिकारियों की कमेटी ऊपर से बनकर आई थी । उसमें शिक्षा मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं था ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह पत्रावली आपके पास नहीं आई, आपके दस्तखत नहीं हुये क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल्कुल नहीं हुये । आप सरकार में बैठे हैं, आप करिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मंत्री थे और आपके विभाग में यों ही काम होता रहा । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, तिलम संघ में रोज विज्ञापन जारी करने के बाद कभी उसकी योग्यता में कमी कर दी जाती है, कभी बढ़ा दी जाती है, चहेते लोगों को फिट करने के लिए । ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि तिलम संघ ने जिस तरीके से विज्ञापन जारी करके और जो अन्तिम तिथि निकलने के बाद निर्धारित योग्यता में कमी-बेसी करके जो घोटाला किया गया है उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिये । आप रोज बेरी आयोग को देते हैं मामले मैं चाहता हूं कि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माननीय सदस्य जो विधान सभा में मामले उठाते हैं उनको आप बेरी कमेटी को क्यों नहीं देते ? उनको देना चाहिये । नहीं तो ऐसा लगता है कि आप दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो ईमानदार होगा उसको संरक्षण देऊंगा ।

डॉ. चन्द्रभान : बेईमानों को ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : बेईमानों को संरक्षण देने के लिये कल्लाजी काफी हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो बेरी आयोग को देने पर पता लग जायेगा । (व्यवधान) वह ऐसा है, मैं दे रहा हूं या आप दे रहे हैं वह जनता देख रही है ।

श्री शान्तिलाल चपलोत (गृह राज्य मंत्री) : आपको पूरा पता नहीं है, तिलम संघ में क्या हो रहा है ? क्या देखा आपने तिलम संघ में ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप कौन होते हैं बीच में ? आपको नियमों का पता है ही नहीं ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं मंत्री होता हूं राजस्थान सरकार का और आपसे ज्यादा हैसियत है मेरी । (व्यवधान)

(4.00 म. प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मुद्दे विधान सभा में उठाये जाते हैं उनको लाइटली नहीं लिया चाहिये और खासतौर से जब मैं अध्यादेश पर बोला था उसके बारे में भी मंत्री जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया । जो हाउसिंग बोर्ड को-आपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से यहां लोगों को प्लाट अलाट किये गये थे और उसमें जो-जो शिकायतें शिविरों के दौरान आई थीं उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की, उसके बारे में आप अवगत करायें कि किन-किन प्रकार की शिकायतें आई, आपने कौन-कौन सी एग्रीकल्चर हाउसिंग सोसायटीज के बारे में क्या-क्या एक्शन लिये, कितने लोगों की फर्जी तरीके से प्लाट दिये गये ? यहां मैंने नामजद बताये थे कि किन-किन लोगों के नाम से क्या प्लाट थे । एक-एक व्यक्ति के नाम से 12-12 प्लाट मैंने यहां विधान सभा में बताये हैं और मुख्य मंत्रीजी ने उनको संरक्षण दे करके कह दिया कि इनके नाम से केवल इनके और इनके लड़के के नाम से प्लाट है । ऐसे सब तथ्यों के बारे में सदन को बताया और दोषी लोग हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? जिस विभाग के सैक्रेटरी प्लाट की खरीद करते हों आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस विभाग के उन हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज के जो सरगना हैं या जो गिरोह के लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है ? मैं जानना चाहूंगा आपने अब तक इन लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की, कितने लोगों का चालान किया और अब मैं खासतौर से कहना चाहता हूं इसी तरीके से सहकारी संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्ति करके आप जन-प्रतिनिधियों को एक ओर रोक रहे हैं वहीं आप अपने चहेते लोगों को प्रशासक बनाकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खुले आम भ्रष्टाचार फैलाने की दावत दे रहे हैं । इसी तरह से मैं यह भी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कहना चाहूंगा कि यहां 3 तरह की सोसायटीज हैं जैसे, ग्राम सेवा सहकारी समिति, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक जो राज्य स्तर पर हैं। इन तीनों के बारे में स्ट्रक्चरल चेन्जेज लाना चाहते हैं इसके बारे में जब मंत्रीजी रिप्लाई दें तो खुलासा बतायें कि क्या आप इस सिस्टम को लागू रखना चाहते हैं या इसको समाप्त करना चाहते हैं? आप जो पुरानी व्यवस्था अभी हैं, प्राइमरी ट्रेडिंग सोसायटी है उसके चुनाव हो उसके बाद सी. सी. बी. का चुनाव हो और सी. सी. बी. के बाद में अपेक्स बैंक का चुनाव हो। आप सी. सी. बीज्. को भंग करना चाहते हैं अब प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट लैण्ड डवलपमेंट बैंक हैं उनको आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? इन सब चीजों के बारे में आप स्ट्रक्चरल चेन्जेज जो लाना चाहते हैं उसके मानस को स्पष्ट करें और जब तक आपका पूरा स्ट्रक्चरल चेन्जेज लाने का मानस नहीं बना है तब आप हाउस के लोगों के साथ विचार करके जो सुझाव आये उसके बाद इस विधेयक को नये रूप में लाने का आप प्रयास करें और तब तक इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित)

माननीय श्री सुनील विश्नोई। (अनुपस्थित)

माननीय श्री जुबेर खां। (अनुपस्थित)

माननीय श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (नेता, जनता दल) : मैं अपनी बात पहले ही कह चुका हूं। मैं तो मुख्य मंत्री जी की सैंसिटिवनेस को ध्यान में रखकर बात कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं जनतन्त्र पनपे, लोकतंत्र पनपे। अभी मंत्रीजी ने तो जवाब दे दिया एक प्रावधान इसमें कर रहे हैं कि चीफ एक्जीक्यूटिव सरकारी होगा क्योंकि हमारे 2 लाख शेयर हैं। आपके तीन-तीन सरकारी अधिकारी बोर्ड में नोमिनेट होते हैं। वो भी सरकारी अधिकारी होते हैं और वो हर बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं वो कण्ट्रोल नहीं कर पाते। यह जो सदस्य हैं, एम. डीज्., सेक्रेट्री वगैरह हैं, ये आपके हैं लेकिन वे उनकी सलाह से थोड़ा कंसल्ट करके करते हैं उस अधिकारी को आप छीनना चाहते हैं, क्यों छीनना चाहते हैं? आप उनको कारगर बनायें। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, इस कानून में जो सहकारिता अधिनियम है इसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कानून हिन्दुस्तान में ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति को, एक ही अधिकारी को ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों के अधिकार हैं। परमात्मा ने भी तीन फंक्शन अलग-अलग दे दिये हैं। यह तो सृजनहारा भी है, पालक भी है और संहारक भी है। इस सारे पर विचार की जरूरत है। मैं यह कहता हूं कि आप यह जो ला रहे हैं इसकी बजाय आप इसे जनमत जानने के लिये परिचालित करिये और इस बीच में आप विशद् रूप से क्या और अमेण्डमेंट आने चाहिये, उनको भी करिये। इसको आप पीस मील में क्यों ला रहे हैं? चुनाव जिस स्थिति में है उस स्थिति में चुनाव तो कराइये। एक बात और कहना चाहता हूं, आपने यह कहा है कि

(श्री नत्थी सिंह)

स्ट्रक्चरल चेन्जेज, वो भी आपने स्पेयर आउट कर दिया। हमारे जो मुख्य मंत्रीजी हैं उनके एक विचार कई बार कुलबुलाता रहता है, पहले भी था और अब भी है वह यह है कि एल. डी बी और सी. सी. बी. को एक कर दें। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अब मैं यह खुसरो कमेटी की रिपोर्ट लाया हूं। रिजर्व बैंक ने एक कमेटी जो आन्ध्र प्रदेश में इन दोनों संस्थाओं को एक कर दिया, इन्टीग्रेट कर दिया उसके बाद क्या स्थिति बनी, यह तो आपके जो अधिकारी गये हैं वो भी देखकर आये हैं। रिजर्व बैंक ने खुसरो कमेटी की स्थापना की और और उसके साथ पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि यह सिस्टम और कष्टदायक हो गया, खराब हो गया, इससे सुधार नहीं आया इसलिये उस पर विचार करिये और आप चाहते हैं हम ब्रान्चेज बना दें उससे जन प्रतिनिधियों को क्या लाभ होगा? हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं है सी. सी.बीज्. में अपेक्स बैंक की ब्रान्चेज कहीं नहीं है तो आप इसमें जो कुछ स्ट्रक्चरल चेन्जेज लाना चाहते हैं वो भी जनता से बहुत ज्यादा सम्बन्धित है। एक बार सबको ला करके जनमत जानने को परिचालित करिये और इसके बाद हिम्मत करके फिर मंत्रीजी चुनाव करा दीजिये कोई दिक्कत नहीं है और न करावोगे 15 वर्षों से नहीं करा रहे हो बिना कानून के। बिना कानून के 15 वर्षों से अपेक्स सोसायटीज के नहीं करा रहे हैं तो नहीं करा रहे हैं लेकिन पीस मील में इसके पास मत कराइये। इसका पूरा कानून ला करके इसको लीजिये। एक बात मैंने और उठाई थी जो फौरी समस्या है आप बहुत चिन्तित हैं सोसायटीज को मजबूत बनाने के लिये लेकिन सारी सहकारी समितियों में व्यवस्थापक हड़ताल पर हैं। उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया जाय या बैंकों का कर्मचारी बनाया जाय। तीसरा सुझाव है, आप बड़ी संस्थाओं में चीफ एक्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं तो सरकार को फिर उनको अपने कैडर में लेना चाहिये। इसमें दिक्कत क्यों आई है? अपेक्स बैंक पैसा दे, सी. सी. बी. पैसा दे, सोसायटी दे तो फिर सरकार क्यों नहीं दे? सरकार ने अपना अंशदान कभी नहीं दिया इसलिये निश्चित् रूप से इन सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की समस्याओं का समाधान करिये इसके बिना सोसायटीज चल नहीं सकती। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आज कहां से तनख्वाह दी जायेगी और उनको भरपेट वेतन तो देंगे इसको आप जरूर करिये। वो रोज धरना देते हैं, रोज मारे-मारे फिरते हैं। हाई कोर्ट का निर्णय हो गया, हाई कोर्ट में वे कैसे गये थे उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन अब वह आपके गले में घंटी बंध गई है, मैं जानता हूं, इसको आप तय करिये और उन लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलनी चाहिये उनको जो भी लाभ हो वह देना चाहिये। आप ऐसा करिये कि सरकार में उनमें से ए. आई. के प्रमोशन जब हों उनमें एक पर्सेण्टेज होना चाहिये और बैंकों में जो सुपरवाइजर जो क्लर्क कैडर का है उनमें उनका पर्सेण्टेज होना चाहिये ताकि दोनों तरफ उनको तरक्की करने का मौका मिल सके तो शायद कोई समाधान निकल आवे। इतना ही मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिदेव जी जोशी । (अनुपस्थित)

माननीय डा. हरिसिंह (फुलेरा)

श्री रामप्रसाद (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे दीजिये । बैंकों में इनके रिश्तेदार बैठे हैं और इन्होंने फर्जी तरीके से जबर्दस्ती एक सेक्रेट्री को लगा रखा है भूमि विकास बैंक में सेक्रेट्री बना रखा है और उसको स्टे मिल गया और यह यहां बोल रहे हैं । लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है और एस. सी. के लोगों का पैसा खाकर बैठे हैं ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाय । करोड़ों रुपयों का घोटाला है । उपाध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक में मैं सदस्य था और जो भूमि विकास बैंक की शाखा में सेक्रेट्री लगा रखा है उसके द्वारा किसानों से 250-250 रुपये लिये जाते हैं। इनके रिश्तेदार सेक्रेट्री हैं उनके जरिये पैसा आता है और इसकी शिकायतें की गयी हैं भरतपुर जिले में इस तरह की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । डा. हरिसिंह ।

श्री नत्थीसिंह : यह सारा+++बोल रहे हैं, अब की बार इधर नहीं, उधर की तरफ मिल रहे हैं, सारा+++प्रचार कराया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डॉक्टर हरिसिंह ।+++शब्द एक्सपंज किया जाये । (व्यवधान) कृपया शांत रहिये, और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ? डॉक्टर हरिसिंह जी ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने प्रस्ताव किया है कि इस संशोधन विधेयक, 1991 को, सैकण्ड अमेंडमेंट बिल को जनमत जानने के लिये, को-आपरेटिव में जो लोग समझते हैं उनकी राय लेने के लिए इसको जनमत के लिए परिचालित किया जाये ।

श्री सम्पतसिंह : एक हरिजन विधायक बोल रहे हैं उनको तो धमका कर बैठा दिया ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बोले नहीं, इनसे बुलवा दिया आपने ।

डा. हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, को-आपरेटिव मूवमेंट न केवल राजस्थान में है, हिन्दुस्तान और विश्व में है । इसकी शुरूआत लंका और इंगलैंड से हुई थी और कन्जूमर को-आपरेटिव मूवमेंट से शुरूआत हुई थी । इस को-आपरेटिव मूवमेंट का मूल ध्येय, जो आज सारे विश्व में फैला हुआ है....

श्री केदारनाथ : एज ए चेयरमैन बोल रहे हैं ?

डा. हरिसिंह : As a Co-operator.

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे वेद-शास्त्र में भी जिक्र है, आप तो बाद की बता रहे हैं ।

डा. हरिसिंह : जिक्र है ।

श्री सम्पतसिंह : डा. साहब, चाहे कहीं से शुरूआत हुई हो, हमारे भरतपुर की नकल करी होगी ।

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

डा. हरिसिंह : भरतपुर उस वक्त पैदा ही नहीं हुआ था।

श्री नत्थी सिंह : यह बात भी सही है कि राजस्थान में 1915 में सबसे पहले भरतपुर में ही शुरू हुआ था।

डा. हरिसिंह : शोषण के खिलाफ यह मूवमेंट स्वेच्छा का मूवमेंट.. (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष जी, I want your protection.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : यह मूवमेंट स्वेच्छा का मूवमेंट है और मिडिलमेन को एलिमिनेट करने का मूवमेंट है, शोषण को एलिमिनेट करने का मूवमेंट है। हुआ क्या है कि स्वेच्छा के मूवमेंट को, जैसा माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि कहीं से सदस्य ही नहीं होते, यह स्वेच्छा का है, जो लोग स्वेच्छा से शामिल होकर अपना एक काम करना चाहते हैं, अपने आप को शोषण से बचाना चाहते हैं और एक संस्था बना कर उसका संचालन करना चाहते हैं, असली सिद्धान्त इसका यह है। अब धीरे-धीरे क्या हुआ है, किन्हीं विसंगतियों के कारण से, को-आपरेटिव मूवमेंट हिन्दुस्तान में और खास तौर से राजस्थान में दुबला होता गया और अपने ध्येय से दूर होता चला गया और को-आपरेटिव डिपार्टमेंट मोटा होता चला गया। डिपार्टमेंट जितने भी कानून लाया, जितने भी कानून बनाये, वह इस मूवमेंट को कमजोर बनाने के कानून लाया, मजबूत बनाने के लिये नहीं लाया और अंतिम कानून जो ला रहे हैं वह तो इसकी कमर ही तोड़ देगा, इसको खत्म ही कर देगा। इससे अच्छा तो मैं चाहूंगा कि इस को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को ही बंद कर देना चाहिये। इंग्लैण्ड में, जहां यह मूवमेंट शुरू हुआ था, वहां रजिस्ट्रार सिर्फ रजिस्ट्री और यह देखने के लिये कि ऑडिट वगैरह की कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मिस-एप्रोप्रियेशन ऑफ पब्लिक फण्ड तो नहीं हो रहा है लेकिन यहां तो को-आपरेटिव मूवमेंट का सरकारीकरण हो रहा है। फिर यह मूवमेंट की बात का ? यह जो आप अमेण्डमेंट लाये हैं, यह तो को-आपरेटिव मूवमेंट को दफनाने वाला अमेण्डमेंट है। कब्र तो आपने खोद दी है, अब इसको गाड़ना-गाड़ना और बूरना बाकी है, आप इस प्रक्रिया में लगे हुये हैं। मेरे को कहना यह है। मुख्य मंत्री जी बार बार बात करते हैं कि हम विकास के अन्दर आम आदमी को शामिल करना चाहते हैं, आम आदमी को शामिल करना चाहते हैं, आम आदमी को शामिल करने के लिये कुछ इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जैसे पंचायत है, नगर परिषद है, जैसे को-आपरेटिव मूवमेंट है, इनको तो आप खत्म कर रहे हो और आम आदमी को भागीदार बना रहे हो। कौन से आम आदमी को भागीदार बना रहे हो ? इससे बड़ा कथनी और करनी में फर्क क्या हो सकता है। को-आपरेटिव सोसायटीज के अधिकार छीन रहे हैं, को-आपरेटिव मूवमेंट को खत्म कर रहे है। पंचायतों को आपने भंग कर दिया, वहां आपने एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिये और अब आप कह रहे हैं कि हम आम आदमी को शामिल कर रहे हैं। आप सब मेरे से सहमत होंगे कि जो इन्स्टीट्यूशन्स पीपुल्स पार्टिसियेशन की है उनको तो कमजोर कर रहे हैं और दावा यह कर रहे हैं कि आम आदमी को मैं शामिल कर रहा हू, मुख्य मंत्री जी, यह करनी और कथनी में

(डा. हरिसिंह)

फर्क है जो आप करते आये हैं और आप करेंगे, मैं जानता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि सहकारिता में हमेशा यह होना चाहिये, कानून जब-जब भी बने, इसके अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया, इसकी इन्डिपेन्डेंस को कम कर दिया। चुनाव तो सहकारी विभाग के हाथ में है और सदस्य क्या चाहते हैं, किस को चुनना चाहते हैं, तो चुनाव का अधिकार भी उनकी स्वेच्छा से होना चाहिये, को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को राइट होना चाहिये। अब आपने रिप्रजेंटेशन की बात की कि चैयरमेन और वाइस चैयनमेन को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिये। वाइस चैयरमेन भी दो होते हैं, विवाद हमेशा होते हैं और अगर आप इसको अच्छा करना चाहते, आज छोटी सी को-आपरेटिव सोसायटी से लेकर हिन्दुस्तान के लेवल तक तालमेल है रिप्रजेंटेशन का और वर्ल्ड को-आपरेटिव मूवमेंट में हिन्दुस्तान का को-ओपरेटिव मूवमेंट शामिल है तो तालमेल करने की जरूरत है, न कि इसको जकड़ने की जरूरत है। आप अगर सही ढंग से सोचते तो आप यह सोचते कि को-आपरेटिव सोसायटीज अगर अपना रिप्रजेंटेटिव एक दफा भेजती है तो फैसला नहीं बदल सकती, यह सोचते आप। आप चैयरमेन और वाइस चैयरमेन की बात क्यों करते हैं? एक आदमी, काम्पीट सोसायटी यह तय करती है कि अपने अध्यक्ष के लिये यह उपयुक्त है लेकिन सोसायटी यह भी चयन करती है कि दिल्ली में रिप्रजेंटेशन के लिये यह उपयुक्त नहीं है। इस अधिकार को, को-आपरेटर्स के अधिकार को आपने यह अमेण्डमेंट लाकर छीना है। आपने कहा है कि

"(a) a co-operative society which is a member of another co-operative society shall, subject to any rules made under this Act, be represented by its Chairman or, in his absence, by the Vice-Chairman to vote on its behalf in the affairs of that other society;"

यह आप बहुत खोटा काम करने जा रहे हैं और यह को-आपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इसको सुधारना ही चाहते है और आपने जो मंशा इसमें तय की है कि एक प्रस्ताव आ जाता है, दो हो जाते हैं, फिर तीन आ जाते हैं, आप ऐसा करिये कि एक दफा प्रस्ताव आये तो that is final; you can do it. सुधारना है.तो ऐसा करिये आप। आप तो इसको और को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू जकड़ना चाहते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : डा. साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने इसको ऑब्जेक्ट किया है, वाई वे ऑफ प्रोक्सी, यह जो वोटिंग होती है, इसको आप ठीक मानते हैं?

डा. हरिसिंह : It is representating. It is not proxying. The representive represents the Society. He is not representating as a Chairman or Vice-Chairman. In an institution is always represented by a particular person nominated by the Society. This is the aim of everything. Do you thing once a man becomes the Chairman, he is the master of society No.

श्री कृष्णकुमार गोयल : डा. साहब, आप जानते हैं कि किस प्रकार से कलेक्ट करके, अपने आप लोग अपनी स्वेच्छा से किसी प्रकार का अधिकार देकर भेजते हैं, यह नहीं होता। बाई मेनीपुलेशन जिनके पास पैसा होता है वह लोग पहुंच जाते हैं और डिसीजन लेकर आ जाते हैं और वोट में चले जाते हैं।

डा. हरिसिंह : माननीय मंत्रीजी, जितना मेनीपुलेशन अलाउड है उस हिसाब से तो we are also here; जहां तक मेनीपुलेशन का सवाल है We are here by manupulation. We have wone the election by manipulation. So what do you mean by that ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डा. साहब, मेनीपुलेशन से वोट तो नहीं मिले, टिकट जरूर मेनीपुलेशन से मिलते हैं। वोट नहीं मिलते।

डा. हरिसिंह : किसको ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वोट तो मेनीपुलेशन से नहीं मिलते लेकिन टिकट मेनीपुलेशन से मिलते हैं।

डा. हरिसिंह : आपको तो हमेशा मेनीपुलेशन से ही वोट मिले हैं। आपको पब्लिक पोपुलरटी के हिसाब से वोट कभी नहीं मिले वरना आप कभी क्षेत्र छोड़ कर दूसरे क्षेत्र से लड़ते ही नहीं। You have always been manipulating.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिम्मत चाहिये क्षेत्र छोड़ कर दूसरी जगह लड़ने की।

श्री यदुनाथ सिंह : हिम्मत चाहिए एक क्षेत्र से बार-बार लड़ने की।

डा. हरिसिंह : एक दफा कोई आदमी एक दुकान करता है, उसकी शिनाख्त होती है, उसका खोटा-खरा लोग लोग समझते हैं और एक दुकान लगा कर नयी दुकान लोगों को प्यारी लगती है। आपको यह पोल मिली हुई है, खैर, एन्जाय करिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी ढूंढ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब की बार आप भी खोलिये दुकान, कभी मेरे इलाके में।

डा. हरिसिंह : आप अपने इलाके से ही लड़ते ही रहिये फिर। मैं तो फिर भी दांता रामगढ़ से लड़ सकता हूं, आप खुद लड़ कर देखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारा राजस्थान है हमारा इलाका।

डा. चन्द्रभान : डा. साहब तो झुन्झनू से जयपुर आ गये। फुलेरा और दाता रामगढ़ में क्या अन्तर है? झुन्झनू से आये हैं फुलेरा।

डा. हरिसिंह : अन्तर यह है कि मुख्य मंत्रीजी भी पोल ढूंढते रहते हैं तो हम भी थोड़ी ढूंढ लेते हैं, उसमें क्या बुराई है। Let us be very true,

श्री केदारनाथ शर्मा : अभी एक्सपर्ट नहीं बने आप।

डा. हरिसिंह : मैं एक्सपर्ट नहीं बना। तो आपके इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा दो पद हैं चेयरमैन एण्ड वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन दो होते हैं। अब दोनों में से कौनसा? 'देयर इज नो सीनियोरिटी एण्ड जूनियोरिटी देयर' तो वहां झगड़ा होगा।

(डा. हरिसिंह)

तो ग्यिलिटी में अगर आप चाहते हैं तो आपके सिद्धान्त को लागू करने के लिए....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : डाक्टर, साहब, जैसा आपने बताया कि वाइस चेयरमैन दो होते हैं तो मार्केटिंग का और उपभोक्ता का जहां सिर्धारण होता है अगर उन को कहीं भी राइट आफ वोट का अधिकार नहीं देते हैं तो फिर मार्केटिंग का और उपभोक्ता का निर्धारण करने का उद्देश्य क्या था ? बल्कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ने जो अध्यक्ष को को-आपरेटिव बैंक में चुनाव के लिये, बल्कि इसमें और स्पष्ट कीजिये आप कि जो जी. एस. एस. का उपाध्यक्ष मार्केटिंग है वह मार्केटिंग में ही वोट कास्ट करे और उपभोक्ता का जो उपाध्यक्ष है वह उपभोक्ता में ही करे। यह को-आपरेटिव के अन्दर जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो बार-बार किसी संस्था पर कब्जा करना चाहते हैं वह लोग व्यवस्थापकों के माध्यम से मेनुपुलेशन करके मर्जी आये जिसको प्रस्ताव ले आते हैं और वहां जाकर कब्जा कर लेते हैं। यह आपका प्रस्ताव बढ़िया है और मैं इसको एप्रीशियेट करता हूं।

श्री लालचन्द डूडी : क्या आपको इन तथ्यों की जानकारी नहीं है क्या ?

डा. हरिसिंह : है।

श्री लालचन्द डूडी : है तो फिर क्यों बोल रहे हैं। बैठ जाओ फिर।

डा. हरिसिंह : आप सुनिये तो सही। माननीय चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, बड़ी तालियां पीटी। मैं जानता हूं कि को-आपरेटिव के खिलाफ में एक्शन लेंगे तो तालियां पिटती हैं क्योंकि को-आपरेटिव के खिलाफ मैं आज से नहीं बरसों से साजिश चल रही है....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह डाक्टर साहब को-आपरेटिव के खिलाफ नहीं हैं। यह उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस तरह से मेनुपुलेशन करके किसी संस्था पर कब्जा करते हैं।

डा. हरिसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको आज एक साफ बात कहना चाहता हूं। जब एक आदमी एम. एल. ए. 10 दफा बन सकता है, जब एक आदमी सरपंच 10 दफा बन सकता है, जब एक आदमी प्रधान 10 दफा बन सकता है तो इस को-आपरेटिव में कौन सा अन्याय करते हैं कि वह जीतकर आता है।

श्री रमाकांत शर्मा : एम. एल. ए. बन कर आता है सारी जनता में से और इसके अन्दर आपने कुछ चन्द आदमियों का एक गिरोह इकट्ठा करके रखा है उसमें से बन कर आता है।

डा. हरिसिंह : क्या जी. एस. एस. के मैम्बर साधारण जनता नहीं है ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष तो चुना जाता है वह डाइरेक्टर्स में से बहुमत के आधार पर चुनकर जाता है। उपाध्यक्ष चुना जाता है बहुमत के आधार पर और जो प्रस्ताव भेजा जाता है वह व्यवस्थापकों के मेनुपुलेशन से सब प्रस्ताव भेज देते हैं। तो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो जो निर्वाचित व्यक्ति है उसको अधिकार क्यों नहीं है फिर ?

डा. हरिसिंह : आप मुझे बोलने दीजिये। आप जहां मेनुपुलेशन की बात कर रहे हैं मुख्य मंत्री जी इनडाइरेक्टली हैं। He is not a direct Mukhya Mantri. Likewise, the President of India, he is Indirect. so you cannot challange that system. आप यह नहीं कह सकते कि वहां तो बेईमानी होती है और मेनुपुलेशन होता है और प्रेन्सीडेन्ट ऑफ इन्डिया बनने में मेनुपुलेशन और बेईमानी नहीं होती है। मुख्य मंत्री आफ राजस्थान बनने में बेईमानी नहीं होती है। आप उसी को क्यों कह रहे हैं? This is a system, which you cannot chalange. You can challange a particular person that he has been manipulated. तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था....

श्री सम्पतसिंह : डाक्टर साहब आप तो डबल रोटी और बाजरे की रोटी में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं।

डा. हरिसिंह : आप कर लीजिये फर्क, मैं नहीं करता तो। दूसरा आपने कहा कि Insertion of new 35-B, Rajasthan Act 1965; इसमें आपने 35 (ए) को अमेन्ड करके (बी) कर दिया। 'अपाइन्टमेन्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव आफिसर', इसका मतलब यहां पर किसी भी संस्था को जो ढंग से चल रही है उसको आप चलने नहीं देना चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव आफिसर के अपाइन्टमेन्ट की पावर्स आपने ले ली। आपके दो लाख का जो आपने टारगेट रखा है, कई इन्सटीट्यूशन्स ऐसी हैं कि जो बड़ी अच्छी चल रही हैं, और दूसरे आपने यह भी हवाला नहीं दिया कि कौन आदमी अपाइन्ट होगा। whether he will be a government servant or a private person; इसमें आपने यह भी हवाला नहीं किया है। यह डिस्क्रिशन किया है। माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कानून जब भी बनाते हैं, यह मत सोचिये कि आप प्रभारी मंत्री हैं, आप मुख्य मंत्री हैं, कानून वह बनाना चाहिये जो कोई भी मुख्य मंत्री आये और कोई भी मिनिस्टर आये वह सब के लिये सूटेबल हो। यहां होता क्या आ रहा है। कानून बनाते हैं जैसे हम ही हमेशा रहेंगे। 'दैट इज ए बैड लॉ' इसलिये आप इसको सोचिये, इसको स्पेसीफाई करिये और इसको विथड्रा करिये।

आपने जो कहा है अमेन्डमेन्ट आफ सेक्शन 36–आपने एक साल का दो साल कर लिया। पिछली दफा कहा था कि हम एक साल में सब कर देंगे। अब क्या पक्का है कि दो साल करके भी टिकोगे कहीं? आप फिर सोच लीजिये....

एक माननीय सदस्य : दो साल रहेंगे ही नहीं।

डा. हरिसिंह : रहने की बात दूसरी है। वह तो कल क्या होगा इनको भी नहीं मालूम है। एक बात जरूर कहूंगा मैं आपको कि आपने कहा था कि हम इनको सुधार देंगे तो आप उनको तो सुधार नहीं पाये। कृपया आप अगर सुधर जायें तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहां तक दावा करता हूं, मैं यहां तक कहता हूं कि जिन सोसायटीज के खिलाफ मैं और जिनको आप ब्लेक लिस्टेड करना चाहते थे उन सोसायटीज के मालिकों के साथ घूमते हैं आप। क्या मंशा है आपकी I can prove it, I have seen with my eyes; अब मैं आगे नहीं बढ़ना

(डा. हरिसिंह)

चाहना चाहता हूं आप इतने में ही समझ जाइये। इसलिये करनी और कथनी में इन्सान का फर्क नहीं होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी तो आखिर कितना समझते हैं मैं जानता नहीं लेकिन आपकी समझ पर तो मैं भरोसा करता ही हूं कि इस को-आपरेटिव मूवमेन्ट को जिंदा करना है तो सरकारी जकड़न को कम कीजिये। मूवमेन्ट को स्वेच्छा का मूवमेन्ट, पीपुल्स मूवमेन्ट रखिये और इसके इन्टरनेशनल को-आपरेटिय मूवमेन्ट से जोड़ने की कोशिश करिये। अलग से झोंपड़ी बांधकर इनको रूथलेसली रोंदने की कोशिश मत करिये और यह सब काला कानून जो आप लाये हैं इसको फिलहाल विथड्रा कीजिये और बैठकर बातचीत कीजिये। को-आपरेटर्स को बुलाइये, समझदार आदमियों को बुलाइये और फिर आप कोई फैसला करें तो हम भी योगदान देंगे वरना यह को-आपरेटिव की कब्र खोदने का काम कृपा करके आप नहीं करें, मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ (अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्र सिंह जो,

श्री देवेन्द्र सिंह (बनड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट आ रहा है इसको मैंने प्रवर समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव किया है और उसके पीछे जो कारण हैं ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आगे पढ़ें मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, है आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो प्रवर समिति के आने से पहले मेरा जनमत जानने के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं प्रवर समिति के लिये नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रवर समिति के लिये आपने उनको पुकार लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह तो जनमत जानने में लिये है। जनमत जानने का ही चल रहा है। श्री देवेन्द्रसिंह,

श्री देवेन्द्र सिंह :... तो मैंने जो कुछ कहा है उसको रिपीट नहीं करते हुये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस अमेन्डमेन्ट लाने के पीछे सरकार की नीयत साफ नहीं है और उस सम्बन्ध में मैं कुछ पाइन्टेड क्वेश्चन माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो चुनाव स्थगित किये हैं कि आने वाले समय में जहां आपने चुनाव स्थगित किये हैं कि आने वाले समय में जहां आपने चुनाव स्थगित किये वहां से आप प्रारम्भ करेंगे अथवा आप चुनाव नये सिरे से करायेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि आप यह चुनाव जहां से आपने स्थगित किये हैं वहां से आप नहीं करायेंगे और उसके पीछे यह मानने का जो कारण है वह आपके इस अमेन्डमेन्ट से बहुत साफ है कि आप जब प्रशासक लगा रहे हैं और उसकी एक साल से दो साल की अवधि कर रहे हैं उसके पीछे एकमात्र मन्शा है कि जब तक यह प्रशासक लगे रहेंगे तब तक जो भी प्राइमरी सोसायटीज मौजूदा एग्जिस्टिंग करती हैं, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जायेगा और उन सहकारी समितियों पर भी आप प्रशासक

(श्री देवेन्द्र सिंह)

लगा देंगे और सारे चुनाव आप सरकारी नियंत्रण में कराना चाहते हैं और वह इसलिये कराना चाहते हैं कि आज जिस तरह के हालात हैं इस प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के उसका आप स्वयं मूल्यांकन कर चुके हैं। मौजूदा स्थिति में आपका न तो एक भी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का चेयरमैन बन सकता है, न मार्केटिंग सोसायटी का चेयरमैन बन सकता है और प्रारम्भिक सोसायटीज के भी जो अध्यक्ष हैं वह आप से इत्तफाक नहीं रखते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें कि यह चुनाव आप कब करायेंगे ? सहकारी समितियां जो मौजूद हैं उसी बोर्ड से आप चुनाव करायेंगे अथवा नये चुनाव सहकारी समितियों के करायेंगे और यह शंका इसलिये उत्पन्न होती है कि अभी आपने मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव की घोषणा की और चुनावों की घोषणा करने के बाद 2 तारीख को नोमीनेशन होना था, लोग तैयार हो गए, कितने ही लोगों ने दौड़-धूप करके सारी व्यवस्थायें की और माननीय सहकारिता मंत्री जी भीलवाड़ा आये एक सहकारी बैंक का कोई फंक्शन था, 30 या 29 तारीख को आये और इन्होंने वहां यह कह दिया कि क्यों दौड़-धूप कर रहे हैं ? चुनाव तो मैं एक साल होने ही नहीं दूंगा पब्लिकली आपने एक बात कही। जब आपकी नीयत नहीं थी तो इतनी दौड़-धूप कटने की कहां आवश्यकता थी ? आपने यह सारा मूल्यांकन किया कि यदि यह मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव हुए तो हमारी पार्टी का एक भी अध्यक्ष नहीं आयेगा और आपने चुनाव स्थगित कर दिये और बदतर हालत आपने अपने उपभोक्ता भण्डार के चुनावों की है। उपभोक्ता भण्डार के चुनाव आपने जिस तरह कराये हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी प्रजातन्त्र के नार्म्स से सैटल नहीं होते। आपने उपभोक्ता भण्डार के चुनाव तीन चरणों में कराये। पहले चरण में आपने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का चुनाव कराया। उसका पूरा कार्यक्रम निकाला और जब ये डायरेक्टर्स चुन लिये गये तो आपने चुनाव स्थगित कर दिया। छह-सात महीने वह चुनाव स्थगित रहे। फिर आपने एक कार्यक्रम निकाला और उसके बाद जैसे ही को-आपरेटिव सैक्टर के मैम्बर्स चुने जाते हैं, उपभोक्ता भण्डार में उनके चुनाव हुए और जैसे आपने देखा कि हमारे सब लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर चुनाव स्थगित कर दिये और आठ रोज बाद आपने वापस यह कहा कि वापस इसके चुनाव कराओ। उसके बाद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब और जनरल मैम्बर्स आते हैं पांच, उनके चुनाव हुए और उसके बाद आपने वहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराये। इसके पीछे मंशा क्या थी आपकी ? क्या कारण थे कि आपको इस चुनाव को 3-4 चरणों में कराना पड़ा ? इसके पीछे मंशा एक मात्र यह थी कि आप यह मूल्यांकन करना चाहते थे कि कहां हम लोग स्पेंड करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, दुर्भाग्य आपका यह है कि इतना सब करने के बाद भी उपभोक्ता भण्डार में हमारे लोग आये और आपका एक भी नहीं आया। इसलिये इस मेनिपुलेशन से, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि सबसे अधिक किसी का नुकसान हो रहा है आज तो वह काश्तकार का हो रहा है। आपने पता नहीं मूल्यांकन किया कि नहीं किया, आज आपने को-आपरेटिव बैंक

(श्री देवेन्द्र सिंह)

के शार्ट टर्म लोन के टारगेट फिक्स किये। आप बता सकते हैं कि आपका क्या अचीवमेन्ट है इस साल का? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो यह नियम प्रक्रिया चल रही है, उससे इस राजस्थान में जो को-आपरेटिव बैंक्स आज अच्छी हालत में हैं, वह बैंक्स इस बार डूब जायेंगे, वह बैंक्स घाटे में चले जायेंगे। मैं मिसाल के तौर पर भीलवाड़ा को-आपरेटिव बैंक के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आपने टारगेट 8 करोड़ का फिक्स किया। उसके अगेंस्ट बहुत मुश्किल से 3 करोड़ के आपके शार्ट-टर्म लोन डिस्बर्स हुए। पांच करोड़ का पैसा वहां पर पड़ा हुआ है। को-आरेटिव बैंक की आखिर क्या आमद है। उसकी इन्कम यदि एकमात्र है तो वह ब्याज की है और यदि लोन डिस्बर्स नहीं होगा तो ब्याज नहीं आयेगा। ब्याज नहीं आयेगा तो बैंक घाटे में चले जायेंगे। इसीलिये मैं लाकर के इन बैंक्स को खड़ा कर दिया है, को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को खड़ा कर दिया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह एडमिनिस्ट्रेटर्स इन बैंक्स पर रहेंगे, खास तौर से एडमिनिस्ट्रेटर्स आप सरकारी लगाये उसमें, यह आपकी इच्छा की बात है लेकिन जहां कलक्टर्स को लगा रखा है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इन कलक्टर्स को जहां-जहां लगाया हुआ है, उनको यही मालूम नहीं है कि जिले में वह कितने इन्स्टीट्यूशन्स के चेयरमैन हैं। उनके पास समय नहीं है और उनकी मजबूरी है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन उनकी मजबूरी है कि वह कितना समय को-आपरेटिव बैंक्स या उन इन्स्टीट्यूशन्स को दे सकते हैं। इसके ऊपर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

आपने जगह-जगह डेपुटेशन का स्टाफ इन को-आपरेटिव बैंक्स में लगा रखा है। उस डेपुटेशन के स्टाफ का जो भार को-आपरेटिव बैंक्स पर पड़ता है, उससे आपके बैंक घाटे में जा रहे हैं। आपके पास को-आपरेटिव का स्टाफ पर्याप्त मात्रा में है। कृपा करके यह डेपुटेशन के स्टाफ को हटायें। डेपुटेशन का स्टाफ भी वह लगाते हैं जो एक तारीख को जायेगा और 31 को रिटायर हो जायेगा। तो सारा भार पड़ता है, वह को-आपरेटिव बैंक्स पर पड़ता है। उसका नुकसान को-आपरेटिव बैंक्स को उठाना पड़ता है।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इस को-आपरेटिव मूवमेंट को जो राजस्थान में काफी चल रहा है, मैं यह नहीं कहता कि कमजोरी नहीं हैं लेकिन इसको आप एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले कर देंगे तो मैं आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि बहुत बड़ी गलती करके इस को-आपरेटिव मूवमेंट का नुकसान करेंगे काश्तकार का नुकसान करेंगे और इस देश में, प्रदेश में जो को-आपरेटिव मूवमेंट चल रहा है, उसको आप सैटबैक देंगे।

हमें यह भी जानकारी मिली है कि इन को-आपरेटिव बैंक्स को समाप्त करना चाहते हैं। एक ब्रान्चेज बनाना चाहते हैं अपेक्स बैंक की ओर इस सारे के पीछे नीयत, मंशा यह है इसलिये आप चुनाव स्थगित

(श्री देवेन्द्र सिंह)

कर रहे हैं। यह भी आप एक बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि यहां पर अपेक्स बैंक पर बैठे हुए लोगों के लिये सारे राजस्थान को संभालना बिलकुल असंभव सी बात है लेकिन हो सकता है, कुछ लोगों की दिमाग की उपज हो लेकिन इस को-आपरेटिव मूवमेंट को बहुत बड़ा धक्का लगेगा।

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक साल का अमेण्डमेंट निश्चित रूप से आप बहुमत में हैं, वह पास होगा लेकिन जितना जल्दी आप इस को-आपरेटिव मूवमेंट को वापस पब्लिक के हाथ में सौंपेंगे उतना ही लाभ इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश के काश्तकार को मिलेगा और डेमोक्रेटिव सेट-अप को ताकत मिलेगी। यदि आप इस डेमोक्रेटिक सेट-अप को तोड़ना चाहते हैं तो इस को-आपडेटिव मूवमेंट के प्रति आप बड़ी नाइन्साफी करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपनी नीयत साफ रखते हुए जल्दी से जल्दी इसे करायें और इस को-आपरेटिव मूवमेंट को जनता के हवाले करें ताकि इस को-आपरेटिव मूवमेंट को इस प्रदेश में और ताकत मिले और काश्तकार का लाभ हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती मदन-कौर। (अनुपस्थित)

माननीय श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया। (अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक तो मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने सोसायटीज का कार्यकाल पूरा करने के पहले जो निर्णय लिया था कि वह इन सारों का चुनाव करायेंगे ताकि लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बैठ सकें। लेकिन कुछ विसंगतियां सामने आयीं जिनके आधार पर आपने प्रथम संशोधन रखा। मैं समझती हूं कि प्रथम संशोधन के समय आप यदि इतना समय बढ़ा लेते तो आपको इतना अच्छा समय मिल जाता कि आप दुबारा इसको पूरी तरह से देख लेते, लेकिन वहां चूक हो गयी और आपने प्रक्रिया आरम्भ करने के बाद जो गलतियां और कमियां देखीं, जो कमियां और खामियां आपके आपके सामने आयीं, उसके लिये आपको समय बढ़ाना पड़ रहा है।

मैं एक बात का और धन्यवाद आपको देना चाहती हूं आपकी घोषणा पर कि आप छः महीने में यह पूरे चुनाव करा देंगे, एक साल नहीं लेंगे। मैं आशा करती हूं कि आप इसको मेनटेन करेंगे। सहकारिता के जो सिद्धान्त हैं उनका मूल्य हमने स्वीकार किया है और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रति भी हम कमिटेड हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि चाहे हमारा अनुभव गृह निर्माण समितियों के बारे में कैसा भी रहा हो, और चाहे यह भी हमारे अनुभव रहे हों कि पिछली सरकार ने 15 साल तक चुनाव नहीं कराये (व्यवधान) मनमानी है क्या? आपने मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव कब कराये? आपने यूनियन बैंक्स के चुनाव कब करवाये? आपने भूमि विकास बैंक के चुनाव कब कराये? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप बात खुलवायें नहीं, मैं सब बातों से परिचित हूं। आप रहे और आपके सामने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खामियां आती रहीं । मैं नहीं चाहती कि कोई कटु बात मेरे मुंह से निकले, लेकिन देखा गया कि भ्रष्टाचार सामने बढ़ता गया और उसके नियन्त्रण के लिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : 1987 में भूमि विकास बैंक के और को-आपरेटिव बैंक्स के कांग्रेस ने चुनाव करवाये थे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने अपेक्स बैंक के कराये ? और नत्थी सिंह जी ने जो सुधार कर दिया । और हरिसिंह ने पूरा ही ढांचा खराब कर दिया मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि सहकारी समितियों को पंगु नहीं बनाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि आप समय पर चुनाव करवायें । मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि यह जो आप समय ले रहे हैं, उस समय का आप सदुपयोग करें और इसको पूरे रूप में देख लें, जो कमियां और खामियां हैं उनको भी देख लें ।

गुजरात में सहकारी आन्दोलन सफल रहा है । आप सरकारी अधिकारियों को, या विधायकों के दल को वहां पर अध्ययन के लिये भेजें कि वहां उन्होंने कौन कौनसी कमियां देखीं और उन कमियों को किस प्रकार से उन्होंने दूर किया । जो चीज अच्छी लगे उसको अपनाना चाहिये, वह बड़प्पन की भूमिका है । मैंने खूब देखा है और खुद भी गई थी, मैं सुनी-सुनाई बात का विश्वास नहीं करती । यह जो आप संशोधन ला रहे हैं, वह उचित है । लेकिन इस बीच में जिस प्रकार की लोनिंग की जानी चाहिये, या और कार्य किये जाने चाहिये, जो ग्रामवासियों को सहायता मिलनी चाहिये । इन सारी सहायताओं में कमी नहीं आने पाये उनको किसी तरह की परेशानी न हो । इस चीज को आप नजर में रखते हुये इतने अधिकार देंगे । लेकिन अधिकार तो खैर आप देंगे ही । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिलाधीश 27 कमेटियों का चेयरमेन होता है और जिसको प्रशासनिक कार्य से ही समय नहीं मिलता है उस व्यक्ति को अगर आपने यहां पर रखा है तो आप यह देख लें कि वह कितना समय इस सत्र कार्यों में दे पायेगा । हमें सब तरफ, दृष्टि रखते हुये और क्रियान्विति की सुचारुता को देखते हुये कार्य करना चाहिये और अधिकार देने चाहिये । मै निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त हुई, अखबारों के माध्यम से और कैम्पों के माध्यम से कि यहां पर यह-यह खामियां हैं । उन खामियों को दूर करने के लिये या उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने में जो शिथिलता रही है वह अच्छी नहीं है । अब आप उस तरफ भी ध्यान दें । आपने कानून बनाया है लेकिन यह उससे उठकर है । जिन्होंने जमीन क्रय करके बेची है, जिन्होंने अन्य अनियमिततायें की हैं, जिन्हें जो भूमियां छोड़नी थी वह नहीं छोड़ी है और एक आदमी के बजाय पांच-पांच को बेची थी । ऐसे लोगों को आपको सजा देनी चाहिये थी लेकिन यह शिथिलता किस प्रकार रही । मेरे ख्याल से बेरी कमीशन की रिपोर्ट मार्च में मिली थी और अब तक उनकी ओर कड़े कदम क्यों नहीं उठाये गये हैं ? मैं समझती हूं कि आप इतनी शक्ति अर्जित कर

Page No. 121

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लें कि इन खामियों को दूर कर सकें और सुचारु रूप से को-आपरेटिव आन्दोलन चला सकें। इन सोसायटियों में सरकार का इतना पैसा लगा हुआ है। सरकार का पैसा तो सहायता के लिये होता है और पैसा चाहे लगायें और लोगों से भी हिस्सा पूंजी लगायें लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके किसानों को लोनिंग करके सहायता पहुंचायें। यह भी प्रावधान करें कि किसी ने अंगूठा लगाया, किसी का लोन किसी ने ले लिया तो उसके प्रति आपका क्या कड़ा कदम होगा। आज तक पिछली सरकारों ने ऐसे मामलों में कुछ नहीं किया। मैं यह बात कहते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्द विश्नोई विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्षजी, मैंने जो आपत्ति उठाई थी, इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय, जब इसका प्रस्ताव आया था उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि आप प्रशासक नियुक्त करना चाहते हैं उसमें एक वर्ष के बजाय दो वर्ष की अवधि करने का। लेकिन यह दफा 36 में किसी सहकारी समिति की कार्यकारिणी अथवा किसी सदस्य के विरूद्ध कोई कार्यवाही हो तो उसके बारे में तजबीज है और उसमें यह एक साल से दो साल करने का प्रावधान पूर्व में रखा था वह भी इसकी परिधि में नहीं आता था और यह भी नहीं आता है। मैं समझता हूं कि कानून की दृष्टि से विचार होगा तो इसको नल एण्ड वाइड कर दिया जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून जल्दी में नहीं बनाया जाना चाहिये। इस पक्ष को देख लें, कानून का प्रश्न है। इसलिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें तो वह देखकर अपनी राय दे देगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कल्लाजी ने, देवेन्द्र सिंहजी ने, विश्नोई साहब ने और अरोड़ाजी ने सुझाव दिये हैं। मैं तो इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपने मन के अन्दर कोई शंका हो तो निकाल दो। आपके सहयोग से ही मैं तीस तारीख से पहले एक राजस्थान लेबल की परामर्शदात्री समिति की बैठक करके सबको साथ लेकर, सबका परामर्श लेकर जो भी को-आपरेटिव को सुधारने का प्रयत्न होगा, करूंगा। उसमें आपकी भागीदारी अवश्य रहेगी। ऐसी कोई शंका न रहे कि मैं इस मूवमेण्ट को समुद्र में डाल रहा हूं। ऐसा नहीं है। इस मूवमेण्ट के अन्दर इतनी विसंगतियां हैं, 20 हजार सोसायटियों में 80 लाख लोग जुड़े हुये हैं परन्तु वास्तव में देखा जाय तो राजस्थान के अन्दर जो गरीबी से भरपूर है, बेरोजगारी से भरपूर है, छोटे-छोटे मजदूरों से भरपूर है, शिक्षित बेरोजगारों से भरपूर है उनको रोजगार देने का इसमें कोई साधन नहीं है।

मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं थोड़े दिनों में सहकारिता को इस लायक कर दूंगा कि 30 जिलों के अन्दर को-आपरेटिव मूवमेण्ट के माध्यम से 30 प्रोजेक्ट बनाकर लाखों लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

करूंगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि इस मूवमेण्ट को बिगाड़ा जा रहा है। यह समय तो इसलिये लिया है कि मैं कुछ करता हूं और कोई कोर्ट में चला जाता है तो उससे निपटा जा सके। 15 साल से अगर एक आदमी बैठा रहे तो कोई चेतनता नहीं जड़ता आती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोई राजनेता, कोई राजनीतिज्ञ इसमें न हो। ऐसे कदम उठाये जायेंगे न तो इसमें कोई मंत्री शामिल होगा, न कोई एम. एल. ए. किसी पद पर होगा, न कोई राजनेता किसी पद पर होगा, न किसी राजनैतिक पार्टी का कोई पदाधिकारी इसमें शामिल होगा, ऐसा मूवमेण्ट मैं चाहता हूं और यह प्रावधान रखना चाहता हूं। इसलिये शंका मत करो। शंका वह लोग करें जो जयपुर में बैठकर वकालत करते हैं और ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य बनकर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बनने की तैयारी करते हैं। वह नहीं होगा मेरे द्वारा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मूवमेण्ट को लेकर अभी हमारी इंडिया लेबल पर माननीय जाखड़ साहाब की अध्यक्षता में जो को-आपरेटिव मंत्री हैं, एक बैठक हुई थी, उसमें मैंने यह सुझाव दिये थे तो माननीय जाखड़ साहाब ने इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की थी और कहा था कि वास्तव में आप जो बोले हो वह सही है। उन्होंने कहा मुझे, यह पता नहीं था, मुझे तो यह कहकर भड़काया गया था कि अध्यादेश लाया जा रहा है, आपने जो कुछ कहा है उसके लिये समय लगता है तो ले लो। मैं सभी मंत्रियों की एक बैठक दिल्ली में बुलाऊंगा और आपके सुझाव को उसमें देना चाहता हूं। इंडिया लेबल पर इस सहकारिता को ऐसी दिशा देना चाहता हूं कि जो माफिया गिरोह पैदा हो गये हैं, उससे निकालकर किसानों के हाथ में देना चाहता हूं।

मैं आपके सुझावों को भी स्वीकार करूंगा और आने वाले सुझावों को भी स्वीकार करूंगा। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो विधेयक पेश किया है, उसको स्वीकार किया जाय।

श्री जर्नादनसिंह गहलोत : माफिया ग्रुप को समाप्त करने के लिये मैं समझता हूं कि आपकी मंशा यह है कि इनको निकालकर बाहर कर दिया जाय, उसी तरह से बाहर कर दिया जाय जिस तरह से गृह निर्माण सहकारी समितियों में कर दिया गया है?

श्री चतुर्भुज वर्मा : आप शामिल नहीं हो। जैसे आपको गृह निर्माण सहकारी समिति के अन्दर से बाहर निकाल दिया गया है। आप सर्वे सर्वा थे। शिवराम शर्मा के अपोनेण्ट थे।

श्री जर्नादनसिंह गहलोत : कभी नहीं। जिन माफिया ग्रुपों का नाम लिया और कैम्प लगाये, उनके नाम से जितने घपले हुये सारे राजस्थान की जनता जानती है। मैं कभी किसी गृह निर्माण सहकारी समिति का न अध्यक्ष रहा न कोई पदाधिकारी।

श्री सम्पतसिंह : आप में काबलियत ही नहीं थी।

श्री देवेन्द्रसिंह : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर हमारी भावनाओं की कद्र की है। यह कह रहे हैं कि आपसे सलाह करके करूंगा।

(श्री देवेन्द्रसिंह)

हम भी जो प्रस्ताव लाये हैं वह यही है कि जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। इसलिये हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्ट्रक्चरल चेन्जेज क्या करना चाहते हैं ? जो मुद्दे उठाये गये थे उसका जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें एक्सप्लेन कर चुके हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की बैठक का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ? (व्यवधान) जनमत जानने हेतु....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्वाइन्ट आफ आर्डर, प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रश्न जब पूछा जाना जाता है तो उसमें एक निश्चित प्रक्रिया है उसके अनुसार पूछा चाहिये। वह इस प्रकार है :"The Speaker shall then say, division–On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say, 'yes', and those against the motion to say, 'no', The Speaker shall, then say, "I think the 'ayes' or 'noes' have it." If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challanged, he shall say twice : the 'noes' as the case may be, have it. And the question before the House shall be determined accordingly. कल भी मैंने निवेदन किया था, आप एक बार में दोनों बात, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता या ना पक्ष जीता कहते हैं। तो वह विधेयक पारित हो गया, चाहे सदन उनके पक्ष में है या नहीं है। इसलिये पहले एक दफा कहिये फिर थोड़े ठहरिये। अगर कोई आपत्ति नहीं है सदन की तरफ से तब दो दफा उसको रिपीट कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा। लेकिन वह जो ना पक्ष जीत गया था उसकी तो आवाज आ चुकी थी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पूरा ध्यान रखिये वरना इसमें बहुत भारी अनियमितता हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता । प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता । प्रवर समिति को निर्दिष्ट....(व्यवधान)

मैं करूंगा और थोड़ा....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जल्दी में करने की प्रवृत्ति थोड़ी गलत पड़ गई है और यह....

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक साथ लयता से बोल जाते हो। ना पक्ष जीता, थोड़ा ब्रेक कीजिये । फिर थोड़ा देखिये कि हाउस क्या कहता है और फिर कहिये ना पक्ष जीता, अस्वीकार किया गया । आप तो ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता....

श्री उपाध्यक्ष : ना, इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं, ब्रेक तो रखता हूं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप चैलेन्ज करने का समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : I am not challanging.

श्री बुलाकीदास कल्ला : मान लो हम चैलेन्ज कर दें, इसके लिये समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह सही है ।

श्री लालचन्द डूडी : मुझे अफसोस है कि इतने कुशल अध्यापक के बावजूद भी शिष्य ग्रहण नहीं कर रहा ।

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश की जायेगी ।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन अस्वीकार किया गया । प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ? (व्यवधान)

अगेन । जो पक्ष में हो हां कहें ।

(माननीय सदस्यों के हां कहने के पश्चात्)

जो विपक्ष में हों वह ना कहें ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री चतुर्भुज, प्रस्ताव करेंगे ।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बोलना चाह रहे हैं ?

श्री केदारनाथ शर्मा : मुझे इसमें दो एक क्वेश्चन पूछने हैं । जो आपने एडवाइजरी बोर्ड बनाया है इसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिये, मोड आफ इलेक्शन को

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बदलने के लिये या ट्रिब्यूनल जो मौजूद है उसके स्कोप को बदलने के लिये वह कौन से परसोनल हैं, टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं, नम्बर एक । जो मौजूदा सिस्टम है आपका चुनाव का, क्या आप इसको भी बदलने जा रहे हो ? अगर आप चाहते हो, हम लोग को-आपरेटिव मूवमेंट के पक्ष में हैं, कसेप्ट के पक्ष में हैं, बहुत फायदा हुआ राजस्थान को, मनी लैण्डर से छूट मिली है कुछ मगर इससे बाटल नेक पैदा हो गये । अगर मौजूदा सिस्टम चुनाव का नहीं बदला आपने, यही तो व्यवस्थापक हैं, वही प्रस्ताव पास करवाते हैं, वही चुनाव करवाते हैं और वही उनकी सारी खामियां दूर करते हैं । सुनिये, मेरी बात आप ? इसलिये यह इलेक्शन का मोड आप बदलिये ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं ट्रिब्यूनल की । आपने किसी को-आपरेटिव को भंग किया या सस्पैण्ड किया उसकी अपील भी आपके पास है । आप ही तो एक्शन लेने वाले हो और आप ही उसका इन्साफ करोगे, यह मेरा ख्याल है जो नेचरल जस्टिस है उसके प्रिन्सिपल के खिलाफ है । इसलिये ट्रिब्यूनल जो आपने कायम किया है उसके पास पहले यह पावर थी उसको वापस दे दीजिये आप । उसके परसोनल बदल दो आप, स्कोप बदल दीजिये मगर फेरबदल करके यह पावर आप उनको दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, जवाब दीजिये आप ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय प्रोफेसर साहब ने अभी जो सुझाव दिये वह सुझाव मेरे ध्यान में हैं । मैंने पहले ही कह दिया, 30 सितम्बर के पहले ही मैं राजस्थान लेवल की सलाहकार बोर्ड की मीटिंग बुलाऊंगा, मेरी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहता । मैं राजस्थान मूवमेंट को राजस्थान मूवमेंट ही बनाना चाहता हूं ताकि देश के अन्य स्टेट में अग्रणी बने । उस ओर ले जाना चाहता हूं ।

श्री देवेन्द्र सिंह : उसके बाद ही करना ना आप । एक तरफ तो इसको पास करा करा रहे हो दूसरी तरफ आप कह रहे हो, सम्मेलन बुलाकर बात करेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । क्या फरमाना चाहते हैं आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष जी, जब मंत्रीजी यह कह रहे हैं, मैं सारे हाउस के लोगों से परामर्श लेकर इस प्रकार...

एक माननीय सदस्य : सारे राजस्थान के लोगों से ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूरे राजस्थान के लोगों से लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है । फिर इसको विचार विमर्श के बाद ही लाया जाय । नहीं तो फिर यह कहेंगे दो वर्ष की जगह एक वर्ष करो या प्रशासक लगाओ, ही नहीं क्या-क्या स्ट्रक्चरल चेन्जेज किये जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये अब आप । आप फरमाइये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो प्रश्न और मुद्दे उठाये हैं उनका एक का भी जवाब नहीं दिया है । आप स्वयं इस बात का काग्नीजेंस

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ले रहे हैं कि उन्होंने एक भी मुद्दा किसी भी माननीय सदस्य ने जो उठाया है उसका उत्तर नहीं दिया है।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सब की भावनाओं का आदर करने वाली बात कही है इन्होंने, वह सबसे बड़ी बात है। आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

(ध्वनि मतदान)

अगेन। प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 पारित किया गया

परिनियत संकल्प

राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1991

राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1991। परिनियत संकल्प। श्री यदुनाथसिंह जी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री केदारनाथ जी शर्मा।

(5.00 म. प.)

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, यह अमेन्डमेंट जो लाये हैं आर्डिनेन्स के मार्फत दो अगस्त को, यह ठीक है सरकार के सामने एक इमरजेन्सी थी कि 9 अगस्त, 1991 को पंचायतों की टर्म समाप्त हो रही थी और 23 अगस्त को पंचायत समितियों की और 3 सितम्बर को जिला परिषदों की। चुनाव की तैयारी नहीं थी। इसलिये सिवाय इनके पास आर्डिनेन्स के लाने के और रास्ता नहीं था, यह मैं मानकर चलता हूं। पर, मान्यवर, आर्डिनेन्स के पहले इनका मानस यह था कि मौजूदा जो पंचायतें हैं वह तो कायम रह जायं, पंचायत समितियों में हम प्रशासक नियुक्त कर दें, जिला परिषदों में नियुक्त कर दें ताकि विकास की रफ्तार समाप्त न हो, जो गति है उसमें रुकावट पैदा न हो। शुरूआत यहां हुई है सारे पंचायत सिस्टम की। बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट आई और हमारी धरती पर सबसे पहले "59 में दो अक्टूबर को इसकी शुरूआत हुई। उसके बाद सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट आई। यह दोनों स्टेट लेवल की कमेटी थीं। आल इण्डिया लेवल पर अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई। उसके लिहाज से उसकी लाइट में हमने अपने चेन्जेज नहीं किये। कर्नाटक कर गया, महाराष्ट्र कर गया, गुजरात कर गया, आन्ध्र कर गया, हम उस लाइट में कोई स्ट्रक्चर में चेन्ज नहीं लाये। मान्यवर, 1964 का अमेंडमेंट जब पेश हुआ लोक सभा में, पंचायत बिल, ताकि उसे स्टेच्युटरी स्टेट्स दे दिया जाय, वह लेप्स हो गया, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी थे उस समय लेप्स हो गया उसमें फिर 1974-75 में अमेण्डमेंट आया,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

अगर वह पास हो जाता तो हमारे सामने एक सेलिएंट फीचर आ जाते कि हम पंचायती सिस्टम को कैसा चाहते हैं उसमें यह पांच साल की टर्म है, थर्टी परसेंट फार दी परफारमेंस ग्रौर यह कहा गया है कि चुनाव को टाला नहीं जा सकता। 6 माह के अन्दर-अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे पांच साल के बाद और डायरेक्ट सलेक्शन हो ये कुछ प्रिंसिपल एल्युमिनेट किये हैं उस पंचायती बिल में। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आज जहां तक ग्रामों में वहां के सेक्रेटरी प्रशासक हैं। सरपंच साहेबान दो प्रतिशत, पांच प्रतिशत खराब हो सकते हैं मगर ज्यादातर सरपंचों ने ग्रामों के बिकास में हिस्सा लिया और देहातों में विकास की शुरूआत की। अपना गांव, अपना काम, जवाहर योजना, यह जितनी भी स्पेशल स्कीम्स हैं उनमें जहां ग्रापके काम इन्कम्प्लीट पड़े हैं उनको कौन कम्प्लीट करता है। सेक्रेटरी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिये मान्यवर, इस आर्डिनेंस जारी करने के बाद, पंचायतों को समाप्त करने से जो उनको मालुम पड़ा है कि राजस्थान सरकार देहातों में जो रूरल रिवोल्युशन पैदा हो रही थी, जो हुयी है काफी मजबूती से, जो विकास की गति चल रही थी, नक्शा कम्प्लेशन बदल रहा था, मौजूदा सरकार उसके खिलाफ है यह मान कर चलता हूं। यह मेरा उन पर बहुत बड़ा चार्ज है कि बिना सोचे समझे मालूम नहीं किस अफसर ने उनको यह राय दी है। आप पंचायतों के प्रधान बदल दीजिये, प्रमुख बदल दें कोई बात नहीं पर जो बेसिक इकाई विकास के कामों में लगी हुयी थी उसकी प्रशासनिक स्तर के सेक्रेटरी किसी की बात सुनते नहीं। मैं अपनी मिसाल दे दूं। अपना गांव, अपना काम योजना में दस लाख दिये। अब सेक्रेटरी साहब कोई स्कीम नहीं बनाते, कोई प्रस्ताव पास नहीं करते, जे.ई.एन. आपने वहां से हटा दिये, कौन विकास के काम करेगा। मान्यवर, दूसरी चीज मैं कह रहा था, पंचायत मंत्री साहब बैठे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो नजर नहीं आ रही, किसको नींद आ रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बड़ा ध्यान रख रहे हैं आप मेरा। हां, चालू रखिये साहब।

श्री केदारनाथ शर्मा : हमारे मंत्री जी देहात में पैदा हुये। मंत्री जी कभी आपने सोचा स्पेशल स्कीम तो किसी और के पास है, पैसा वहां से आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, यह को-आर्डिनेशन कैसे हो। यह बोटलनेक्स है। पंचायती राज में लोगों का विश्वास समाप्त इसलिये हो गया कि आपकी सारी स्कीमें इम्पलीमेंट नहीं हो रही हैं। मैंने कुछ इश्यूज उठाये हैं आपके सामने। क्या आप जो अमेण्डमेंट का ईश्यू है लोक सभा में, एक तो उसके फीचर्स देंगे कि यह क्या हैं ? ग्रौर एक ग्रापने री-ग्रार्गेनाइजेशन शुरू कर दिया 1981 के सेन्सस में, यह शायद पहले 60 में हो रहा था डीलिमिटेशन ग्रगर मैं याद रखता हूं तो और अब 30 इयर्स के बाद डी-लिमिटेशन शुरू हो रहा है। कुछ चेंजेज किये हैं आपने एक दो जगह थर्टी इयर्स के बाद। 1991 की

(श्री केदारनाथ शर्मा)

सेन्सस हो गई आपके पास। अब 15-20 साल बाद फिर डी-लिमिटेशन होगा तो फिर सेन्सस में ही क्यों नहीं करते इसको आप, आपने दो चार महीने पहले नहीं, 15 सितम्बर से आपने आब्जेक्शन मांगे हैं और एक महीना कलक्टर लेगा उसके बाद आप पब्लिकेशन करोगे, फिर चुनाव की डेट तय करोगे, यह साल तो गया, इसमें यह नार्मल कोर्स जो है, उसमें भी करोगे तो यह साल तो गया, उसके बाद बाई-इलेक्शन आ जायेंगे, हमारे प्रधान मंत्री का चुनाव भी इस बाई-इलेक्शन में है। इसलिये चुनाव का यह दौर है इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपको सोच कर चलना पड़ेगा। री-आर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं उसमें बड़ी कम्प्लेंट्स हैं कुछ केबीनेट ने डायरेक्शन भेजी है 2 हजार से 5 हजार आबादी, 8 कि. मी. से ज्यादा न हो, जिस पंचायत समिति की डेढ़ लाख की आबादी हो उसमें दो पंचायत समिति बने। तो सारे राजस्थान में सिवाय डेजर्ट इलाके के या हमारा इलाका जो प्रोग्रेसिव है, कोलोनाइजेशन एरिया है वहां की आबादी तो काफी बढ़ गई वहां तो री-आर्गेनाइजेशन पर बहुत गौर करना पड़ेगा इसलिये उस डायरेक्शन को हालांकि सीधा गवर्नमेंट का रोल नहीं है, हमारे यहां कम्प्लेंट भी बहुत आयी वह भी मंत्री जी आप देखिये, क्या डायरेक्शन आप देते हैं, ऐलान कीजिये आप और उसके बारे में कलक्टर्स को क्या हिदायत दे रहे हैं यह स्ट्रिक्टली फोलो करके री-आर्गेनाइजेशन किया जाय और 91 की सेन्सस और मैंने आपसे निवेदन किया जो अमेण्डमेंट मूव हुआ है अगर आप चाहते भी हैं री-आर्गेनाइजेशन करना तो मैं आपका स्वागत करूंगा। यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम जी मदेरणा (अनुपस्थित)।

माननीय श्री जनार्दनसिंह जी गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, 2 अगस्त, 1991 के गजट में राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (अध्यादेश सं. 5) को अस्वीकार करने के लिये प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण अध्यादेश जिसको इस सदन में एक अमेण्डमेंट के रूप में लाया गया है। सही माने में राजस्थान अपने आप में पंचायती राज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है उन ग्रामीणों के विशेष विकास के कार्यों में इसकी साझेदारी रही है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को इस पंचायती राज को राजस्थान में प्रारम्भ किया था और सही माने में उसके प्रारम्भ होने के बाद राजस्थान में एक प्रकार का वातावरण बना और पंचायतों का सबसे बड़ा सहयोग राजस्थान के विकास में माना गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान सरकार ने इस पंचायती राज को कहां ले जाना चाहते हैं। जहां एक तरफ प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुये सरपंच, प्रधान और प्रमुख जब बैठे थे उस समय इसको भंग करने की आवश्यकता थी। अगर सरकार में यहां अध्यादेश पहले लाना था तो इसे पहले भी लाया जा सकता था और सारे सरपंच और प्रधान बैठे थे उस समय भी इस प्रकार के सुझाव और पुनर्गठन का कार्य हाथ में लिया जा सकता था। राज्य के जो चुने हुये सरपंच, प्रधान, प्रमुख थे उनका जब समय समाप्त नहीं हुआ, उनकी उपस्थिति में ही सुझाव मांगे जाते, तो मैं सोचता हूं बड़े व्यावहारिक

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सुझाव आते। भौगोलिक दृष्टि से और वहां की परिस्थितियों को देख कर अगर उस समय सुझाव लिये जाते तो मैं सोचता हूं राजस्थान सरकार की नीयत साफ नजर आती कि वह सरकार सही मायने में पंचायती राज को मजबूत करना चाहती है, प्रजातंत्र को कायम रखना चाहती है लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार इस सारी प्रजातंत्र की मर्यादाओं को तोड़ कर हर जगह नौकरशाही के हाथों में इन संस्थाओं को देकर अब इसका पुनर्गठन करने का मामला जो आपने हाथों में लिया है वह सही माने में बिल्कुल ही अप्रजातांत्रिक कदम है और कानूनी तौर पर भी सही नहीं माना जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के पुनर्गठन किये जाने का काम प्रारम्भ हुआ उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान में इतनी असंगतियां हो जाएंगी उनका अन्देशा अभी से नजर आ रहा है। ऐसा प्रावधान, ऐसे निर्देश राजस्थान सरकार से जिलाधीशों को पहुंचे हैं उससे निश्चित तौर से लगता है कि आज पूरे राजस्थान में धांधलियां हो रही है। मर्जी आये जहां तोड़-फोड़ की जा रही है, उन गांवों को हटाया जा रहा है राजनैतिक दृष्टि से और इस प्रकार का फैसला किया जा रहा है जिससे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार की मन्शा दूसरी है, और कथनी और करनी में अन्तर नजर आ रहा है। पंचायती राज के चुने हुये प्रतिनिधियों के अनुभव का फायदा तो उठाया नहीं और उन सरकारी आदमियों से, सरकारी तंत्र से उन सारे कामों को कराया जा रहा है जिससे प्रजातंत्र की नींव हिल जाय और राजनैतिक फायदे इससे उठाये जा सकें। अभी-अभी माननीय केदारजी ने जिन बातों का जिक्र किया, यह बात सही है अगर राजस्थान सरकार के पास 1990-91 के आंकड़े नहीं आते और जनगणना का आधार अगर नहीं आता तो हमें समझ में आता कि राजस्थान सरकार में जनगणना के आंकड़े नहीं है उसके आधार पर वह चुनाव नहीं करा सकती लेकिन आज जो पुनर्गठन और पुनर्सीमन जो हो रहा है वह 1981 के आधार को जो मान कर राजस्थान की जनता के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं मानता हूं इसमें सरकार की क्या नीयत है। दस साल में कितने परिवर्तन आये हैं और कितने लोग इससे वंचित होंगे उन सारी परिस्थितियों को अगर मद्दे नजर रख कर पुनर्गठन किया जाता तो आज राजस्थान सरकार को 1990-91 का आधार जनगणना का मान कर ही यह पुनर्सीमन और पुनर्गठन कराया जाना चाहिये अन्यथा यह उचित प्रतीत नहीं होता। आज राजस्थान में कई जगह अजीबोगरीब स्थिति है। पुनर्गठन के नाम पर उन ग्रामों, ढाणियों और मजरों को तोड़ मरोड़ करने की कार्यवाही कई जगह हो रही है। इस स्थिति में मैं सोचता हूं कि सरकार के मन्सूबे निश्चित तौर से सन्देह के घेरे में आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार खुद एक कन्फ्यूजन और भ्रान्ति पैदा कर रही है उस भ्रान्ति के माध्यम कई जगह यह कहा जा रहा है कि पंचों का, प्रधानों का, प्रमुखों का चुनाव भी एक दिन में ही हो जायेगा। समझ में नहीं आता कि इस कन्फ्यूजन को किस ढंग से लाया जा रहा है अब तक यह मामला साफ नजर नहीं आ रहा। पंच के बाद सरपंच का और सरपंच

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

चुनने के बाद अगर प्रधान का चुनाव होता है तो समझ में आता । लेकिन लगता है कि राजस्थान सरकार इस प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा करके एक तरह से भ्रमित कर रही है। इसलिये आज भी उसके दिशा निर्देश साफ नहीं है । सरकार की क्या मंशा है, यह भी समझ में नहीं आता । उपाध्यक्ष महोदय, हमें कई जगह यह भी देखने को मिल रहा है कि आज विधान सभा के क्षेत्रों को, राजस्व तहसीलों को, पंचायत समितियों के कार्य का जिस प्रकार से पुनर्गठन हो रहा है, उसका सामजस्य भी टिक पायेगा या नहीं । यह भी एक अंदेशा नजर आ रहा है । क्या स्वरूप बनेगा, आज सारा कन्फ्यूजन है । ऐसी स्थिति में यह बहुत गंभीर मामला है, जिसको कि सरकार बहुत गंभीरता से लिये बिना अगर कोई काम कर रही है तो यह समझ में आने की बात नहीं है । पिछले दिनों स्व. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिये हरिजन, आदिवासी और महिलाओं को भागीदारी प्रदान करने की बात रखी थी और उन्होंने इस मामले में पार्लियामेण्ट के अन्दर संविधान में संशोधन लाने का फैसला भी किया था । लेकिन उस समय बहुमत के अभाव में वह बिल पास नहीं हो पाया और आज भी भारत सरकार के सामने यह संविधान में संशोधन मौजूद है । भारत सरकार इस संशोधन को कभी भी ला सकती है । यह बिल हमें सदन के अन्दर लाना होगा । भारत सरकार को संविधान में संशोधन होने के बाद पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया दुबारा करनी पड़ेगी और उसको आधार मानकर चलना पड़ेगा । इसलिये आज के दिन सही मायने में इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है । जब भारत सरकार इसका प्रस्ताव ला रही है और जब वहां से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पास हो जायेगा तो उसके बाद स्वतः ही हमको उसको मानना पड़ेगा, हमको उसको आधार मानकर चलना चाहिये और राजस्थान सरकार को इस अध्यादेश को आज वापस ले लेना चाहिये । जो पहले की परम्परा थी, जो प्रोक्योरमेण्ट थे, उसके आधार राजस्थान में जल्दी से चुनाव करा देने की तिथि घोषित कर देनी चाहिये । यही बात कहते हुये मैं इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल । (अनुपस्थित)

माननीय परसराम जी मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष जी, जो आर्डिनेंस राज्य सरकार ने प्रख्यापित किया है, मैं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मानकर चलता हूं प्रभारी मंत्रीजी शायद यहां पर जो भी कारण प्रस्तुत करेंगे और उन्होंने आर्डिनेंस को प्रख्यापित करने के जो कारण दिये हैं, उन्होंने यह प्ली ली है पहले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था । अनलिमिटेड पीरियड था, हमारे पास इसलिये हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया और रेस्ट्रिक्शन कुल मिलाकर एग्रीगेट एक साल का लगाया था कि एक्सटेन्शन एक साल से ज्यादा नहीं करेंगे और एक साल के भीतर-भीतर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो जायेंगे । उन्होंने जो एक कारण एडवांस किया है, मैं उससे कतई कन्वींस नहीं हूं और इसलिये कन्वींस नहीं हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस को जो इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली इफैक्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

से लागू किया है और 17 जून, 1991 से प्रभावी किया है, अगर आपके इतने नेक इरादे थे कि आप एक साल से आगे पीरियड नहीं बढ़ाना चाहते थे और दो अगस्त को जब आपने यह आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है तो 17 जून को आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देने की क्या जरूरत थी और इसमें इस बात को छिपाया है प्रभारी मंत्रीजी ने सदन से और सदन के माननीय सदस्यों से और वह इसलिये छिपाया है कि जोधपुर हाईकोर्ट में 131 रिट पिटीशन पर बहस हो रही थी सेक्शन–7 और सेक्शन 7 (ए) को चेलेन्ज किया गया था, उसकी वैधता को चुनौती दी गई थी और राज्य सरकार को ऐसी आशंकाएं थी कि इस प्रकार से प्रशासक नहीं बैठा सकती और अगर 7 (ए) के अन्दर स्टेप्स नहीं लिये गये हैं तो पहली वाली जो इलेक्टेड पंचायत हैं, जब तक दूसरी नहीं चुनी जायें, जैसा को-आपरेटिव एक्ट में प्रावधान है एनालेसिस सिचुयेशन की। उस सिचुयेशन को मीट आउट करने के लिये प्रभारी मंत्रीजी आप इस आर्डिनेंस को लाये और दलील यह दी है कि हम तो उदार हैं। अन रेस्ट्रिक्टेड पावर थी, उसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाईकोर्ट जजमैण्ट के पैरा 64 को पढ़ना चाहता हूं। यह 76 पेज का जजमैण्ट है और जोधपुर, हाईकोर्ट ने इस आर्डिनेंस का 64 पैरा पर उल्लेख किया है। माननीय मंत्री जी In this respect Mr. J. P Joshi the learned Addl. Govt. Advocate, appearing State has brought to the notice of the court that the clause 2 of Sec. 9 A of the Act has been amended by Sec. 2 of the Raj. Panchayat (Amendment) Ordinance 1991, Ordinance No. 5 vide Govt. notification dated 22nd of August, 1991. सब सेक्शन 2 है 9 (ए) का उसको रिप्रोड्यूस किया है और उसके पेश होने के बाद में Thus it is clear from this ordinance that after the appointments of the Administrators the Panchayat election will have to be held within one year from the date. इस इवेन्च्युली सिचुयेशन से बचने के लिये आप इस आर्डिनेंस को लाये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस को लाने के पूर्व राज्य सरकार ने दो एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्ज्यूकेटिव आर्डर निकाले हैं पहला 4-4-91 का है और दूसरा 2-8-91 का है। 4-4-91 का जो सरक्युलर है, वह पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में है और 2-8-91 का जो सरक्युलर है, मैं उसको सरक्युलर ही कहूंगा क्योंकि न तो यह कोई गाइड लाइन है, न कोई निर्देश हैं और न कोई क्राइटेरिया है। गवर्नमैण्ट ऐसा कर भी नहीं सकती क्योंकि सैक्शन 86 और रूल 344 के अन्तर्गत राज्य सरकार को इस प्रकार का क्राइटेरिया निर्धारित करने की ऑथोरिटी इस सदन ने भी नहीं दी है। उसके पुनर्सीमांकन के आदेश दिये हैं। मैं प्रभारी मंत्रीजी आपसे जानना चाहता हू कि आप पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर रहे हैं या पुनर्सीमांकन कर रहे हैं और अगर आप पुनर्सीमांकन कर रहे हैं तो आप सैक्शन–86 "ए" के नीचे कर रहे हैं और अगर आप पुनर्गठन कर रहे हैं तो किस सैक्शन के नीचे कर रहे हैं मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि

(श्री परसराम मदेरणा)

सैक्शन–3 एस्टेब्लिशमेण्ट आफ पंचायत है, सैक्शन–4 कान्स्टिट्यूशन आफ पंचायत है। सैक्शन–86 बहुत क्लियर है और 86 यह कहता है the State Government may, at any time, after one month's notice published in the prescribed manner, either on its own motion– "Either on its own motion" या तो सरकार खुद कहती है कि हम इस तरह से इस पंचायत को इन्क्लूड कर रहे हैं, इस एरिया को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको ट्रान्सफर कर रहे हैं। सरकार खुद जांच करने के लिये कलक्टर के पास भेजती है और or at the request of the Panchayat तो जब तक पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदें तीन साल की अवधि तक कार्य कर रही थी जब तक आपने उनसे प्रस्ताव मांगें नहीं। आप यह समझ रहे थे क्योंकि आपका राजनैतिक दृष्टिकोण था और आपका तमाम दृष्टिकोण और आपका इरादा दलगत राजनैतिक से ओतप्रोत था इसलिये आपने उनसे नहीं मांगें और or of the residents of any Panchyat circle, village or other area and by notification in the official Gazette, include any area in a Panchayat circle, exclude any area from a Panchayat circle or transfer any area from one Panchayat circle to another. यह तीनों 86 के अन्दर है और उपाध्यक्ष महोदय, 1968 में स्टेट वर्सेज विजयनगर पंचायत का एक मामला हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने एक जजमेण्ट दिया हैं। मंत्रीजी आपके सैक्शन 86 जो डी-लिमिटेशन का है जिसको आप पुनर्सीमांकन जगह-जगह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और कलक्टर भी कर रहा है, तहसीलदार और एस डी. ओ. भी कर रहा है। डीलिमिटेशन दिया हुआ है 86 "ए" में और 86 हाई कोर्ट के जजमेण्ट में dated 10th of October 1968 ultra-vires of the Constitution डिक्लेयर हो चुका है आज भी ultra vires it is brought on the Statute Book जो प्रावधान स्टेच्यूट बुक में ही नहीं है और डी-लिमिटेशन का केवल एक सैक्शन हैं पूरे राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 में। तो आप यह पुनर्सीमांकन का शब्द कहां से लाये हो माननीय प्रभारी मंत्रीजी। यह शब्द जिस तरह से अभी हमारे सहकारी मंत्रीजी री-स्ट्रेचरिंग का एक शब्द लिया है गोर्बाच्योव से, पेरेस्त्रोइ का उसी तरह से आप यह शब्द कहां से लाये हो। रसिया से, हंगरी से, रुमानिया से या बलगेरिया से है? इसलिये यह समझने में उपाध्यक्ष महोदय मैं असमर्थ हूं। यह सर्कूलर उन्होंने दिया है.... (व्यवधान)

ऐसा है कि पेरेस्त्रोइ का री-स्ट्रेचरिंग.... (व्यवधान)

उसी शब्द को इन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसमें यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया इसलिये मैं कह रहा हूं।... (व्यवधान)

आपकी तो समाजवादियों की कोई सरकार इस संसार में बनी नहीं और जो कम्युनिस्टों की बनी है वह तितर-बितर हो रही है।....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, 4 अप्रेल, 1991 और 2 अगस्त, 91, यह दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कूलर गवर्नमेण्ट ने इश्यू किये हैं। जो आफिसर इन्चार्ज है वह अभी डाइरेक्टर है.... (व्यवधान) इसका आधार पोपूलेशन बनाया है। सैक्शन 3, 4, 86 और 86 "ए" अब तो अल्ट्रावायर्स हो गया। पोपूलेशन की गाइड लाइन और क्राइटेरिया देने का अधिकार इस सरकार को नहीं है, यह हाउस कोई क्राइटेरिया दे सकता है जैसा कि मैंने विजयनगर की बात में कहीं आपको। हाई कोर्ट ने आब्जर्वेशन दिया है। लेजिस्लेचर को इसमें पंचायत के री-कान्स्टिट्यूशन के अन्दर गाइड लाइन देनी चाहिये और लेजिस्लेचर ही सक्षम है कोई गाइड लाइन इश्यू करने में। आपने पोपूलेशन का आधार इसलिये दिया है माननीय मंत्रीजी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थ्रोट को डिसक्लोज नहीं करूंगा। because it is my privilege.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसने कहा आप करो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्या कहने जा रहा हूं आप बीच में मेरी चैन ऑफ थ्रोट डिस्टर्ब कर रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वेरी सॉरी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक मंत्रिमण्डल ज्ञापन जो 30 जुलाई को राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उस पर निर्णय लिया और निर्णय के अनुसरण में और उसके इम्प्लीमेन्टेशन में आपने 2 अगस्त, 1991 को सर्कूलर इश्यू किया है। इसमें इस बात का उल्लेख है। इस कार्य में क्या व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही है इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1991 को शासकों एवं विधायकों से विचार विमर्श किया था जिससे यह राय उभर कर आयी कि जारी किये गये निर्देशों को और खुल्लासा किये जाने की आवश्यकता है जिससे जनसंख्या का, पंचायत क्षेत्रफल का उचित सामन्जस्य स्थापित हो सके। माननीय मंत्रीजी आपने अपनी-अपनी पार्टी के विधायकों और शासकों को बुला लिया।

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) : नहीं, सभी पार्टी के विधायक और एम. पीज. और सारे लोग आपकी पार्टी के भी थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल्कुल गलत है। आपने नहीं बुलाया किसी को। केवल जनता दल (दि) और बी. जे. पी. वालों को बुलाया था, बाकी किसी को नहीं बुलाया था।

श्री लालचन्द डूडी : आप सुनिये। सेक्रेटेरियेट के अन्दर मीटिंग बुलायी गयी थी और उसके अन्दर सभी पार्टी के एम. एल. ए., एम पी. और मिनिस्टर थे।

कई माननीय सदस्य : नो, नो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत बयानी तो नहीं कर रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, सम्माननीय वन मंत्रीजी को उत्तर देने में इतनी ज्यादा तत्परता नहीं दिखानी चाहिये क्योंकि प्रभारी मंत्री है और आपसे

(श्री परसराम मदेरणा)

ज्यादा बुद्धिमान है और गणेशजी की तरह इनका नाम भी बुद्धिसागर है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्टी के शासकों और विधायकों से विचार विमर्श करना जो पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेसी में और हिन्दुस्तान के संविधान में डाइरेक्ट प्रिंसिपल के अन्दर जिस पंचायत का उल्लेख है वह डेमोक्रेसी की आधारशिला है और उसमें सभी पार्टीज के एम. एल. ए. से सलाह भी ले लेते आप। यह कोई जरूरी नहीं था कि हमारे प्रस्ताव या सजेशन को मानते। लेकिन इस तरह का एक बहुत संकुचित दृष्टिकोण से पंचायतों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप यह इल्लीगल कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे यह बताइये कि इस राजस्थान पंचायत एक्ट के बने हुये नियम, जो नियम 360-70 हैं। इसमें कहां पावर है तहसीलदार और एस. डी. ओ. को।.... इसमें इसका प्रावधान है। रूल्स का, एक्ट नहीं। 344–If after considering the report of the Collector and recommendation on receiving the report of the Collector. यहां से शुरू होता है। जो भी प्रस्ताव राज्य सरकार ने स्युओटो भेजे हों या किसी पंचायत ने भेजे हों, या पंचायत के रहने वाले लोगों ने, इन्हेबिन्स ने भेजे हों या किसी क्षेत्र के लोगों ने, उस पंचायत के लोगों ने भेजें हों, तो यह प्रस्ताव एग्जामिन करने के लिये कलक्टर ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट को भेज सकते हैं। मैं भी इस हद तक तो आपके इन्टरप्रिटेशन से कंविन्स हो जाऊंगा। कलक्टर इंक्लूड्स एडीशनल कलक्टर। लेकिन जो प्रस्ताव 31 जुलाई के पहले आने की अवधि थी 31 अगस्त का तहसीलदार ओसियां, एस डी. ओ. ने जो प्रपोजल पंचायत समिति के लिये, मेरे पास उसकी कॉपी भेजी है क्योंकि आपका न तो वहां आर्डिनेंस पहुंचा न आपने पब्लिकेशन का पीरीयड आगे बढ़ाया है। सात अगस्त का है और मुझे 12 अगस्त को मिला है। एस. डी. ओ. ने भेज दी है। कोई एस. डी. ओ. को पावर्स नहीं है। जो कुछ आप कार्यवाही कर रहे हैं यह एक्ट और रूल्स के प्रोविजन के प्रतिकूल कर रहे हैं। उनको वोयलेट करते हुये कर रहे हैं। कहीं भी चैलेंज होगा कि स्ट्रक डाउन है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, शायद ऐसा दिखता है कि चीफ सेक्रेटरी की 31 अगस्त को जोधपुर में एक मीटिंग थी और उन्होंने जोधपुर डिवीजन के सभी कलक्टर्स को और ऑफिसर्स को बुलाया था अन्य मामलों में वहां पर यह मैटर खड़ा हुआ दिखता है और मैटर खड़ा होने के बाद में जब उनके ध्यान में आया कि एस डी. ओ है, तहसीलदार कुछ नहीं कर सकते। यह सब मामला इल्लिगल है। 31 तारीख तो रात को निकल गयी जब तक मीटिंग चल रही थी 8 बजे तक, तो पब्लिकेशन कैसे होता? टेलीफोन कर के दिन को जब यह मामला आया, लीगली एग्जामिन हुआ तो सबको बुलाया। तहसीलदार छुट्टी पर थे तो ए. सी. एम. को बुलाया और एक तारीख को दिन भर, प्रपोजल तो तहसीलदार, एस. डी. ओ. के हैं पर कलक्टर साहब ने काउण्टर साइन किये।

मैं यह कहता हूं कि आप कोई काम जल्दी में मत कीजिये। आप जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे ऐसा दिखता है कि आप पंचायतों का सेक्शन 3 में जो इस्टेब्लिशमेन्ट की आपको पावर है, री-इस्टेब्लिशमेण्ट की

(श्री परसराम मदेरणा)

आपको नहीं हैं। न 86 में आपको री-इस्टेब्लिशमेण्ट में पावर हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ! ओसियां से कंटिग्यूअस एरिया में एक पंचायत है, नेवरा। उस नेवरा पंचायत में दो गांव। एक नेवरा और एक डिगवी गांव है। अब जो रेवेन्यू विलेज आपने बढ़ाया, नेवरा बहुत बड़ा गांव है। तो एक वहां नेवरा रोड गांव भी चार साल पहले बन गया। अब उस पंचायत में तीन रेवेन्यू विलेज हैं, नेवरा, नेवरा रोड, डिगवी। नेवरा पंचायत है और एक दूसरी पंचायत का जो प्रस्ताव आया है वह नेवरा रोड और डिगवी का आया है। यह पंचायत नहीं है, इस्टेब्लिशमेण्ट नहीं है यह री-इस्टेब्लिशमेण्ट है। री-इस्टेब्लिशमेण्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको लीगली एग्जामिन करा लीजिये प्रभारी मन्त्रीजी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिना अमेण्डमेण्ट के आप री-इस्टेब्लिश किसी भी पंचायत को राजस्थान में नहीं कर सकते और मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सैक्शन 70 में जो डेलीगेशन के आपको पावर हैं, 24 अगस्त, 1960 को आप पंचायतों के एक्सक्लूजन एण्ड इंक्लूजन ऑफ ट्रांसफर के लिये और उस वक्त आपका सैक्शन 86 (ए) भी अल्ट्रावाइरस नहीं हुआ था। इन दोनों के लिये नोटिफिकेशन जगह-जगह मैं देख रहा हूं कि आपने 86 के पावर डेलीगेट किये थे एक कमेटी को। अण्डर सैक्शन 70। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वह कमेटी एग्जिस्टेन्स में है या नॉन-एग्जिस्टेन्स है ? आगे जो कुछ भी यह डिस्पोजल होंगे, क्योंकि आप यह नहीं कर सकते यहां पर।

मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 86 के अन्दर एक प्रोवीजो है। वह प्रोवीजो आप के बदन में नहीं आने वाला है। उसका कुछ इन्टरप्रिटेशन हो रहा है, यहां पर कि नीचे ही जो कुछ हो गया था वह 15 दिन का, जब आपके 344 रूल में यह प्रावधान निश्चित तौर पर है कि आप एक महीने का नोटिस दोगे। आज से पहले जितने भी नोटिफिकेशन हुये हैं, जो 84 में हुये, 86 में नोटिफिकेशन हुये हैं। एतराज मांगे गये हैं गवर्नमेण्ट के द्वारा, उस कमेटी के द्वारा। उन्हें एक महीने का नोटिस दिया है, कलक्टर ने 15 दिन का नोटिस दिया है। वह 15 दिन आप कहां से ले आये ? और अगर आप आर्बीट्रेरी 15 दिन लाये हैं। तो कलक्टर को तो नोटिस देना है नहीं। उसको तो प्रपोजल जो आयेंगे, उसकी एग्जामिन करके एक रिकमेंडेशन गवर्नमेण्ट के पास भेजनी है, इतनी ही पावर्स है। आप वह सब कार्यवाही यहां पर जो 344 में करनी है। वह कलक्टर से करवाकर के और आप यह समझते हैं कि हम इसमें चैन्ज नहीं करेंगे। क्योंकि केबीनेट मीमो के अन्दर एक बात आयी है कि तहसीलदार को जो पावर्स दी है उसमें तहसीलदार को न रखकर के अपने एस. डी. ओ. को पावर दे दो। आप एस. डी. ओ. को पावर दे देंगे, कल रेवेन्यू इन्सपेक्टर को पावर दे देंगे। एक्ट में तो प्रावधान है नहीं, उसमें तो साफ प्रावधान है, कलक्टर के अलावा किसी को पावर नहीं है। एडीशनल कलक्टर को पावर दी जा सकती हैं क्योंकि इसलिये मेरा यह निवेदन है कि वहां जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हो गयी थी इसलिये उसका काउण्टर साइन करके अपना प्रपोजल ऑफ पब्लिसिटी है वह करने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि

(श्री परसराम मदेरणा)

उसको तो एग्जामिन करना है और जब आप यह देख रहे हैं कि 81 का आप आधार ले रहे हैं, इससे पूर्व माननीय सदस्यों ने इस बात को यहां पर उठाया है कि 91 की जो पापूलेशन आ चुकी है और हिन्दुस्तान के कांस्टिट्यूशन में भी पंचायतों के सम्बन्ध में सर्टेन पावर्स दिये जाने के उसमें अमेण्डमेण्ट हो रहा है, कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आपको उसको भी ध्यान में रखकर इतना एक्सक्लूजन एण्ड इक्लूजन ऑफ ट्रांसफर का मुद्दा आपको निर्णित करना चाहिये अन्यथा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस लेजिस्लेचर ने कोई क्राइटेरिया ले डाउन नहीं किया है। मेरा माननीय मंत्रीजी से, प्रभारी मंत्रीजी से यह विनम्र निवेदन है कि 22 अगस्त तक जब यह सत्र चलता है, उससे पहले आपको अमेंडिंग बिल लाना चाहिये और क्राइटेरिया इस सदन से आपको निर्धारित कराना चाहिये। आर्बीट्रेरी अगर चलना चाहते हैं तो अभी तक जो भी आप कार्यवाही कर रहे हैं, तहसीलदार, एस. डी. ओ. के मार्फत या कलक्टर के मार्फत, यह 15 दिन का नोटिस, यह सब कार्यवाही अनब्रोडल्ड है, यह सब कार्यवाही अनकैनेलाइज्ड है, यह सब कार्यवाही आर्बीट्रेरी है और अगर यह कार्यवाही कानून और उसकी मंशा के प्रतिकूल है तो आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, आपकी एक्टिविटी और कार्यवाही फेयर तो नहीं है। फेयर जब नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पोलिटिकल दृष्टिकोण है। पोलिटिकल दृष्टिकोण इसलिये है, कलक्टर चूरू को डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पंचायतों के पुनर्गठन के लिये छाप वगैरह लगाकर एक प्रस्ताव दिया है, जिसकी कापी मेरे पास है।

श्री मदनलाल सैनी : आप भी दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर। समझदार हैं सभी, सदन में बैठने वाले सभी समझदार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अपने एम. एल. एज., डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों और सांसदों की मिली जुली मीटिंग करके वहां पर बैठकर जब प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं, तो दूसरी पालिटिकल पार्टीज को भी आप कांफिडेंस में ले सकते थे। आज राजस्थान में जो प्लानिंग बोर्ड है उसमें हम भी मेम्बर हैं। सलेक्ट कमेटी बनती है उसके अन्दर चाहे चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है मगर हम भी उस कमेटी के अन्दर हैं। हम कोई सजेशन ही देते। लेकिन किसी को भी नहीं बुलाना, आप और किसी को भी नहीं बुलाते तो समझ में आता, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जनता दल दो बड़े दल हैं इस राज्य में। नहीं था तो कम से कम इनके लीडर्स को बुलाकर प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या गाइडलाइंस ली जानी चाहिये, यह बात कर सकते थे। अभी तक आपकी गाइडलाइंस इल्लीगल, अगेंस्ट दी प्रोविजन ऑफ राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 और अगेंस्ट दी रूल्स मेड देअरअण्डर है, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप गैरकानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। उस गैरकानूनी कार्यवाही की ओट के अन्दर आर्डिनेंस प्रोमलगेट करवाया गवर्नर से। उसको आप अभी थोड़ी देर में बिल विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। आर्डिनेंस में आप

(श्री परसराम मदेरणा)

यह कहने जा रहे हैं, एक ही दलील है कि पहले हमारे पास अनलिमिटेड पीरियड था एक्स्टैण्ड करने का, हमने तो उसको सीमित किया है। इस ओट के अन्दर आप जो षडयन्त्र कर रहे हो, राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। जी. एस. एस. के चुनाव हुये, आपको उन्होंने एक आंन्सर दिया। यह पंचायतों के चुनाव जब कभी होंगे, कोई भी तोड़फोड़ कीजिये, राजस्थान की जनता आपको समझ चुकी है, आपको जबर्दस्त करारा जवाब देगी। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है इस हाउस से कि यह सदन इस अध्यादेश संख्या–5 को रिजैक्ट करे।

श्री किशनाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी विधेयक कांग्रेस के टाइम में लाया जाता था तो क्या विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों की राय ली जाती थी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विषय नहीं है। माननीय श्री जुबेर खां। (बोलने के लिये खड़े नहीं हुये)

माननीय श्री चन्दमल जी बैद। (अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर ?

श्री उपाध्यक्ष : I called your name. आपने उस समय कह दिया था कि नेताजी बोलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो मेरे से आयु में छोटे हैं इसलिये उन्होंने कहा। वह उनका सब्स्टीट्यूशन नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस बात का बड़ा ध्यान रखा था कि पहले परसादी लालजी को बुलाया जाय और बाद में आपको बुलाया जाय।

अब आप ठहरिये थोड़ी देर, बुला दूंगा मैं। बिराजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : वह बात अलग है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैंने सदन में आते ही आपकी आई कैच कर ली थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप थोड़ी देर ठहरिये, फिर बाद में।

श्री परसादीलाल मीणा : क्यों ? कौन बोलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप परसादी लाल जी को बुलवा दीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राज्यपाल ने आर्डिनेंस जारी किया पंचायत समिति, जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का। इस सरकार का इतिहास रहा है। पहले जब भी शासन में आये उस टाइम इनकी हिम्मत नहीं थी पंचायतों के चुनाव कराने के बाद कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कराते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज ग्राम पंचायतों में इन्होंने प्रशासक लगा दिये। एक-एक प्रशासक या सैक्रेटरी

(श्री परसादीलाल मीणा)

या ग्राम सेवक के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतें हैं। वह तीन ग्राम पंचायतों का काम देख पाएगा? विकास कार्य जो चल रहे थे उनको कर पाएगा? अतिक्रमण या दूसरे मामले जो गांव वालों के होते हैं उनको निपटा पाएगा? गांव की तरफ से ध्यान हटाकर इनका ध्यान केवल शहरों का विकास करने की ओर है। शहरीकरण करना और गांवों को अवाइड करना। वहां स्कूलों में मास्टर नहीं, इसकी चिन्ता इनको नहीं। वहां गांव वालों की क्या समस्या है, इसकी नहीं। केन्द्र सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से काम कराने के लिए सीधी धनराशि दी। एक वर्ष तक आर्डिनेंस लाकर या कानून बनाकर प्रशासक नियुक्त रखना चाहते हैं, उस धनराशि का कितना दुरुपयोग होगा? कितना भ्रष्टाचार में वह पैसा जाएगा? उसको कौन देखेगा? एक सैक्रेटरी तीन ग्राम पंचायतों का काम देखेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी गांव से आते हैं, यहां बहुत से माननीय सदस्य गांव से आते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी। इनको यह ख्याल नहीं है। आज गांव-गांव, गली-गली इस बात की चर्चा है कि सरकार ने आखिर पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं कराए। अगर चुनाव नहीं कराये तो प्रशासक की जगह उन्हीं सरपचों को जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक क्यों नहीं काम करने दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज सरकार अपना गांव अपना काम योजना में खूब पैसा दे रही है। यह कह रही है कि 30 प्रतिशत जन सहयोग। सैक्रेटरी कर लेगा जन सहयोग? आखिर करना क्या चाहते हैं उन कामों का? पिछले साल एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 लाख के कामों की मजूरी दी थी, वह काम पूरे कैसे हो पाएंगे? सरपंचों ने काम कराये ... (व्यवधान) अपना गांव अपना काम योजना में हर विधान सभा क्षेत्र में 10-10 लाख के काम शुरू हुए, उनको कौन करेगा? जन सहयोग ग्राम सेवक को गांव वाले दे देंगे? कभी नहीं। वे सारे के सारे काम जहां के तहां रूक गये और आज गांवों में हालत यह हो गयी कि वहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं। सैक्रेटरी प्रशासक उसका पता ही नहीं वह रहता कहां है, महीने में दो दिन आता है कि एक दिन आता है। गांवों की कद्र छोड़ दी है इन्होंने। मैं कहना चाहूंगा कि जवाहर रोजगार योजना का काम प्रति मिलता है। अब भी ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना की राशि मिल रही है, उसको सरकार कैसे करेगी? कौन कराएगा? कौन उसको देखेगा गांवों में जाकर? यह हालत क्या है? सरपंच आपकी पार्टी के भी थे, हमारी पार्टी के भी थे। सरपंचों को आपने क्यों हटाया? ठीक है, आप जिला परिषदों और पंचायत समितियों में प्रशासक लगा देते, क्योंकि आप से उनको देखा नहीं जा रहा था कि कांग्रेस के लोग प्रधान और जिला प्रमुख हैं। आपका उद्देश्य उसी से पूरा हो जाता, पर आपने सरपंचों को हटाकर....

श्री हीरालाल आर्य : 8–8, 10–10, 15-15 किलोमीटर पर पंचायत हैडक्वार्टर हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : एक बहुत-ही बुरा काला अध्याय राजस्थान में शुरू किया

(श्री परसादीलाल मीणा)

है । (व्यवधान) इसका गांव-गांव में विरोध किया जायेगा ।

श्री हीरालाल आर्य : इस वजह से पहले पंचायतों के ठीक चुनाव हों, यह आवश्यक था । (व्यवधान) कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिये उनको हटाया ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप गांवों में जाओगे तब पता चलेगा कि गांवों में धन की किस प्रकार बर्बादी हो रही है । (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : वहां प्रजातन्त्र कायम करना आवश्यक था ताकि गांव के लोगों का प्रशासन में आवश्यक प्रतिनिधित्व हो । सारी बातों की चर्चा करना भी आवश्यक था, इसलिये अध्यादेश लाये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको चुप करिये, ये बेवजह ही बोलते हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री बने थे, पंचायती राज मत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान की पचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दूर करेंगे । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंचायती राज मंत्री जी, क्या इन प्रशासकों से भ्रष्टाचार....

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसमें मैं संशोधन करके यह कहना चाहूंगा कि शायद आपको भी गलत फहमी है । वह इसलिये कि आप कह रहे हैं कि अपना गांव अपना काम में काम कौन करेगा । इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है पिछले छः महीने में कि अपना गांव अपना काम में काम तो होने का सवाल ही नहीं है । पॉलिसी को इस तरह से निर्धारित किया । आप 30 प्रतिशत की बात करते हैं, वर्तमान में इन्होंने 65 प्रतिशत हिस्सा तय कर दिया । पिछले छः महीने में अपना गांव अपना काम में एक नया पैसा न तो खर्च हुआ और न जवाहर रोजगार योजना में कोई पैसा जा रहा है । इसलिये काहे के लिये चिन्तित हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रमजान खां (भेड़-ऊन राज्य मंत्री) : करोड़ों रुपये के काम हुये हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप सुनिये पहले । आपके बीच में कहने से इस तरह से नहीं चलेगा । असलियत को समझना चाहिये, आपको असलियत के नजदीक आना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यादव साहब आप बिराजिये । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई बच्चा थोड़े ही है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्रीजी ने तो इस मुद्दे पर आकर कि पंचायतों को भंग करने का फैसला करवा लिया कि प्रधान के चुनाव में खड़े हुये तो पंचायतों के सरपंचों ने वोट नहीं दिये और वह साधारण व्यक्ति से चुनाव हार गये । इसलिये उन्होंने कह दिया कि इनको भंग कर दें । इसलिये आपको गलत फहमी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादी लाल जी।

डा. चन्द्रभान : "अपना गांव, अपना ही दाम और इतना ही काम"।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य ने जो कहा वह तो ठीक कहा पर जो लोग उलझ गये, जब सरपंचों ने जन-सहयोग से पैसा इकट्ठा कर गांव में काम मंजूर करवा लिये और उसके बाद अचानक ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया और वह पैसा उनका अटक गया और वह काम वहां रुक गये। आखिर इनको कौन देखेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या गांव के लोग आपकी सरकार को+++? आप जब गांवों में जायेंगे तो पता चलेगा, उनके पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री शान्तिलाल चपलोत (गृह राज्य मंत्री) : कांग्रेस ने पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये—वह भी आपकी सरकार रही है। श्री भैरोंसिह जी शेखावत मुख्य मंत्री बने 1977 में तो उस समय भी उन्होंने चुनाव करवाये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्रीजी आपको कोई घुसने नहीं देगा गांव में। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह म्युनिसिपैलिटी में बोलें तो अच्छा लगेगा पर पंचायत पर तो परसादीलालजी को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जब एक गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है तो माननीय सदस्य को कम से कम इतना पाबंद तो करें कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्रबोधन कार्यक्रम चलाया था। अब इसके आगे कुछ नहीं कह सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, फिर खुली छूट है क्या ? फिर बोलने की जरूरत नहीं है क्या ? जब प्रबोधन कार्यक्रम के तहत ही हो रहा है तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें। माननीय सदस्य जो कहना चाहें वह आसन की ओर इंगित करके कहिये। सीधे वार्तालाप न कीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : प्रबोधन कार्यक्रम का असर इन पर नहीं है। दुबारा ट्रेनिंग दिलवायें इनको।

श्री उपाध्यक्ष : काफी असर हुआ है। अच्छा प्रभाव रहा है उसका।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आज गांव के विकास की हालत यह हो गई है कि वहां कोई+++वाला नहीं है। जवाहर रोजगार योजना के तहत जो पैसा आता है वह सीधे सेक्रेटरी की जेब में चला जाता है सेक्रेटरी की जेब में से बी. डी. ओ. की जेब में, जे. ई. एन. की जेब में, बाकी काम कुछ होता नहीं है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है। गांव में विकास की हालत यह हो गई कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्रीजी के कहने से जन-सहयोग में पैसा इकट्ठा किया था "अपना गांव अपना काम योजना" के तहत 30 पर्सेन्ट राशि जमा करवायी थी उसके लिये

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

भी आज गांव में यह कहने को मिल रहा है कि हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे काम का क्या होगा? आज कई काम सरपंचों के अधूरे रह गये हैं आखिर उनको कौन करवायेगा। फिर आप कह रहे हैं कि हम एक साल इसकी अवधि बढ़ायेंगे। आप क्यों नहीं 6 महीने में चुनाव करवाते?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : परसादीलाल जी आपको जानकारी नहीं है गांवों की। आप गांवों में गए नहीं हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : यह म्युनिसिपैलिटी से नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले माननीय सदस्य क्या जानें?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं पंचायत समिति का प्रधान रहा हूं। गांवों के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं पंचायत राज मंत्रीजी से कह रहा हूं। आप पंचायत राज मंत्री बनकर आवें फिर मुझे कहें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आसन के माध्यम से बात करें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : एक साल की अवधि बढ़ा रहे हैं उसके बजाय 6 महीने में ही, जल्दी से जल्दी गांव के विकास को गति देने के लिए आपको चुनाव करवाने चाहिए। बजट स्पीच में माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने कहा था, पंचायत राज मंत्री जी आपके ध्यान में होगा सन् 1984 से जिनका लगातार सिवाय चक भूमि पर कब्जा है उनको हम आवंटन कमेटी के द्वारा नियमानुसार भूमि का आवंटन करेंगे। जब आपके प्रधान नहीं है, जब आपके सरपंच नहीं है तो आप आवंटन कैसे करेंगे? कैसे आप बजट स्पीच में कही हुई बात को पूरा करेंगे। फिर एक साल हो गया तो बजट स्पीच में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है वह बात बिलकुल असत्य और निराधार है। आप लोगों को धोखा देने के लिये, लोगों को फुसलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं।

माननीय पंचायत राज मंत्री जी आपने कहा था कि मैं ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार से काफी दुःखी हूं। पर अब आप बहुत सुखी हैं सरपंचों को हटा कर। आज एक एक बी. डी. ओ. ने एक एक पंचायत समिति में 100–100 ट्रांसफर्स किए हैं, 1000 ट्रांसफर्स के 5 हजार रुपये तक पैसे लिए हैं और खूब खाये हैं और मैंने आपको भी शिकायत की है। आप चाहें तो उनकी जांच करवा सकते हैं। आपने जिला परिषदों में प्रशासक लगाकर आज गांवों की हालत यह कर दी है कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, प्राइमरी स्कूलों में आज अध्यापकों के सारे पद खाली पड़े हैं। आपने प्रधानों को हटा दिया, आपने हटा दिया सरपंचों को और आपने जिला प्रमुखों को हटा दिया। आखिर आप क्या करना चाहते हैं इस राजस्थान की जनता का। जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपना संजोया था कि हम स्वराज्य देंगे, हम गांव के लोगों के अधिकार गांव के लोगों को देंगे। पर आप नहीं कर सकेंगे। आपने उन भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दिया, आपको भी पता है कि आपके विभाग में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जिनके लिए मुख्यमंत्रीजी

(श्री परसादीलाल मीणा)

कहते हैं उनको बहुत बड़े ओहदे पर बैठा रखा है और आप फिर भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहते हैं।

पंचायत राज मन्त्रीजी आप गांव से आते हैं क्या आपको पता नहीं है कि गांवों में क्या हो गया है। भ्रष्टाचार की आम बात आज गली-गली, चौराहे-चौराहे पर है कि लोगों को जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा है, आज वहां पर नामान्तरण नहीं खोले जा रहे हैं। आज गांव-गांव में एक शिकायत मिलेगी। आज किसी की मोत हो गयी उसके वारिश का नामान्तरण खोलने के लिए गांव के लोग तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं, वहां पर 5 से 10 हजार रुपये तक की रिश्वत ली जाती है। यह हालत आज गांवों की हो गई है। उनके सारे अधिकार छीन कर आपने अपने कब्जे में ले लिये हैं। क्या आप इस तरह से भ्रष्टाचार मिटायेंगे? आप इस तरह से राजस्थान की जनता को स्वराज देंगे। आप पंचायत राज का आखिर क्या करना चाहते हैं?

फिर दूसरा काम आपने पंचायतों का पुनर्सीमांकन का किया है। आप स्पष्ट नीति बनायें, आपको स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि हम फलां तारीख तक पंचायतों का पुनर्सीमांकन करेंगे। आपने पहले 15 जून की, फिर 31 जुलाई की, फिर 31 अगस्त की फिर आपने 15 सितम्बर की। पता नहीं + + + जैसी बातें करती है सरकार बार-बार कि हम फलां तारीख तक अन्तिम तारीख मानेंगे। हमने प्रस्ताव दिये। आपने कहा कि 31 अगस्त तक सूची प्रकाशित करेंगे फिर उसको 15 सितम्बर तक की है। तो क्या जन-प्रतिनिधि सरकार के नौकर हैं जो रोज-रोज प्रस्ताव देंगे और रोज-रोज उनसे मांगेंगे। आपको जो भी करना है एम. एल. एज. की जिला लेवल कमेटी बनानी चाहिए और जिला लेवल कमेटी बनाकर पंचायतों का, पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि जहां-जहां फिजिबल है, जहां-जहां पर उपयुक्त है, पंचायत बन सकती है, कहां बन सकती है।

आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए पंचायत राज मंत्री जी कि केन्द्रीय सरकार पंचायत अधिनियम में कुछ नया कानून बनाने जा रही है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 10 माननीय सदस्य अभी और बोलने शेष हैं। समय सीमा का तो आप और हम सब को ध्यान रखना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सुझाव दे रहा हूं कि रुचि नहीं लेते हैं। रुचि लेते हैं उनको आप कृपा कर प्रोटेक्शन दीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कलेक्टर के, तहसीलदार के, पटवारियों के, गिरदावरों के कम से कम 50-60 हजार ट्रांसफर कर दिये हैं। आखिर पुनर्सीमांकन का काम कौन देखेगा। आज हालत यह है कि मैं मेरे जिले की बात आपसे कहना

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

चाहता हूं कि वहां से तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया, वहां से एस. डी. ओ. का ट्रांसफर हो गया, ए. डी. एम. का ट्रांसफर हो गया। आखिर में पुनर्सीमांकन का काम कौन देखेगा, कौन उनको अंजाम देगा ? कोई +++ वाला नहीं है। ऐसी सरकार को, ऐसी +++ को और +++ सरकार को क्या +++ लोग, क्या करेंगे ? एस. डी. ओ. नहीं है, तहसीलदार नहीं है और कलेक्टर छुट्टी लेकर बैठे हैं तो 15 तारीख तक आखिर कौन देखेगा, प्रस्तावों को कौन देखेगा ? सारा काम आपने ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया है। क्या आप उनसे सुखी हैं, क्या आप खुश हैं ? सारा काम आप ब्यूरोक्रेट्स से कराना चाहते हैं। जिला लेवल पर विधायकों की कमेटी बनाकर विधायकों के प्रस्ताव लें। आज वहां के प्रधान, एक्स-प्रधान या सरपंच से प्रस्ताव मांगते, ग्राम लेवल से प्रस्ताव आयेंगे, ग्राम-सभा के माध्यम से प्रस्ताव आयेंगे राज्य सरकार उनको देखेगी, कलेक्टर उनको देखेगा। आपने फूल का निशान और नीचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता ने लिखा कि यह पंचायत बना दें या एक गांव में 10 किलोमीटर में गांव है और एक गांव में 5 किलोमीटर में है, कलेक्टर को क्या पता कि कौनसा गांव कहां है। यह सारा काम गांव वालों को सौंपना चाहिए, ग्राम सभा के लेवल पर इस काम को निपटाना चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि यहां पर जो थ्री-टायर सिस्टम है उसको टू-टायर सिस्टम किया जाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। जहां विधायक और प्रधान में टकराव रहता है विकास के कामों में वहां से प्रधान की पोस्ट हटा दी जाय। आप टू टायर सिस्टम करके सीधे क्योंकि उनका जिला परिषद् में प्रधान का ज्यादा काम होता नहीं है वहां पर विधायक सारे विकास के कार्यों को देखेगा। तो पंचायत राज प्रणाली मजबूत हो सकती है....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक तरफ प्रधानों और पंचों से सुझावों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानों की पोस्ट खतम करने का कह रहे हैं। आखिर वह क्या कहना चाहते हैं ?

(6.00 सायंकाल)

श्री परसादीलाल मीणा : यह मेरा सुझाव है आप माने या नहीं मानें। सारे विकास कार्य, जिले में जो भी गतिविधियां चलती हैं, ऐसे वहां पर उनको अधिकार हैं, उनको केबिनेट मंत्री का दर्जा है। पंचायत राज को किस प्रकार मजबूत बनाया जाये इसका एक सपना राजीव गांधी ने सजोया था और उन्होंने कोशिश की थी कि हम ग्राम पंचायतों में किस प्रकार महिलाओं को अनुसूचित जाति, जनजाति के और दूसरे लोगों को हम गांव के सारे काम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, एजूकेशन है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा दी थी जिला परिषदों को

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसादीलाल मीणा)

वह भी वापस ले ली और जो मिडिल एजूकेशन दी थी उसको वापिस लेकर आपने अधिकारियों को बैठा दिया। आज हालत यह है कि मंत्रीजी जो जवाब दे रहे थे मैं इनसे पूछ रहा था कि फलां मिडिल स्कूल में कितना स्टाफ सैंक्शन है और वहां पर कितना काम कर रहा है। पहले स्टाफ था, पर इनके जब डी. ओ. वगैरह को सारे ट्रांसफर कर दिया, कोई टीचिंग स्टाफ वहां पर उस स्कूल में मौजूद नहीं है, स्कूल दो महीने से बन्द है। पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिये, गांवों को स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिये उनको अपना काम खुद को देखने में आप पंचायत राज में एक साल का अमेण्डमेंट लाये, एक साल तक, कहां तक लोग इनको + + + आप तो 6 महीने में, मैं तो यह कहता हूं कि आज ही आपको चुनाव की तारीख तय करके उसकी घोषणा करनी चाहिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य बोलता है तो उसको वाच सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों को भी करना चाहिये और वो भी अगर उसको नहीं पकड़ सकें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो आसन पर होते हैं उनका यह निश्चित तौर से दायित्व होता है कि सदन की कार्यवाही किस तरह से चले।

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह कैसे अन्दाजा लगा लिया कि सत्ता पक्ष वाले जो बोल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात पूरी सुनिये। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने अपने भाषण में सरकार के प्रति हम हर चीज कहते हैं, लेकिन इन्होंने एक + + + शब्द का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं इस तरह का शब्द इस सदन की कार्यवाही में अंकित होगा, यह निश्चित रूप से इस सदन की मानहानि होगी इसलिये इसको एक्सपंज किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : + + + शब्द तो नहीं आया है। रोने वाली बात इन्होंने दो-तीन बार कही है, अगर होगा तो एक्सपंज किया जाये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : है बिल्कुल है, बिल्कुल + + + सरकार कहा है और देख लीजिये प्रोसीडिंग में और वह इस तरह से सदन की कार्यवाही में अंकित होना मैं ठीक नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष : होगा तो इसे निकाल दिया जायेगा। माननीय बुलाकीदासजी कल्ला।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जहां-जहां भी यह शब्द आया है इसे एक्सपज कराया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता देवपुराजी को पहले चान्स दे दें।

+ + + शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थी सिंहजी, (अनुपस्थित)

माननीय देवपुरा साहब ।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस परिनियत संकल्प पर इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, मैं बहुत लम्बा समय नहीं लेना चाहता, कुछ मुद्दे की बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस परिनियत संकल्प को यह सदन स्वीकार करे । क्योंकि जिस आर्डिनेन्स को हम अस्वीकार करने की बात कर रहे हैं उस आर्डिनेन्स की मैं आवश्यकता ही महसूस नहीं करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानूनी मुद्दों का प्रश्न था, सदन के माननीय सदस्य मदेरणा साहब ने काफी विस्तार से उस बात को कहा है और उन बातों की गहराई में अगर हम जाएंगे तो निश्चित बात है कि इस आर्डिनेन्स का औचित्य अपने आप सन्देह के घेरे में आ जाता है और यदि यह बिल पास कर लिया गया, जैसा कि बहुमत के आधार पर यह पास होना निश्चित लगता है, तो निश्चित रूप से यह बिल टिक नहीं पायेगा । हाईकोर्ट इसको वोइड डिक्लियर करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिद्धान्तों के आधार पर बात कहना चाहता हूं राजस्थान पहला प्रान्त था जिसने पंचायती राज और प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की बात को स्वीकार किया और राजस्थान में दो अक्टूबर, 1959 को इसका प्रारम्भ हुआ और तब से पंचायत हमारे यहां पर काम कर रही है, 2 अक्टूबर से सन् 1960 तक जब दूसरी बार पंचायतों के डिसेन्ट्रलाइजेशन स्वीकार करने के बाद चुनाव हुए तब इन पंचायतों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन किया गया था । पूर्व में पंचायतें बड़ी थी बाद में छोटी पचायतों का निर्धारण कर एक नया स्वरूप पंचायत समितिओं को दिया गया था । इस आशय के साथ कि इस माध्यम से गांवों में एक लीडरशिप तैयार होगी और प्रजातन्त्र का वास्तविक लाभ गांवों को मिल सकेगा । वे महसूस करेंगे कि देश के आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने जो एक स्वप्न संजोया था कि गांवों में गांव का व्यक्ति काम करे गांव के विकास का, गांव को आगे लाने का । एक प्रकार की लीडरशिप डवलप होकर उस स्वप्न को हम साकार करने में कामयाब हो सकें और उस आधार पर आज तक इस राजस्थान में पंचायतों का काम चलता रहा ।

कई बार यहां पर कहा गया है कि कांग्रेस शासनकाल में लम्बे समय तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये । मैं मानता हूं इस बात को कि चुनाव समय पर होने चाहिये लेकिन जब कुछ कारण पैदा हो जाये तो चुनाव आगे बढ़ाये जा सकते हैं और यह प्रावधान पंचायत एक्ट में भी किया गया था । यदि पंचायतों की मियाद खत्म हो जाये तो उसको एक्सटेंड करने का अधिकार सरकार को है और सरकार ने समय-समय पर उस कानून के अन्तर्गत मियाद को आगे बढ़ाया है लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस राज में जन-प्रतिनिधियों को हटाकर इन पंचायतों पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम नहीं किया है । जन प्रतिनिधियों को हटाकर वहां काम किसी ब्यूरोक्रेट को या राज्य कर्मचारी को नहीं सौंपा गया केवल इसी आधार पर कि हम डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन में

(श्री हीरालाल देवपुरा)

विश्वास करते हैं। गांवों के अन्दर काम-काज की बात को गांव के प्रतिनिधियों से पूरी करवाये, उसके अन्दर उसकी भागीदारी बनी रहे और गांव के लोग यह महसूस कर सकें कि इस प्रजातन्त्र का लाभ हमें मिल रहा है। यह बात ध्यान में रखकर कभी भी लम्बा समय भी चाहे निकल गया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया।

कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पनप गया, भ्रष्टाचार काफी हो गया। इसी एक्ट में प्रावधान किया गया कि जिस किसी पंचायत के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार की या दूसरी किसी प्रकार की अनियमितताओं की बात निकले उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इस तरह से नहीं कि एक पंचायत में कोई गड़बड़ हुई तो उसको आधार बनाकर सभी पंचायतों को भंग कर दिया जाये और सब जगहों पर प्रशासक बैठा दिया जाये। यह एक मूल सिद्धान्त की बात है। आज हमने सीधा प्रहार किया है उस सिद्धान्त के ऊपर, पंचायत एक्ट में अधिकार था कि जो सरपंच काम कर रहे थे उन सरपंचों की वहां मियाद बढ़ाते, क्या फर्क पड़ जाता अगर साल भर की जैसे आज आप मियाद कह रहे हैं, चुनाव कराने और साल भर की मियाद बढ़ाकर वहां सरपच हमारे जन-प्रतिनिधि के रूप में वहां काम करते रहते? एक ग्राम सेवक को आपने अधिकार देकर, तीन-तीन पंचायतें, चार-चार पंचायतें ग्राम सेवक संभाले और उसको अधिकार देकर के गांवों के काम सौंप दिये। इस प्रकार किसी को कहने की बात नहीं, जब आप चाहें वो कर लें, किसी को पूछने की बात नहीं। आपने कमेटी बनाई वो क्या बनाई, ग्राम सेवक पटवारी और स्कूल का हैड मास्टर उस गांव के अन्दर यदि सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल है तो उसका हैड मास्टर उस गांव में प्राइमरी स्कूल है तो उसका हैड मास्टर उस गांव में मिडिल स्कूल है तो उसका हैड मास्टर, इसका भी आपने कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया कि एक स्तर के लोग आकर के बैठें। एक हैड मास्टर को जो उस गांव के सैकण्डरी स्कूल का हैड मास्टर है उस हैड मास्टर को उस गांव के विकास के बारे में क्या तो ज्ञान है? कहां का वह रहने वाला है? उसे स्कूल को कैसे डवलप करना है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है उस काम तक तो वह सक्षम है, समझ में आता है लेकिन उस गांव के विभिन्न डवलपमेंट के काम, पंचायत क्षेत्र के डवलपमेंट के काम, कहां पर वह समझ पायेगा? यह करके आपने सीधे जन प्रतिनिधियों के ऊपर कुठाराघात किया। यही नहीं आपने जनता में अविश्वास प्रकट किया, जनता की भावनाओं को आपने कुचला है और जनता में विश्वास नहीं रखा कि यह लोग जैसा चाहे वैसा काम हो सके। इसको आपने इगनोर कर दिया। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो मूल में आज आपकी वह प्रक्रिया केवल मात्र, यह नहीं कि आप पंचायतों को सुदृढ़ करना चाहते हो, कोई प्रक्रिया अपनायी हो। सुदृढ़ पंचायतों में सरपंच यदि कायम रहता है और यह पंचायत कायम रहती है, काम चलता रहता आप यदि इस प्रक्रिया को लागू करना चाहते तो यह प्रक्रिया लागू की जा सकती थी। आपको इस सदन को विश्वास में लेकर प्रोसीजर तय करना था।

माननीय मदेरणा साहब ने बिल्कुल

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सही कहा। आज जो कुछ भी कदम आप उठा रहे हैं पंचायत एक्ट के अन्तर्गत वह काम आपके गैर कानूनी करार दिये जायेंगे। क्योंकि पंचायत एक्ट के अन्दर जो भी धारायें दी गयी हैं उनमें कहीं पर भी यह नहीं आता और आपने सीधी अपने तहत प्रक्रिया बनाकर 15 दिन के नोटिस के अंदर पंचायतों को प्रस्तावों पर आपत्तियां मांग ली जबकि एक्ट में लिखा पड़ा है कि एक एक महीने का नोटिस राज्य सरकार को देना पड़ेगा। एक महीने का नोटिस कलक्टर नहीं दे सकता। कलक्टर तो आपके प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करेगा लेकिन वह नोटिस राज्य सरकार देगी एक महीने का और उस एक महीने क नोटिस के बाद जो भी स्वरूप बनेगा उस तरह पंचायतों का आप निर्धारण कर पाओगे। अन्यथा पंचायतों के निर्धारण नहीं कर पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज पंचायतों के पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की जो बात कही जाती है उसमें कौन कर रहा है? जन प्रतिनिधियों का क्या आपने थोड़ा-बहुत भी सहयोग चाहा है? प्रधानों को आपने खतम कर दिया, प्रमुख को आपने खतम कर दिया; सरपंचों को आपने खतम कर दिया। आपने एक विधायक था उसके अन्दर जन-प्रतिनिधि, उसको भी आपने उसमें असोसिएट नहीं किया। उसके असोसिएट करने में कहां दिक्कत आती? विधायक को भी अगर आपने एसोसियेट किया होता तो कुछ तो यह लगता कि आपने पंचायतों के पुनर्सीमांकन या पुनर्गठन के अन्दर आपने किसी न किसी जन-प्रतिनिधि को लिया। उनकी राय लेकर पुनर्गठन कर रहे हो लेकिन वह भी नहीं। उससे साफ झलकता है उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों की मियाद, आप कहेंगे हमने भंग नहीं की, मियाद खतम हो गयी थी। मियाद बढ़ाने का अधिकार जैसा मैंने कहा पंचायत एक्ट में निहित था। पंचायत एक्ट में दिया हुआ है मियाद बढ़ायी जा सकती है। आपने मियाद नहीं बढ़ायी आटोमेटिकली पंचायत खतम हो गयी आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी? एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात थी कौनसा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसके बारे में कहा जाता है बार-बार, जैसा कहा वह तो कानून बना हुआ है। इसके अन्दर जिस-जिस के खिलाफ होता आप कार्यवाही करते। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि आपने पंचायतें भंग कर दी। सरकार की नीयत क्या है? पुनर्सीमांकन के आधार पर नहीं, पुनर्गठन के आधार पर नहीं कहना चाहता आज यहां पंचायतों में सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। सरपंच को अलग कर दिया, मैं मानता हूं कि अलग करने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही चल सकती है लेकिन केवल इस दृष्टि से कि सरपंच दुबारा चुनाव न लड़ सके। आज उनको अयोग्य घोषित किया जा रहा है। इतनी उदारता तो बरतिये अगर वह सरपंच नाकाबिल होगा, सरपंच भ्रष्ट होगा, सरपंच ने क्षेत्र के अन्दर बेइमानी की होगी, सरपंच ने क्षेत्र के अन्दर लोगों का विश्वास अर्जित नहीं किया होगा तो दुबारा सरपंच चुनकर नहीं आयेगा। आपको क्या पड़ी थी कि छोटी सी जगह पर आने वाले सरपंच को आप अयोग्य घोषित करें। इसके साफ मायने है कि जिस सरपंच को आप सोचते हो कि सरपंच दुबारा लड़कर आयेगा उसको पहले ही अयोग्य घोषित कर दो ताकि

Page No. 148

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हमारे किसी केण्डीडेट के खिलाफ खड़ा ही न हो सके। यह मनोवृत्ति इस बात को बताती है कि आपने पंचायतों को खतम करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर के जन प्रतिनिधियों की एबसेन्स में जो आप पुर्नगठन पुनर्सीमांकन करना चाहते हैं वह केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से करना चाहते हैं। जिस तरह की पंचायतें चाहे उस तरह की पंचायतें बन जाये। आपने इसको 1977 के अन्दर एक तरह से देखा है। जनता पार्टी के नाम से आपकी सरकार थी 1977 में, भैरोसिंहजी मुख्य मन्त्री थे, आपकी सरकार थी और उस वक्त आपने पंचायतों के चुनाव कराये थे। पंचायतों के चुनाव परिणाम देख कर आपकी हिम्मत नहीं हुई पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने की क्योंकि उन पंचायतों के चुनावों में मैग्जिमम मेम्बर कांग्रेस के सरपंच जीत कर आये। आप सोचते थे कि पंचायत समिति हमारे हाथ में नहीं रहेगी जिला परिषदें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी इसलिए आपने चुनाव नहीं कराये। तो इस बार आपने उस चीज को ध्यान में रख कर नया तरीका अपना लिया कि पंचायतों का पुनर्सीमांकन, पुर्नगठन कर दो ताकि प्रारम्भ से ही वह स्थिति पैदा ना हो। हमारे अपने तरीके से हम जिस प्रकार के लोगों को चाहते हैं वहां उस प्रकार सरपंच के आये यह स्पष्ट जाहिर होता है इन बातों से।

(6.16 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

जनता के अन्दर इससे विश्वास नहीं बैठने वाला है। जनता में अविश्वास की भावना पैदा होगी आपने जनता के सामने डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात कही है और जिस बात को आप भी जोर शोर से कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन में आपका पूरा विश्वास है, उस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के विश्वास के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता के ऊपर से विश्वास उठा रहे हैं। इस प्रजातन्त्र के ऊपर से विश्वास उठाना चाहते हैं, प्रजातान्त्रिक तरीके की सरकार होकर प्रजातन्त्र के ऊपर से जनता का विश्वास उठाये, प्रजातन्त्र के अधिकार जो जनता को मिले हुये हैं उन अधिकारों को खतम करें उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस बात को आपको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मूल में संशोधन लाये हैं, आर्डिनेन्स निकाला है, क्या आवश्यकता थी आर्डिनेन्स निकालने की ? और जो कहा गया एक साल की मियाद बढ़ाई और इसके कारणों में बताया कि कांग्रेस के अन्दर तो कोई मियाद नहीं थी अनलिमिटेड बात सीधी इसी तरह की। सैक्शन 9 (ए) को ठीक तरह से पढ़े, यह बिल्कुल साफ है कि जिस सैक्शन 9 (ए) में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात कही वह एडमिनिस्ट्रेशन कतिपय विशेष प्रकार की स्थितियों में ही लगाने की बात कही है। जनरल बात नहीं है। जो जनरल पंचायतें हैं, चुनिन्दा पंचायतें हैं जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाय। यह बात कहीं भी नहीं है। सन्देह पैदा हुआ था कि क्या हम पंचायतों पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे "Appointment of Administrator in certain cases".. It is not

(श्री हीरालाल देवपुरा)

generalised. It is 'in certain cases'. और चार केटेगिरी दी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहली केटेगिरी है

"(a) a new Panchayat is established under sub-section (1) of section 3".

अगर कोई नई पंचायतें बनी हैं तो इमिजियेटली चुनाव नहीं हो सकते हैं आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगायें। दूसरा उसमें है

"(b) the election of all the Panchas, with or without the Sarpanch, has been declared void."

कानूनी प्रक्रिया के अन्दर उस पंचायत को खतम कर दिया गया हो, उसका इलेक्शन निरस्त कर दिया गया हो, उसका जब तक इलेक्शन हो जाये तब तक एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं। और तीसरा

"(c) such election and the proceedings subsequent there to have been stayed by an order of a competent court".

इलेक्शन होने के बाद भी अगर वह इलेक्शन के बाद स्टे कर दिया गया है, पंचायत के अन्दर उनको अधिकार नहीं रहा काम करने का तो आप एडमिनिस्टेटर लगा सकते हैं।

"(d) the term of office of an existing Panchayat has expired before the finalisation of such election and proceedings".

और इसमें यह भी बताया है कि इन ऊपर बताई हुई बातों के ऊपर जहां ऐसी स्थिति पैदा हुई और उसमें अगर टर्म खतम हो गयी तो उस वक्त आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हैं अन्यथा नहीं। इसी वजह से सब क्लाज 2 के अन्दर साफ दिया हुआ है "The State Government may at any time, by notification in the official Gazette, curtail or extend the period of appointment made under sub-section (1)". तो उसमें जो बताया कि करटेल और एक्सटेण्ड की लिमिट नहीं दी है। इसका मतलब यह था कि जो प्रक्रिया इन पंचायतों की बताई है यह लम्बी प्रक्रिया नहीं है, यह बहुत थोड़ी सी प्रक्रिया है। इसके अन्दर एक्सटेन्शन के अन्दर और करटेल करने के लिए लम्बा टाइम दिया हुआ नहीं है। यही कारण रहा कि अब तक कांग्रेस राज में कभी भी किसी पंचायत के अन्दर पंचायत के टाइम खतम होने के बाद उस पर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया गया। जन प्रतिनिधि काम करे उन्हीं को काम करने के लिए अधिकार दिये गये हैं। इसलिए मैंने प्रारम्भ में कहा था कि इस आर्डिनेन्स को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस अमेण्डमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है और जो कानूनी मुद्दे माननीय परसरामजी मदेरणा ने उठाये, उस आधार पर भी यह आर्डिनेन्स निकालना गलत था। जो बिल आज पास किया जा रहा है, चूंकि बहुमत है पास हो जायेगा लेकिन फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी, कि आप इसको ठीक तरह से एग्जामिन करवा लें और कानून के अन्दर अगर यह सही नहीं उतरा तो फिर आपको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दुबारा आना पड़ेगा और इसको ठीक कराना पड़ेगा, और आपने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सदन से और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह परिसंकल्प जो अध्यादेश के सम्बन्ध में है उसे अस्वीकार करे और मैं निवेदन करूंगा इस परिसंकल्प को आप सर्वसम्मति से पास करें ताकि इस सदन को दुबारा कानूनी दुविधा में न उलझना पड़े।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंह (अनुपस्थित) श्री सुनील विश्नोई (अनुपस्थित), श्री प्रकाश चन्द बैरवा (अनुपस्थित), श्री ईश्वर लाल सैनी (अनुपस्थित), श्री सुरेन्द्र व्यास (अनुपस्थित), श्री प्रेमसिंह दहिया (अनुपस्थित), श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (नेता, जनता दल) : अध्यक्ष महोदय, जब मैं अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह अध्यादेश अस्वीकार किया जाय तो मुझे हमारे पंचायती राज मन्त्री जी के साथ बहुत सहानुभूति है और सहानुभूति इसलिए है कि पंचायती राज मन्त्री सोच रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसे मजबूत बनाया जाय, उनमें क्या-क्या व्यवस्थायें हो, क्या-क्या संशोधन किए गए हैं, कमेटी आपने बनाई थी लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। वो तो पता नहीं कहां रहा और आपको यह लाना पड़ा अध्यादेश, जिसमें कि पंचायतें इकाई को जिसको कभी भंग करने की बात सोची ही नहीं गई थी। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब कभी बात करते थे तो कहते थे कि पंचायतें भंग नहीं की जा सकती। होगा तो उनको कमेटी के रूप में उन्हीं को बना दिया जायेगा लेकिन वो सारी बात भूल गए और सारी बात भूलने के बाद में छोटे सरकारी कर्मचारियों को आपने प्रशासक बना दिया और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जो शुरूआत राजस्थान में हुई थी और जिस वक्त शुरूआत हुई थी उस वक्त राजस्थान में ये पंचायती राज संस्थाएं काफी बलशाली थी लेकिन उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत कि जब नागौर में पं. जवाहर लाल नेहरू ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्घाटन किया था उसमें एक प्रावधान था, जो प्रबोधन कार्यक्रम आपने चलाया और उसमें सबसे बड़ी समस्या उभरकर आई कि जो लोकशाही है नौकरशाही उस पर हावी है उससे कैसे बचे? लेकिन उस वक्त एक प्रावधान था जो आज हमारी लोकसभा, राज्य सभा और विधान सभाओं में है तब पंचायत समितियों और जिला परिषदों में प्रावधान था कि जिला स्तर के सभी अधिकारी आयेंगे और उनसे पंचायत समिति या जिला परिषद् के सदस्य सवाल पूछेंगे और उनको आना पड़ेगा और आकर जवाब देना पड़ेगा पंचायत समिति व जिला परिषद् में। एक बहुत बड़ा अंकुश था और वो अंकुश हटा दिया गया और हटाया चुने हुए लोगों ने, संशोधन कर दिया गया और आज पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मीटिंग में आप जिला स्तर के अधिकारियों को बुलाते हैं तो आते नहीं हैं, गैर हाजिर रहते

(श्री नत्थी सिंह)

हैं यह स्थिति हो गई है। सुधार तो उस व्यवस्था में करना था और उसकी बजाय आप यह ले आये कि पंचायत राज संस्थाओं को ही समाप्त कर दिया जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां कई कानूनी मुद्दे उठे हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता लेकिन आप सैक्शन 9 (ए) के ये शब्द हैं इन्हीं को आप ध्यान से पढ़िये। इसमें 2 शब्द हैं "such election and proceedings" इनका आपसे क्या है ? कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। सैक्शन सी में सच इलेक्शन और प्रोसिडिंग्स की बात आई है और डी में भी वो ही आई है। आप हरेक पंचायत में इसका इन्टरप्रिटेशन यह मान रहे है कि सारी पंचायतों की मियाद निकल गई इसलिये हम इसको भंग कर देंगे। वह वास्तव में ही कानूनी रूप से जो राय दी गई है वो गलत है अधिकार आज नहीं है और उसकी बजाय दूसरे में संशोधन लाये हैं एक वर्ष तो करेंगे और बड़ा अहसान है कर रहे हैं हम तो ले आये कांग्रेस राज में पूरा का पूरा समय लग जाता और हम तो केवल एक साल के अंदर करना चाहते हैं। स्थिति ऐसी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे माननीय उप मंत्री जी का सोच है यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है। चुने हुये लोग तो हटाओ और सरकारी नौकरों को सारी सत्ता दे दो उनको ये बहुत ईमानदार और सही समझते हैं और अपने आपको बेइमान समझते हैं यह बहुत बुरी बात है। यह बात मंत्रियों पर भी कही जाती है, विधायकों पर भी कही जाती है, केन्द्र में भी कही जाती है तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया जाय और सारी की सारी नौकरशाही के हाथ में दे दिया जाय ? यह सोच ही इसके पीछे है जो बड़ा गलत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं मुझे अफसोस है कि जो चौखम्भा राज है जिसमें पंचायत, जिला प्रशासन, केन्द्र का प्रशासन और केन्द्र एवं राज्यों के बीच क्या सम्बन्ध हो, राज्यों के अधिकार कम नहीं हो लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जो लोकसभा में जैसा अभी कांग्रेस वालों ने कहा उसके बाद श्री वी. पी. सिंह जी आये उन्होंने भी उसको इन्ट्रोड्यूस किया कि ये जो पंचायत राज संस्थायें हैं, जो हमारी नगरपालिकाएं, स्वायत्त संस्थायें हैं उनको मजबूत बनाने के लिये संवैधानिक संरक्षण दिया जाय। मैं तो अच्छा समझता यदि हमारे मुख्य मंत्री जी यह लाते जैसे आपको डर होता है विधान सभा भंग कर देंगे पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा 6 महीने से ज्यादा कर नहीं सकते और उसके लिये पार्लियामेंट की सैक्शन लेने की जरूरत है। इसकी बजाय आप यह लाते कि इन पंचायती राज संस्थाओं को भंग न करे और करे तो आप इस विधान सभा के पास रीजन दें करके एक साथ करके कहते कि एक साल तक हम रखेंगे। आज निश्चित तौर से जो विकास के काम हैं जो योजनायें, कई सदस्य मुगालते में हैं, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। पैसा तो जा रहा है बी. डी. ओ. के दफ्तर में ही हिसाब हो जाता है गांव तक तो पहुंचता ही नहीं है। वहां पर आपके विकास अधिकारी है वही आपके सेक्रेटरी हैं और सचिव भी आपने बनाया है 2–2, 3–3 पंचायतों में सचिव है हर पंचायत में सचिव नहीं है।

(श्री नत्थी सिंह)

आपने जो व्यवस्था की है यह बिलकुल गलत व्यवस्था की है और आप इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें आपको करना चाहिये। सारे कानून में क्या प्रावधान लाये उसकी बजाय आप यह लाये हैं तो यह हमारी लोकतांत्रिक मान्यताओं के विरूद्ध है इसलिये मेरा प्रस्ताव यह है कि इसको अस्वीकार करें और अच्छा तो यह है कि आप स्वयं इसे वापस में लें इससे कोई परपज हल होने वाला नहीं है और एक पूरा विशद विधेयक पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिये केन्द्र ने जो पास किया है और राज्यों में चाहे वो कर्नाटक हो या दूसरे राज्य हों गुजरात में जहां जिला परिषद स्वायतशासी संस्था है वहां कलक्टर से ऊंचे स्तर का आई. ए. एस. अधिकारी जिला परिषद का सचिव होता है और उसको सारे अधिकार होते हैं और जो जिला परिषद है वह विकास के मामले में स्वतंत्र होती है। हम वो व्यवस्था करें लेकिन वो नहीं करके हम पंचायतों को समाप्त कर रहे हैं यह बहुत ही गलत है और इसको वापस करने के लिये यह जरूरी है कि इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को अस्वीकार करने में मेरा दृष्टिकोण जो साथी बोले थे उनसे भिन्न है। राज्य सरकार ने जो महसूस किया है, मैं समझता हूं राजनीतिक एक्शन है और राजनीतिक एक्शन के पीछे निश्चित तौर से यह भावना रही है कि राजस्थान में चाहे सरकारें बदल गयी पर 40 साल से पंचायतें नहीं बदली गयी। पंचायतों का सिस्टम वो ही है राज्य सरकार कोई भी काम करे उसका गांवों के अंदर जो असर विकास में जो योगदान है, जो नीति है वो लागू नहीं हो सकती उसमें निश्चित तौर से डिफिकल्टी है। परन्तु उसको हल करने के लिये जो तरीका अपनाया है वो बहुत खतरनाक है। जो पंचायतें जिनकी टर्म पूरी हो रही थी अगर उसके बाद चुनाव होते निश्चित तौर से इन पंचायतों ने जो काम किये हैं पंचायत समितियों ने किये हैं जिला परिषदों ने किये हैं उनके खिलाफ वातावरण और उनकी विफलतायें ही लोगों के सामने आती। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन पंचायतों को तो लोग भूल जायेंगे और एक साल में उनके जो कारनामे आयेंगे सेक्रेटरीज के, पटवारियों के और उन हैड मास्टरों के जो माननीय भैरोंसिंह जी ने अपाइन्ट किये हैं तो निश्चित तौर से गांवों के अन्दर यह पता नहीं किया है या नहीं किया है मैं उन सभी से जो सत्ता में बैठे हुये हैं उन एम. एल. एज्. से कहूंगा आप गांवों में जाओ क्या वातावरण बन रहा है गांवों में ? मेरे क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूं मेरे गंगानगर जिले में एक इंच भूमि नहीं छोड़ी वहां गांव के अन्दर सेक्रेटरी सारी जमीन जीम गये। सेक्रेटरियों ने महीने के अन्दर ही आते-आते ही सारे फर्जी पट्टे जारी कर दिये सारे काम जारी कर दिये। जो पैसा मिलता है जवाहर रोजगार योजना का वही दस्तखत करके कई तो ऐसे हैं जिन्होंने सीधे ही लड़की के ब्याह में दे दिया वहीं बैठे-बैठे इस तरह के उन पैसों का उपयोग किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (इंदिरा गांधी

(श्री भंवर लाल शर्मा)

नहर मंत्री) : कोई पंचायत का नाम तो बताओ।

श्री हेतराम बेनीवाल : लालगढ़ पंचायत है वह बहुत बड़ी पंचायत है 10 लाख रुपये के ठेके सेक्रेटरी ने और 2 लाख रुपये बी. डी. ओ. को दिये। यह ट्रांजेक्शन है हमने कलक्टर को शिकायत की जो आपके सेक्रेटरी हैं वो फटाफट अंगूठे लगाकर जारी कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि जितने करप्शन वो कर्मचारी मिलकर करें गांव के लोगों को पता है कि पटवारी किस हैसियत का होता है और पटवारी क्या जानवर है और यही स्थिति सेक्रेटरी की बन गई है 20–30 सालों में। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं देवपुरा जी इसके खिलाफ फिजुल हैं इनका अच्छा यही करें साल भर एक और चलाये जिससे बिलकुल साफ हो जायेगा तो मैं निवेदन करूं आप मेरी बात मानकर यह तय करें इस आर्डिनेंस को वापस लें और अभी चुनाव कराने का ऐलान कर दें कि जो परिसीमन है वो भी क्या कर पायेंगे, जिस तरह की करप्ट मशीनरी हमारे पास है मुझे अफसोस है एम. एल. ए. की कोई नहीं सुनता। माननीय अध्यक्ष जी हम एम. एल. ए. हैं एक पंचायत में भी कोई वार्ड या कोई भी चीज कराने की स्थिति में नहीं हैं हम कहने की स्थिति में नहीं है। जो उन्होंने तय कर लिया, ऐसे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े-बड़े असरदार हैं, उन्होने अपनी मर्जी से तहसीलदार से मर्जी आये, करवा लिया। इसलिये सारी जगह भ्रष्टाचार है, सारी जगह वही हाल है। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि भलाई इसी में हैं कि इसको वापस ले लें और आज ही चुनाव का ऐलान करें ताकि जो कुछ नुकसान हो गया है, वह न हो।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। डा. चन्द्र भानजी।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन अध्यादेश, 1991 (अध्यादेश संख्या 5) को अस्वीकार करने के लिये मैं खड़ा हूं। पंचायत राज व्यवस्था का जो कन्सेप्ट है, हमारे महान नेताओं ने इस देश की प्राइमरी यूनिट कहिये या आत्मा कहिये गांव के लोगों की राय से गांव चले और पंचायत का मतलब यह था कि पंचों की राय से गांव चले और अब यह सरकार प्रशासन के डंडे से गांव को चलाना चाहती है। पहले भी इस सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है और मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते भी हैं कि हम विकास में साधारण जन की भागीदारी चाहते हैं। गांवों के विकास की योजनाओं की चर्चा भी बहुत करते हैं, अपना गांव, अपना काम और दूसरी योजनाओं की भी चर्चा करते हैं, लेकिन यह अपना गांव है या अपना काम, मैंने तो पहले भी कहा कि अपना गांव है, अपना ही दाम है और इनका नाम है। जो भी ग्रामीण विकास की कोई योजना हो, क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि यह प्रशासक लोग या सरकारी लोग, ठीक है कि स्कूल का हैड मास्टर स्कूल को अच्छी तरह चला सकता है, पटवारी राजस्व के काम को देखता है, इसी बात की, उनको नौकरी और तनख्वाह मिलती है, उनको गांव के विकास में वह दर्द नहीं होगा, वह जिम्मेदारी भी नहीं होगी उनकी और आज पंचायत नहीं है, सरपंच नहीं है, पंच नहीं है, उनकी जगह पर प्रशासक है इसलिये वहां पर विकास के सभी काम एकदम ठप्प

(डा. चन्द्रभान)

हो गये हैं और कई गांवों में ऐसी स्थिति है कि जो पुराने बकाया थे वह भी नहीं लिये जा रहे हैं और जिन लोगों ने, मजदूरों ने, गरीब लोगों ने निर्माण कार्यों में मजदूरी की, उनकी जो मजदूरी थी, वह भी नहीं चुकाई जा रही है और यह प्रशासक लोग चिन्तित नहीं है, इनको वहां से कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, यह क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, भ्रष्टाचार कहां और किस स्तर पर नहीं है? कौन सा स्तर ऐसा बचा है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? पंचायतों में भ्रष्टाचार है। राजनीतिक लोगों की तरफ तो उंगलियां उठती हैं, मैं यह नहीं कहता कि सभी सरपंच ईमानदार हैं लेकिन सरपंच को तो चुनाव के मैदान में जाना पड़ेगा, सरपंच को उसी गांव में रहना पड़ेगा, यह प्रशासक लोग कौन से दूध के धुले हुये हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अध्यक्षजी, थोड़ा समय तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जितना समय औरों को दिया है उससे आपको ज्यादा दे रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : रिपिटीशन कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : रिपिटीशन है लेकिन बोलने का अधिकार है, कोई रिपिटीशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपके अधिकार पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। समय पर रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : कोई खास बात बताओ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप क्यों बोल रहे हैं?

डा. चन्द्रभान : देर हो रही है, मैं समझ रहा हूं। मैंने तो पहले ही आप से रिक्वेस्ट की है दो-तीन बार, कि 60 दिन चलाइये सदन को और 11 बजे से 5 बजे तक चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही बात है, 60 दिन चलने की बात मैं कह रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : आप बताइये, पंचायत राज जैसे मसले पर आप चाहें, उतने कम समय में बहस हो....

श्री अध्यक्ष : बोलिये-बोलिये। आप अपना टाइम गंवा रहे हैं, बोलिये न आप। टाइम जा रहा है आपका।

डा. चन्द्रभान : पंचायतों के चुनाव समय पर हों लेकिन चुनाव समय पर नहीं होंगे क्योंकि पंचायतों के सम्बन्ध में भी सरकार उसी तरह से प्रयोगशाला बना कर एक्सपेरीमेंट कर रही है जिस तरह से सहकारी समितियों के चुनाव के संदर्भ में, गवर्नमेंट कन्फ्यूज्ड है। पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिये सरकार ने कई बैठकें आयोजित की हैं। मैंने कई बार मांग भी की है कि केन्द्र में जो एक विधेयक आने वाला है उसको देखा जाये और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बंगाल में जो पंचायत राज की व्यवस्था है उसकी जानकारी ली जाये तथा विरोधी पक्ष के विधायकों, सांसदों और विरोधी दलों के नेताओं की बैठक में बुलाया जाये मुख्य मंत्री जी ने अपने मंत्री मण्डल और अपनी पार्टी के लोगों को बुलाया, विधायकों को बुलाया लेकिन हम लोगों से

(डा. चन्द्रभान)

कोई राय-मशविरा नहीं लिया । हो सकता है कि यहां भी कुछ इस तरह की राय देते जो कि पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन में लाभदायक होती । पुनर्सीमांकन की तिथि बार-बार बढ़ा दी गई, कभी यह कहा जाता कि 6 किलोमीटर, कभी यह कहा जाता कि 3 हजार की जनसंख्या, 1991 की जनसंख्या आ गई, सेन्सस हो गया, 1981 का आधार क्यों ? तीन हजार का जब आपने फैसला किया तो दो हजार क्यों ? सरकार की न तो कोई नीति स्पष्ट है और न इसकी नीयत साफ है । सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्य से और लाभ की दृष्टि से पंचायतों का पुनर्गठन करना चाहती है । जो पार्टी के लोग हैं, मैं यह कहना चाहूंगा, कलक्टर के स्तर पर विधायकों को सूचना तक नहीं दी गई है और वहां पंचायतों के पुनर्गठन का काम हो रहा है । यह पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के जो काम हैं इनको भी जल्दी पूरा किया जाना चाहिए । पंचायतों का गठन कब होगा, कब तक पूरा हो जायेगा और चुनाव कब तक होंगे, उसकी तिथि और कार्यक्रम आज घोषित हो जाने चाहिए और पंचायत राज संस्थाओं का जो महत्व है, इसको सरकार को समझना चाहिए । एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह हमारे जनता दल (दिग्विजय सिंह) के लोग भी चल रहे हैं, कब तक साथ चलेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अपनी मियाद बता दें, जनता दल में कब तक आप रहेंगे ? इतना ही बता दें ।

श्री केदारनाथ शर्मा : जनता का नाम बहुत व्यापक है, जनता दल ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ा काल्पनिक सवाल कर रहे हैं । हम राजनीति में हैं, कोई प्राप्ति के लिए नहीं है, हम जन सेवा के लिए हैं....

श्री अध्यक्ष : हम सभी जनता में हैं ।

डा. चन्द्रभान : नीति और कार्यक्रम के लिए समर्पित हैं । जनता दल में हैं और जनता दल में रहेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अजीत सिंह जी वाले में रहेंगे या वी. पी. सिंह जी वाले में ?

श्री नत्थी सिंह : वह तो एक ही है, दो का वहम कैसे हो गया आपको ?

श्री अध्यक्ष : सभी दल जनता के हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, हमारा छह महीने में नया दल बनता है, मेरा खुद का अनुभव है । हर छह महीने में नया दल, सदस्यता चालू करो तो पता लगता है कि पार्टी टूट गई, दूसरे दल की सदस्यता चालू करो । फिर तीसरे की करो, 80 से यही हो रहा है और अब फिर होने वाला है । देखो ।

डा. चन्द्रभान : आप हंसिये मत, जनता दल जनता का दल है और विकल्प बनेगा इस देश का, आपको निराशा होगी ।

श्री जगमालसिंह यादव : हमारी विश्वसनीयता तो आप से ज्यादा है ।

डा. चन्द्रभान : आपकी विश्वसनीयता का समय आने पर पता लगेगा ।

श्री नत्थी सिंह : आपको अपने स्वयं पर विश्वास नहीं है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यह प्रशासकों की नियुक्ति की गई है इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, सरकार में जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी यह मान कर चलती है कि प्रशासकों के माध्यम से पंचायतों पर कब्जा करेंगे और अपने-अपने लोगों को अपने-अपने हिसाब से फिट किया है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय पंचायत राज मन्त्री जी मेरे जिले में अभी गये थे, मलसीसर में, वहां के बी. डी. ओ. का ट्रांसफर कर दिया और यह कह कर ट्रांसफर कर दिया कि यह भ्रष्ट है। खैर, बहुत से ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर किये जाते हैं जो भ्रष्ट हैं, फिर उनका ट्रांसफर वापस रद्द कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जनता के बीच में माननीय पंचायत राज मन्त्री जी ने जो बात कही उससे मुझे वेदना पहुंची है और मुझे मेरे दल के कार्यकर्त्ताओं ने बताया कि पंचायत राज मन्त्री जी ने कहा कि हम तो हमारे कार्यकर्त्ताओं की राय के अनुसार ही चलेंगे। जनता और कार्यकर्त्ताओं के कहने से, उनकी शिकायत पर किसी अधिकारी का ट्रांसफर किया जाता है और फिर उन्हीं कार्यकर्त्ताओं में दो आदमी कहते हैं तो उनको वापस लगाया जाता है। क्या इस तरह से अधिकारी को वापस लगा कर, प्रशासक की नियुक्ति करके आप पंचायतों पर कब्जा करना चाहते हैं? आपको इसमे भी निराशा मिलेगी। जनता फैसला करेगी, यह गैर जनतांत्रिक कदम है और यह अध्यादेश, जिसके मैं विरोध स्वरूप खड़ा हुआ हूं, गैर जनतांत्रिक है, इसको वापस लिया जाना चाहिए, इसको रद्द किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री पूनमचन्दजी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सकल्प प्रस्तुत किया है पंचायत राज अध्यादेश संख्या (5) को यह सदन अस्वीकार करता है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पचायती राज हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है और 5 हजार वर्षों से देश जिस रूप में रहा उसका बहुत कुछ श्रेय पंचायती राज को जाता है इसलिए स्वतन्त्रता के पश्चात् और स्वतन्त्रता से पूर्व महात्मा गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित कर उनको सबल बनाने की बात कही थी और हमारे संविधान के अन्दर भी हमने रखा कि हम पंचायत राज कायम करेंगे। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जिस तरह का समाज है जिसमें बहुत उन्नत और बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और कई लोग बड़े पिछड़े हैं यानि यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत में पाषाण युग और अन्तरिक्ष युग एक साथ रहता है। ऐसी स्थिति में अब आपने प्रशासक नियुक्त किये हैं और उसमें एक कमेटी बनाई है और उसमें वहां का अध्यापक, वहां का ग्राम सेवक, वहां का पटवारी इनको रखा है। पटवारी और ग्रामसेवक की क्या ख्याति है गांवों में, इनके किस तरह के कार्यकलाप हैं इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं और चुने हुए पंचों की जगह जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है उनके स्थान पर आपने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पहली बार पंचायत विहीन समाज बना करके रख दिया है। राजा आये, बादशाह आये, बाहर के आक्रमणकारी आये लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने ही आदमियों को कभी पंच नियुक्त किया हो। उन्होंने गांवों की स्वायत्तता का सदैव आदर किया और यही कारण है कि देश के ऊपर कई आक्रमण हुए, विपत्तियां आई, आपत्तियां आई लेकिन हमारा समाज बना रह सका। पंचों के खिलाफ, सरपंचों के खिलाफ कई तरह की शिकायतें हो सकती हैं लेकिन वह चुने हुए और जाने माने लोग होते हैं और यदि वह अच्छा काम नहीं करते हैं या भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं तो उनको जनता के सामने जाना पड़ता है। उनकी जनता के प्रति जवाबदारी है। तो उन लोगों के स्थान पर आपने सरकारी अधिकारियों को रख दिया, मैं समझता हूं कि यह आपने काम अच्छा नहीं किया।

जब पिछले पंचायतों के चुनाव हुये थे तो ग्राम पंचायतों की मियाद 3 साल की रखी गयी थी। हम में से बहुत से लोग यह सोचते थे कि तीन साल की मियाद बहुत कम है और पांच साल की की जानी चाहिए क्योंकि 3 साल के अन्दर कोई पंचायत चुनी जाये तो सरपंच और पंच पूरे जम भी नहीं पाते और उसके पहले समय समाप्त हो जाता है। पहले एक साल उनको काम सीखने में लग जाता है, एक साल पहले सूतक लग जाता है कि वापिस चुनाव आ रहे हैं तो तीन साल का अर्सा बहुत कम है, 5 साल वाली और 3 साल के बाद में प्रशासक नियुक्त कर दिये और प्रशासक भी ऐसे नियुक्त किये हैं जो जनता के हमदर्द, जनता की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वह सभी लोग बुरे हैं, थोड़े हो सकते हैं उनमें से अच्छे हों लेकिन जिस तरह से सरकार के कार्यकलापों का विस्तार हुआ है, आज छोटी सी बात के लिए भी ग्रामीणों को सरकार से काम पड़ता है। उसका चाहे पंच हो, सरपंच हो, चाहे प्रधान हो और चाहे प्रमुख हो अलग-अलग स्तर था जिसके ऊपर वह जनता के मददगार थे। आपने उनके पीछे से जो उनका हौंसला अफजाई करके रखते थे, जो मददगार थे उन सब मददगारों को आपने एक ही कलम के झटके से बन्द कर दिया। तो मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत ही बुद्धिमानी का सरकार ने काम किया हो ऐसा नहीं है।

फिर आप जो यह अध्यादेश लाये हैं सरकार को असीमित अधिकार थे प्रशासक नियुक्त करने के। आपने एक साल का अर्सा, उससे ज्यादा बढ़ाने का कोई होता असीमित था तो उसको ज्यादा तो क्या बढ़ाया लेकिन किस उद्देश्य से फिर एक साल का रखा है यह भी बात हमारी समझ में नहीं आई। यह कह सकते हैं कि आप प्रशासक हमेशा रखते थे। प्रशासक तो आपकी देन है कांग्रेस ने तो 12-13 साल तक पंचायतों को रखा तो वह रख दिया लेकिन पंचायतों को हटाया तो नहीं ना। तो इसलिए मेरा निवेदन करने का आशय यह है कि आपने यह अध्यादेश आखिर किस उद्देश्य से निकाला है? हम तो कभी करेंगे नहीं कि पंचायतों को तोड़कर उसकी जगह प्रशासक नियुक्त कर देंगे। फिर आपने पंचायतों के पुनर्गठन में 1981 की जनगणना को आधार माना है। 1981 के बाद में हमारे समाज

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में कितने परिवर्तन हुए। आप जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर का इलाका लीजिए कितनी आबादी बढ़ी है वहां पर। इतनी तरह से आबादी बढ़ने से, औद्योगिकीकरण बढ़ने से खनन का काम हो गया, कहीं चूने का काम हो गया, कहीं नयी फैक्टरीज लग गयीं। शहरों का इतना विस्तार हो गया कि 30-30 और 40-40 गांव उसकी सीमा में आ गये। नयी बस्तियां बस गयीं। कोई गांव उजड़ गये, कई बस करके बड़े हो गए। इनका 1981 की जो जनगणना है उसमें लेखा जोखा नहीं है। जब 1991 के आंकड़े हमारे सामने आ गये थे तो उन आंकड़ों को अपने को ध्यान में रखकर उसके बारे में पंचायतों का पुनर्गठन करना चाहिए था।

अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कीमती जमीन है उसको बेच रहे हैं तो कम से कम यह जो प्रशासक हैं उनके ऊपर आप यह बंदिश तो लगायें। ठीक है वह काम चलाने के लिए ऐसा कार्य कुछ कर सकते हैं लेकिन भूमियों को बेचने के या अन्य दूसरी तरह के निर्णय हैं वह नहीं लें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी (आप बैठिये) मुख्य मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने चाहे विरोध ही किया हो पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में काफी रुचि से चर्चा की है। यहां दो प्रकार के प्रश्न मोटे रूप से उठाये गये हैं कि पंचायतों को भंग क्यों किया गया, वहां पर प्रशासक नियुक्त क्यों किये गये और साथ ही जो डीलिमिटेशन की कार्यवाही है उसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल क्यों नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि जब से पंचायत राज बना है और यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि पंचायत राज व्यवस्था में राजस्थान एक पायोनियर स्टेट था। पंचायत राज के सम्बन्ध में अब तक हिन्दुस्तान में कई प्रकार के एक्सपेरीमेन्ट्स किये गये। भिन्न-भिन्न राज्यों में समितियां गठित की गयीं। केन्द्र सरकार की ओर से भी कई कमेटियां गठित की गयीं और यदि उनका संकलन किया जाये और संकलन के आधार पर कोई विचार किया जाये तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जो निष्कर्ष सर्वमान्य हो। आज भी हिन्दुस्तान के सब राज्यों में जो पंचायत राज की व्यवस्था है उसमें बड़ा भारी अन्तर है। आप चाहे गुजरात से तुलना कर लें, कर्नाटक से तुलना कर लें, आन्ध्र प्रदेश से तुलना कर लें किसी भी राज्य में एक प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अब यह मानकर चलें कि जहां-जहां जिस-जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर उन्होंने कानून बनाया है तो मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है माननीय देवपुरा जी कह रहे थे कि प्रशासक की जगह यदि चुनाव की अवधि बढ़ा दी जाती तो कोई समस्या पैदा नहीं होती। अगर सारे चुनाव का इतिहास उठाकर आप देखें तो आपको मैं यह कह सकता हूं कि चुनाव में कितना विलम्ब हुआ है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस विलम्ब से आपको इस बात की जानकारी मिल सकती है कि 13-13 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। अब इस व्यवस्था को कोई उचित समझता है कि 3 वर्ष की अवधि और 13 वर्ष तक चुनाव नहीं हो। गांवों में यह हालत हो गई कि लोग कहने लगे कि सरपंच मरकर ही हटेगा चुनाव तो होगा ही नहीं। अब उस स्थिति में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह रेलेवेंट बात नहीं है आपकी। अध्यादेश से रेलवेंट बात नहीं है आपकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, मुझे बोलने दीजिये। रेलेवेंट-इर्रेलेवेंट क्या है, इसको थोड़ा-बहुत मैं भी समझता हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि 1960 में चुनाव हुए, 1965 में चुनाव हुए, 1965 के बाद 1978 में चुनाव हुए एवं 1981 में चुनाव हुए। फिर 1988 में चुनाव हुए। मैं यह कह सकता हूं कि निर्धारित अवधि में राजस्थान के इतिहास में कभी भी चुनाव नहीं हुए। अब इस बात का आरोप किस पर लगाऊं, देवपुरा साहब ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने इस बात से इन्कार नहीं किया। लेकिन मैंने यह कहा है कि थोड़े समय के लिये अवधि बढ़ा देते तो कोई नुकसान नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वह ही बात कह रहा हूं। इसका मतलब यह है, एक तो आप स्वीकार करेंगे कि कानून की व्यवस्था के अनुसार 3 वर्ष की अवधि में जो चुनाव होने चाहिये थे, आपकी सरकार ने कभी भी चुनाव नहीं कराये।

श्री हीरालाल देवपुरा : उससे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कराये। फर्क नहीं पड़ा, वह दूसरी बात है।

अब आपने दूसरा प्रश्न उठाया डिलिमिटेशन का। मैं ऐसा समझता हूं कि डिलिमिटेशन दो बार हुआ और दोनों बार जो कमेटी अपाइण्ट की गयी, उस कमेटी में कोई जन-प्रतिनिधि नहीं था। एक बार शायद रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी और उसके पहले शायद डवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी। लेकिन दोनों बार जो डिलिमिटेशन की कार्यवाही हुयी, उसमें जन-प्रतिनिधि को नहीं रखा गया और जनता ने स्वयं ने जाकर वहां अपने प्रस्ताव रखे। डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी और आप भी जानते हैं कि सरकारी स्तर पर, सचिवालय के स्तर पर उस डिलिमिटेशन कमेटी की सिफारिशों में काफी परिवर्तन किया गया। उन परिवर्तनों के सम्बन्ध में जनता ने भी विरोध किया। कई लोग न्यायालय में भी गये और मामला कई दिनों तक उलझा हुआ पड़ा रहा। तो यहां यह कहना कि पंचायतों के चुनाव समय पर कराये, यह सही नहीं है और यहां पर यह कहना कि डिलिमिटेशन के मामले में हमने जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा की है, दो बार जो डिलिमिटेशन हुआ, उस डिलिमिटेशन की कमेटी में जनता के प्रतिनिधि या कमीशन के सदस्य नहीं थे।

डा. चन्द्रभान : इन्होंने गलती की तो तो क्या आप भी गलती करेंगे ? कांग्रेस के

(डा. चन्द्रभान)

समय में गलती हो गयी तो आप भी करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गलती नहीं बता रहा हूं। आप जरा सुनने का धैर्य रखें। आपने बोल दिया।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि ग्राम सेवक को क्यों लगा दिया, पटवारी को क्यों लगा दिया और हैड-मास्टर को क्यों लगा दिया ? मुझे ऐसा लगता है कि ग्राम सेवक, पटवारी या अध्यापक, जो भी हैं, आपने जिस तरह से उनमें अविश्वास व्यक्त किया है, उस अविश्वास के पक्ष में मैं तो नहीं हूं, आपकी दृष्टि में सब पटवारी ठीक नहीं, आपकी दृष्टि में सब अध्यापक ठीक नहीं, आपकी दृष्टि में ग्राम सेवक सब ठीक नहीं। (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं। इतने सामूहिक रूप से एक वर्ग विशेष के ऊपर आरोप लगाना कहां तक उचित है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका गलत इण्टरप्रिटेशन मत करो, माननीय मुख्य मंत्री महोदय। हमने कभी आरोप नहीं लगाये ! हमने यह कहा कि जन-प्रतिनिधि के बजाय इनको लगाना गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी तो ठीक हैं पटवारी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ठीक और नहीं ठीक का सवाल नहीं है। इसमें ठीक और नहीं ठीक का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। आप डाइवर्ट करना चाहते हो कोई बात कहकर। यह आपकी हमेशा से आदत रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल इतना सा प्रश्न कर रहा हूं कि पटवारी, अध्यापक और ग्राम सेवक, हो सकता है उनमें कई हो जो गड़-बड़ कर सकते हैं लेकिन आपकी दृष्टि में सारे के सारे बेईमान नहीं है तो यह मानकर चलें ? इसलिये अगर उनके हाथ में दे दिया....

श्री रामसिंह विश्नोई : अच्छे आदमी हैं लेकिन प्रशासक के काबिल नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं जवाब दे रहा हूं। अब प्रश्न आता है कि डिलिमि-टेशन करना है। पिछली सरकारों ने डिलिमिटेशन के लिये कमीशन अपाइण्ट किया। उस कमीशन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। उस कमीशन के सामने मैंने भी सीकर जिले से सारी पंचायतों ने अपनी दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त कमीशन ने मंजूर कर ली। लेकिन सरकारी स्तर पर आकर उसमें सब प्रकार के परिवर्तन कर दिये। किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि डिलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप यह तो मानते हैं कि डिलिमिटेशन की आवश्यकता थी। और डिलिमिटेशन की आवश्यकता इसलिये थी कि पंचायतों का स्कोप बहुत बड़ा हो गया, क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। और आप जहां रीजनल इमबेलन्स की बात करते हैं डेवलपमेंट के कामों में, ईमानदारी से यदि हम विचार करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिन-जिन पंचायतों में ज्यादा गांव हैं या जिनका क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर सरपच जिस गांव का था उस गांव के अन्दर विकास का काम ज्यादा हुआ और बाकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के गांवों की उपेक्षा की गयी। यह बात सदन में एक बार नहीं, कई बार कही गयी। कई सरपंचों के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं कि सरपंच सारा पैसा अपने गांव में लगाते हैं और बाकी पंचायत के क्षेत्र में पैसा नहीं लगाते। अब सरपंच अगर अपने गांव में सारा पैसा लगाता है तो उसको कैसे रोका जाये ? उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता और इस आधार पर सरकार ने विचार किया कि पंचायतों को छोटा बनाया जाये। पंचायतें यदि छोटी बनेंगी तो लोगों की ज्यादा उसमें भागीदारी होगी। अब प्रश्न यह आता है कि इस मामले में जनता का प्रतिनिधि शामिल नहीं होना चाहिये। और यदि मैं यह कहूं कि राज्य सरकार प्रतिनिधियों के साथ-साथ सीधा जनता से मांग लेकर अगर पंचायतों का गठन करना चाहे तो आपको आपत्ति किस बात की हो रही है ? जनता सीधी दरख्वास्त दे रही है। (व्यवधान) आपको पता नहीं है, जनता से बहुत दरख्वास्तें आई हैं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गांव का आदमी डिलिमिटेशन की बात किस के मार्फत करे या सीधी मांग करे, तो आपको कोई आपत्ति है ? कोई आपत्ति नहीं है न ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें कहां आपत्ति है ? आब्जेक्शन देने का तो हरेक का अधिकार है। सवाल तो यह है कि प्रस्ताव आया है वह किस की तरफ से आया है। आब्जेक्शन देने का अधिकार तो हरेक को है, पहले भी था, अब भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये आप। आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी हैं, कुछ बोला नहीं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आपको इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि पंचायतों का गठन किस प्रकार से होना चाहिये इसमें जनता सीधा सुझाव दे। अब जनता के इस प्रकार सुझाव देने में यदि कोई बाधा होगी तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा।

अब गांव में अगर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करके भेज दें कि हमारी पंचायत के पुर्नगठन में अमुक गाँव को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, या हमारे पंचायत क्षेत्र के पुनर्गठन करने की ही आवश्यकता नहीं है, अगर इस प्रकार का प्रस्ताव पास करके भेज दे तो (व्यवधान)....

श्री रामसिंह विश्नोई : सरपंच, प्रमुख और प्रधान, इनके बीच में, अध्यक्ष महोदय, जो विधायकों का इन्टरफीयरन्स है, इसको हटा देना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल ठीक। वह भी, अगर आपकी इच्छा होगी तो, हटा दिया जायेगा। कोई दिक्कत नहीं।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर पंचायतें यों की यों रहतीं और हम डीलिमिटेशन कराने का फैसला करते, तो नतीजा क्या निकलता ? डीलिमिटेशन की कार्यवाही में अगर जनता और सरकार सीधी बात करें तो क्या यह उचित नहीं ? जनता की समस्या क्या है, जनता किस प्रकार से पुनर्गठन चाहती है.... जनता की समस्यायें क्या हैं, जनता किस प्रकार से पुनर्गठन करना चाहती है, यह बात नहीं आती है।

डा. चन्द्रभान : आप जन प्रतिनिधियों को बैरियर मानते हैं क्या ? जनता और आपके बीच में बैरियर है क्या ? जन प्रतिनिधि बीच में नहीं आने चहिये ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत साहब, सुन तो लीजिये। आप सुन लीजिये ना। आप सुन तो लीजिये।

डा. चन्द्रभान : नेता महोदय के कहने का अर्थ क्या है ? हम कोई बैरियर हैं क्या ? हम सरकार और जनता के बीच में हैं क्या ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप बैरियर नहीं हैं तो सुपीरियर भी नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जो बात करते हैं (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : वह अपनी बात अपने हिसाब से कह रहे हैं, वह वहीं आयेंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह सुपीरियर और इनफीरियर का सवाल नहीं है। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इस बात की चिढ़ है कि डिलिमिटेशन की कार्यवाही में जनता भाग क्यों ले रही है। आपको चिढ़ इसी से है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कोई जनता भाग नहीं ले रही। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सचिवालय को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने का हाउस में पहला मौका अगर किया है तो वह आपने किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी के गांवों में कार्यालय खुलेंगे इसी की तो चिन्ता है ना। और तो कोई चिन्ता नहीं है ? मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं (व्यवधान).... मेरी सुनिये, पटवारी कितने दिन के लिये है, बेनीवाल साहब ? कितने दिनों के लिये है ?

श्री यदुनाथ सिंह : पटवारी से आपका पाला नहीं पड़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, हमने इस बात पर विचार किया कि डिलिमिटेशन करना है तो इन पंचायतों का टाइम एक्सटेंड किया जाय या पंचायतों का डिजोल्व किया जाय। गम्भीरतापूर्वक इस पर चिन्तन किया। जो आज आप आलोचना कर रहे हैं वही आलोचना भी हमारे सामने थी कि इसकी इस प्रकार की आलोचना होगी। लेकिन प्रश्न यह आया और सबसे मोटा प्रश्न यह था, जनता को डिलिमिटेशन में भागीदारी देने में किसी प्रकार का पंचायतों के माध्यम से कोई दूसरी प्रकार का सुझाव आता है तो उस सुझाव को रख कर क्या किया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : कौन मना कर रहा है ?

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी से बाअदब पूछना चाहता हूं, यहां पर डिलिमिटेशन हुआ है पार्लियामेंट की कांस्टीट्यूएंसीज का, असेम्बली की कांस्टीट्यूएंसीज का और असेम्बली के मैम्बर डिलिमिटेशन कमीशन

(श्री नत्थी सिंह)

के मैम्बर बने हैं, आपके बतौर तो पहले असेम्बली भंग करो, पालियामेंट भंग करो तब डिलिमिटेशन करो। क्या तर्क दे रहे हो आज आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो तर्क दे रहा हूं वह तर्क इसलिये दे रहा हूं कि गांव के लोग जो दबे हुये थे वह खुले स्वर से अपनी मांग कर सकें। यह तर्क इसलिये दे रहा हूं। आप लोगों को नाराजगी इस तरह की है कि गांवों में जो आपकी पार्टी के ठेकेदार बैठे थे उन ठेकेदारों के माध्यम से ही सुझाव आने चाहिये, जनता सीधे सुझाव नहीं भेजे, दिक्कत यह है कि और कोई परेशानी इसमें नहीं है।

श्री नत्थी सिंह : इन पंच, सरपंचों को हमारे ठेकेदार मान रहे हो आप ? यह स्वीकार कर रहे हो कि वह हमारे ही ठेकेदार थे या इनके ठेकेदार थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहां, नत्थीसिंहजी, इनके साथ हो रहे हो ?

श्री नत्थी सिंह : वह इनके ठेकेदार थे क्या ? वह जनता के लोग थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इनके साथ मत जाओ। हालत इनकी भी खराब होने वाली है और आप इनके साथ हो गये तो यह बिल्कुल बिखर जायेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके साथ रह कर के उन्होंने समझ लिया। आपके साथ रहकर तो समझ गये, जो आकर बैठ गये वापस ठिकाने।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके साथ तो तीन फाड़ हुये हैं, अब छह कराओगे आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बताता हूं, कइयों का नक्षत्र ऐसा होता है जो किसी के साथ नहीं रह सकते। किसी एक पार्टी में नहीं रह सकते।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : हम इसलिये साथ नहीं रह सकते कि इधर और उधर हमारे साथ रहने लायक हैं ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। आप जहां बैठे हैं वहां कितने दिन तक रहेंगे इसका भी फैसला आप कर लेओ।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं, अब प्रश्न यह आया, देवपुराजी ने एक बात कही, 1978 में चुनाव हुये और हमने डरते हुये पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराये। आपने शायद यही बात कही यह बात सही है कि 1978 में चुनाव हुये, 13 वर्ष के बाद चुनाव हुये। अब डर किसका था, आप इसका अन्दाज लगा लीजिये। हमने 1978 में पंचायतों के चुनाव करा दिये, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गये।

श्री हीरालाल देवपुरा : हमने तारीफ की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये, मैं भी आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपने ग्राम पंचायतों के चुनाव 1981 में कराये, शायद 1979 में चुनाव हुये थे या 1978

Page No. 164

(164)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

में। 1978 में हुये, आपने 1981 में चुनाव कराये। अवधि तीन वर्ष की पूरी नहीं हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा : हो गई ना।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं हुई।

श्री हीरालाल देवपुरा : पूरी होने के बाद कराये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले पांच वर्ष की अवधि थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक्ट में पांच वर्ष की अवधि हो ही नहीं पायी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुन लीजिये। 1978 में चुनाव हुये और 1981 में आपने चुनाव कराये। आपने चुनाव इसलिये कराये, पंचायतों को भंग किया, दुबारा चुनाव कराये।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, नहीं। नो, नो, नो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चुनाव दुबारा कराये।

श्री हीरालाल देवपुरा : चुनाव कराये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चुनाव दुबारा क्यों कराये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मियाद खतम हो गयी थी। तीन साल की मियाद खतम हो गयी थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मियाद नहीं खतम हुयी थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : चुनाव नवम्बर, दिसम्बर में कराये, मियाद खतम हो गयी थी।

श्री दिग्विजय सिंह : पांच साल का था, तीन साल का करके दुबारा चुनाव करवाये।

श्री हीरालाल देवपुरा : पांच साल का था ही नहीं, साहब। कभी एक्ट में पांच साल का प्रावधान हुआ ही नहीं। जब जब भी सवाल आया, मियाद बढ़वायी थी।

श्री दिग्विजय सिंह : पांच साल का था उसको आपने वापस रिड्यूस तीन साल का किया (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : पांच साल की मियाद तो थी ही नहीं कभी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। अब आपको पता है क्या? बैठिये ना। इनका चलने दीजिये। (व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी जो चाहते हैं वह अभी कहलवा लेंगे। आप शांति से बैठिये। आपको जरूरत क्या है? सुन तो लीजिये आप। आप भी नहीं समझ रहे हैं, वह भी उलझा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करूं, चुनाव नियत समय पर हुये थे, मियाद खतम हो गयी थी। आपके मेमोरी को रिफ्रेश कर रही हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सुमित्राजी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी याददास्त ठीक कर दी। लेकिन मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं कि मैं यह बात कह रहा हूं कि तीन वर्ष के बाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में 1981 में जब चुनाव कराये उस समय पंचायतों की अवधि समाप्त नहीं हुयी थी और आपने दुबारा चुनाव कराये।

श्री हीरालाल देवपुरा : हो गयी थी। आप नहीं माने, वह बात दूसरी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, नहीं हुयी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हम ऐसी गलती नहीं करते। आपने यह गलती की है, आप देखना इसके क्या परिणाम होते हैं। कितने दुश्मन बना लिये आपने। मेरी तो हमदर्दी आपके साथ है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों बात हां, भरें। जवाब अभी एक ही आने वाला है। इनका मतलब एक ही आयेगा चाहे अवधि समाप्त हुयी हो, नहीं हुई हो। वह तो सुन लो आप पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोई साहब, आपको चिन्ता यह नहीं है, आपको चिन्ता यह हो रही है कि जो मैं गलती कर रहा हूं उस गलती का नुकसान आपको जबर्दस्त होगा। आपको चिन्ता इस की है, मैं जानता हूं। छोटी पंचायतें बनेंगी, थोड़ी सी जन-संख्या वाले गांव के आदमी भी, विकास के कामों में भागीदार बनेंगे तो पंचायतों में जो इमबैलेंस क्रियेट हो गया डवलपमेंट का, वह इमबैलेंस रुकेगा। इमबैलेंस को रोकने के लिये हमने यह व्यवस्था की कि पंचायतें छोटी हो। अब रहा इसमें सुनवाई का मौका कि किस प्रकार से सुनवाई का मौका हो और किस प्रकार का नहीं हो यह तो आप दोनों बात कर लें कि पांच वर्ष की अवधि थी, आप भूल गये कोई बात नहीं मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा कि हमें डर था। डर किस बात का था ? डर इस बात का था कि 1978 के आधार पर पंचायतें चुनी गयीं उस आधार पर हम पंचायत समितियों के चुनाव कराते तो हम लोग हार जाते। मैं यह कहना चाहता हूं, देवपुरा साहब, अगर उन पंचों के भरोसे आपको जीतने का विश्वास होता तो आप उन्हीं के आधार पर पंचायत समितियों के चुनाव कराते।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्यों कराते ? उनकी मियाद खतम हो गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कराये, उनके नहीं कराये। दुबारा चुनाव कराये आपने।

श्री हीरालाल देवपुरा : क्यों कराते हम ? इन पंच, सरपंचों के आधार चुनाव क्यों कराते जब उनकी मियाद ही खतम हो गयी थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिये कह रहा हूं ना।

श्री अध्यक्ष : दोनों की बात का जवाब आ गया ना आपका। आपने पहले करवाये, बाद में करवाये, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व-पूर्ण यह है कि 1978 में जो सरपंच जीत कर आये वह रहे कि नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा मतलब यह है कि 1978 में सरपंज जीत कर आये, 1981 में मियाद खतम हो रही थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्राम पंचायतों से कोई चुनाव में फर्क पड़ता हो, मैं इसको मानता नहीं कि सरपंचों के आधार पर चुनाव के परिणाम पर असर पड़ता हो।

श्री यदुनाथ सिंह : एक भी सरपंच नहीं था मेरे पास।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके पास नहीं था।

श्री यदुनाथ सिंह : एक भी नहीं था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिल्कुल सही है।

श्री यदुनाथ सिंह : जीतने के काबिल एक भी नहीं था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं, 1981 में चुनाव हुये। सारी पंचायत समितियों, सारी जिला परिषदों पर अधिकाश सरपंच हमारे खिलाफ थे, उसके बावजूद भी आप पच्चीस की पच्चीस सीटों पर हार गये। अधिकांश सरपंच जैसा आप कहते हो, सारा राज हमारा था, अधिकांश सरपंच आपके साथ थे....

श्री हीरालाल देवपुरा : किसको किसके साथ जोड़ रहे हो ? पंचायत समिति और जिला परिषद को बात हो रही हैं, आपने इसको विधान सभा से जोड़ दिया। पालियामेंट का चुनाव होगा, हमारे तरीके दूसरे होंगे। विधान सभा के चुनाव होंगे, हमारा प्रोग्राम दूसरी तरह का होगा, पंचायत, पंचायत समितियों, जिला परिषद के होंगे तो हमारे कामकाज की दूसरी बात होगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिल्कुल होगी। लेकिन आपने जो यह बात कही ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने यह कहा कि 1978 में पंचायतों के चुनाव कराये उसके बाद पंचायत समितियों प्रधान और जिला परिषदों के प्रमुख के चुनाव नहीं कराये। आपका यह आरोप था और यह भी आरोप था कि मैं डर गया और इसलिये हमने नहीं कराये। में उस डर का जवाब दे रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायत समितियां आपकी नहीं बनतीं, जिला परिषदें आपकी नहीं बनतीं, यह गलत है, यह कभी नहीं कहा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह बात नहीं कह रहा हूं हमारी समितियां बनती या नहीं लेकिन आपको यह विवश्वास हो गया कि इन पंचायतों के आधार पर यदि हमने पचायत समिति और जिला परिपद के....

श्री हीरालाल देवपुरा : आप वही रिपीट कर रहे है, मुख्य मंत्रीजी, हमें डर किस बात का था ? वह तो आपके 1978 के सरपंच थे उनकी मियाद 1981 के नवम्बर में खतम हो रही थी और दिसम्बर में चुनाव करवाये हैं। मियाद जब खतम हो रही थी तो नये सरपंच आने ही वाले थे, वह तह तो चुनाव होना ही था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप 1980 में भी चुनाव करा सकते थे।

श्री हीरालाल देवपुरा : 1980 में मियाद कहां खतम हुयी ? हम क्यों करवाते 1980 में चुनाव ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 1980 में पंचायत समितियों के चुनाव की बात कह रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

चाहूंगा कि वह जैसा डाइवर्सन दे रहे हैं, सही बात तो यह है कि 1978 में पंचायतों के चुनाव के बाद पंचायत समिति, जिला परिषदों के चुनाव इसलिये नहीं हो पाये कि हम यह तय नहीं कर पा रहे थे कि टू-टायर सिस्टम हो या थ्री-टायर सिस्टम हो। देवपुरा साहब भी गलत उलझ रहे हैं, आप भी डर गये कि इन सरपंचों से हम हारेंगे और हम इस बात में फसे हुये थे कि सिस्टम टू टायर हो या थ्री-टायर हो। तो आप हमें उलझायें मत, आप स्पष्ट कहें ना कि हम चुनाव इसलिये नहीं करा रहे।

श्री अध्यक्ष : यही बात वह आपसे कहलवाना चाहते थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उस समय की सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पेश हो जाय और उसके आधार पर केन्द्रीय सरकार कोई गाइड लाइन मेन्शन कर सके, हमने तो इसलिये किये थे। वह पंचायतें इसलिये भंग की कि चुनी हुयी पंचायतें आपके खिलाफ थीं।

एक बात और कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि अभी पटवारी, सरपंच जमीनों का आवंटन कर रहे हैं जो बन्द होना चाहिये। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आज से ही हम इस बात का आदेश निकाल देंगे कि कोई पटवारी, सरपंच या इस समय जो प्रशासक है वह जमीन को किसी प्रकार से बेच नहीं पायें।

श्री केदारनाथ शर्मा : जो इससे पहले बेच गये उनका ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो बेची गई उसकी भी जांच कराऊंगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं पंचायतों की जिस प्रकार की चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें कोई गरीब काश्तकार तो नहीं जीत सकता। अब एम. एल. ए. और एम. पी. का चुनाव बाड़ाबंदी से नहीं होता, यहां तो पंच और सरपंच को हरिद्वार ले जाओ, गंगा स्नान कराओ, द्वारका जी ले जाओ, नाथद्वारा ले जाओ, बाड़े में बन्द करके हलुआ खिलाओ। यह हलुआ खिलाने वाला काम कोई गरीब नहीं कर सकता।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो जनतन्त्रवाद के ठाठ हैं, जनतन्त्रवाद का हिस्सा है। जनता मोहब्बत करती है इन सब तरीकों को तो वह क्यों नहीं करे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस बार जो चुनाव होंगे, निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार की व्यवस्था करने का सरकार विचार कर रही है उसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा, पैसा खर्च करने का प्रश्न पैदा नहीं होगा।

डा. चन्द्रभान : एम एल. ए. एम. पी. के लिए भी कोई नुस्खा लाओ आप कि बिना पैसे के लड़ सकें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : डा. साहब, आप तो बिना पैसे के ही जीत कर आये हो।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक बात और कह कर अपनी बात खतम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन पंचायतों में आपने बताया कि पंचायत कानून राजीव गांधी लाये थे, महिलाओं का, अनुसूचित जाति और जनजाति वालों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय। तो एग्जिस्टिंग पंचायतों में यह बढ़ाना कठिन था। हमने इसके सारे लीगल आस्पेक्ट्स देख लिये।

श्री यदुनाथसिंह : कानून में कौन सी अड़चन आ रही है? वह पंचायतें अगर कंटीन्यू करतीं और आप यह कार्यवाही करते रहते अलग से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से हो, एस. सी. का प्रतिनिधित्व कैसे हो और इस प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव जल्दी से जल्दी कराने की आवश्यकता थी।

श्री हेतराम बेनीवाल : एस सी. का तो आलरेडी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जिस संख्या में भारत सरकार की इच्छा है, उस संख्या में किस प्रकार से आयें, यह भी आवश्यक था और इस आधार पर डी-लिमिटेशन भी जरूरी था, वार्डों का पुनर्सीमांकन भी जरूरी था, वार्डों में रिजर्वेशन करने की व्यवस्था करनी भी आवश्यक थी। इन सब आधारों पर यह थोड़ा सा शार्ट-टर्म अरेंजमेंट किया है और यह मान कर नहीं चलें कि हमने प्रशासक नियुक्त कर दिया वह जैसे पंचायतें 13 वर्ष तक चली, वह 13 वर्ष नहीं चलेगी। कोशिश यह करेंगे कि डी-लिमिटेशन की कार्यवाही जल्दी से जल्दी समाप्त हो।

जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, इस डी-लिमिटेशन के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, आपके सुझाव भी आमंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे जिससे कोई यह नहीं कह सके कि मेरे सुझाव डी-लिमिटेशन के समय नहीं मांगे गये। हम पंचायतों का पुनर्गठन इस प्रकार से करना चाहते हैं जिसके आधार पर गांवों के विकास में जनता निश्चित रूप से भागीदार बने, जनता के हाथों में अधिकार जायं और वह स्वयं अपने गांवों के विकास के बारे में चिन्ता करे, आगे कैसे तरक्की हो सकती है उसके लिए योजना बनाए। कोई इसमें दुर्भावना नहीं है। पंचायती राज में जितना आप विश्वास करते हैं उससे कम हमारा विश्वास नहीं है। इस प्रकार की कुछ चीजें पैदा हो गई जिससे मजबूर होकर इनको भंग किया है।

जहां तक कानूनी बात बता रहे थे कि वहां स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, जिस समय पंचायतों को हमने भंग किया, बहुत पंचायतें हाई कोर्ट में गई और उनकी सारी रिट खारिज हो गई। अब कौनसा कानून है जिसके अन्तर्गत फिर जाकर कोई मामले उठेंगे? और उठेंगे भी तो उनको आपस में मिल कर हम तय कर लेंगे इसके अलावा कोई रत्ती भर दुर्भावना नहीं है कि पंचायतों को हम हटाना चाहते हैं। आज मैं आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था का प्रारूप हम बना रहे हैं उससे राजस्थान की आम जनता में पंचायतों के प्रति आस्था बढ़ेगी, घटने का सवाल नहीं होता। उस व्यवस्था से पंचायतें वास्तव में गांव के विकास की भागीदार होंगी जिन पर विश्वास करके ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होगी इसलिये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं मुझे इसमें इतना ही कहना है।

श्री देवेन्द्रसिंह : जनसंख्या का आधार 1991 के सेन्सस से लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1991 और 1981 तो जैसे विश्नोई साहब ने कहा कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव देखें जैसे गोठन, खारिया इस तरह के पचासों गांव, सूरजगढ़ की कोलोनाइजेशन में कई जगह इतने परिवर्तन हो गये हैं जहां पर पहले 500 की आबादी थी वहां 1500 हो गई। नये उद्योग धन्धे पनपे हैं कई जगह ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी सब बात समझ गया। जनसंख्या के आधार पर एक सीमा तय है। उस सीमा से ऊपर होगा तो नगरपालिका बनगी। उस सीमा से नीचे आती है तो 5 की जगह 6, 7, हो जायेगा वह ग्राम पंचायत बनेगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पर 1981 में तो बोलती है 500 और अब वहां हो गई 5000...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो पंचायत बन जायेगी। मेरी सुनिये, आधार 1981 का मानें तो दो हजार, 1991 का मानेंगे तो पांच हजार, रहनी तो पंचायत ही है ना।

श्री देवेन्द्रसिंह : 1981 में जो पंचायतें आप 1600 की मानते हैं, वह 1991 में 2200-2300 हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें मेरा कोई सिद्धान्त, कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न इतना सा है कि 1991 की अभी तक ग्रामवाइज कोई सेन्सस हमारे पास आई नहीं है। आफिशल जब तक सेन्सस नहीं आये, उसको हम काम ले सकते हैं या उसके आधार पर काम कर सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। 1981 की रिपोर्ट है, 1991 की रिपोर्ट नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में कोई पंचायत छोटी बने, बड़ी बने इसमें तो कोई हमारा विरोध ही नहीं है।

श्री देवेन्द्रसिंह : ऐसा कर दीजिये, 1981 की सेन्सस को 10% इन्क्रीज मान लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे मान लूं? आपके गांव में 10 की बजाय 20% आपने बढ़ा ली हो तो? अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हू।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं इस संबंध में बहुत ही विस्तार से बहस हो चुकी है, इसलिये प्रस्तावक महोदय भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 5) को अस्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री हरलाल सिंह खर्रा।

विधेयक पर विचार

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत राज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ सजेशन मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा। एक तो पटवार क्वार्टर्स जहां पर हैं, उन गांवों को अलग-अलग करके अलग-अलग पंचायतों में मिलाया जा रहा है, मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। दूसरा सोसायटी का, जैसे रायफल में सोसायटी का हैड क्वार्टर है। जेठाणा गांव वहां लगता है। जेठाणा को देलगाना में लगा दिया गया है। एक आदमी पंचायत में जायेगा एक गांव में, पटवारी के पास जायेगा दूसरे गांव में, सोसायटी के पास जायेगा तीसरे गांव में, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे चौथे गांव में, औषधालय कहीं दूसरी जगह है। यह जो परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, इसके बारे में भी सरकार विचार करे। इसके आर्डर निकाले जायें ताकि इस तरह से न हो।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, जो रिपोर्ट तहसीलदार ने बी.डी.ओ. को भेजी है। रिपोर्ट छोड़ दें मैं इसको कोई पोलिटिकल कलर नहीं देना चाहता, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, धानपुरा पंचायत में कीरों के झोपड़े हैं। कीरों के झोपड़े को इसलिए कहीं शामिल नहीं किया गया कि साहब यह आगे जाकर के नगरपालिका में मिलेंगे और उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। रघुनाथपुरा गांव दुधारू से एक कि. मी. है और रिपोर्ट में लिखा गया है बी. डी ओ. के द्वारा कि दो कि. मी. दूर है और दूसरे गांव में जोड़ दिया गया है। इस तरह से जो पोलिटिकली मोटीवेटेड हो या दूसरी स्थिति हो, इन सारी बातों को देख करके राय, मेरा ख्याल है, सभी पार्टीज के नेताओं से मांगी जाये, विधायकों से मांगी जाये। पंचायतें समस्या पैदा करने के लिए पुनर्गठित नहीं की जायें, इन बातों का ध्यान रखा जाये। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा यह है कि छोटी इकाइयों में गांव के लोगों को ज्यादा भागीदार किया जा सकता है और उससे विकास की गति ज्यादा बढ़ेगी, मैं इस बात का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। पर मुख्य मंत्रीजी एक बात जो उसमें की जा रही है उसको रोको। मैं राजस्व मंत्रीजी गंगाराम जी चौधरी बाड़मेर के हैं, से मिला, स्वयं मुख्य मंत्रीजी से मिला। हमारी पचायत समिति शिव छः हजार किलोमीटर एरिया में है। राजस्थान में एक लूणकरणसर और दूसरी तहसील शिव ही आती है, बाकी राजस्थान में इतनी बड़ी डेजर्ट एरिया में लम्बाई में पंचायत समिति नहीं आती है। स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने डिपार्टमेंट से केबिनेट की राय के लिये मीमो मंगवाया और डिपार्टमेंट ने यह राय प्रकट की कि बीकानेर जिले में लूणकरणसर और बाड़मेर जिले में शिव तहसील, जिसमें शिव तहसील का छः

(श्री अमीन खां)

हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसमें दूसरी पंचायत समिति होनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी की मंशा भी शिव में दूसरी पंचायत समिति बनाने की थी लेकिन मुझे यह संदेह है कि लोकल मिनिस्टर केबिनेट का पोलिटिकली हमारे खिलाफ इन्ट्रेस्ट था इसलिये पंचायत समिति शिव का विभाजन नहीं हुआ और न इतनी बड़ी छः हजार वर्ग किलोमीटर तहसील गडरा रोड में सब-तहसील बनाने का भी प्रपोजल आया। पंचायत के पुनर्गठन में सरकार चाहे छोटी पंचायत बनाती है तो अच्छी बात है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि जिले में होम डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार लग नहीं सकता। बाडमेर में तहसीलदार प्रतापसिंह था। उसने 31-7-91 को जब प्रस्ताव चस्पा किये, वह बिल्कुल वाजिब थे और उसने बिल्कुल सही किये थे। लेकिन उस तहसीलदार को फौरन वहां से हटाया गया। दूसरे नायब तहसीलदार को बैठा कर 31-8-91 को जो प्रस्ताव चस्पा किये गये हैं, उनमें दबा करके भा. ज. पा. के खिलाफ पदाधिकारियों ने जो लिस्ट दी वह साया की गयी और उसमें कलक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की। कलक्टर यह कहता है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरे को सीधा अधिकार है, वह करूंगा। शिव के तहसीलदार से हम मिले। वह इसलिये रखा गया कि होम डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार लग ही नहीं सकता, उसको ओबलाइज करके शिव में रखा गया। वह बाड़मेर में टाइम प्रस्ताव शिव के तहसीलदार ने दस्तखत करके शिव में जाकर चस्पा किये। पहले 31 मई को चस्पा किये गये। उसमें छः पंचायतें बढ़ाई गयी। 30 जून को पंचायत का ड्राफ अलग चस्पा किया गया, उसमें आठ बढ़ाई गयी। 31 जुलाई को जो पंचायत का प्रस्ताव चस्पा किया गया, उसमें 40 बनाई गयी और 31 अगस्त को जो प्रस्ताव चस्पा किये गये, उसमें हमारी समिति में 45 बनाई और बाड़मेर भूतपूर्व एस. डी. ओ. के यहां मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तहसीलदार को यह इन्स्ट्रक्शंस दिये गये कि शिव तहसील में कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और उसके यहां तक भी कह दिया कि जाट की पंचायत एक भी नहीं बढ़नी चाहिये बल्कि इससे पूर्व की संख्या घटानी चाहिये और उसके आधार पर मैं तहसीलदार से मिला कि 23 किलोमीटर गांव, जिसको आप 11 किलोमीटर दूर लिखकर शामिल कर रहे हो; यह क्या कर रहे हो ? तहसीलदार ने अपने हाथ से, "मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि यहां हाथ दिया, मेरे को यहां क्यों कहा है, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उस झण्डे वाले के पास जाओ। तो मैंने कहा पता नहीं, यह झण्डे वाला कौन है ? या तो मुख्य मंत्री हो सकते, या गंगारामजी हो सकते हैं। गंगाराम जी स्वयं से मैं मिला। गंगाराम जी, की दिल की बात तो क्या है, पर मुंह से मुझे यह कहा कलक्टर आर. एस. एस. का आदमी था। आप सही बात कहते हैं और उससे हमें यह प्रतीत होता है।

श्री गंगाराम चौधरी : यह चार्ज बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं कहा गंगाराम ने।

श्री अध्यक्ष : गंगाराम जी खत्म कर रहे हैं।

श्री अमीन खां : 15 अगस्त, 1991 के स्वतन्त्रता दिवस के दिन गंगाराम जी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर बाड़मेर जिले का जो हैड क्वार्टर पर मौजूद थे, उनको झण्डा फहराने तक नहीं दिया। हम एम. एल. ए. भी उस फंक्शन में नहीं गये। कलक्टर ने झण्डा फहराया। यह सारी जनता का अपमान है। और जिले की पूरी पब्लिक में इस तरह का भ्रम है कि एक कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर को झण्डा फहराने का मौका नहीं मिला। जिला कलक्टर ने झण्डा फहराया। इसलिये हमारा तो यही निवेदन है कि जिनके 23 किलोमीटर है। एक-एक उसी डाक्यूमेण्ट में उसी गांव को पहले चस्पा किया, बाद में 7 किलोमीटर गांव बताया, फिर 8 किलोमीटर बताया, फिर 11 किलोमीटर बताया। और अब वह कह रहे हैं कि हम खुद नापेंगे। यही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये। प्रभारी मंत्री जी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा दे दिया। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि पुनर्गठन जल्दी से जल्दी होकर पंचायतों के चुनाव हों और चुनी हुई पंचायतें काम करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : कितना टाइम लगेगा।

श्री हरलालसिंह खर्रा : पुनर्गठन में जो टाइम लगेगा वह तो लगेगा ही बाकी और कोट टाइम नहीं लगेगा।

इसके साथ ही माननीय सदस्यों ने अपने आपको शामिल करने की जो बात कही, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी भागीदार बनने के लिये तैयार हो तो इसके लिये थोड़ा टाइम लग सकता है बाकी सरकार की तरफ से इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है।

पुनर्गठन के बारे में बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। जो भी आदेश हैं न बाड़मेर के लिये अलग हैं, न किसी जाति के लिये अलग हैं। स्पष्ट है दो हजार से पांच हजार तक की पंचायत होगी और 8 किलोमीटर से दूर नहीं होगी। अब इसके आधार पर कलक्टर नहीं बताते हैं तो आप राज्य सरकार के पास एतराज कर देना। यह कोई इन्स्ट्रक्शन राज्य सरकार के नहीं हैं कि इस पार्टी की मानी जाय। कलक्टर सुनता है। इसके आधार पर पुनर्गठन होगा।

मेरा तो यही निवेदन है कि गांधी जी की जो राम राज्य लाने की बात थी, उसके लिये अपन सब मिल कर पंचायत एक्ट में भी जो संशोधन करना पड़े वह करके एक आदर्श रूप में इसको आने वाली पंचायतों में बनाने की कोशिश करेंगे। जन-प्रतिनिधियों का जितना भी सहयोग हो सकेगा, लेने की कोशिश करेंगे।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी एम. पीज., प्रमुखों और प्रधानों को बुलाकर सेक्रेटेरियट में मीटिंग ली थी और मैंने खुद ने भी अजमेर के प्रमुख को, पाली के प्रमुख को और कई महानुभाव, जो एम. एल. ए. थे, उनको बुलाकर हमने भी इस बारे में चर्चा

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

की थी। माननीय नत्थी सिंह जी जानते हैं कि हमारी केबिनेट की एक कमेटी भी बनी थी मैम्बर्स की। उसमें भी हमने इसको सुधारने के लिये काफी विचार-विमर्श किया था।

तो इस तरह से मंशा पर आप शंका न करें। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि गांवों की जनता का गांवों के विकास में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और पंचायतों में जो अस्थिरता आयी या जो बदनामी आयी वह दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यही निवेदन नरना चाहूंगा। (व्यवधान) अभी चर्चा आयी थी कि 1978 में चुनाव हुए और आपने 1980 में चुनाव कराये। 1978 में जब चुनाव हुए, 5 साल की मियाद थी पंचायतों की।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : 1981 की बात है।

श्री हरलालसिंह खर्रा : 1981 में पांच साल की मियाद थी जिसको तीन साल की मियाद करके आपने चुनाव करवाये। तो यही बात इस समय बढ़ाने वाली स्थिति नहीं थी इसलिये समय नहीं बढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं एक सवाल रख रहा हूं और दोनों पक्षों से यह निवेदन कर रहा हूं कि जागृत रहें। मैं कुछ भी कहूं मगर आप अपने हक के लिये जागृत रहें। सोते रहेंगे तो अपना हक छीन सकते हैं। (व्यवधान)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1991 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है, मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहती पर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस समय जिस समय सरपंच नहीं रहे, पंचायत की स्थिति शून्य के करीब हो रही है,

श्री अध्यक्ष : आप कहां से बोल रही हैं ? आप बिराजिये, आप बैठें । आप बैठिये, आप अपनी सीट से नहीं बोल रही रही हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, मैं मेरी सीट से ही बोल रही हूं । 106 नम्बर मुझे अलाट किया गया है । आप मुझे बैठा देंगे तो मैं बैठ जाऊंगी । मैं मेरी सीट से बोल रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : बोलिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार हो सकता है पर मैं बोल मेरी सीट से रही हूं ।

मैं यह कह रही थी, मैं इस सारी वार्ता पर नहीं जाना चाहती लेकिन जो स्थिति बनी है इस समय सारी योजनाओं के कार्य बन्द हो गये हैं और दूसरी जो भी किश्त है वह भी अलाट नहीं की गयी है । आने वाले समय में सारा पैसा लैप्स हो जायेगा । गांवों में काम नहीं हो रहा है । मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की जाय । जो भी आपने नियुक्त किये, हैड मास्टर को, सचिव को, या ग्राम सेवक को, यह तीनों की कमेटी मिलकर या तहसीलदार के माध्यम से या बी. डी. ओ. के माध्यम से या कोई भी माध्यम बनायें लेकिन कार्य हो, पैसा अलाट हो, जो अधूरे काम हैं वह पूरे हों । चाहे इन्दिरा आवास का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे कोई कार्य हो । मेरी एक बात मंत्री महोदय मान लें । आज दिक्कत यह हो गयी कि हैड मास्टर यहां लग जाने से पढ़ाई में दिक्कत आयेगी । इसके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे ? इन दो बातों का आप अपने उत्तर में जवाब दे दें ।

श्री राम किशन वर्मा (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ रहा था कि नयी सरकार बनने के बाद कुछ नये कानून सरकार करेगी और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में जो पंचायतों के बारे में विकेन्द्रीकरण के बारे में जो कुछ कहा था, मैं समझ रहा था कि इसका आभास कुछ मिलेगा । लेकिन मुझे अफसोस है कि यह सरकार जिस प्रकार से चल रही है, मैं सदन में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उस पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है । असल में सरकार को यह सोचना चाहिये कि उनकी पचायत व्यवस्था में विश्वास है या नहीं और अगर विश्वास है तो उसके बीसों रास्ते निकल सकते हैं । अगर विश्वास नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दम्भ की जरूरत नहीं । आज हालत यह है कि हमारे समाज की समस्यायें बढ़ रही हैं । देश के भीतर एक नया मोड़ आ रहा है । हर वर्ग राज में हिस्सेदारी चाहता है और वह धीरे-धीरे अपने कदमों को को पीछे हटा रहे हैं और पीछे हटाते-हटाते आज स्थिति यह आ गयी कि हमने पंचायतों को भंग कर दिया और भंग करने के बाद हमने प्रशासक लगा दिये । अध्यक्ष महोदय, यह प्रशासक क्यों लगाये ? इस सारे विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है । मैं इतना जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि श्री हरलाल जी को तो बदनाम करने के लिये इस बिल को दे दिया गया है । अमेण्डमेंट भी इनोसेंट है और मंत्री जी भी इनोसेंट है लेकिन इनके पीछे

(श्री रामकिशन वर्मा)

जो दिमाग है वह गड़बड़ वाला है। वह यह है कि राज के मुख्य मंत्री कभी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों का विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास ब्यूरोक्रेसी पर है। यह उनकी इनहरेंट कमजोरी है। उनका संस्कार है इस बात का और चुने हुए लोगों को वह हीन समझते हैं और इस डर की वजह से वह 1977 में सफाई दे रहे थे और रामेश्वर जी भी उनकी मदद कर रहे थे। यह बात नहीं थी। 1977 में चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, अब हो गये। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ गयी, बल्कि जनता पार्टी की कार्यकारिणी में तारीख तय कर दी जाती थी कि फलां तारीख को चुनाव करा दिये जायेंगे लेकिन उनके अन्दर एक हीन भावना है, एक कमजोरी है। इसलिये उन चुनावों को टालते रहे तो मैं केवल इतना सा कह सकता हूं कि सालभर का जो उन्होंने समय लिया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि वह कोई साल भर में भी चुनाव कराने वाले नहीं हैं वह इसलिये नहीं हैं कि यह उनका एक संस्कार है, उनकी आदत है। यह न तो उन पर कोई आरोप है, न मैं इस तरह की बात कहना चाहता हूं।

एक दूसरी बात मुझे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहनी है। यह याचना कर रहे हैं, हम से नहीं पूछा गया, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपके पास अनुभव ज्यादा है ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति के पास अज्ञानी व्यक्ति आने से डरते है। यह हमेशा डरेंगे वह आतंकित रहते हैं कि हम अपने से सुपीरियर के पास नहीं चले जायें और आप याचना कर रहे हो कि हमसे नहीं पूछा गया। अगर उन्हें ज्ञान लेना होगा, अगर उन्हें अनुभव प्राप्त करना होगा, अगर उनमें राष्ट्रीय कल्याण की भावना होगी तो नाक रगडेंगे और आपके पास आयेंगे लेकिन याचना करने से मैंने तो कभी देखा नहीं सुझाव लेते हों और आपकी स्थिति याचक जैसी हो रही है। देवपुराजी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि हम से नहीं पूछा गया। परसरामजी कह रहे हैं हम से नहीं पूछा गया। आप क्यों बन रहे है याचक? मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि पंचायत राज को मजबूत करने के लिये....

श्री अध्यक्ष : अभी आपने कहा था सुझाव के बारे में।

श्री रामकिशन हां, इनका भी स्वभाव है।

श्री अध्यक्ष : मैं इनका नहीं कह रहा हूं। आप स्वयं कह रहे थे।

श्री रामकिशन : नहीं, इनका भी स्वभाव है। इसलिये मेरा इस सम्बन्ध में कहना यह है कि हम यह चाहते हैं कि यह छोटे-मोटे संशोधनों का सवाल नहीं है, यह सवाल इस बात का है कि हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें नयी पंचायत व्यवस्था किस प्रकार की हो। आज पंचायत व्यवस्था की हालत यह हो गयी है कि सारी हमारी चुनी हुयी इकाइयां हैं वह निर्जीव बना दी गयी हैं और प्रभ वहीन बना दी गयी हैं। आज हम सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं। अक्सर मुख्य मंत्री महोदय कहा करते हैं कि मैं अंतिम आदमी को राज में हिस्सा देना चाहता हूं। अंतिम आदमी को राज में हिस्सा कैसे देंगे? जितनी भी संस्थायें हैं, इस तरह की संस्थाओं को तो

(श्री रामकिशन वर्मा)

हम अपंग बना रहे हैं? अंतिम आदमी को कैसे हिस्सा देंगे ? लेकिन उन्होंने जानबूझकर या सोच समझकर अभी जो बात कही, उससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं ऐसी व्यवस्था करने जा हूं जिससे गरीब आदमी राज में हिस्सेदारी ले सके और उसका चुनाव में खर्च नहीं हो। अब वह करेंगे कैसे ? पर मैं उनको यह बात याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में एक बात लिखी हुयी है कि चुनावों का खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करे। तो क्या भैरोंसिंह शेखावत की एक सरकार नयी शुरूआत कर सकती है कि ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के जब चुवाव हों तो इनके खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले। हमारी दिक्कत यह है कि हम केन्द्र पर तो वजन डालते जाओ लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है और राज्य सरकार के पास जो ताकत है वह गांव को नहीं देना चाहती है और गांव के पास जो ताकत है वह गांव वालों को नहीं देना चाहती। यह एक बात है। यह एक भारी विसंगति हमारे देश में पैदा हो गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अगर सारी पंचायत व्यवस्था को दुरस्त करना हैं तो हमें कुछ नये ढंग से सोचना पड़ेगा। इधर केन्द्र ला रहा है नया कानून और केन्द्रीय कानून को देखने के बाद, उसके लिये हमें बहाने करने की जरूरत नहीं, हम ऐसा नहीं समझें कि केन्द्र में कोई बड़े भारी विद्वान लोग बैठे हैं और हम वहां कोई अज्ञानी लोग बैठे हैं। हम नयी शुरूआत कर सकते हैं। एक नयी शुरूआत तो हम को करनी चाहिये। मैं इसकी पुरजोर मांग करता हूं, मांग करता रहा हूं कि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हैं वह सीधे होने चाहिये। यह प्रधान का चुनाव और प्रमुख का चुनाव और सरपंच का चुनाव एक साथ करा देना चाहिये। यदि हम छोटे आदमी को राज में हिस्सा देना चाहते हैं तो जो मेनिपुलेशन, पैसा, रिश्वत और भ्रष्टाचार चलता है, उसको कम करने का तरीका यह है कि हमारी चुनाव प्रणाली में हम परिवर्तन करें और यह चुनाव प्रणाली भी राज्य सरकारों के हाथ में नहीं, हम इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की कोशिश करे। यह न भैरोंसिहजी की कृपा पर रहना चाहिये और न हरदेव जोशी के हाथों में रहना चाहिये। सरकार को कोशिश करनी चाहिये। जब हमने विकेन्द्रीकरण का वायदा किया है, घोषणा-पत्र में वायदा किया है तो राज्य सरकार की तरफ से सदन का प्रस्ताव जाना चाहिये कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दीजिये और यह किसी मुख्य मंत्री की कृपा पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अलगाववादी शक्तियां बहुत बढ़ रही हैं। अब यह क्यों बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, वह प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि हमारे देश में अलगाववाद बढ़ रहा है और सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद अलगाववाद और तेज होगा। इसलिये राज्य में जिन-जिन वर्गों में यह भावना है कि उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उन्हें हमें जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करनी चाहिये। फौज और पुलिस एक सीमा तक ही मदद कर पाती है, अन्यथा तक तक

(श्री रामकिशन वर्मा)

जनता संतुष्ट नहीं होती है कोई राज एक नहीं रह सकता है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप एक संशोधन लाये ही हैं तो आपको लाना यह चाहिये था कि पिछड़े, हरिजन और औरत इनके लिये हम आरक्षण देना चाहिये । हमें जिला परिषदों में जगह को रिजर्व करना चाहिये, हमें पंचायत समितियों में जगह आरक्षित करनी चाहिये और मैं खास तौर से महिलाओं की वकालत इसलिये कर रहा हूं इस वक्त कि जो अलगाववादी शक्तियां हमारे देश में तेज हो रही हैं तो हमें ज्यादा तर नौजवानों को उस दिन तक, 10-15 साल ऐसा सकट लगता है कि हमें इनकी गतिविधियों को दूसरी तरफ डायवर्ट करना पड़ेगा । इसलिये हमें प्रशासन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, उन्हें ज्यादा मौका दिया जाय आपको शुरूआत कर देनी चाहिये । केन्द्रीय कानून आये या नहीं आये, यह आप लीड ले सकते थे और यश प्राप्त कर सकते थे लेकिन आप तो वही ढर्रे की राजनीति करते हो और बोलते वक्त इनको दबा लेते हो । इनसे ही हां करा लेते हो और इनसे ही ना करा लेते हो और जो असली मुद्दा होता है उसको साइड ट्रेक कर कर जाते हो ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित रूप से लड़ने का वायदा किया था और आपकी मान्यता भी है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं लेकिन हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, मैं उसमें आपको दोष नहीं देता हूं, लेकिन यह तय बात है कि हालत खराब हो गयी है । आप प्रशासकों को देख लीजिये कि वह भ्रष्ट है । उनमें अधिकांश लोग अच्छे लोग होंगे लेकिन काफी भ्रष्टाचार की सम्भावना है । पंचायतों का हाल मैंने खुद देखा है कि जिस पंचायत समिति बैर का मैं रहने वाला हूं, जब पंचायतों में सरपंच थे, मैंने दो-तीन पंचायतों का खुद देखा है । जवाहर योजना के पैसे को सीधे ही बैंक से निकालकर ले गये और एक आदमी जो लेकर गया है उसके लिये माननीय मंत्रीजी को भी लिखकर दिया कि मुझे फांसी लगा दो, जेल भेज दो, लेकिन इसकी जांच करो कि पैसा लोगों ने निकाल लिया । उसे सरपंच ले गया, कुछ प्रमुख ले गया, कुछ प्रधान ले गया, कुछ सेक्रेटरी ले गया और उसकी जांच करने के बजाय जिसने जांच की उसका ही ट्रान्सफर कर दिया गया । तो मैं ट्रान्सफर की सिफारिश नहीं कर रहा हूं, आप करें या नहीं करें लेकिन आप भ्रष्टाचार को रोकें । भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है और जब कोई चीज सामने भी आती है तो हम उस मामले को राजनीतिक दृष्टि से दबा जाते हैं ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, अभी आपने कई तरह की बात कही और कई तरह की बात कहते-कहते आपने कोई मेहता कमेटी का भी जिक्र कर दिया । रामेश्वरजी ने आपकी मदद कर दी और आपने मेहता समिति का जिक्र कर दिया लेकिन अशोक मेहता कमेटी का कौन सा संदर्भ हो, कितने चरण में काम करें । हम से पहले गुजरात लागू कर चुका था, उन्हीं पंचायत संस्थाओं को उड़ीसा लागू कर चुका था और आपको ख्याल हो तो जनता पार्टी के दफ्तर में जब मीटिंग हुयी थी तो इस पर विस्तार से चर्चा हुयी थी बल्कि आपने तारीख भी अनाउन्स

(श्री रामकिशन वर्मा)

कर दी थी। मेघवाल जी जब मंत्री थे पंचायत राज के और वहां तय हो गया था। तो मैं आपको केवल इस आरोप से बचाना चाहता हूं कि आप चुनावों से डरते हैं। अगर सरपंच आ जायेंगे कांग्रेस के तो क्या कर लेंगे ? और जनता दल के आ जायेंगे तो क्या कर लेंगे ?

यहां जनता दल का भी आपने जिक्र किया और जिक्र यह किया कि आपका दल कहां रहेगा और कौन के साथ जायेंगे, आप फ़ैसला तो करो। देखो, एक बात ध्यान में रखना, हमारा दल बहुत छोटा है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम हरिजन की लड़ाई लड़ते हैं, हम मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, हम सिखों की लड़ाई लड़ते हैं और हम औरत की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिये दल छोटा हो सकता है पर दिल तो हमारा बहुत बड़ा है और हमारे दिल लायक आपका दिल अभी है नहीं। असल दिक्कत हमारे यहां की राजनीति की यह है कि यहां पर दल मिल जाते हैं पर दिल नहीं मिलते हैं जैसे मेरा और आपका दिल मिलता है पर दल नहीं मिलते हैं। सुमित्रा जी का और मेरा दिल मिल जाता है पर मत नहीं मिलते हैं। दिक्कत यह हो जाती है। तो राजनीति में जब तक दिल और दल मिलाने की कला को नहीं सीखेंगे तब तक हम राजनीति को मधुर नहीं बना सकते। आप जिस तरह की बात करके निकल जाते हो। अब हीरालालजी देवपुरा आपने कब तो इनको समझा था, उनको फंसा लिया, कभी उनसे इधर हां करा रहे हैं, कभी उधर हां करा रहे हैं, कभी किसी से हां करा लेते हैं। जैसे हैड मास्टर उठक बैठक कराता है, ऐसे मुझे आपकी स्थिति पर बड़ी दया आ रही थी। आप उनको कहने देते, बोलने का अधिकार आपको है, हंस कर जवाब दे देते और बाहर दीजिए, भीतर दीजिए और सदन में दीजिए लेकिन आप ऐसे उठ बैठ रहे थे जैसे हैड मास्टर के सामने बच्चों को कहे बैठ जाओ तो बैठ गये, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गये। आपने कैसे राज चलाया था ? मैं इनसे डरता हूं। आप राज चलाने लायक थे ही नहीं। यह तो कुदरत ने आपको मदद कर दी थी कि आपको राज मिल गया और अब भी हमारी मूर्खता से आप राज के दुबारा नजदीक आ रहे हैं। आप राज लायक थे नहीं, न आप में राज की कला है, न आप में गुण है, आप केवल अपना समय निकालते रहते हैं।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लेकर केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि क्या, मुख्य मंत्रीजी, आप आरक्षण देने जा रहे हैं ? हरिजनों के लिए, महिलाओं के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद् में स्थान आरक्षित कीजिए। क्या आप सीधे चुनाव की व्यवस्था करने जा रहे हैं ? इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जैसे कर्नाटक सरकार का एक लेटैस्ट बिल है, कर्नाटक सरकार ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, जब तक व्यवस्थाएं आप इस तरह की नहीं करेंगे तब तक अलगाववादी ताकतें, सत्ता में हिस्सा लेने की आकांक्षी जातियां विद्रोह की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। यह हमारे अपने हित में है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। ज्यादा से ज्यादा सत्ता विकेन्द्रीकृत होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी होगी, उसी तरह से हमारा देश और हमारा समाज संगठित रह सकेगा।

(श्री रामकिशन वर्मा)

और सारी चीजों का जिक्र तो हो गया क्योंकि लिमिटेड सन्दर्भ था, मुझे इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है। पर एक बात आपने जो कही, मैं भी उसे मानता हूं और वह मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। आपने एक साल की समय सीमा बांध दी, यह सही है। देवपुरा जी ने दूसरी बात कही थी कि हम चार कैटेगरी में ही एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते थे। लेकिन सरकार उसका दुरुपयोग तो कर ही सकती थी। एक साल की सीमा बांध दी है, मैं तो आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं, लेकिन मुझे शक है कि बधाई मेरी स्थायी रहेगी कि अगले साल मुझे इसका खण्डन करना पड़ेगा। यह खुद मुझे शक लगता है थोड़ा-सा। अन्यथा तो एक साल सीमा बांधकर अपने आप को बांधा है और अपनी वाणी को कर्म से प्रमाणित करने की कोशिश की है। लेकिन आप इस पर टिकें, आप इस पर ठहरें, मैं यह चाहूंगा। आपका भी बुढ़ापा है। मुख्य मंत्री तो दुबारा बनने वाले हैं नहीं आप। आप कोई ऐसा काम करके जाइये, जैसे दूसरे राज्यों में कोई नयी शुरूआत की गयी है। आप कुछ ऐसी शुरूआत कीजिए कि राजस्थान याद रखे कि जब भैरोंसिंह मुख्य मंत्री थे तब गांव वालों को गांव का राज चलाने में हिस्सेदारी मिली थी, विकास का सीधा हक उनको दिया गया था। बजट आपकी कृपा पर नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में आपने देखा कि किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया राजस्व का. हमारी कुल राजस्व आय का। इसी तरह अगर हम करेंगे तब तो यह होंगे सार्थक, अन्यथा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, बस मैं तो समाप्त कर रहा हूं।

मैं केवल इतनी-सी बात कहना चाहूंगा कि आप एक नया बिल लाइये। इसको आप काम चलाने के लिए कर रहे हो तो कर लो। लेकिन सेण्टर के बिल में जो बातें आ रही हैं उनसे दो बात आगे करके आप करेंगे तो आपको यश भी मिलेगा और राजस्थान की जनता आपको याद भी रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आरोप नहीं लगाया। मित्रतावश आपके स्वभाव को उन्होंने बताया है, उनके स्वभाव को प्रकट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप लगाया है कि मेरा पंचायती राज व्यवस्था में विश्वास नहीं है।

श्री रामकिशन वर्मा : चुने हुए लोगों में विश्वास नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा विश्वास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आरोप है।

श्री रामकिशन वर्मा : यह आरोप नहीं संस्कार है आपका। आरोप नहीं लगाया

(श्री रामकिशन वर्मा)

मैंने संस्कार बताया आपका। यह मनोविज्ञान है आपका, आपका संस्कार है। और मुझ से क्यों छुपाते हो ? दाई से पेट छुपता है क्या ? दाई से पेट मत छुपाइये। यह आपका मनोविज्ञान है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दाई से पेट छुपा हुआ नहीं है, वही बात कहना चाहता हूं।

डा चन्द्रभान : आप तो बाहर थे, इन्होंने बहुत प्रशंसा की है आपकी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रशंसा की है, लेकिन मैं आपको इतना ही विश्वास दे सकता हूं, पण्डित जी....

श्री केदारनाथ शर्मा : ऐसे दो-चार और प्रशंसक मिल जायं तो बहुत भला हो जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आती कि मेरी प्रशंसा करें तो केदार जी नाराज, मेरी आलोचना करें तो केदार जी नाराज। यह तो इनके स्वभाव के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हू। मैं पण्डितजी को इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई पार्टी नहीं है जो विकेन्द्रीकरण के पक्ष में नहीं हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे जनता दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता दल (दिग्विजय सिंह) हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विकेन्द्रीकरण के पक्ष में नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जनता दल (दिग्विजय) कोई राष्ट्रीय ग्रुप बन गया क्या ?

डा. चन्द्रभान : कम्युनिस्टों की तो चर्चा ही नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने कहा कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। मैं आपको यह बता देऊं कि मेरे संस्कार यदि विकेन्द्रीकरण के नहीं होंगे या गांव के विकास के नहीं होंगे या गरीब किस प्रकार से प्रशासन में भागीदार बने, मेरे संस्कार नहीं होंगे तो, पण्डित जी, आपके संस्कार तो सात जन्म में भी नहीं हो सकते। संस्कारों की दृष्टि से मैं कहता हूं। आप आज कहते हैं हरिजनों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय, हमने नगर पालिकाओं में बढ़ाया और चुनाव कराये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नगर पालिकाओं वाला तो हमारे सामने पेश हुआ था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चुनाव की बात कह रहा हूं, 20-20 वर्ष के बाद में चुनाव कराये हैं, गोविन्द सिंह जी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हमने आर्डिनेंस जारी किया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने किया होता तो आपकी संख्या पर केवल दो महिलाएं चुनकर नहीं आतीं। आपने विधान सभा में भी कम किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने नगर पालिकाओं की बात शुरू कर दी, आप मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बता दीजिए, क्या, राजस्थान में ऐसी नगर पालिकाएं भी हैं जिनमें आपके जमाने में 20-20 वर्ष से चुनाव नहीं हुए ? आप लोकतन्त्र की बातें कर रहे हैं, उस समय अगर लोकतन्त्र की बातें करते तो ज्यादा अच्छा रहता कि उस समय चुनाव कराते। लेकिन आपने उस समय चुनाव कराये नहीं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था पण्डितजी के बारे में कि ये संस्कारों की बात कर रहे हैं। पण्डित जी, मैं आपको दो बातों की गारण्टी दे सकता हूं कि पंचायतों के चुनाव डीलिमिटेशन के साथ ही शुरू होंगे, इसमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। आप एक वर्ष की बात कह रहे हैं, मैं एक वर्ष भी पूरा नहीं होने दूंगा और उसके पहले ही चुनाव कराऊंगा। चुनाव कराने में आप जो खर्च की बात कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार को खर्चा वहन करना चाहिए, यदि सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो राजस्थान की सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। यहां तो बी. जे. पी. की सरकार है, उस बी. जे. पी. की सरकार को आप सलाह दे रहे हैं। आप अपनी सरकार से यह काम पहले करवा दीजिए, जिससे बाकी देश में एक उदाहरण बने कि जनता दल का जहां बिहार में राज है वहां पंचायतों के चुनाव का खर्चा वहां की सरकार ने दे दिया।

श्री रामकिशन वर्मा : कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार का कहा है। अब नहीं, हेगड़े की सरकार ने कानून बनाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर्नाटक की आप बात कर रहे हैं, कर्नाटक का कानून पढ़ा है, मुझे बता दीजिए कि चुनाव में खर्चा सरकार ने दिया है क्या ?

श्री रामकिशन वर्मा : नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं दिया और आप मुझ से चाहते हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : सारा खर्चा दिया आपने तो इतने लोग खड़े हो जाएंगे कि आपका सारा फाइव ईयर प्लान खर्च हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पण्डित जी को बताओ न आप।

एक तरफ तो आपने बात कही कि गरीब किसी प्रकार से प्रधान, सरपंच या जिला प्रमुख बन जाय और दूसरी तरफ कहते हैं आप सीधे चुनाव कराओ। मैं यह कह सकता हूं कि अगर जिला प्रमुख का सीधा चुनाव कराया तो गरीब सात जनम भी जिला प्रमुख नहीं बन सकता। सात जनम भी नहीं बन सकता। यदि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव सीधा करायें तो गरीब सात जनम भी नहीं बन सकता। तो आपके मन में और वाणी में कितना अन्तर है, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। आखिर गरीब को लाना है तो किस प्रकार से गरीब प्रधान और प्रमुख बन सकता है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाषण से गरीब नहीं आएगा। आप सीधे चुनाव करा लीजिए। यहां पर मेरे जैसे गरीब आदमी बहुत बैठे हैं। वे इसलिए नहीं आये हैं, यहां चुनाव इसलिए नहीं जीते हैं पार्टी से जीते हैं, वहां पर किस प्रकार का पार्टी का प्रचार था इसलिए जीते हैं। लेकिन कोई गरीब चुनाव में खड़ा हो जाय और वह जीत जाय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सीधे चुनाव में, यह आपकी कल्पना हो सकती है, मेरी कल्पना नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि गरीब निश्चित रूप से जीतकर आये। आप नये काम की कहते हैं, मेरा विश्वास है, जिस प्रकार की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में मैं समझ रहा हूं निश्चित रूप से गरीब और गांव का आदमी, किसान जो सबसे ज्यादा गरीब है, उसी प्रकार के लोग चुनकर आएंगे, यह आप विश्वास रख कर चलिये।

अब रहा आदर्श उपस्थित करने का, तो पंचायती राज में, अध्यक्ष महोदय, मैं तो कभी सरपंच और पंच भी नहीं रहा। लेकिन जिनको पंचायती राज का पूरा अनुभव है वे लोग यदि किसी प्रकार से जानकारी इस सदन में देते कि पंचायत सिस्टम में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाय तो मैं उस तरह का नहीं हूं कि कोई सही सुझाव दें उनको भी स्वीकार नहीं करूं। स्वीकार करने को तैयार हूं। आज भी आप मुझे बता दें कि राजस्थान का गरीब किस प्रकार से पंचायत के चुनाव में आ सकता है, किस प्रकार से पंचायत समिति का प्रधान और जिला प्रमुख बन सकता है मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, उसी प्रकार की व्यवस्था कानून के जरिये मैं इसी सदन के माध्यम से करवा लूंगा। लेकिन आप बात तो करें यह कि गरीब आना चाहिए और व्यवस्था यह करें कि जो लाख रुपए खर्च करे वह जीतकर आना चाहिए, इस प्रकार की बात करने का आदी, पण्डित जी, मैं नहीं हूं और न हो सकता हूं। यदि इस प्रकार का आपका उपदेश मानकर चलूंगा, तो सबसे बड़ा गरीब का अहित होगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : इस तरह का सुझाव हमने आपको दिया है, कि जिसमें गरीब आ सकता है बिना पैसे के।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिया है, मुझे मालूम है। उसी प्रस्ताव पर....

विधेयक का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 13 सितम्बर, 1991 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.01 बजे शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर, 1991 के मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 41 की सूची

नाम व पद	अ संख्या	अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कार्मिक विभाग में लंबित होने की तिथि	विलम्ब का कारण	स्वीकृति जारी करने की स्थिति
1	2	3	4	5
1. श्री जी. एल. वर्मा आर. एस. एस.	137/85	20-1-88	राज. उच्च न्यायालय द्वारा स्टेट्स को बनाये रखने का आदेश होने के कारण अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव अब यह निश्चित होने पर कि इस प्रकरण में उच्च न्यायालय का कोई स्टे अब प्रभावी नहीं है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।	प्रस्ताव कार्मिक विभाग में लंबित हैं। अब शीघ्र ही इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।
2. श्री जी. एल. वर्मा आर. ए. एस.	124/86	5-4-88	”	”

1	2	3	4	5
3. श्री जी. एल. वर्मा आर. ए. एस.	74/86	20-6-86	,,	,,
4. श्री जी. एल. वर्मा आर. ए. एस.	123/86	5-4-88	,,	,,
5. श्री जी. एल. वर्मा आर. ए. एस.	76/86	18-4-88	प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।	अब इस प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी से विचार-विमर्श कर प्रस्ताव राज्य सरकार को अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
6. श्री रणगम्भीर सिंह यादव आर. पी. एस.	77/90	29-7-91	अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इस में शीघ्र कार्यवाही कर ली जायेगी।	,,
7. श्री अमिताभ मुखर्जी आर. पी डब्ल्यू.	8/89	6-8-91.	अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इसमें शीघ्र कार्यवाही कर ली जायेगी।	

185

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 42 की सूची

–: संस्था के सदस्यों की सूची :–

क्र. सं.	नाम मय पिता/पति व पता	व्यवसाय	पद
1.	श्रीमती कमला पत्नी/श्री लालचन्द, ग्राम व पोस्ट रोहिड़ावाली (सुथारान) श्रीगंगानगर	समाज सेवा	अध्यक्ष
2.	श्री कृष्णचन्द पुत्र श्री लादूराम, ग्राम पोस्ट–रोहिड़ावाली (सुथारान) श्रीगंगानगर	खेती	सचिव
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुनाथ, सांचौर, जिला–जालौर	,,	कोषाध्यक्ष
4.	श्री मनीराम पुत्र श्री रामचन्द्र सुथार, ग्राम व पोस्ट–रोहिड़ावाली (सुथारान) श्रीगंगानगर	,,	सदस्य
5.	श्री पुनमाराम पुत्र श्री जोधाराम, सांचौर, जिला–जालौर, (राजस्थान)	,,	स्वास्थ्य मंत्री
6.	श्री मिट्ठू पुत्र श्री गोगड़राम हरिजन, ग्रा. 5 एच. बड़ा, पोस्ट–रोहिड़ावाली (सुथारान) जिला–गंगानगर (राज.)	मजदूर	सदस्य
7.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सोहनलाल, चक सोहनेवाला तहसील–सादूलशहर, जिला–गंगानगर (राज.)	खेती	सदस्य

परिशिष्ट "ब"

मानव सेवा मन्दिर समिति, ग्राम पोस्ट–रोहिड़ावाली (सुथारान)
जिला–श्रीगंगानगर की कार्यकारिणी की सूची

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम व पता	व्यवसाय	पद
1	2	3	4
1.	श्री मनफूलाराम पुत्र श्री हुकमाराम, ग्राम पोस्ट–रोहिड़ावाली, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)	जमींदार एवं समाज सेवक	अध्यक्ष
2.	श्री जयप्रताप पुत्र श्री कन्हैयालाल, प्लाट सं. बी-6 जयपुर मैंटल हाऊसिंग सोसायटी, चौमूंरोड़, जयपुर	व्यापार	मंत्री

1	2	3	4
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रंघुनाथ, ग्राम सांचौर, जिला-जालौर (राज.)	खेती	कोषाध्यक्ष
4.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, प्लाट सं. 16, राजापार्क, जयपुर	व्यापार	सदस्य
5.	श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, ग्राम पोस्ट-रोहिड़ावाली, जिला-श्रीगंगानगर (राज.)	नौकरी	सदस्य
6.	श्री पूनमाराम पुत्र श्री जोधाराम, ग्रा. पो. सांचौर, जिला जालौर (राज.)	खेती	सदस्य
7.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री सोहनलाल, ग्रा. पो. चक सोहनेवाला, तहसील-सादूलशहर, जिला-श्रीगंगानगर, (राजस्थान)	खेती	सदस्य

परिशिष्ट—3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

समाज कल्याण छात्रावास अटरू में अनियमिततायें

46. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या समाज कल्याण छात्रावास अटरू की पिछले दो वर्षों में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अटरू के हरिजन बालक एवं बालिका दोनों छात्रावासों का चार्ज पिछले तीन वर्षों से एक ही वार्डन के अधीन रहा है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों से छात्रावासों में रह रही बालिकाओं के नाम, पिता का नाम पूर्ण स्थायी पते सहित, सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजकीय समाज कल्याण छात्रावास, अटरू का विशेष निरीक्षण उप निदेशक (विकलांग कल्याण) द्वारा दिनांक 20-12-90 को किया गया था । तत्पश्चात् पुनः निरीक्षण दिनांक 9 व 10-3-91 को विभाग के वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा किया गया था । इन निरीक्षणों में वित्तीय अनियमिततायें सामने आई, जिस हेतु दोषी कर्मचारी तत्कालीन सहायक छात्रावास अधीक्षक को निलम्बित किया जाकर सी. सी. ए. नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । दोनों निरीक्षण प्रतिवेदनों की फोटो प्रतियां परिशिष्ट क ख सदन की पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां । गत तीन वर्षों से छात्रावास में रह रही बालिकाओं के नाम व उनकी कक्षा की सूची परिशिष्ट ग सदन के पटल पर रख दी गयी है । इन बालिकाओं के पिता का नाम तथा स्थायी पतों के बारे में सूचना संकलित की जा रही है ।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बाली के आयुर्वेदिक औषधालय

47. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाली विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय गोरिया पंचायत समिति बाली जिला पाली में आयुर्वेद औषधालय राज्य सरकार द्वारा कब खोला गया ? इसमें कितने कर्मचारियों की पटवार स्वीकृति है ? क्या उनकी उपस्थिति गोरिया मुख्यालय या अन्य जगह डेपुटेशन पर भेज कर वेतन का चुकारा किया गया ?

(2) इस आयुर्वेद औषधालय हेतु वार्षिक बजट की कितनी राशि स्वीकृत है

(श्री अमृतलाल परमार)

तथा कितनी राशि वास्तव में गोरिया औषधालय हेतु व्यय की गयी ?

(3) वर्तमान में कौन-कौन से पद पर कर्मचारी संस्थान में कार्यरत हैं ? यदि नहीं तो राज्य सरकार इस आदिवासी क्षेत्र जहां चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है वहां रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम-गोरिया, पं. स. बाली, जिला-पाली में आयुर्वेद औषधालय दिनांक 21-7-76 से संचालित हैं। इसमें एक आयुर्वेद चिकित्सक एवं एक परिचारक का पद स्वीकृत है। वर्तमान में पद-स्थापित स्टाफ को वेतन औषधालय गोरिया में उपस्थिति के आधार पर ही चुकाया जा रहा है एवं इस औषधालय से किसी भी कर्मचारी को अन्यत्र डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर नहीं लगाया गया है।

(2) आयुर्वेद औषधालय, गोरिया हेतु औषधियों के लिये वर्ष 1991-92 में 4,000/- रुपयों की सीमा निर्धारित की हुयी हैं तथा इसके विरुद्ध अगस्त, 91 तक 3,053.60 रु. की औषधियां, औषधालय को भेजी गयी हैं।

(3) इस औषधालय में वर्तमान में चिकित्सक पद पर श्री रामभरोसीलाल शर्मा तथा परिचारक पद पर श्री गोपाराम पदस्थापित हैं।

उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरवाड़ा में व्याख्याताओं के रिक्त पद

48. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरवाड़ा में किस-किस विषय के व्याख्याता नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के व्याख्याओं के पद गत 1 वर्ष से खाली हैं ?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, खैरवाड़ा में निम्नांकित विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं :—

(क) हिन्दी	2
(ख) अर्थशास्त्र	1
(ग) इतिहास	1
(घ) भौ. शा.	1

(2) केवल भौतिक शास्त्र व्याख्याता पद 30-3-90 से रिक्त है।

भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को भेजी गयी योजनाएं

49. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा), **श्री परसादी लाल** (लालसोट) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) :—क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने एक मार्च, 1990 के बाद आज तक कितनी योजनायें भारत

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सरकार और वर्ल्ड बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को भेजी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाएं हमारे भूगोल, इतिहास, संस्कृति व जलवायु को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अगर हां, तो प्रत्येक योजना में उक्त बिन्दुओं में कौन-कौन से बिन्दुओं पर योजना आधारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अनुसूचित जाति के मौहल्लों में विद्युत् एवं पेयजल की व्यवस्था

50. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के मौहल्लों में राज्य की ओर से बिजली एवं पेयजल का प्रबन्ध किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों की प्रदेश में पालना हो रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया है ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति के मौहल्लों में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा बिजली की व्यवस्था तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल का प्रबन्ध राज्य योजना से किया जा रहा है। प्रदेश में इन आदेशों की पालना हो रही है।

(2) जी हां, आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर द्वारा किए गए स्थानान्तरण

51. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर के कार्यालय द्वारा माह जुलाई/अगस्त, 1991 में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर उप जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं ?

(2) क्या उप जिला शिक्षा अधिकारी यह हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम है ?

(3) यदि हां, तो उन्हें यह हस्ताक्षर करने हेतु किस अधिकारी ने अधिकृत किया ? क्या अधिकृत करने वाले अधिकारी स्वयं इस हेतु सक्षम अधिकारी थे ? राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अधिकार सौंपने, नीति सम्बन्धी निर्देश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री जीतमल जैन)

(4) यदि उप जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर नियम विरूद्ध हैं तो अधिकृत करने वाले अधिकारी के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है एवं शक्ति के अनधिकृत उपयोग द्वारा स्थानान्तरणों से प्रभावित शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर क्या राहत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, स्थानान्तरण आदेशों पर दिनांक 20-7-91 से 3-8-91 तक की अवधि में उप जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर के हस्ताक्षर हैं।

(2) जी हां, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी का चार्ज उनके पास था।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर रुग्णता अवकाश पर थे और अपने पद का कार्य भार उप जिला शिक्षा अधिकारी को विधिवत सौंप कर गये थे जिसके फलस्वरूप उप जिला शिक्षा अधिकारी उच्च पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 (1)

"राज्य सरकार एक सरकारी कर्मचारी को, संस्थाई रूप से (substantive) किन्तु अस्थाई आधार पर या कार्यवाहक रूप में एक समय में दो स्वतन्त्र पदों पर कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकती है।"

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति/ जनजाति के उपनिरीक्षकों की पदोन्नति में छूट

52. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगढ़) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में उप निरीक्षक से निरीक्षक बनाये जाने हेतु एस. टी. व एस. सी. के अभ्यर्थियों को डी. ओ. पी. के आदेश क्रमांक एफ. 2 (19) कार्मिक-क-2 (74) दिनांक 12 मार्च, 1980 द्वारा 5% अंकों में छूट दी गई थी ? यदि हां, तो उस छूट के कारण अब तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 8-7-1988 को 5% की छूट खत्म कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? डी. ओ. पी. के उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस छूट के अन्तर्गत वर्ष 1988 तक पुलिस विभाग में उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के 47 अभ्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कार्मिक विभाग के पत्र संख्या एफ. 5 (3) कार्मिक/क-2/85/1381 दिनांक 8-7-88 जारी कर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12-3-80 के द्वारा

(मुख्य कार्मिक मंत्री)

5 प्रतिशत अंकों की छूट को दिनांक 12-3-85 तक ही प्रभावी मानते हुए वापस ले लिया क्योंकि इस प्रावधान को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में न तो प्रशासनिक विभाग अथवा न ही किसी संघ विशेष ने विभाग के माध्यम से या सीधे भी कोई मांग की कि इस सुविधा को आगे वाले वर्षों के लिए यथावत् रखा जावे। कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 8-7-88 परिशिष्ट "ब" की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नव सृजित माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

53. **श्री माथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने इस वर्ष प्रदेश में कितने सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां व किस-किस विधान सभा क्षेत्र में खोले हैं ?

(2) सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) डूंगरपुर जिले में कितने माध्यमिक विद्यालय हैं ? क्या इन विद्यालयों के भवन पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विद्यालय भवनों के अभाव को पूरा करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस वर्ष खोले गये 25 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 79 माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है। प्रशासनिक इकाई पंचायत समिति/तहसील है। अतः विधान सभा क्षेत्र को इकाई मानकर क्रमोन्नत नहीं किया जाता।

(2) सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हेतु विद्यालय में छात्रों की संख्या, क्षेत्र की जनसंख्या, भवन व्यवस्था, क्षेत्र की मांग, वित्तीय साधनों की उपलब्धता, फीडर स्कूलों की स्थिति, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर गुणावगुण को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जाता है।

(3) डूंगरपुर जिले में 61 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। विद्यालयों में भवन की कमी विभाग द्वारा अनुभव की जाती रही है एवं सीमित वित्तीय साधनों में उपलब्ध राशि व जन-सहयोग से भवनों की आवश्यकता को पूरा करने का भरसक प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसे किसी समयावधि में बांधना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सेटलमेन्ट विभाग का विघटन

54. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(1) क्या राज्य सरकार सैटलमेंट विभाग को समाप्त कर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने की नीति निर्धारित कर रही है ?

(2) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस संबंध में विगत विधान सभा में इस विभाग को समाप्त करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उस पर अमल में लाने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । मामला विचाराधीन है ।

(2) जी हां । मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गत विधान सभा सत्र के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग को समाप्त कर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने संबंधी घोषणा की गयी थी । उक्त निर्णय के अनुपालना में प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

जिला सवाई माधोपुर के सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय

55. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991 में जिला सवाई माधोपुर में कुल कितने सैकण्डरी एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कहां-कहां खोले गये हैं और कहां-कहां क्रमोन्नत किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने नये स्कूल खोलने एवं क्रमोन्नत करने का कोई मानदण्ड बनाया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(3) क्या सरकार ने वर्ष 1991 में मिडिल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल व सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त स्थान भरने के कोई प्रयास किये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में सवाई माधोपुर जिले में 3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में एवं एक माध्यमिक विद्यालय को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) नये विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने हेतु क्षेत्र की जनसंख्या, छात्रों की संख्या, भवन की स्थिति, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र की मांग, फीडर विद्यालयों की स्थिति आदि पर विचार कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

(3) इस वर्ष मिडिल सैकण्डरी व सीनियर हायर-सैकण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने हेतु समानीकरण की योजना राज्य में लागू की गई । इसके अतिरिक्त उपलब्ध प्रावधानों से नयी भर्ती द्वारा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है ।

(शिक्षा मंत्री)

सन् 1991 में सवाई माधोपुर जिले में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

राजकीय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय :—

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिछीदौना पंचायत समिति-बौंली।

2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रिवाली पंचायत समिति-बामनवास।

3. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर।

माध्यमिक से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय :—

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सूरोठ।

प्लान व नान प्लान में आवंटित राशि

56. **श्री हजारी लाल** (खेतड़ी), **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1991-92 के बजट में प्लान व नान प्लान मद में विभागवार कितनी धन राशि का आवंटन किया गया था? इस धन राशि में से कितनी प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये आवंटित की गई तथा इसमें से कितनी राशि 31 जुलाई, 1991 तक खर्च की जा चुकी है? विभागवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1991-92 के बजट में आयोजना भिन्न व्यय के लिये 3643.57 करोड़ का प्रावधान किया गया था। आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत मुख्य-2 विभागों के लिये बजट का आवंटन निम्न प्रकार है :—

मुख्य शीर्ष	प्रावधान (रु. करोड़ में)
2014–न्याय प्रशासन	26.92
2029–भू-राजस्व	50.37
2039–राज्य उत्पाद शुल्क	26.51
2053–जिला प्रशासन	30.47
2055–पुलिस	167.34
2071–पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति लाभ	171.34
2075–विविध सामान्य सेवाएं	95-97
2202–सामान्य शिक्षा	730.64
2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	189.05
2225–जलपूर्ति तथा सफाई	133.16
2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	124.00
2403–पशुपालन	29.75
2425–सहकारिता	39.43
2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	27.07
2701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं	150.91
2702–लघु सिंचाई	25.98
3054–सड़क तथा सेतु	120.26

(194)

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

6003–राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 311.11

6004–केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 166.87

7610–सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज 26.82

आयोजना भिन्न मदों में ग्रामीण तथा शहरी व्यय प्रावधानों को अलग से नहीं दिखाया जाता है।

आयोजना मदों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिये कुल राशि का आवंटन 1170.00 करोड़ का किया गया है। सेक्टर वाईज कुल आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आवंटन तथा उसके विरूद्ध 31 जुलाई, 1991 तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर खर्च की गयी राशि निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ में)

सेक्टर	कुल आवंटन	ग्रामीण विकास के लिए आवंटन	ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर 31 जुलाई, 1991 तक व्यय
1. कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	98.33	98.33	14.56
2. ग्रामीण विकास	77.54	77.54	17.25
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.75	0.75	0.02
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	232.57	232.57	55.63
5. विद्युत (पावर)	317.51	117.97	32.71
6. उद्योग एवं खनिज	61.77	28.03	2.54
7. परिवहन	60.75	33.48	6.01
8. वैज्ञानिक सेवाएं	2.60	0.61	0.02
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	288.14	111.70	19.78
10. आर्थिक सेवाएं	24.30	14.92	0.15
11. सामान्य सेवाएं	5.74	—	—
	1170.00	715.90 (61.19%)	148.67

भीलवाड़ा जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय

57. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में कुल कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं एवं इन विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या ऐसे विद्यालय भी हैं जिनमें एक, दो अथवा तीन अध्यापक ही पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं ? इनमें ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां एक भी अध्यापक पदस्थपित नहीं होने के कारण विद्यालय बन्द हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालय कब से बन्द हैं ? अध्यापकों की पदस्थापना कर कब तक शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?

(4) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद सृजित करने के क्या मानदण्ड हैं एवं कम से कम कितने अध्यापक एक विद्यालय में होने चाहिये ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में कुल 414 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इन विद्यालयों में स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण निम्न है :—

		स्वीकृत	रिक्त
जि. शि. अ. (छात्राऐं)	द्वि. वे. श्रृ.	75	12
67 उप्रावि	तृ. वे. श्रृं.	418	11
जि. शि. अ. (प्रा. शि.)	द्वि. वे. श्रृं.	385	58
347 उप्रावि	तृ. वे. श्रृं.	2044	143
	योग	2922	224

(2) जी हां। ऐसे 57 विद्यालय हैं जिनमें एक, दो या तीन शिक्षक हैं।

एक शिक्षकीय	10
दो शिक्षकीय	21
तीन शिक्षकीय	26
योग	57

विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जहाजपुरा नगरपालिका क्षेत्र में 14 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं। पद एवं प्रावधान विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। नगरपालिका/जनसहयोग से भवन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वार्ड नं. 4 में प्राथमिक विद्यालय आगे कार्यरत नहीं रह सका। भवन उपलब्ध होते ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

(4) मानदण्ड के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा एक से पांच में छात्रों के अनुपात में निम्नानुसार अध्यापक होने चाहिये :—

1. नामांकन 49 तक 1 अध्यापक
2. नामांकन 50–89 तक 2 अध्यापक
3. नामांकन 90–129 तक 3 अध्यापक
4. नामांकन 130–169 तक 4 अध्यापक
5. नामांकन 170–209 तक 5 अध्यापक

कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक कक्षा वर्ग के लिये एक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक अतिरिक्त होने चाहिये।

(196)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), भीलवाड़ा

बिन्दु सं.

(2) उन विद्यालयों की सूची जहां एक, दो, अथवा तीन अध्यापक पद स्थापित हैं :—

(ए) उन विद्यालयों की सूची जहां एक ही अध्यापक पदस्थापित है :—

1.	उ. प्रा. वि.,	मनोहरपुरा	जहाजपुर
2.	,,	श्रीनगर	माण्डलगढ़
3.	,,	सदाराम जी का खेड़ा	माण्डलगढ़
4.	,,	भोपतपुरा	,,
5.	,,	गोपालपुरा	,,
6.	,,	बांगड़ो	कोटड़ी
7.	,,	कांटी	,,
8.	,,	रूपालिया	सुवाणा
9.	,,	गिरड़िया	सहाड़ा
10.	,,	गेवलियां	,,

(ब) उन विद्यालयों की सूची जहां 2 ही अध्यापक पदस्थापित हैं :—

1.	उ. प्रा. वि.,	मनोहरपुरा	माण्डलगढ़
2.	,,	माजोसा का खेड़ा	,,
3.	,,	विक्रमपुरा	,,
4.	,,	मा. वि. भादसी उप्रावि बजट	आसीन्द
5.	,,	मा. वि. कोट उप्रावि बजट	रायपुर
6.	,,	पोधा का खेड़ा	,,
7.	,,	खांखरमाला	,,
8.	,,	लाम्बिया खुर्द	हुरड़ा
9.	,,	खेड़लिया	,,
10.	,,	कोदू कोटा उप्रावि बजट	सुवाणा
11.	,,	उप्रावि करेड़ा	माण्डल
12.	,,	डेलाणा	सहाड़ा
13.	,,	गलोदिया	,,
14.	,,	रायथलियास	,,
15.	,,	गुढ़ा	,,
16.	रा. बा. उ. प्रा. वि.	तिगोली	
17.	,,	ईटन्दा	
18.	,,	खटवाड़ा	
19.	,,	लाडपुरा	

20. ,, जोजुवा

21. ,, चांदजी को खेड़ो

(स) उन विद्यालयों की सूची जहां तीन अध्यापक ही पदस्थापित है :—

1.	उ. प्रा. वि.,	राणाजी का गुढ़ा	माण्डलगढ़
2.	,,	थल कला	,,
3.	,,	झंझोला	,,
4.	,,	माल का खेड़ा	,,
5.	,,	बड़ाच	आसीन्द
6.	,,	सुरास	रायपुर
7.		धूलखेड़ा	,,
8.		रेवाड़ा	,,
9.		राक्सो	हुरड़ा
10.	,,	बालेसरिया	,,
11.	,,	भोली	सुवाणा
12.	,,	गून्दली	,,
13.	,,	आकोला	,,
14.	,,	तिलोली	,,
15.	,,	कविनगर	,,
16.	,,	रतनपुरा	,,
17.	,,	धुवाला	माण्डल
18.	,,	गाजुणा	,,
19.	,,	गेगास	,,
20.	,,	घोड़ास	,,
21.	,,	कबराड़िया	,,

22. रा. बा. उ. प्रा. वि. मेजा

23. अंटाली रा. बा. उ. प्रा. वि.

24. रा. बा. उ. प्रा. वि खेरतिया

25. मानपुरा रा. बा. उ. प्रा. वि.

26. खरेरी ,,

Page No. 198

(198)

परसरामद्वारा (जयपुर) में संचालित राजकीय क्राफ्ट्स टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर

58. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमेर, रोड़, जयपुर पर परसरामद्वारा में राजकीय क्राफ्ट्स टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर सरकार द्वारा संचालित किया जाता था ? यदि हां, तो इसे कब, क्यों बन्द किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि अब हरमाड़ा (जयपुर) में किसी निजी शिक्षा संस्थान को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब एवं क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकारी संस्थान के मुकाबले निजी संस्थान वाले सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों से अधिक फीस लेते हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी अधिक है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त निजी संस्थान हरमाड़ा द्वारा भारी रकम डोनेशन में लिये जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार उक्त संस्थान को निजी क्षेत्र से निकाल कर परसरामद्वारा में पुनः संचालित कर प्रथम वर्ष में प्रवेश देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस संस्था में सत्र् 1990-91 से प्रथम वर्ष में प्रवेश बन्द किया गया। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत उद्योग विषय समाप्त किये जाने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं रही।

(2) सन् 1985-86 में ही प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, हरमाड़ा (जयपुर) में निजी शिक्षा संस्था को विद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी।

(3) जी नहीं। वर्ष 1990-91 से निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस निर्धारित शुल्क से अधिक किसी भी निजी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा नहीं ली जा रही है।

(4) जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट—4

परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	नाम डीलर	दुकान का स्थान	क्षेत्र/वार्डों का वितरण जिनके उप. को नियंत्रित वस्तुएं वितरित की जाती है ।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	झाझीरामपुरा	श्री बाबूलाल शर्मा	बसवा स्वयं का मकान	सम्पूर्ण पंचायत	
2.	करनावर	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	स्वयं का मकान	सम्पूर्ण पंचायत	
3.	गुल्लाना	श्री छीतरमल शर्मा	,,	वार्ड 1 से 5	
4.	गुल्लाना	श्री सुखराम गुर्जर	,,	वार्ड 6 से 10	
5.	विषादं	जी. एस. एस. विवाई	गोदाम जी. एस. एस.	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत	
6.	गुढा आशिकपुरा	जी. एस. एस.	,,	,, ,,	
7.	नागल झामरवाड़ा	जी. एस. एस. नागल झामरवाड़ा	,,	,, ,,	

1	2	3	4	5	6
8.	अरनिया	जी. एस. एस. अरनिया	गोदाम जी. एस. एस.	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत	
9.	कोलवा	श्री केदारसिंह	स्वयं का मकान कोलवा	,,	,,
10.	देलाडी	श्री चौथमल विजय	,, देलाडी	,,	,,
11.	पनादड	,, अस्थाई	,, ,,	,,	,,
12.	प्रतापपुरा	जी. एस. एस. श्यामपुरा	गोदाम जी. एस. एस.	,,	,,
13.	पीचूपाडा कलंम	,, पीचूपाडा	,,	,,	,,
14.	पीछूपाडा खुर्द	,, पीछूपाडा खुर्द	,,	,,	,,
15.	कुढाकटला	,, गुढाकटला	,,	,,	,,
16.	आभानेरी	,, आमानेरी	स्वयं का गोदाम	,,	,,
17.	हिंगोटा	श्री टीकाराम शर्मा	स्वयं का मकान	वार्ड 1 से 5	
18.	हिंगोटा	श्री रामखिलाडी मीणा	,,	वार्ड 6 से 10	
19.	मुहखुर्द	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	पातरखेडा	सम्पूर्ण पंचायत	
20.	बडियाल खुर्द	श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता	स्वयं का मकान	,,	

1	2	3	4	5	6
21.	कोलाना	श्री रामावतार गुप्ता	,, कोलाना	सम्पूर्ण पंचायत	
22.	ऐंचडी	जी. एस. एस. ऐंचडी	जी. एस. एस. गोदाम	,,	
23.	गादरवाड़ा	श्री सुखलाल मीणा	स्वयं का मकात	,,	
24.	अनन्तवाड़ा	जी. एस. एस. अनन्तवाड़ा	जी. एस. एस. गोदाम	वार्ड 1 से 3	
25.	अनन्तवाडा	नाथूसिंह गुर्जर	झोपडी स्वयं का मकान	वार्ड 4 से 10	
26.	भवता भांवती	जी. एस. एस. गुढलिया	गोदाम स्वयं जी. एस. एस.	सम्पूर्ण पंचायत	
27.	गुढलिया	,, ,,	,, ,,	,,	
28.	नन्देरा	जी. एस. एस. नन्देरा	गोदाम जी. एस. एस.	,,	
29.	भाण्डेडा	जी. एस. एस. माण्डेडा	,,	,,	
30.	उपबडागांव	प्रभुनारायण सैनी	स्वयं का मकान	,,	
31.	बालाहेडा	जी. एस. एस. बालाहेडा	नाथूलाल कारीगर का मकान	वार्ड 6 से 10	
32.	बालाहेडा	विश्राम मीना बालहेडा	स्वयं का मकान	वार्ड 1 से 5	
33.	पंतभतपुरा	जी. एस. एस. जागीर बांदीकुई	गौदाम स्वयं	सम्पूर्ण पंचायत	

1	2	3	4	5	6
34.	जागीर बांदीकुई	,, ,,	,,	सम्पूर्ण पंचायत	
35.	श्यालावास खुर्द	उमाशंकर विजय	स्वयं का मकान	,,	
36.	श्यालावास कलां	वेस्टर्न रेल्वे एम्पलाइज कर्मचारी को. सो. बांदीकुई	स्वयं का गोदाम	,,	
37.	लोटवाडा	जी. एस. एस. लोटवाडा	,,	,,	
38.	बैजूपाडा	जी. एस. एस. बैजूपाडा	,,	,,	
39.	पून्दरपाडा	जी. एस. एस. खेरपुर	,,	,,	
40.	निहालपुरा	जी. एस. एस. निहालपुरा	,,	,,	
41.	दिगारिया भीम	बैरातीलाल	स्वयं का मकान	,,	
42.	गोलाटा	मांगीलाल सैनी	,,		
43.	बडियाल कलां	जी. एस. एस. बडिया कलां	स्वयं का गोदाम 1/2		
44.	,,	,, ,,	,, ,,	,,	
45.	रलायता	रामस्वरूप गुप्ता	स्वयं का मकान रूपवास	,,	
46.	मूडघित्या	जी. एस. एस. मूडघित्या	गोदाम स्वयं	,,	

1	2	3	4	5	6
47.	मूही	सुखलाल मीना (अस्थाई) गादरवाडा गूजरान	मुही पंचायत भवन	सम्पूर्ण पंचायत	
48.	चांदरो	मूलचन्द गुर्जर	स्वयं का मकान	,,	
49.	बसवा	जी. एस. एस. बसवा	गोदाम स्वयं का	वार्ड 1 से 5	
50.	,,	छगनलाल शर्मा	बड़ा बाजार बसवा स्वयं की दुकान	वार्ड 6 से 9	
51.	,,	ओमप्रकाश गुप्ता	श्री दामोदर शर्मा का मकान	वार्ड 10 से 13	
52.	बांदीकुई	क्रय विक्रय सह. समिति	गोदाम अनाज मंडी	,, 1 व 13	
53.	,,	अविनाश कुमार	स्वयं का मकान	,, 2 व 13	
54.	,,	ओमप्रकाश पाठक	दुकान नं. 6 गर्ल्स स्कूल रोड	,, 9 व 10	
55.	,,	श्यामबिहारी बागोरिया	स्वयं की दुकान	,, 4 व 5	
56.	,,	क्रय विक्रय बांदीकुई	स्वयं गोदाम	,, 6 व 8	
57.	,,	,, ,,	,,	,, 10 व 12	
58.	,,	वेस्टर्न रेल्वे ए. को. सा.	,,		

(204)

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम डीलर मय स्थान	एफ. पी. एस.	आर. टी. एल.
1.	मै. रामधनदास नवलकिशोर मोदानी बांदीकुई	—	अनाज मण्डी बांदीकुई
2.	मै. मानकचन्द अशोककुमार जैन बांदीकुई	—	बांदीकुई
3.	मै. उमाशंकर विजय श्यालावास	—	श्यालावास
4.	मनीष ट्रेडर्स बांदीकुई	—	बसवा
5.	बैकुण्ठ प्रसाद गुप्ता बसवा	—	बसवा
6.	राधेश्याम सैनी बसवा	—	बांदीकुई
7.	सुखदेवप्रसाद मीना बांदीकुई	—	बांदीकुई
8.	अनिल कुमार विजय बांदीकुई	—	बांदीकुई
9.	मन मोहन फूलचन्द श्यालाबास	—	श्यालावास
10.	विजयकुमार गुप्ता गुढाकटला	—	गुढाकटला
11.	बद्रीप्रसाद गुप्ता डिगारिया भीम	—	डिगारिया भीम
12.	द्वारका प्रसाद गुप्ता रलावता	—	रूपवास
13.	लल्लूराम सैनी	—	बांदीकुई
14.	चन्दूलाल मीना बैजूपाड़ा	—	बैजूपाड़ा
15.	ग्राम सेवा सहकारी समिति बांदीकुई	—	बांदीकुई

Page No. 205

(205)

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची

विद्यालयवार स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण

प्रथम वेतन शृंखला, द्वितीय एवं तृतीय वेतन शृंखला

प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थायें) सवाई माधोपुर

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत			कार्यरत			रिक्त		
		I	II	III	I	II	II	I	II	III
1	2	3			4			5		
1.	रा.बा.सी.उ.मा. वि. स. माधोपुर	13	11	4	11	11	4	2	—	—
2.	,, गंगापुर	15	18	11	11	18	11	4	—	—
3.	,, करौली	11	9	4	10	9	4	1	—	—
4.	,, महुआ	4	3	5	2	3	5	2	1	—
5.	,, हिण्डौन	5	13	9	1	13	9	4	—	—
6.	रा.बा.मा.वि. मण्डावर	—	5	5	—	5	5	—	—	—
7.	,, टोडाभीम	—	5	2	—	4	2	—	1	—
8.	,, सपोटरा	—	5	2	—	5	2	—	—	—
9.	,, बौंली	—	5	1	—	4	1	—	1	—
10.	,, खण्डार	—	6	1	—	5	1	—	1	—
11.	,, मानटाउन	—	6	10	—	6	10	—	—	—
12.	,, पट्टीकलां बामनवास	—	6	3	—	4	3	—	2	—
13.	,, नादौती	—	5	2	—	5	2	—	—	—
14.	,, मण्डरायल	—	6	9	—	6	9	—	—	—
15.	,, वजीरपुर	—	6	8	—	5	8	—	1	—
16.	,, शिवाड़	—	6	7	—	6	7	—	—	—
17.	,, भगवतगढ़	—	6	9	—	6	9	—	—	—
18.	,, चौथ का बरवाड़ा	—	1	9	—	1	9	—	—	—

Page No. 206

(206)

1	2	3			4			5		
19.	रा.बा.उ.प्रा. वि. आलनपुर	—	1	8	—	1	8	—	—	—
20.	,, शेरपुर	—	1	6	—	1	6	—	—	—
21.	,, शामपुर	—	1	4	—	1	4	—	—	—
22.	,, सूरवाल	—	1	9	—	1	9	—	—	—
23.	,, ईसरदा	—	1	6	—	1	6	—	—	—
24.	,, मलारना डूंगर	—	1	7	—	1	7	—	—	—
25.	,, खिरनी	—	1	9	—	1	9	—	—	—
26.	,, नारौली डांग	—	1	7	—	1	7	—	—	—
27.	,, पिपलाई	—	1	6	—	1	6	—	—	—
28.	,, गुढ़ाचन्द्रजी	—	1	8	—	1	8	—	—	—
29.	,, मासलपुर	—	1	7	—	1	7	—	—	—
30.	,, गंगापुर	—	1	11	—	1	11	—	—	—
31.	,, करौली	—	1	4	—	1	4	—	—	—
32.	,, सूरोठ	—	1	9	—	1	9	—	—	—
33.	,, मोहननगर	—	1	5	—	1	5	—	—	—
34.	,, महू इब्राहिमपुर	—	1	6	—	1	6	—	—	—
35.	,, पावटा	—	1	7	—	1	7	—	—	—
36.	,, रसीदपुर	—	1	7	—	1	7	—	—	—
37.	,, बालाहेड़ी	—	1	6	—	1	6	—	—	—
38.	,, टोडरा	—	1	8	—	1	8	—	—	—
39.	,, गेरई	—	1	4	—	1	4	—	—	—
40.	,, पीलोद	—	1	5	—	1	5	—	—	—
41.	,, गाजीपुर	—	1	5	—	1	5	—	—	—
42.	,, कुस्तला	—	1	12	—	1	12	—	—	—
43.	,, जलालपुर	—	1	6	—	1	6	—	—	—
44.	,, हाड़ौती	—	1	4	—	1	4	—	—	—

Page No. 207

1	2		3			4			5		
45.	,, करणपुर	—	1	4	—	1	4	—	—	—	
46.	,, कुड़गांव	—	1	4	—	1	4	—	—	—	
47.	,, मलारनाचौड़	—	1	6	—	1	6	—	—	—	
48.	,, बिच्छीदौना	—	1	4	—	1	4	—	—	—	
49.	,, रतनजिला	—	1	3	—	1	3	—	—	—	
50.	,, बहरावण्डा खुर्द	—	1	3	—	1	3	—	—	—	
51.	,, पीपल्दा	—	1	3	—	1	3	—	—	—	
52.	,, कुण्डेरा	—	1	3	—	1	3	—	—	—	
53.	,, आदर्शनगर	—	2	5	—	2	5	—	—	—	
54.	,, स. माधोपुर	—	1	6	—	1	5	—	—	—	
55.	,, गुडली	—	1	1	—	1	1	—	—	—	
56.	,, रामपुरा	—	1	1	—	1	1	—	—	—	
57.	,, गढ़मोरा	—	1	2	—	1	2	—	—	—	
58.	,, झाड़ीसा	—	1	3	—	1	3	—	—	—	

जिला शिक्षा अधिकारी

(छात्रा संस्थायें) सवाई माधोपुर

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूची

दिनांक 7-8-90 को मुरलीपुरा, रेल्वे क्रासिंग पर हुई एन. के. पब्लिक स्कूल की दुखान्तिका में मृत छात्रों की सूची :—

(1) कु. बिन्दिया जैन पुत्री श्री प्रकाश चन्द

(2) कु. ज्योति वरदानी पुत्री डा. एस. आर. वरदानी

(3) कु. लता वरदानी पुत्री डा. एस. आर. वरदानी

(4) कु. मैना खान पुत्री श्री मुन्शी खान

(5) कु. नीलम शर्मा पुत्री श्री सत्यनारायण

(6) कैलाश चन्द्र स्वामी पुत्र श्री घासीराम

(7) अजय कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण

(8) सूर्य प्रकाश पुत्र श्री सत्यनारायण

(9) बाबूलाल पुत्र श्री छोटू लाल

एन. के. पब्लिक स्कूल, आर्यनगर, मुरलीपुरा को बस दुखान्तिका में मृतक विद्यार्थियों के अभिभावकों को दी गयी अनुग्रहीत राशि की सूची :—

क्र. सं.	मृतक विद्यार्थी का नाम	अभिभावक का नाम	अनुग्रहीत राशि
1.	कु. बिन्दिया जैन	श्री प्रकाश चन्द जैन	10,000/–
2.	कु. ज्योति वरदानी	डा. एस.आर. वरदानी	10,000/–
3.	कु. लता वरदानी	डा. एस.आर. वरदानी	10,000/–
4.	कु. मैना खान	श्री मुन्शी खान	10,000/–
5.	कु. नीलम शर्मा	श्री सत्यनारायण	10,000/–
6.	कैलाश चन्द्र स्वामी	श्री घासीराम	10,000/–
7.	अजयकुमार	श्री सत्यनारायण	10,000/–
8.	सूर्य प्रकाश	श्री सत्य नारायण	10,000/–
9.	बाबूलाल	श्री छोटू लाल	10,000/–